एस0टी0 नं0 1065/2019,
सी0बी0आई0 बनाम अतीक अहमद,

01.12.2022

प्रकरण से सम्बन्धित सभी पत्रावलियां पेश हुई। सभी अभियुक्तगण वीडियोकांफ्रेसिंग के जरिये न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि चूंकि उपरोक्त सभी प्रकरण एक ही आर0सी0 नं0–4(एस)/2019 धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 506, 120बी, 364ए, 411 भा0द0सं0 से सम्बन्धित है और सम्बन्धित सभी पत्रावलियों में धारा 207 द0प्र0सं0 की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। अतः सम्बन्धित सभी पत्रावलियेां को न्यायहित में एकजाई करते हुए विचारण से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जाय

उक्त के आलोक में समस्त पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

एस0टी0 नं0 1065/2019, सी0बी0आई0 बनाम अतीक अहमद, मुख्तार यादव, अलमगीर, बल्कत अंसारी, दयानन्द, गुलाम मो0उनुद्दीन सिद्दीकी इरफान, गुलाम सरवर, जफर उल्ला, पवन, जकी अहमद, फारूख के विरूद्व आर0सी0 नं0–4(एस)/2019 धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 506, 120बी, 364ए, 411 भा0द0सं0 में विवेचनोंपरांत आरोप पत्र अवर न्यायालय में दिनांक 11.10.2019 को दाखिल किया गया था और उक्त पत्रावली अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.12.2019 के अनुक्रम में कमिट होकर दिनांक 24.12.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। अभियुक्त अतीक अहमद साबरमती जेल गुजरात में निरूद्व है जबकि अभियुक्त फारूख जिला जेल फतेहपुर, अभियुक्त दयानन्द जिला जेल देवरिया में निरूद्व है तथा शेष अभियुक्तगण जिला जेल लखनऊ में निरूद्व है। उक्त पत्रावली आज नियत है।

एस0टी0 नं0 2121/2021, सी0बी0आई0 बनाम मोहम्मद उमर, नितेश मिश्रा, महेन्द्र कुमार सिंह, योगेश कुमार के विरूद्व आर0सी0 नं0–4(एस)/2019 धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 506, 120बी, 364ए, 411 भा0द0सं0 में विवेचनोपरांत पूरक आरोप पत्र अवर न्यायालय में दिनांक 04.01.2021 को दाखिल किया गया था और अभियुक्तगण मो0 उमर, नितेश मिश्रा, महेन्द्र कुमार सिंह, योगेश कुमार की पत्रावली से अभियुक्त मो0 उमर एवं योगेश कुमार की पत्रावली को पृथक करते हुए शेष अभियुक्तगण नितेश मिश्रा एवं महेन्द्र कुमार सिंह की पत्रावली को अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.01.2022 के अनुक्रम में कमिट होकर दिनांक 20.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। अभियुक्त नितेश मिश्रा एवं महेन्द्र कुमार सिंह जिला जेल लखनऊ में निरूद्व है। उक्त पत्रावली आज नियत है।

एस0टी0 नं0 1128/2022, सी0बी0आई0 बनाम येागेश कुमार, मोहम्मद उमर, नितेश मिश्रा, महेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्व आर0सी0 नं0–4(एस)/2019 धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 506, 120बी, 364ए, 411 भा0द0सं0 में विवेचनोपरांत पूरक आरोप पत्र अवर न्यायालय में दिनांक 04.01.2021 को दाखिल किया गया था और अभियुक्तगण मोहम्मद उमर, नितेश मिश्रा, महेन्द्र कुमार सिंह की पत्रावली से अभियुक्त योगेश कुमार की पत्रावली पृथक करते हुए उक्त पत्रावली को अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.05.2022 के अनुक्रम में कमिट होकर दिनांक 08.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। अभियुक्त योगेश कुमार जिला जेल लखनऊ में निरूद्व है। उक्त पत्रावली आज नियत है।

एस0टी0 नं0 1755/2022, सी0बी0आई0 बनाम मोहम्मद उमर, नितेश मिश्रा, महेन्द्र कुमार सिंह, योगेश कुमार के विरूद्व आर0सी0 नं0–4(एस)/2019 धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394,

506, 120बी, 364ए, 411 भा0द0सं0 में विवेचनोपरांत पूरक आरोप पत्र अवर न्यायालय में दिनांक 04.01.2021 को दाखिल किया गया था और अभियुक्तगण नितेश मिश्रा, महेन्द्र कुमार सिंह, योगेश कुमार की पत्रावली से अभियुक्त मो0 उमर की पत्रावली पृथक करते हुए उक्त पत्रावली को अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 05.09.2022 के अनुक्रम में कमिट होकर दिनांक 20.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। अभियुक्त मो0 उमर जिला जेल लखनऊ में निरूद्व है। उक्त पत्रावली आज नियत है।

एस0टी0 नं0 1348/2022, सी0बी0आई0 बनाम मो0 हमजा अंसारी एवं मो0 आमिर कुरैशी के विरूद्व आर0सी0 नं0–4(एस)/2019 धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 506, 120बी, 364ए, 411 भा0द0सं0 में विवेचनोपरांत पूरक आरोप पत्र अवर न्यायालय में दिनांक 25.11.2021 को दाखिल किया गया था और अभियुक्तगण मो0 हमजा अंसारी एवं मो0 आमिर कुरैशी की पत्रावली को अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.07.2022 के अनुक्रम में कमिट होकर दिनांक 04.08.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। अभियुक्तगण जिला जेल लखनऊ में निरूद्व है। उक्त पत्रावली आज नियत है।

उपरोक्त वर्णित समस्त पत्रावलियों के अवलोकन से पाया कि सम्बन्धित पत्रावलियां एक ही अपराध संख्या एवं समव्यवहार से सम्बन्धित पृथक पृथक अभियुक्तों की है। चूंकि उक्त सभी पत्रावलियां एक ही प्रकरण से सम्बन्धित है। मामले के न्यायनिर्णयन हेतु उपरोक्त सभी पत्रावलियों का निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों में उपरोक्त सभी सम्बन्धित पत्रावलियों को एस.टी. 1065/2019 सी.बी.आई0 बनाम अतीक अहमद की पत्रावली में मर्ज किया जाता है।

एस.टी. 1065/2019 सी.बी.आई0 बनाम अतीक अहमद की पत्रावली मुख्य पत्रावली के रूप में ही विचारण से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां की जायेगी। शेष सभी सम्बन्धित पत्रावलियों पर अंकित नम्बर एस0टी0– 2121/21, 1128/22, 1775/22 एवं 1348/22 इसी स्तर पर लोपित किया जाता है।

अतः पत्रावली एस.टी. 1065/2019 सी.बी.आई0 बनाम अतीक अहमद एवं अन्य की पत्रावली दिनांक 15.12.2022 को आरोप विरचन हेतु पेश हो।

अभियुक्तगणों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु प्रमृख सचिव गृह, एच.ओ.बी./एस.आई.बी. को पत्र जारी हो। मामले के पैरवी आफिसर एवं विवेचक को निर्देश दिया जाता है कि वे अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0—07/14

29.11.2022

पत्रावली पेश हुई।

आज सम्बन्धित मामले में पत्रावली धारा 313 द0प्र0सं0 के स्तर पर नियत थी। इस स्तर पर अभियोजन की तरफ से सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तगण सुधीर कुमार मेहरा एवं जगदीश कुमार सक्सेना उर्फ राजू के विरूद्व आरोप न्यायालय द्वारा दिनांक 24.5.2014 को विरचित किये गये थे, जिनमे धारायें सही थी किन्तु अभियुक्त सुधीर कुमार मेहरा के विरूद्व विरचित आरोप में धाराओं के सम्बन्ध में आवश्यक तत्वों के सम्बन्ध में कुछ लिपिकीय त्रुटियां हो गयी है, जबकि अभियुक्त जगदीश कुमार सक्सेना उर्फ राजू के विरूद्व विरचित आरोप में अन्य किसी प्रकरण के तथ्य लिपिकीय त्रुटिवश सम्मिलित हो गये है। अतः इस स्तर पर अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों को संशोधित किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक का यह भी कथन है कि अभियुक्तगण आरोप में त्रुटि होने के कारण धारा 215 द0प्र0सं0 में उल्लिखित त्रुटि के प्रभाव से किसी भुलावे में नहीं पड़े है जिससे न्याय की मंशा विफल हो। अतः गवाहों को पुनः परीक्षित करने की आवश्यकता किसी भी पक्ष को नहीं है तथा धारा 216 द0प्र0सं0 न्यायालय किसी भी स्तर पर आरोप में संशोधन उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर कर सकता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हसन भाई वली भाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य(2004) 5 एस0सी0सी0 347 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया था साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कांतीलाल चंदू लाल मेहता बनाम महाराष्ट् राज्य (1969) 3 एस0सी0सी0 166 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि न्यायालय को द0प्र0सं0 अत्यंत विस्तृत शक्ति आरोप में संशोधन

अथवा आरोप बदलने हेतु प्रदान करती है। अतः इस स्तर पर अभियुक्तगण सुधीर कुमार मेहरा एवं जगदीश कुमार सक्सेना उर्फ राजू के विरूद्व संशोधित आरोप अन्तर्गत धारा 120बी भा0द0सं0 एवं धारा–7 एवं 13(2) सपठित 13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट 1988 में न्यायहित में विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्तगण की तरफ से संयुक्त आपत्ति प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि सम्बन्धित मामले में सी0बी0आई0 द्वारा इस स्तर पर आरोप परिवर्तन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में अपने अभियोजन के लैकुना को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है जो आपराधिक न्याय प्रणाली के पूर्णतः विपरीत है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क किया गया है कि अभी तक सम्बन्धित प्रकरण की विचारण प्रक्रिया में पूर्व में विरचित आरोप के आधार पर ही सम्मिलित होकर प्रतिभाग लिया गया है। ऐसे में इस स्तर पर परिवर्तन किये जाने से अभियुक्तगण को गम्भीर प्री–ज्युडिस कारित हो सकता हैं। प्रार्थना पत्र गुण–दोष पर निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

सम्बन्धित प्रकरण में पत्रावली आज अभियुक्तगण के बयान धारा 313 द0प्र0सं0 के स्तर पर नियत है। सी0बी0आई0 द्वारा इस स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि पूर्व में विरचित आरोप में कम्प्यूटर से टंकण के समय किसी अन्य प्रकरण के तथ्य आरोप में सम्मिलित हो गये थे। ऐसे में इस प्रकरण के तथ्य त्रुटिवश सम्मिलित होने से शेष रह गये थे। यद्यपि कि अभियुक्तण के नाम, धारायें व कुछ विशिष्टयां प्रकरण के तथ्यों के अनुरूप ही थी परन्तु प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां भिन्न होने के कारण व विचारण में जो सामग्री आई है उसके आधार पर इस स्तर पर आरोप में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा यह कथन किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में जो त्रुटि कारित हुई थी उससे अभियुक्तगण न तो किसी भुलावे में पडे है और न ही वे त्रुटियां ऐसी थी जिससे न्याय की मंशा विफल हो सके तथा अभियोजन कथानक के अनुरूप ही साक्षियों को प्रस्तुत किया गया था और अपनी प्रतिरक्षा में बचाव पक्ष द्वारा उन साक्षियों से उक्त आधार पर ही जिरह भी की गई थी। यद्यपि कि सम्बन्धित प्रकरण में अभियोजन के कथनानुसार ऐसी कोई तात्विक त्रुटि नही थी जिससे अभियुक्तगण भुलावे में पड़ गये हो तथा न्याय की मंशा विफल हो गयी हो परन्तु बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके पूर्व विरचित आरोप के आधार पर ही इस विचारण में सम्मिलित हुए है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था कांतीलाल चंदू लाल मेहता बनाम महाराष्ट् राज्य (1969) 3 एस0सी0सी0 166 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर वह आरोप में संशोधन अथवा आरोप परिवर्तित कर सकती है। चूंकि न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार है कि विचारण के किसी भी स्तर पर आरोप में न्याय के उद्वेश्य को पूर्ण करने के लिए परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा आरोप परिवर्तन किये जाने व नये तथ्यों को सम्मिलित किये जाने का विरोध भी नहीं किया गया है क्योंकि वे न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है। उनका आरोप परिवर्तन का मुख्य आधार यह है कि वे पूर्व में विरचित आरोप के आधार पर विचारण प्रक्रिया में सम्मिलित हुए है जिससे प्री–ज्युडन्स हो सकते है। ऐसे में सम्बन्धित प्रकरण में आरोप परिवर्तन किये जाने के उपरांत बचाव पक्ष को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे यदि चाहे तो पूर्व में प्रस्तुत किसी अभियोजन साक्षी की पुनः परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते है परन्तु ऐसे में उन्हें न्यायालय को यह सन्तुष्ट करना होगा कि ऐसा किये जाने पर पुनः परीक्षा विचारण में विलम्ब कारित करने वाली और न्याय की मंशा को विफल करने वाली न हो।

अतः मामले के तथ्य परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो के आधार पर

अभियोजन का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बचाव पक्ष यदि किसी पूर्व परीक्षित अभियोजन साक्षी को पुनः परीक्षित कराना चाहे तो उक्त साक्षीगण की सूची तत्काल 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

पत्रावली पुनः 1.00 बजे पेश हुई। अभियुक्तगण उपस्थित आये। अभियोजन एव बचाव पक्ष को आरोप विरचन पर सुना गया। अभियुक्तगण सुधीर कुमार मेहराके विरूद्व संशोधित आरोप अन्तर्गत धारा–120बी भा0द0सं0, धारा–7 व 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट से तथा अभियुक्त जगदीश कुमार सक्सेना उर्फ राजू को धारा–120बी0 भा0द0सं0 सपठित धारा–7 पी0सी0ऐक्ट एवं धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट के आरोप से आरोपित किया गया, जो कि अलग पृष्ठ पर है। विरचित आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा विरचित आरोप से इंकार किया गया और दोषसिद्व से इंकार किया गया। बचाव पक्ष यदि पूर्व परीक्षित साक्षी में से किसी को आहूत करना चाहती है तो उसकी सूची तत्काल प्रस्तुत करें।

पत्रावली लंच बाद अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

पत्रावली लंच बाद पेश हुई।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा कहा गया कि संशोधित आरोप विरचन के पश्चात वह पूर्व परीक्षित परीक्षित अभियोजन साक्षियों में से किसी भी साक्षी को पुनः परीक्षित नहीं कराना चाहते है।

पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु दिनांक 30.11.2022 को पेश हो। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

30.11.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण सुधीर कुमार मेहरा एवं जगदीश कुमार सक्सेना उर्फ राजू व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। पत्रावली आज अभियुक्तगण के बयान धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु नियत है।

सम्बन्धित पत्रावली को शीघ्र निस्तारित किया जाना है। प्रकरण में दो अभियुक्तगण है। बयान धारा 313 द0प्र0सं0 में प्रश्नों की संख्या अधिक है। उक्त प्रश्नों का उत्तर भी अभियुक्तगण की ओर से विस्तृत रूप से दिया जा रहा है। ऐसे में प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर आशुलिपिक के माध्यम से टंकित कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्तगण से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर आशुलिपिक के माध्यम से कम्प्यूटर पर ही टंकित कराया गया।

अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान धारा 313 द0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को गलत व झूंठा बताते हुए गवाहों द्वारा सी0बी0आई0 के दबाव में गवाही देने का कथन किया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है।

अतः पत्रावली सफाई साक्ष्य हेतु दिनांक 02.12.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ

आर0सी0 नं0 2232020ए0007

सी0बी0आई0/एसी–5/नई दिल्ली

29.11.22

सी0बी0आई0 की ओर से विवेचक रणधीर कुमार सिंह द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आर0सी0 नं0 2232020ए0007 सी0बी0आई0/एसी–5/नई दिल्ली, धारा–120बी, 420, 468, 471 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट में अभियोग मेसर्स गंगोत्री इंटर प्राइजेज लि0, अजीत पाण्डेय, विनय शंकर तिवारी, श्रीमती रीता तिवारी, मेसर्स रॉयल मार्केटिंग प्रा0 लि0 एवं अन्य लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्व पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना लोक सेवकों के विरूद्व अपराध होना नहीं पाया गया। विवेचना के उपरांत मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लि0, अजीत पाण्डेय, विनय शंकर तिवारी, श्रीमती रीता तिवारी, मेसर्स रॉयल मार्केटिंग प्रा0 लि0 तथा मेसर्स कर्न्डप होटलस प्रा0 लि0 के विरूद्व धारा 120बी सपठित धारा 420, भा0द0सं0 का अपराध होना पाया गया है। यह भी कथन किया गया है कि पूर्व में आरोप पत्र प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व दाखिल किया गया था और अग्रिम विवेचना लोक सेवको के विरूद्व जारी थी किन्तु लोक सेवकों के विरूद्व अन्तर्गत धारा 17ए पी0सी0ऐक्ट की पूर्व अनुमति न मिल पाने के कारण लोक सेवकों के विरूद्व विवेचना बंद कर दी गई है परन्तु अन्य

प्राइवेट व्यक्तियेां के विरूद्व प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र सहित सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र को सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा उपस्थित लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं किया।

सुना गया एवं सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

सी0बी0आई0 की ओर से आर0 सी0 नं0 2232020ए0007 सी0बी0आई0/एसी–5/नई दिल्ली, धारा–120बी, 420, 468, 471 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट मेसर्स गंगोत्री इंटर प्राइजेज लि0, अजीत पाण्डेय, विनय शंकर तिवारी, श्रीमती रीता तिवारी, मेसर्स रॉयल मार्केटिंग प्रा0 लि0 एवं अन्य लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्व पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लि0, अजीत पाण्डेय, विनय शंकर तिवारी, श्रीमती रीता तिवारी, मेसर्स रॉयल मार्केटिंग प्रा0 लि0 तथा मेसर्स कर्न्डप होटल प्रा0 लि0 के विरूद्व धारा 120बी सपठित धारा 420, भा0द0सं0 का अपराध होना पाया गया है और उक्त व्यक्तियों के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध होना नहीं पाया गया। सी0बी0आई0 द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक के अनुसार अभी तक की विवेचना में प्रकरण में किसी भी लोक सेवक की संलिप्तता की जांच धारा 17ए पी0सी0ऐक्ट के अन्तर्गत पूर्व अनुमति न मिल पाने के कारण नहीं हो पाई गई है और लोक सेवकों के विरूद्व विवेचना समाप्त कर दी गई है। अतः इस स्तर पर प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व आरोप पत्र पर इस न्यायालय क्षेत्राधिकार न होने के कारण मूल एफ0आई0आर0, आरोप पत्र व अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र व प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में नियमानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की छाया प्रति इस न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त

कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है प्रकरण से सम्बन्धित मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट,आरोप पत्र एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रो की मूल प्रतियां नियमानुसार विवेचक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विवेचक तदनुसार उपरोक्त की छाया प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मामले से सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद को निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति प्रकरण के विवेचक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त कराई जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

सेशन केस नं0–2327/2022

सी0बी0आई0 बनाम शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू
आर.सी. नं0–27ए/2010

29.11.2022

पत्रावली पेश हुई। आज सी0बी0आई0 की ओर से अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु आख्या को सत्यापित करने वाले साक्षी देवशरण मिश्रा को सी0डब्लू0–1 के रूप में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया।

उक्त साक्षी देवशरण मिश्रा सी0डब्लू0–1 ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक 17.11.2022 को अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू के दिये गये पते स्थित गोसाईगंज गया था जहॉ पर अभियुक्त की का पुत्र मोहम्मद शोएब मिला। उन्होने बताया कि उसके पिता शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु दिनांक 25.10.2020 को हो चुकी है और उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति ए–6/2 एवं लिखित तहरीर ए–6/3 भी दिया गया। जिसका सत्यापन रजिस्टार ग्राम पंचायत समनापुर से कराया गया जो सही पाया गया साथ में ग्राम प्रधान नीलम वर्मा द्वारा लिखित तहरीर ए 6/5 दिया गया। मृत्यु

प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ए–6/2 व लिखित तहरीर ए–'6/5 को कमशः प्रदर्श स–1/1 व प्रदर्श स–1/2 के रूप में साबित किया। मृतक के पुत्र मोहम्मद शेएब द्वारा दी गई लिखित तहरीर को साक्षी ने प्रदर्श स–2 के रूप में साबित किया जिसके अनुसार अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु दिनांक 25.10.2022 को हो चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्षी सी0डब्लू0–1 के बयान से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु दिनांक 25.10.2022 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू के विरूद्व कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है और अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ
आर0सी0 नं0 0062022ए0002

09.11.22

सी0बी0आई0 की ओर से विवेचक अनुराग यादव द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आर0सी0 नं0 0062022ए0002 धारा–120बी, 420 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट में अभियोग मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0, पंकज रस्तोगी, पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं अन्य लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्व पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना लोक सेवकों के विरूद्व अपराध होना नहीं पाया गया। विवेचना के उपरांत पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं पियुष रस्तोगी एवं अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व धारा 120बी सपठित धारा 420, 406, 468,भा0द0सं0 एवं कम्पनी मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0 द्वारा कम्पनी डायरेक्टर के विरूद्व धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध होना पाया गया है और उक्त व्यक्तियों के

विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध होना नहीं पाया गया और प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र को सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा उपस्थित लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं किया।

सुना गया एवं सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

सी0बी0आई0 की ओर से आर0सी0 नं0 0062022ए0002 धारा–120बी, 420 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट में मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0, पंकज रस्तोगी, पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं अन्य अज्ञात लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना सी0बी0आई0 द्वारा पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं पियुष रस्तोगी एवं अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व धारा 120बी सपठित धारा 420, 406, 468,भा0द0सं0 एवं कम्पनी मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0 द्वारा कम्पनी डायरेक्टर के विरूद्व धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध होना पाया गया है और उक्त व्यक्तियों के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध होना नहीं पाया गया। सी0बी0आई0 द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक के अनुसार अभी तक की विवेचना में प्रकरण में किसी भी लोक सेवक की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अतः इस स्तर पर प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व आरोप पत्र पर इस न्यायालय क्षेत्राधिकार न होने के कारण मूल एफ0आई0आर0 व अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में नियमानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की छाया प्रति इस न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है प्रकरण से सम्बन्धित मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रो की मूल प्रतिया नियमानुसार विवेचक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति प्रकरण के विवेचक को प्राप्त कराई जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।
क्रिमिनल केस नं0–2212/2022

सी0बी0आई0 बनाम शुभ नाथ मिश्रा

<u>22.11.2022</u>

प्रस्तुत प्रकरण में मृतक शुभ नाथ मिश्रा के जामिनदार रजनीश कुमार मिश्रा एवं श्रीमती महारानी मिश्रा की ओर से सयोरिटी बांड को रिलीज किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में कथन किया गया है कि अभियुक्त शुभनाथ मिश्रा की

मृत्यु दिनांक 7.11.21 को हो गयी है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। उनकी जमानत प्रार्थी रजनीश कुमार मिश्रा एवं श्रीमती महारानी मिश्रा द्वारा ली गई थी तथा समर्थन में यूनियन बैंक मु0–एक–एक लाख रूपये की एफ.डी. संलग्न किया था। अतः अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण उनके द्वारा जमा एफ0डी0 को रिलीज किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

सुना गया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त शुभनाथ मिश्रा की मृत्यु दिनांक 7.11.21 को हो चुकी है और उक्त अभियुक्त के विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। अतः उनके जामिनादार रजनीश कुमार मिश्रा एवं श्रीमती महारानी मिश्रा को उन्मोचित करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत जमानतपत्र निरस्त किये जाने एवं दाखिल सयोरिटी बांड रिलीज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मृतक अभियुक्त शुभनाथ मिश्रा के जामिनदार रजनीश कुमार मिश्रा एवं श्रीमती महारानी मिश्रा को उन्मोचित करते हुए जमानत पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके द्वारा दाखिल सयोरिटी बांड रिलीज, यूनियन बैंक आफ इंडिया मे जमा एफ0डी0 मु0 एक–एक लाख रूपये, रिलीज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त एफ0डी0 रजनीश कुमार मिश्रा एवं श्रीमती महारानी मिश्रा की ही सुपुर्दगी में नियमानुसार प्रदान करायेगें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–815 / 2022

सी0बी0आई0 बनाम रूप सिंह यादव

22.11.22

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण रूप सिंह यादव एवं राजकुमार यादव जेरे हिरासत उपस्थित आये। मामले के विवेचक श्री गणेश शंकर निरीक्षक सी0बी0आई0 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। मामले के विवेचक द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में अभी अग्रिम विवेचना प्रचलित है तथा यह भी अवगत कराया गया कि मामले के अभियुक्त राजकुमार यादव द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रेषित किया गया था कि

निलम्बन अवधि के दौरान उसे जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में उसने कई अवसर पूर्व में सम्बन्धित अधिकारियों को लिखने के उपरांत विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था, जिस पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस न्यायालय द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से आख्या आहूत की गई थी। उक्त आख्या के सन्दर्भ में आज श्री आर0के0 जैन अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिचाई विभाग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आये और उनके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त राजकुमार यादव, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, सिंचाई विभाग को नियमानुसार नियमित रूप से प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है तथा अतिशीघ्र दिनांक 19.11.2020 से माह अक्टूबर 2022 तक के जीवन निर्वाह भत्ते का एरियर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। ऐसे में यह स्पष्ट है कि मामले के अभियुक्त द्वारा दिये गये आवेदन पर सिचाई विभाग द्वारा अब कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। पूर्व में कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस सन्दर्भ में दाखिल किये गये पत्र संख्या–एम–3009/सप्तम/ई–4 दिनांकित 21 नवम्बर 2022 में कोई कारण स्पष्ट नहीं किये गये है। अतः प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई से यह अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित प्रकरण में विलम्ब के कारण का स्पष्टीकरण तथा अनुपालन आख्या अग्रिम तिथि 06.12.22 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय को इस सन्दर्भ में आवश्यक सूचना प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रावली नियत तिथि 06.12.22 को पेश हो। अभियुक्तगण जरिये वीडियो कांफ्रेसिग उपस्थित हों।

आदेश की एक प्रति उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता को अनुपालनार्थ प्रदान कराई जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

किमिनल केस नं0–2213/2022

सी0बी0आई0 बनाम नवल किशोर शर्मा

<u>22.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। आज सी0बी0आई0 की ओर से अभियुक्त नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल की मृत्यु आख्या को सत्यापित करने वाले साक्षी संजय कुमार मौर्या को सी0डब्लू0–2 के रूप में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया।

उक्त साक्षी संजय कुमार मौर्या सी0डब्लू0–2 ने अपने सशपथ साक्ष्य में

कथन किया है कि वह दिनांक 22.03.2022 को अभियुक्त नवल किशाुर शुक्ता के दिये गये पते स्थित ग्राम किशनपुर कौड़िया गया था जहॉ पर अभियुक्त की पत्नी रेखा शुक्ला मिली। उन्होने बताया कि उनके पति नवल किशोर शुक्ला की मृत्यु दिनांक 15.12.2021 को हो चुकी है और उनके द्वारा लिखित प्रमाण पत्र भी दिया गया। आस पडोस के लोगों ग्रीस चन्द्र शुक्ला व महादेव मिश्रा ने भी अभियुक्त नवल किशोर शुक्ला की मृत्यु हो जाने के तथ्य की पुष्टि किया। ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेश्वरी देवी द्वारा भी अभियुक्त नवल किशोर शुक्ला की मृत्यु होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किया। उक्त के आधार पर साक्षी द्वारा भी अपनी आख्या दिनांक 22.03.22 को सी0बी0आई0 प्रमुख को सौंप दी। साक्षी ने स्वयं की आख्या दस्तावेज डी–184/1 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया साथ ही साक्षी ने दस्तावेज डी–184/3, जो कि ग्राम प्रधान मुनेश्वरी देवी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र पर ग्राम प्रधान मुनेश्वरी देवी के हस्ताक्षर की पुष्टि किया। दस्तावेज डी–184/4 अभियुक्त नवल किशोर शुक्ला की पत्नी द्वारा दिया गया प्रमाण है, पर अभियुक्त की पत्नी रेखा शुक्ला के हस्ताक्षर की पुष्टि किया। इस प्रकार साक्षी ने उक्त दस्तावेज डी–184/1 ता डी–184/5 को संयुक्त रूप से प्रदर्श ग–1 के रूप मे ंसाबित किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्षी सी0डब्लू0–1 के बयान से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल की मृत्यु दिनां 15.12.2021 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल के विरूद्व कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है और अभियुक्त नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–2212/2022

सी0बी0आई0 बनाम शुभ नाथ मिश्रा

<u>22.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। सी0बी0आई0 की ओर से अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा की मृत्यु आख्या को सत्यापित करने वाले साक्षी संदीप कुमार को सी0डब्लू0–3 के रूप में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।

उक्त साक्षी संदीप कुमार सी0डब्लू0–3 ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन

किया है कि वह दिनांक 28.10.2021 को अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा के दिये गये पते स्थित मं.नं.–281/44 मवैया लखनऊ गया था जहॉ पर अभियुक्त का पुत्र रजनीश मिश्रा, अजय मिश्रा, पुत्री अनीता मिश्रा व उनकी पत्नी श्रीमती महारानी मिश्रा मिले। उन्होने बताया कि शुभ नाथ मिश्रा की मृत्यु दिनांक 17.11.2021 को लाल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर रोड, लखनऊ में हो चुकी है। इस सन्दर्भ में अभियुक्त के पुत्र रजनीश मिश्रा द्वारा एक स्वलिखित प्रमाण पत्र दिया गया कि उनके पिता की मृत्यु दिनांक 17.11.2021 को हो चुकी है। समर्थन में हास्पिटल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, नगर पालिका परिषद गंगाघाट उन्नाव द्वारा जारी दाह संस्कार प्रमाण पत्र की प्रति, नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पवत्र व आधार कार्ड की छाया प्रति दी गई है। पास पडोस के लोगों ने भी अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा की मृत्यु हो जाने के तथ्य की पुष्टि किया। उक्त के आधार पर साक्षी द्वारा भी अपनी आख्या दिनांक 08.03.22 को अपने कार्यालय में दी थी। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बी–185/1 ता बी–185/10 को देख कर बताया कि बी–185/1 उसके द्वारा दी गई मृत्यु आख्या है और उस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिसे प्रदर्श ग–1/1 के रूप में साबित किया गया। उक्त के साथ मृत्यु सत्यापन रिपोर्ट के साथ संलग्न रजनीश कुमार मिश्रा द्वारा स्वलिखित प्रमाण पत्र बी–185/3 पर अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा के पुत्र रजनीश कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जो प्रदर्श क–1/2 है। नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र बी–184/4, नगर पालिका परिषद उन्नाव द्वारा जारी दाह संस्कार प्रमाण पत्र बी–185/5, तथा लाल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणय पत्र बी–185/6 है। इसके अलावा बी–185/7 ता बी–185/10 अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा की पत्नी, पुत्री एवं दोनों पुत्रों के आधार कार्ड की छाया प्रति को साबित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्षी सी0डब्लू0–3 के बयान से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा की मृत्यु दिनांक 17.11.2021 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा के विरूद्व कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है और अभियुक्त शुभ नाथ मिश्रा की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

आर0सी0—27(ए) / 10
सी0बी0आई0 बनाम कल्प नारायण शुक्ला व अन्य
धारा—120बी, 409,420,467,468,471 भा0द0सं0
व 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट
थाना— सी0बी0आई0 / ए0सी0बी0 लखनऊ

दिनांक—21.11.2022

पत्रावली पेश हुई।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत पत्रावली आज अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु आख्या हेतु नियत है, जिसके सम्बन्ध में सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु से सम्बन्धित आख्या दाखिल की जा चुकी है। मृत्यु आख्या के सम्बन्ध में सम्बन्धित सत्यापन अधिकारी का साक्ष्य अंकित कराया जाना है। अतः इस स्तर पर उक्त अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू के सम्बन्ध में पत्रावली को अलग कर दिया जाय ताकि मूल पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रश्नगत पत्रावली आज अभियोजन साक्ष्य में नियत है। अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की मृत्यु आख्या सी0बी0आई0 द्वारा सत्यापन आख्या दाखिल की गई है। अतः इस स्तर पर प्रकरण में न्यायनिर्णयन सुविधा तथा शीघ्र निस्तारण की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की पत्रावली को पृथक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ पप्पू की पत्रावली को नियमानुसार उनकी मृत्यु होने के कारण पृथक की जाय।

अभियुक्त की मृत्यु आख्या को सत्यापित करने वाले सत्यापन अधिकारी की साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 25.11.22 को पेश हो।

पृथक पत्रावलियों को दाण्डिक वाद के रूप में दर्ज किया जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

दिनांक 19.11.22

सम्बन्धित मामले में मृतक अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय के विधिक उत्तराधिकारियों अजय कुमार पाण्डेय, श्रीमती निशा त्रिपाठी, श्रीमती उषा अवस्थी, संजय कुमार पाण्डेय द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा उनके मकान को सर्च करते हुए मूल दस्तावेज जिसमें बैंक पासबुक, मूल सेल डीड व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले गये थे, जो सी0बी0आई0 की सुपुर्दगी में है, को अपने पक्ष में रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल की गई है।

सुना गया।

चूंकि सम्बन्धित प्रकरण में मृतक अभियुक्त के सम्बन्धित मूल दस्तावेज, जो कि उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में दस्तावेज प्रदान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि मृतक सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम तथा संख्या कितनी है तथा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दस्तावेज प्राप्त करने वाली तिथि पर सभी विधिक उत्तराधिकारियों को मय पहचान पत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति सी0बी0आई0 को प्रस्तरवार आख्या प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित की जाय कि वे मृतक/अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम व संख्या नियत तिथि पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 25.11.22 को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ
आर0सी0 नं0 0062018ए0019

11.11.22

सी0बी0आई0 की ओर से विवेचक पियूष वर्मा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आर0सी0 नं0 0062018ए0019 धारा 7 व 7ए पी0सी0ऐक्ट में अभियोग पूर्व में अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल के विरूद्व पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में विवेचनोपरांत अभियुक्तगण धर्मशील अग्रवाल व सम्राट चन्द्रा के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 120बी0 सपठित धारा 7 व 7ए पी0सी0ऐक्ट मे प्रस्तुत किया जा चुका है तथा सन्देही अलका सिंह तत्कालीन अपर कमिश्नर आयकर विभाग के विरूद्व तत्समय सी0बी0आई0 द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिस पर कुछ बिन्दुओं पर न्यायालय द्वारा सन्देही अलका सिंह के विरूद्व पुनः अग्रिम विवेचना के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में विवेचक द्वारा सन्देही अलका सिंह के विरूद्व जांच प्रकिया पूरी करने के पश्चात उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृत न दिये जाने के कारण पुनः क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण से सम्बन्धित मुख्य पत्रावली जो कि अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल व सम्राट चन्द्रा से सम्बन्धित है, वर्तमान में आरोप विरचन के स्तर पर लम्बित है जिसमें अग्रिम तिथि 16.12.2022 नियत है। अतः सन्देही अलका सिंह के विरूद्व दाखिल क्लोजर रिपोर्ट से सम्बन्धित पत्रावली को मूल पत्रावली कि0 केस नं0 1963/19 सी0बी0आई0 बनाम धर्मशील अग्रवाल व अन्य से पृथक करते हुए निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र को सी0. बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा सबमिट भी किया गया है। मूल पत्रावली सी0बी0आई0 बनाम धर्मशील अग्रवाल तलब किया गया। वास्ते सुनवाई लंच बाद पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

लंच बाद पत्रावली पुनः पेश हुई। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक व विवेचक को सुना गया एवं सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण की मूल पत्रावली दिनांक 16.12.2022 को नियत है, जो कि वर्तमान में आरोप विरचन के स्तर पर लम्बित है। विवेचक द्वारा प्रकरण में सन्देही अलका सिंह के विरूद्व अग्रिम विवेचना पूर्ण कर अभियोजन स्वीकृत न मिल पाने के कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा रही है तो ऐसे में संदेही अलका सिंह के विरूद्व अग्रिम कायवाही अभियोजन संस्वीकृति के अभाव में प्रारम्भ किया जाना सम्भव ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में संदेही अलका सिंह की पत्रावली को मूल पत्रावली से पृथक किया जाना न्यायोचित पाया जाता है जिससे कि अभियुक्तगण धर्मशील अग्रवाल व सम्राट चन्द्रा के विरूद्व आरोप विरचित किया जा सके।

<u>आदेश</u>

संदेही अलका सिंह के विरूद्व दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को मूल पत्रावली से पृथक किया जाय।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है। संदेही अलका सिंह से सम्बन्धित क्लोजर रिपोर्ट को मूल पत्रावली क0 केस नं0 1963/19 सी0बी0आई0 बनाम धर्मशील अग्रवाल व अन्य से तत्काल नियमानुसार पृथक करना सुनिश्चित करें तथा संदेही अलका सिंह की पृथक पत्रावली को प्रकीर्ण वाद के रूप नियमानुसार दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित पृथक पत्रावली दिनांक 26.11.22. को अग्रिम आदेश हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

प्रस्तुत प्रकरण में सी0बी0आई0 के विवेचक पियूष वर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रकरण में पूर्व में अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल के विरूद्व आर0सी0 नं0 0062018ए0019 धारा 7 व 7ए पी0सी0ऐक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचनोपरांत अभियुक्तगण धर्मशील अग्रवाल व सम्राट चन्द्रा के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 120बी0 सपठित

धारा 7 व 7ए पी0सी0ऐक्ट मे प्रस्तुत किया जा चुका है, जो कि वर्तमान में आरोप विरचन के स्तर पर लम्बित है, जिसमें अग्रिम तिथि 16.12.2022 नियत है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सन्देही अलका सिंह तत्कालीन अपर कमिश्नर आयकर विभाग के विरूद्व भी सी0बी0आई0 द्वारा जांच की गई थी जिसमें सी0बी0आई0 द्वारा विवेचनोपरांत क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । उक्त क्लोजर रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा सन्देही अलका सिंह के विरूद्व पुनः अग्रिम विवेचना के आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में विवेचक द्वारा सन्देही अलका सिंह के विरूद्व जांच प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृत न दिये जाने के कारण पुनः क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। अतः सन्देही अलका सिंह के विरूद्व दाखिल क्लोजर रिपोर्ट से सम्बन्धित पत्रावली को क्रि0 केस नं0 1963／19 सी0बी0आई0 बनाम धर्मशील अग्रवाल व अन्य से प्रथक करते हुए संदेही अलका सिंह से सम्बन्धित क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

<u>आदेश</u>

प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में नियमानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की छाया प्रति इस न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है प्रकरण से सम्बन्धित मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रो की मूल प्रतिया नियमानुसार विवेचक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति प्रकरण के विवेचक को प्राप्त कराई जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

11.11.22

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मनोज कुमार अवस्थी उपस्थित है। अभियुक्ता श्रीमती नीना अवस्थी की हाजिरी माफी प्रस्तुत।

सम्बन्धित पत्रावली लम्बे समय से सी0बी0आई0 की लिखित बहस दाखिल किये जाने हेतु नियत की जा रही है परन्तु यह घोर आपत्तिजनक है कि अनेक अवसर दिये जाने के बाद तथा चेतावनी दिये जाने के बाद भी सी0बी0आई0 द्वारा निश्चित समय सीमा के अन्दर लिखित बहस दाखिल नहीं

की जा रही है जबकि यह पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित एक्शन प्लान की पत्रावली की श्रेणी में सम्मिलित है तथा इस न्यायालय पर लम्बित सर्वप्राचीन पत्रावली है। आज पुनः सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि सम्बन्धित पत्रावली में लिखित बहस दाखिल तैयार किये जाने हेतु कुछ बिन्दुओं पर चर्चा किये जाने के लिए मामले के विवेचक की आवश्यकता है जो कि श्री आर0आर0त्रिपाठी है और वर्तमान में सी0बी0आई0 ए.सी.–2 नई दिल्ली में तैनात है। उन्हें तलब करने की प्रार्थना की गई।

यद्यपि कि सम्बन्धित पत्रावली में सी0बी0आई0 को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है परन्तु मामले के पैरवी आफिसर के डेंगू से पीड़ित होने तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत को दृष्टिगत करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि सी0बी0आई0 को भी सुनवाई के अधिकार से वंचित न किया जाय, एक अंतिम अवसर प्रदत्त किया जाता है कि वे नियत तिथि से पूर्व अपनी सुविधा के अनुसार मामले में रहे विवेचक श्री आर0आर0 त्रिपाठी को बुलवा कर उनसे पत्रावली के सन्दर्भ में चर्चा कर अपनी लिखित बहस दिनांक 21.11.22 को दाखिल करना सुनिश्चित करे।

इस आदेश की एक प्रति एच.ओ.बी. सी0बी0आई0 / ए0सी0बी0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की जाय कि सम्बन्धित पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा विवश होकर बहस का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली निर्णीत करनी होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं सी0बी0आई0 विभाग की होगी।

पत्रावली वास्ते दाखिल करने लिखित बहस दिनांक 21.11.22 को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ
आर0सी0 नं0–0592022ए0008
सेशन केस नं0–1602 / 2022

सी0बी0आई0 बनाम प्रवीण आनन्द एवं अन्य

दिनांक–10.11.22

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण प्रवीण आनन्द एवं गगन जायसवाल जेल से उपस्थित है। सी0बी0आई0 के विवेचक एवं लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

अभियुक्तगण की ओर से द्वारा अधिवक्ता मोबाइल नं0 9737153148, 9545581033 से सम्बन्धित बी0एस0एन0एल0 सिम एवं 8299233624 तथा 8208092808 जीओ से सम्बन्धित सिम को रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता प्रांजल कृष्णा ने तर्क देते हुए कहा है कि सम्बन्धित मामले में दोनों अभियुक्तों द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तों को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके मोबाइल फोन सीज कर लिये गये जिस कारण उनके फोन में लगे हुए सिम भी सीज अवस्था में है परन्तु उक्त सिम उपलब्ध न होने के कारण अभियुक्तगणो के परिवारजनों को बैंकिग कार्यो में तथा इंकम टैक्स रिटर्न आदि जैसे अधिकारिक कार्यो में बाधा पहुॅच रही है क्योंकि अभियुक्तगणों द्वारा सम्बन्धित सिम कार्डो को ही आवश्यक नम्बर के तौर पर अनेक विभागो में तथा बैंक में उपलब्ध कराया गया है जिससे ओटीपी प्राप्त न होने के कारण परिवारजन के कार्य बाधित हो रहे है। नये सिम कार्ड प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि दोनों अभियुक्तगण वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है और चूंकि वे अभी जिला कारागार से बाहर नहीं जा रहे है। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें सिम कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्षेा को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोजन स्वीकृत भी प्राप्त हो चुकी है तथा पत्रावली आरोप विरचन के स्तर पर आ चुकी है। यद्यपि कि अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है परन्तु उनके द्वारा जैसा कि कथन किया गया है कि तमाम वैधानिक तथा बैकिंग औपचारिकताये सिम कार्ड न होने के कारण बाधित हो रही है जिसके कारण उन्हें कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यद्यपि कि इस स्तर पर अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है परन्तु उनके जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो तत्काल उन्हें आवश्यक कार्यो हेतु सिम कार्ड की आवश्यकता भविष्य में पडेगी। ऐसे में सम्बन्धित प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ इस स्तर पर सशर्त स्वीकार किया जाता है कि जब अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होगें तो उक्त के पश्चात उन्हें नियमानुसार पूर्व में निरूद्व किये गये सिमों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अनुमति प्राप्त होगी तथा आवेदन प्राप्त कर नया सिम कार्ड प्राप्त करने की सूचना वे सी0बी0आई0 कार्यालय व न्यायालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ
आर0सी0 नं0 0062022ए0002

09.11.22

सी0बी0आई0 की ओर से विवेचक अनुराग यादव द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आर0सी0 नं0 0062022ए0002 धारा–120बी, 420 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट में अभियोग मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0, पंकज रस्तोगी, पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं अन्य लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्व पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना लोक सेवकों के विरूद्व अपराध होना नहीं पाया गया। विवेचना के उपरांत पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं पियुष रस्तोगी एवं अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व धारा 120बी सपठित धारा 420, 406, 468,भा0द0सं0 एवं कम्पनी मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0 द्वारा कम्पनी डायरेक्टर के विरूद्व धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध होना पाया गया है और उक्त व्यक्तियों के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध होना नहीं पाया गया और प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र को सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा उपस्थित लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं किया।

सुना गया एवं सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

सी0बी0आई0 की ओर से आर0सी0 नं0 0062022ए0002 धारा–120बी, 420 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट में मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0, पंकज रस्तोगी, पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं अन्य अज्ञात लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना सी0बी0आई0 द्वारा पारेश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी एवं पियुष रस्तोगी एवं अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व धारा 120बी सपठित धारा 420, 406, 468,भा0द0सं0 एवं कम्पनी मेसर्स हाईडिक फर्म इंपुट लि0 द्वारा कम्पनी डायरेक्टर के विरूद्व धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध होना पाया गया है और उक्त व्यक्तियों के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध होना नहीं पाया गया। सी0बी0आई0 द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक के अनुसार अभी तक की विवेचना में प्रकरण में किसी भी लोक सेवक की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अतः इस स्तर पर प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्व आरोप पत्र पर इस न्यायालय क्षेत्राधिकार न होने

के कारण मूल एफ0आई0आर0 व अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 के न्यायालय में नियमानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की छाया प्रति इस न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है प्रकरण से सम्बन्धित मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रो की मूल प्रतिया नियमानुसार विवेचक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति प्रकरण के विवेचक को प्राप्त कराई जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

दिनांक 07.11.22

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रश्नगत पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावलियों में से एक है, परन्तु आज कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं है और न ही लोक अभियोजक व कोर्ट नायब उपस्थित है। आज प्रकरण के पैरवी आफिसर उपस्थित है।

प्रकरण में प्रभावी पैरावी करने हेतु हेड आफ ब्रांच को पूर्व में कई पत्र लिखे जा चुके है। जिसके अनुपालन में प्रकरण में लोक अभियोजक पत्रावलियों में नियुक्त करते हुए उन्हें न्यायालय पर भेजा जा रहा था तथा दिनांक 27.09.2022 तक लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में उपस्थित आ कर कुछ साक्षियों का साक्ष्य अंकित भी कराया गया परन्तु उक्त के उपरांत लोक अभियोजक उपस्थित नहीं आ रहे और न ही कोर्ट नायब ही उपस्थित आ रहे थे।

पूर्व में सी0बी0आई0 द्वारा द्वारा इन्टर पोल की आयोजित कार्यशाला की तैयारी में व्यस्त होने के कारण मुकदमें में प्रभावी पैरवी नहीं होने का होने के कारण का बताया गया था जिसके दृष्टिगत न्यायालय द्वारा सी0बी0आई0 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदत्त किया परन्तु प्रकरण में एक भी साक्षी प्रस्तुत नहीं हुआ। जिस कारण पत्रावली अनावश्यकत लम्बित है।

पत्रावली दिनांक 11.11.22 को साक्ष्य हेतु पुनः पेश हो।

सम्बन्धित विभाग के हेड आफ ब्रांच एवं संयुक्त निदेशक को पत्र जारी हो कि प्रस्तुत पत्रावली को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जाने हेतु निश्चित समय सीमा निश्चित कर दी गई है। ऐसे में यदि इस माह के अंत तक सम्बन्धित प्रकरण में सभी आपेक्षित साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये तो विवश होकर अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर पत्रावली निर्णीत करनी होगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सी0बी0आई0 विभाग की होगी। साथ ही यह भी बताया जाना सुनिश्चित करें कि प्रकरण में अभी और कितने साक्षियों को परीक्षित कराना है और उनके नाम पते क्या है।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–810001 / 09
सी0बी0आई0 बनाम एम0 के0 अवस्थी

07.11.22

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त एम0के0 अवस्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है तथा अभियुक्ता नीना अवस्थी की हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि पूर्व तिथि पर सी0बी0आई0 को लिखित बहस दाखिल करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था परन्तु आज सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि निरीक्षक गणेश शंकर के डेंगू से पीड़ित होने के कारण लिखित बहस तैयार नहीं हो पायी। अन्य तिथि दिये जाने की प्रार्थना की गई। बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना गया।

प्रश्नगत पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावलियों में से एक है। जिसे शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। प्रकरण में सी0बी0आई0 को अंतिम अवसर लिखित बहस दाखिल करने हेतु दिया जा चुका है और चूंकि सी0बी0आई0 के निरीक्षक गणेश शंकर डेंगू से पीड़ित होना बताया गया है और उक्त अपरिहार्य परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सी0बी0आई0 को लिखित बहस दाखिल करने हेतु एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है और इसके पश्चात अन्य कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

पत्रावली दिनांक 11.11.22 को पेश हो। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि पर लिखित बहस दाखिल करना सुनिश्चित करें।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0—633/2018

11.11.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक एवं कोर्ट नायब भी उपस्थित है। इस न्यायालय ने सभी अभियुक्तों द्वारा दाखिल उन्मोचन सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया गया था। अभियुक्त राकेश कुमार सिंह द्वारा इस न्यायालय के उन्मोचन सम्बन्धी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिस पर सुनवाई होना अभी लम्बित है। इस सन्दर्भ में अभियुक्त राकेश कुमार सिंह द्वारा आज एक लिखित प्रार्थनाय पत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वे शीघ्र ही सुनवाई कराये जाने हेतु दिनांक 09.11.22 को प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवश्य प्रस्तुत कर देगें। उनके अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से यह अवगत कराया गया कि

माननीय उच्च न्यायालय में सी0बी0आई0 सम्बन्धी प्रकरणो के निस्तारण हेतु एक विशेष पीठ गठित कर दी गई है। ऐसे में शीघ्र ही उनके द्वारा दाखिल की गई याचिका का निस्तारण हो जाना सम्भावित है एवं एक लम्बी तिथि की याचना की गई है।

सम्बन्धित मामले में लोक अभियोजक एवं पैरवी आफिसर दिल्ली से आते है। उभय पक्ष की सहमति के आधार पर पत्रावली में दिनांक 19.12.22 की तिथि नियत की जाती है। उक्त से पूर्व अभियुक्त राकेश कुमार सिंह अपने लम्बित प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय से निस्तारित करा कर इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन हेतु दिनांक 19.12.22 को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ

एस0टी0 नं0—1065/19

सरकार बनाम अतीक अहमद आदि

दिनांक 04.11.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अतीक अहमद जिला कारागार साबरमती से जरिये वीडियोकॉल उपस्थित आया और उसे अग्रिम तिथि से अवगत कराया गया। अभियुक्त दयानन्द जिला कारागार देवरिया से जरिये वीडियोकॉल उपस्थित आया और उसे अग्रिम तिथि से अवगत कराया गया। अभियुक्त फारूख, जो कि जिला कारागार फतेपुर में निरूद्व है उसे भी जरिये वीडियोकॉल अग्रिम तिथि से अवगत कराया गया।

अभियुक्त पवन सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आया।

अभियुक्त इरफान की हाजिरी माफी प्रस्तुत।

शेष अभियुक्तगण, जो कि जिला कारागार लखनऊ में निरूद्व है, को भी जरिये वीडियोकॉल अग्रिम तिथि से अवगत कराया गया।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक एवं कोर्ट नायब उपस्थित है।

मामले के विवचेक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रगति आख्या प्रस्तुत करते

हुए इस तथ्य से अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में लम्बित स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में जबकि लम्बित स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा इस मामले के सभी अभियुक्तगण के सन्दर्भ में पूर्व में धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन भी सी0बी0आई0 के कथनानुसार पूर्ण किया जा चुका है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रकरण के अन्य अभियुक्तों की वे पत्रावलियां, जो विभिन्न समय पर मजिस्ट्रेट न्यायालय से कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है तथा इसी मुकदमें से सम्बन्धित है, उनको एग्जाई कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ताकि पत्रावली एग्जाइ करने के उपरांत अभियुक्तगणों के विरूद्व आरोप विरचित करने के उपरांत विचारण किया जाना सम्भव हो सके। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक आवश्यक औपचारिकताये पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि पत्रावली में अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 17.11.22 को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ
क्रि0 केस नं0– 8/14
आर0सी0–27(ए)/10
सी0बी0आई0 बनाम हनुमान यादव व अन्य
धारा–120बी, 409,420,468,471 भा0द0सं0
व 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट
थाना– सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 लखनऊ

दिनांक–03.11.2022

पत्रावली पेश हुई।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत पत्रावली आज अभियोजन साक्ष्य में नियत है किन्तु पत्रावली में दो अभियुक्तगण नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल एवं शुभ नाथ मिश्रा की मृत्यु हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में सी0बी0आई0 द्वारा सत्यापन कर मृत्यु आख्या दाखिल की जा चुकी है। मृत्यु आख्या के सम्बन्ध में सम्बन्धित सत्यापन अधिकारी का भी साक्ष्य अंकित किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर उक्त दोनों अभियुक्तण नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल एवं शुभ नाथ मिश्रा के सम्बन्ध में पत्रावली को अलग कर दिया जाय ताकि मूल पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अभियुक्तगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रश्नगत पत्रावली आज अभियोजन साक्ष्य में नियत है। अभियुक्तगण नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल एवं शुभ नाथ मिश्रा की मृत्यु आख्या सी0बी0आई0 द्वारा सत्यापन करते हुए दाखिल की जा चुकी है तथा मृत्यु आख्या को सम्बन्धित सत्यापन अधिकारी द्वारा साबित भी किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर प्रकरण में न्यायनिर्णयन सुविधा तथा शीघ्र निस्तारण की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल एवं शुभ नाथ मिश्रा की पत्रावली को प्रथक प्रथक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण नवल किशोर शुक्ला उर्फ नवल एवं शुभ नाथ मिश्रा की पत्रावली को नियमानुसार उनकी मृत्यु होने के कारण प्रथक की जाय।

प्रथक पत्रावलियों को दाण्डिक वाद के रूप में दर्ज किया जाय।

मूल पत्रावली वास्ते अंकित किये जाने साक्ष्य दिनांक 22.11.22 को पेश हो तथा प्रथक पत्रावलियां भी नियत तिथि पर अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत हो।

इस आदेश की प्रति मूल पत्रावली तथा प्रथक पत्रावलियों में रखी जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ

क्रि0 केस नं0– 4/07

सी0बी0आई0 बनाम रविन्द्र कुमार शर्मा आदि

<u>दिनांक–15.10.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक एवं प्रकरण के पैरवी आफिसर उपस्थित है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान में वर्णित पत्रावलियों में से एक है जिसके शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि यह पत्रावली कई वर्षो से लम्बित है। इस पत्रावली में अभियुक्तगण मायावती एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर0 के0 शर्मा एवं आर0 के0 प्रसाद के विरूद्व अभियोजन अस्वीकृति होने के कारण प्रोसिडिंग ड्राप हो चुकी है। न्यायालय द्वारा सी0बी0आई0 से शेष अभियुक्त महेन्द्र शर्मा के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दिनांक 26 जुलाई 2018 को संशोधन होने के उपरांत सेवानिवृत लोक सेवकों के विरूद्व भी संज्ञान लेने हेतु अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी परन्तु सी0 बी0आई0 द्वारा अद्यतन स्थिति से न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया था जबकि इस बाबत पूर्व में दिनांक 04.08.2021, 09.11.2021, 15.03.2022, 01.04. 2022, 11.07.2022 एवं 03.09.2022 सी0बी0आई0 के हेड आफ ब्रांच एवं

सी0बी0आई0 के संयुक्त निदेशक को लगातार पत्र प्रेषित भी किये गये थे।

आज प्रकरण के पैरवी आफिसर अमित कुमार स्वयं उपस्थित आये। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सी0बी0आई0 मुख्यालय नई दिल्ली से अभियुक्त महेन्द्र शर्मा ए0जी0एम0 एन.पी.सी.सी. के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति एन.पी.सी.सी. विभाग से लेने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अभियोजन स्वीकृत के सम्बन्ध में जो भी आदेश प्राप्त होगा उससे यथाशीघ्र न्यायालय को करा दिया जायेगा। विभाग से अभियोजन स्वीकृत आदेश प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करनी है जिसमें न्यूनतम 2 माह का समय दिये जाने की प्रार्थना की गई।

सुना गया।

अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय न्यायहित में न्यायेाचित है।

अतः अभियोजन को अभियोजन स्वीकृत आदेश प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.12.2022 तक का समय प्रदान किया जाता है। पैरवी आफिसर को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि से पूर्व अभियोजन स्वीकृत प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करेंगें।

पत्रावली नियत तिथि दिनांक 15.12.2022 को पेश हो।

आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सी0बी0आई0 को प्रदान की जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिम लखनऊ

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–8131/2022

प्रमोद कुमार निषाद बनाम स्टेट

10.10.2022

पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित है तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी भी उपस्थित है।

सम्बन्धित पत्रावली में प्रभारी सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अभियुक्त प्रमोद कुमार निषाद को अन्तरिम जमानत प्रदान की गई थी। उक्त के उपरांत जमानत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ था। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तरिम जमानत दिनांक 13.09.2022, 23.09.2022 एवं प्रभारी विशेष न्यायाधीश, एन्टीकरप्शन, सी0बी0आई0 पश्चिम लखनऊ द्वारा दिनांक 03.10.22 को अभियुक्त का अन्तरिम जमानत आज दिनांक 10.10.2022 तक विस्तारित करते हुए यह विशिष्ट निर्देश दिया गया था कि अभियुक्त प्रमोद कुमार निषाद नियत दिनांक को विद्वान विचारण न्यायालय में अपने को आत्मसमर्पित करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र प्रस्तुतत करेंगा। जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2022 को समय 11.30 बजे वास्ते निस्तारण पेश हो। अगली तिथि पर किसी भी पक्ष को कोई भी समय प्रदत्त नहीं किया जायेगा।

अभियुक्त को आज दिनांक 10.10.2022 को पूर्व आदेश के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष उपस्थित आना था ताकि अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा सके परन्तु अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ''अभियुक्त पैसों का इंतजाम करने अपने घर भिंगा जिला श्रावस्ती गया था, जहॉ पर बाढ़ आ जाने की वजह से फंस गया'' ऐसे में जबकि अभियुक्त प्रमोद कुमार निषाद अ0सं0 1604/2019 धारा 380, 406, 504, 506, 427 एवं 420 भा0द0सं0 थाना गोमती नगर के प्रकरण में अंतरिम जमानत पर था जो मात्र आज तक के लिए ही विस्तारित की गई थी। उसे आज अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर आत्मसर्मपण किया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य था, जैसा कि उसके द्वारा नहीं किया गया और अभियुक्त द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण न किये जाने के कारण उसके द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया और ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत को विस्तारित किये जाने का कोई न्यायिक आधार नहीं है।

अतः अभियुक्त प्रमोद कुमार निषाद द्वारा प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

चूंकि पत्रावली में अभियुक्त द्वारा धारा 439 द0प्र0सं0 में भी जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो सुनवाई हेतु लम्बित है। ऐसे में जबकि अभियुक्त का अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है और जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है एवं अभियुक्त द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण भी नहीं किया गया है और न ही वह न्यायिक अभिरक्षा में है। जबकि जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई किये जाने के पूर्व अभियुक्त का न्यायिक अभिरक्षा में रहना एक अनिवार्य तत्व है।

अतः उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त प्रमोद कुमार निषाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अवर न्यायालय को पुनः वापस प्रेषित हों।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–199 / 18
सी0बी0आई0 बनाम सुनील अग्रवाल आदि

23.09.2022

पत्रावली पेश हुई। बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में जिन 3 अभियुक्तों के विरूद्व इस न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया था उन तीनों अभियुक्तों सुनील अग्रवाल, भुवन चन्द्र तिवारी एवं पी0 के0 बोस की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में अन्तर्गत 482 द0प्र0सं0 नं0–107 / 2019 सुनील अग्रवाल एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 द्वारा सी0बी0आई0 लखनऊ योजित की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व दी गई अभियोजन स्वीकृत आदेश को विधिपूर्ण न मानते हुए संज्ञान आदेश दिनांकित 25.01.2018 को अपास्त करते हुए उसके पश्चात की समस्त कार्यवाही को शून्य घोषित कर दिया गया। यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के दौरान ही अभियुक्त पी0के0 बोस की मृत्यु हो चुकी थी जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। अतः अभियुक्तगण सुनील अग्रवाल व भुवन चन्द्र तिवारी के विरूद्व वाद की कार्यवाही समाप्त की जाय।

आवेदकगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 482 द0प्र0सं0 नं0–107 / 2019 सुनील अग्रवाल एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 द्वारा सी0बी0आई0 लखनऊ में पारित आदेश की सत्यापित प्रति मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आदेश का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश के अन्तिम पैरा संख्या–18 में उल्लेखित किया गया है कि Considering the aforesaid case lawa as well as submissions advanced on behalf of the applicants, the order dated 02-02-2017 passed by the General Manager, Mr. Ish Kumar, granting sanction for prosecution of the applicants, is wholly illegal and unsustainable. Since the sanction order itself is illegal, further proceedings in the case are also non-set. The trial Court had committed an error of law in not considering the fact that the subsequent order, granting sanction for prosecution of the applicants was not a valid and legal order.

अतः उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों में जबकि यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेश दिनांकित 05.08.2022 में सम्बन्धित प्रकरण में दिये गये अभियोजन स्वीकृति को निरस्त करते हुए इस विचारण न्यायालय द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। अत : मामले के तथ्य व परिस्थितियेां में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

सम्बन्धित पत्रावली में बचाव पक्ष अभियुक्त सुनील अग्रवाल की तरफ से पूर्व की तिथि पर

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा शपथपत्र पर एक प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित की प्रमाणित प्रति कि0 रिवीजन संख्या–229/98 में दाखिल की गई है माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व दी गई अभियोजन स्वीकृत आदेश को विधिपूर्ण न मानते हुए संज्ञान आदेश दिनांकित को अपास्त करते हुए उसके पश्चात की समस्त कार्यवाही को शून्य घोषित कर दिया गया।

21.09.2022

यह प्रार्थना पत्र सी0बी0आई0 द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण अनिल कुमार सिंह, बेदराम शर्मा एवं आनन्द मोहन शर्मा, जो कि इस न्यायालय के आदेश से पुलिस अभिरक्षा में है, उनकी विवेचना के दौरान हस्तलेख नमूना लिये जाने की अनुमति मांगी गई है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कराई गई। उनके द्वारा प्रति प्राप्त कर कहा गया कि सम्बन्धित मामले में सी0बी0आई0 को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर सुना।

सम्बन्धित मामले में चूंकि विवेचना हेतु हस्तलेख नमूना लिया जाना आवश्यक बताया गया है। ऐसे में सी0बी0आई0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई बाधा नहीं है। प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि नियमानुसार स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में हस्तलेख नमूना प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित मामले के विवेचक को अनुपालनार्थ प्राप्त कराई जाय।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0—04 / 07

20.09.2022

पत्रावली पेश हुई। सी0बी0आई0. की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान में वर्णित पत्रावली है। जिसके शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिये जा रहे है।

पत्रावली के परिशीलीन से स्पष्ट है कि यह पत्रावली कई वर्षो से लम्बित है। इस पत्रावली में अभियुक्तगण मायावती एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर0 के0 शर्मा एवं आर0 के0 प्रसाद के विरूद्व अभियोजन अस्वीकृत होने के कारण प्रोसिडिग ड्राप हो चुकी है। न्यायालय द्वारा सी0बी0आई0 से अभियुक्तगण मायावती एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर0 के0 शर्मा एवं आर0 के0 प्रसाद के विरूद्व विभागीय सैक्शन की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी परन्तु सी0 बी0 आई0 द्वारा अद्वतन स्थिति से न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2022 को एवं उससे पूर्व कई बार सी0बी0आई0 के हेड आफ ब्रांच एवं संयुक्त निदेशक को पत्र भी इस हेतु प्रेषित किया जा चुका है परन्तु आज तिथि तक प्रकरण की अद्वतन स्थिति से अवगत नहीं कराया गया हैं। सी0बी0आई0 के लोक अभियेाजक द्वारा बताया गया कि लखनऊ कार्यालय के स्तर से कार्यवाही की जा रही है। मुख्यालय से सूचना आना शेष है। अगली तिथि तक अद्वतन स्थिति से न्यायालय को अवश्य अवगत करा देंगे।

पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.10.2022 को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)

विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0—633/2018

19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। अभियुक्तगण अरूण कुमार श्रीवास्तव एवं नरेन्द्र पाण्डे की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण राकेश कुमार सिंह, संजीव सिन्हा, रिषभ कन्नौजिया एवं राहुल गुप्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है।

सी0बी0आई0/एस0टी0एफ0 नई दिल्ली की ओर से न तो अभियोजन अधिकारी उपस्थित है और न ही उनक कोर्ट नायब ही उपस्थित है। पूर्व तिथि पर भी सी0बी0आई0 की तरफ से न अभियोजन अधिकारी उपस्थित थे और न ही उनके कोर्ट नायब ही उपस्थित थे, जो घोर आपत्तिजनक है। अगली तिथि पर सी0बी0आई0 अपना पक्ष रखने हेतु अवश्य ही उपस्थित रहे तथा सभी अभियुक्तगण भी आरोप विरचन कराये जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें। जिस पक्ष द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जायेगा उक्त पक्ष के विरूद्व प्रतिकूल आदेश पारित होगा, जिसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन हेतु दिनांक 11.10.2022 को पेश हो।

बादहू समय 11.15 बजे सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक श्री संदीप कुमार सिंह एवं कोर्ट नायब उपस्थित आये।

(अजय विक्रम सिंह)

विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल मिसलिनियस नं0–217/2022
विपिन सक्सेना बनाम सी0बी0आई0
आर0सी0 नं0–0062017ए0012

<u>दिनांक 15.09.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में पत्रावली अभियुक्त विपिन सक्सेना द्वारा प्रस्तुत किये गये रिलीज प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत हैं उक्त रिलीज प्रार्थना पत्र के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2022 को विशिष्ट रूप से यह पृच्छा की गई थी कि सम्बन्धित प्रकरण में जिन एफडी,किसान विकासपत्र और एनएससी को रिलीज कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र सम्बन्धित मामले के अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है वे सभी निवेश सीबीआई द्वारा अभियुक्त के विरूद्व पंजीकृत किये गये आय से अधिक के मामले के चेक पीरियड से पूर्व समय के हैं। सीबीआई द्वारा प्रार्थनापत्र का इस आधार पर विरोध किया गया कि किसान विकास पत्र एनएससी व एफडी पॉलिसी को सीबीआई द्वारा आय से अधिक मामले में रिलायॅड अपान की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित प्रकरण में प्रार्थनापत्र में कथित सभी निवेशों को मामले के आरोपित/अभियुक्त विपिन सक्सेना द्वारा अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना इस न्यायालय द्वारा की गयी है तथा न्यायालय के समक्ष उक्त सभी निवेश अपना होना भी इस स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है और यदि प्रार्थी के कथनानुसार उक्त सभी निवेश आय से अधिक अर्जित मामले के चेक पीरियड से पूर्व के हैं तो उन्हे रीलीज किये जाने में क्या विधिक कठिनाई है।

उक्त की गई विशिष्ट पृच्छा के सम्बन्ध में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए सम्बन्धित प्रकरण के विवेचक श्री आर0 एन0 सिरोठिया व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। जिनके द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की

गई। आपत्ति में विवेचक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में दस्तावेज एफ0डी0,किसान विकासपत्र व एन0एस0सी0, जो कि रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वे प्रकरण में रिलाइड अपॉन दस्तावेज की श्रेणी में है इसलिए उनके रिलीज किये जाने का विरोध किया जा रहा है परन्तु अपनी लिखित आपत्ति में उनके द्वारा न्यायालय द्वारा की गई विशिष्ट पृच्छा का कोई स्पष्ट उत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित प्रकरण में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस मामले में विवेचक द्वारा अभियुक्त के एकाउन्ट को सीज नहीं किया गया था जबकि उसे रिलाइड अपॉन की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा सी0बी0आई0 द्वारा सीज किये गये अभियुक्त के लॉकर को अवमुक्त किये जाने का आदेश दिनांक 30.09.2019 को पारित किया गया था, उक्त समय सी0बी0आई0 द्वारा लॉकर रिलीज किये जाने का कोई विरोध भी नहीं किया गया था और उक्त आदेश को भी सी0बी0आई0 द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई, इस तथ्य को सी0बी0आई0 के विवेचक ने स्पष्ट किया है।

अभियुक्त अधिवक्ता श्री शाश्वत द्विवेदी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अभियुक्त का स्वयं का सैलरी एकाउन्ट के अतिरिक्त दो सेविंग एकाउंट और एक पीपीएफ एकाउन्ट भी है, जिसे सी0बी0आई0 द्वारा सीज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी का भी एकाउन्ट है, उसे भी सी0बी0आई0 द्वारा सीज नहीं किया गया था। इस तथ्य को विवेचक द्वारा खंडित नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों में जबकि विवेचक ने रिलाइड अपॉन एकाउन्टस को सीज नहीं किया है तथा इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा लॉकर को अवमुक्त किये जोन के आदेश को कहीं चुनौती नहीं दी गई और न ही यह स्पष्ट किया गया कि रिलाइड अपॉन की श्रेणी में रखे गये निवेश, जो कि स्वयं के होना स्वयं अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और जो चेक पीरियड से पूर्व के है, तो ऐसी स्थिति में उसे रिलीज किये जाने में क्या विधिक कठिनाई है अथवा यदि भविष्य में अभियुक्त के विरूद्व विचारण चलाये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिलीज किये जाने में गुण—दोष पर क्या प्रभाव पडेंगा क्योंकि अभी तक सी0बी0आई0 को प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व अभियोजन स्वीकृत प्राप्त नहीं है। जबकि 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अभियुक्त द्वारा रिलीज कराये जा रहे एन0एस0सी0, किसान विकास पत्र व एफ0डी0 का प्रयोग अपने संतान की शिक्षा में किया जाना कथित भी किया गया है।

उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों एवं समग्र विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी विपिन सक्सेना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है—

1— यदि सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व विचारण प्रारम्भ होता है तो उस दौरान उन दस्तावेजों के अस्तित्व को वह स्वयं द्वारा निवेश किये जाने को प्रश्नगत नहीं कर सकेंगा।

2— अभियुक्त द्वारा सभी एफ0डी0,किसान विकासपत्र व एन0एस0सी0 का भुगतान कराने से पूर्व उनकी छाया प्रति कर उसे स्व प्रमाणित कर इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत भी करेंगा।

3— जैसा कि अभियुक्त द्वारा कथित किया गया है कि सम्बन्धित निवेश की धनराशि का भुगतान अपने संतान की शिक्षा के फीस के रूप में संदाय करनी है तो उक्त फीस की रसीद की छाया प्रति भी इस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगा।

इस आदेश की एक प्रति सी0बी0आई0 को अनुपालनार्थ भेजी जाय। सी0बी0आई0 द्वारा अनुपालन किये जाने के उपरांत अभियुक्त अधिरोपित शर्तो का अनुपालन अन्दर सप्ताह कर इस न्यायालय को सूचित करेंगा।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 मि0 केस नं0–1007/2022

प्रवीण आनन्द बनाम सी0बी0आई0

14.09.2022

आवेदक प्रवीण आनन्द की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 अन्तर्गत धारा 457 द0प्र0सं0 1973 के तहत सीज सम्पत्ति को रिलीज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि शपथपत्र से समर्थित है।

इस सन्दर्भ में कथन किया गया है कि आवेदक प्रवीण आनन्द को आर0 सी0 संख्या–0592022ए0008 में अभियुक्त बनाया गया है। विवेचना के दौरान उसका बैंक एकाउन्ट नं0 10649620081 स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच नवगढ बसीन रोड, वासी रोड, वेस्ट, पालघर महाराष्ट को सीज कर दिया गया है जबकि उक्त एकाउन्ट सैलरी एकाउन्ट है और उसके सीज होने से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उक्त एकाउंट को गलत तरीके से सी0बी0आई0 द्वारा सीज किया गया है जिससे आवेदक तथा उसके परिवार को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः उक्त सीज एकाउन्ट को रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से प्रतिउत्तर देते हुए कथन किया कि आवेदक का एकाउन्ट विवेचना के दौरान धारा–102 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सीज किया गया है और न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा मौखिक बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त का एकाउन्ट विवेचना के प्रारम्भिक स्तर पर ही सीज कर दिया गया था किन्तु विवेचनोंपरांत सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और उक्त एकाउन्ट को आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों में रिलाइड अपान नहीं किया गया है। अतः न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करने का निवेदन किया

गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री शाश्वत द्विवेदी एवं सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी का सैलरी बैंक खाता विवेचना के दौरान सी0बी0आई0 द्वारा अन्तर्गत धारा 102 द0प्र0सं0 के तहत सीज किया गया था जिसको कि आरोप पत्र के साथ रिलाइड अपान नहीं बनाया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा प्रतिउत्तर में कोई भी आपत्ति रिलीज किये जाने में नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रतनबाबू लाल बनाम स्टेट आफ कर्नाटका कि0 अपील नं0 949/2021 में यह अवधारित किया गया है कि The only question which we are examining is whether the attachment of bank account of the appellant is sustainable in exercise of powers under Section 102 Cr.P.C.

The counter affidavit of the respondent seeks to suggest that they are in the process of filing an application under Section 18A of the Prevention of Corruption Act, 1988, since the earlier authorization issued by the Government under Section 3 of the Criminal Law Amendment of Ordinance, 1944 was not in the form of the Government Order.

Be that as it may, on that account, it is not possible to sustain the freezing of the bank account of the appellant taking recourse to Section 102 Cr.P.C. as the Prevention of Corruption Act is a Code by itself.

In view of the aforesaid position, the freezing of the account of the appellant cannot be sustained and is, accordingly, set aside. Consequently, the impugned order is also set aside leaving open to the respondent to take such recourse in law as may be permissible.

उक्त तथ्यों व परिस्थितियो के आधार पर प्रार्थी का बैंक खाता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अद्यतन विधि व्यवस्था के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा सीज किया जाना विधि सम्मत भी नहीं है।

सी0बी0आई की अनापत्ति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आवेदक का सीज बैंक एकाउन्ट नं0 10649620081 स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच नवगढ बसीन रोड, वासी रोड, वेस्ट, पालघर महाराष्ट को नियमानुसार रिलीज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित बैंक एकाउन्ट को नियमानुसार रिलीज करायेगा तथा पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में भ्रष्टाचार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रतनबाबू लाल बनाम स्टेट आफ कर्नाटका कि0 अपील नं0 949/2021 में दिये गये मार्ग दर्शक बिन्दुओं के प्रकाश में नियमानुसार ही कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. एच ओ बी सम्बन्धित शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाय कि दिये गये उपरोक्त आदेश का समयबद्व अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें तथा अधीनस्थ अधिकारियों को माननीय

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करेगें।

गगन जायसवाल बनाम सी0बी0आई0

14.09.2022

आवेदक गगन जायसवाल की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 अन्तर्गत धारा 457 द0प्र0सं0 1973 के तहत सीज सम्पत्ति को रिलीज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि शपथपत्र से समर्थित है।

इस सन्दर्भ में कथन किया गया है कि आवेदक गगन जायसवाल को आर0 सी0 संख्या–0592022ए0008 में आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। विवेचना के दौरान उसका बैंक एकाउन्ट नं0 20065574197 स्टेट बैंक आफ इंडिया गोविन्दपुर ब्रांच को सीज कर दिया गया है जबकि उक्त एकाउन्ट सैलरी एकाउन्ट है और उसके सीज होने से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उक्त एकाउंट को गलत तरीके से सी0बी0आई0 द्वारा सीज किया गया है जिससे आवेदक तथा उसके परिवार को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना पूर्ण की जा चुकी है। अतः उक्त सीज एकाउन्ट को रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से प्रतिउत्तर देते हुए कथन किया कि आवेदक का एकाउन्ट विवेचना के दौरान धारा–102 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सीज किया गया है और न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा मौखिक बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त का एकाउन्ट विवेचना के प्रारम्भिक स्तर पर ही सीज कर दिया गया था किन्तु विवेचनोंपरांत सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और उक्त एकाउन्ट को आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों में रिलाइड अपान नहीं किया गया है। अतः न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री शाश्वत द्विवेदी एवं सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी का सैलरी बैंक खाता विवेचना के दौरान सी0बी0आई0 द्वारा अन्तर्गत धारा 102 द0प्र0सं0 के तहत सीज किया गया था जिसको कि आरोप पत्र के साथ रिलाइड अपान नहीं बनाया गया है।

सी0बी0आई0 द्वारा प्रतिउत्तर में कोई भी आपत्ति रिलीज किये जाने में नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रतनबाबू लाल बनाम स्टेट आफ कर्नाटका कि0 अपील नं0 949/2021 में यह अवधारित किया गया है कि The only question which we are examining is whether the attachment of bank account of the appellant is sustainable in exercise of powers under Section 102 Cr.P.C.

The counter affidavit of the respondent seeks to suggest that they are in the process of filing an application under Section 18A of the Prevention of Corruption Act, 1988, since the earlier authorization issued by the Government under Section 3 of the Criminal Law Amendment of Ordinance, 1944 was not in the form of the Government Order.

Be that as it may, on that account, it is not possible to sustain the freezing of the bank account of the appellant taking recourse to Section 102 Cr.P.C. as the Prevention of Corruption Act is a Code by itself.

In view of the aforesaid position, the freezing of the account of the appellant cannot be sustained and is, accordingly, set aside. Consequently, the impugned order is also set aside leaving open to the respondent to take such recourse in law as may be permissible.

उक्त तथ्यों व परिस्थितियो के आधार पर प्रार्थी का बैंक खाता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अद्यतन विधि व्यवस्था के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा सीज किया जाना विधि सम्मत भी नहीं है।

सी0बी0आई की अनापत्ति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आवेदक का सीज बैंक एकाउन्ट नं0 20065574197 स्टेट बैंक आफ इंडिया गोविन्दपुर, ब्रांच को नियमानुसार रिलीज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित बैंक एकाउन्ट को नियमानुसार रिलीज करायेगा तथा पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में भ्रष्टाचार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रतनबाबू लाल बनाम स्टेट आफ कर्नाटका कि0 अपील नं0 949/2021 में दिये गये मार्ग दर्शक बिन्दुओं के प्रकाश में नियमानुसार ही कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. एच ओ बी सम्बन्धित शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाय कि दिये गये उपरोक्त आदेश का समयबद्व अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें तथा अधीनस्थ अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करेगें।

कि0 केस नं0–3 / 15

सी0बी0आई0 बनाम निरंजन कुमार

06.09.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में अभियुक्त निरंजन कुमार उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से पुनः एक प्रार्थना पत्र बी–115 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह मामले की पैरवी स्वयं करना चाहता है तथा कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं करना चाहता है, उन्हें सम्बन्धित प्रकरण में इसकी अनुमति प्रदान की जाय। जिसका विरोध करते हुए सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में अभियुक्त लॉ स्नातक नहीं है और पूर्व में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग अधिवक्ता नियुक्त भी कर चुका है तथा पूर्व में भी इसी आशय का प्रार्थना पत्र कई अवसरों पर प्रस्तुत कर चुका है। मामले को लम्बित रखने के आशय से इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। उसे सरकारी अधिवक्ता प्रदत्त कर दिया जाय जिस पर अभियुक्त से पृच्छा किये जाने पर अभियुक्त द्वारा कहा गयाि कि उन्हें सरकारी अधिवक्ता नहीं चाहिए, वह मामले की पैरवी स्वयं करना चाहता है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी दिनांक 26.11.202 को भी इसी सन्दर्भ में अभियुक्त से निवेदन किया गया था कि वह अपनी पसंद का एक अधिवक्ता नियुक्त कर ले जिस पर अभियुक्त ने श्री आशुतोष प्रताप सिंह एवं श्री नवीन प्रताप सिंह का एक वकालतनामा दिनांक 19.12.2020 को प्रस्तुत भी किया गया था परन्तु अभियुक्त द्वारा पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके पूर्व भी अभियुक्त द्वारा इसी आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुका है। न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिरक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे त्यागा नहीं जा सकता है और न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अभियुक्त को समुचित प्रतिरक्षा उपलब्ध कराई जाय। इसलिए अभियुक्त द्व ारा दिया गया प्रार्थना पत्र बी–115 निरस्त किया जाता है और उसे निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रकरण में वह अपना अधिवक्ता अगली तिथि से पूर्व नियुक्त करना सुनिश्चित करें क्योंकि अपनी मनपसंद का अधिवक्ता रखना उसका मौलिक अधिकार है और उसे किसी सरकारी अधिवक्ता को रखने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यदि अभियुक्त अगली तिथि पर अपनी प्रतिरक्षा हेतु अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं करता है तो न्यायिक कार्य में बाधा पहुॅचाने के लिए उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं।

पत्रावली दिनांक 28.09.2022 को प्रार्थना पत्र बी–130 के निस्तारण हेतु पेश हो, उससे सम्बन्धित एक अन्य पूरक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था,

उक्त तिथि पर उसका भी निस्तारण किया जायेगा, इसके अतिरिक्त एक अन्य हैश वैल्यू के सन्दर्भ में भी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का भी निस्तारण उक्त नियत तिथि पर किया जायेगा।

अभियुक्त को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अगली तिथि से पूर्व वह अपना अधिवक्ता नियुक्त कर अगली तिथि पर अपनी प्रतिरक्षा करना सुनिश्चित करें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0–19/20

सी0बी0आई0 बनाम विनोद कुमार शर्मा

01.09.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2022 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए सी0बी0आई0 एच0ओ0बी0 को पत्र लिख कर सम्बन्धित प्रकरण में सी0बी0आई0से स्पष्टीकरण आहूत किया गया था। उक्त के फलस्वरूप आज डिप्टी एस0पी0 सी0बी0आई0 विजय कुमार ने उपस्थित आकर उक्त सम्बन्धित दोनों लोक अभियोजकों का स्पष्टीकरण

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की गई कि सम्बन्धित प्रकरण में पूरक आरोप पत्र संख्या–2ए दिनांकित 13.07.2012 दाखिल किया गया है और उस पर संज्ञान होना शेष रह गया था, जिस पर संज्ञान लेकर अग्रिम विचारण की प्रार्थना की गई। मौखिक रूप से यह भी बताया गया कि मामले में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु विभाग मे लोक अभियोजन नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया जिसके फलस्वरूप शीघ्र वह विचारण में सहयोग हेतु दिल्ली से सम्बन्धित विभाग के लोक अभियोजक उपस्थित आयेगें।

डिप्टी एस0पी0 सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित

प्रकरण में प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक प्रयास करें ताकि भविष्य में की गई त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो और न्यायालय विचारण प्रारम्भ कर सके।

अभियुक्तगण विनोद कुमार शर्मा, अरविन्द कुमार स्वयं उपस्थित है। अभियुक्तगण जसमल सिंह,तीरथ पाल चतुर्वेदी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। डिप्टी एस0पी0 द्वारा यह भी बताया गया कि वे सम्बन्धित मामले के पैरवी आफिसर है, उनका स्वास्थ ठीक नहीं है तथा मामले में लम्बी तिथि दिये जाने की याचना की गई है।

अतः पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु दिनांक 12.10.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

1–क्रिमिनल प्रकीर्ण नं0–481/2021
अयोध्या प्रसाद मिश्रा बनाम् सी0बी0आई0

2–क्रिमिनल प्रकीर्ण नं0–500/2021
रानी मिश्रा बनाम् सी0बी0आई0

3– क्रिमिनल प्रकीर्ण नं0–498/2021 एवं 732/2022
श्रीमती श्वेता मिश्रा बनाम् सी0बी0आई0

4–क्रिमिनल प्रकीर्ण नं0–499/2021 एवं 733/2022
विपुल मिश्रा बनाम् सी0बी0आई0

27.08.2022

आवेदकगण अयोध्या प्रसाद मिश्रा व उनके परिवार के अन्य पारिवारिक सदस्यों की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 अन्तर्गत धारा 102(3) द0प्र0सं0 के तहत बैंक एकाउन्टों को रिलीज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

इस सन्दर्भ में कथन किया गया है कि आर0 सी0 संख्या–5ए/20 में प्रार्थी अयोध्या प्रसाद मिश्र को झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा उसके व उसके परिवार के सदस्यों के बैंक एकाउन्ट, जो कि प्रार्थना पत्रों में उल्लिेखित है, को अभियोजन द्वारा सीज्ड किया गया था, जिनका कि मामले से कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी व उसके पारिवारिक सदस्यों के बैंक एकाउन्टों को सीज्ड करने हेतु आवश्यक प्राविधानों, जो कि धारा 102 द0प्र0सं0 में उल्लेखित है, का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थी व उसके पारिवारिक सदस्यों को उक्त बैंक एकाउन्ट में उपलब्ध धन को अपने चिकित्सा व दैनिक खर्चो में उपयोग करना है।प्रार्थी द्वारा बैंक की प्रविष्टियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी।

प्रार्थी कई गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त है। प्रार्थी सेवानिवृत्त लोक सेवक है और वरिष्ठ नागरिक है तथा उसकी आयु लगभग 69 वर्ष है। बैंक एकाउन्ट को संचालित न होने से उसे अपूर्णनीय क्षति हो रही है। बैंक एकाउन्ट को खोलने के लिए न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। उक्त आधारों पर प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के सीज्ड बैंक एकाउन्ट को रिलीज करने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गई है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की तरफ से भी इसी प्रकृति के अन्य प्रार्थना पत्र कि0 मिस्लेनियस केस नं0–498/2021 व 732/2022 श्रीमती श्वेता मिश्रा, कि0 मिस्लेनियस केस नं0–499/201 व 733/2022, विपुल मिश्रा, कि0 मिस्लेनियस केस नं0–500/2021 श्रीमती रानी मिश्रा की ओर से बैंक एकाउन्टों को रिलीज करने हेतु प्रस्तुत किये गये है। इन सबके सम्बन्ध में भी सी0बी0आई0 की आपत्ति समान है। ऐसी स्थिति में उक्त सभी प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बचाव पक्ष द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सुरेन्द्र भार्गव बनाम सी0बी0आई0 2018 एससीसी ऑनलाइन देहली 7994, कामा राजन बनाम जनरल मैनेजर एस0बी0आई0 चेन्नई रिट पिटीशन नं0–21130/2015 व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रतनबाबू लाल बनाम स्टेट आफ कर्नाटका कि0 अपील नं0 949/2021 दाखिल किये गये है।

सी0बी0आई0 की ओर से जवाब बी–5 लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए संक्षेप में कहा गया है कि शुरूआत में यह प्रस्तुत मामला पुलिस थाना हजरतगंज में दिनांक 2.11.2019 को अपराध संख्या–540/19 के रूप में दर्ज हुआ था, बाद में ई.ओ. डब्लू. को प्रकरण स्थानान्तरित हुआ था। ई.ओ. डब्लू. ने यू0पी0 पुलिस से केस प्राप्त किया। प्रकरण में दो एफ0आई0आर0 प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता व सुधाशु द्विवेदी के विरूद्व दर्ज की गई थी। ई ओ डब्लू द्वारा विवेचना के दौरान कुल 17 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और आरोप पत्र दिनांक 01.2.2020 को दाखिल किया गया तथा पूरक आरोप पत्र दिनांक 11.02.2020 को अभिनव गुप्ता के विरूद्व दाखिल किया गया। द्वितीय पूरक आरोप पत्र दिनांक 02.03.2020 को अभियुक्त श्याम किशोर अग्रवाल के विरूद्व एवं तृतीय पूरक आरोप पत्र दिनांक 05.03.2020 को मनोज गोयल एवं अन्य के विरूद्व दाखिल किया गया है। यह भी कथन किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति दिनांकित 02.11.2019 एवं भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांकित 20.02.2020 द्वारा सीबीआई/एसीबी को प्रस्तुत प्रकरण विवेचना दी गई। तदुपरांत सी0बी0आई0 द्वारा प्रकरण को दर्ज किया गया। सीबीआई प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना कर रही है और प्रश्नगत बैंक एकाउन्ट की अपराध में भूमिका की जांच कर रही है। चूंकि वर्तमान में सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अग्रिम विवेचना की जा रही है और प्रार्थी तथा उसके

परिवार के सदस्यों के बैंक एकाउन्टों को उनकी भूमिका को जानने के लिए ही विवेचना के दौरान ई0ओ0डब्लू0 द्वारा उक्त बैंक एकाउन्टस को सीज्ड किया गया था। इसके अतिरिक्त विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा भी केस काइम नं0 008/21 के सम्बन्ध में प्रार्थी के विरूद्व आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में विवेचना कर रहा है और उसके द्वारा भी जांच के दौरान ही प्रार्थी व उसके परिवार के सभी सदस्यों के एकाउन्टों को सीज किया गया है, जिसे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए और सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दिये गये एकाउन्ट रिलीज के प्रार्थना पत्रों को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते विवेचना के दौरान ई0ओ0डब्लू0 द्वारा अन्तर्गत धारा 102 द0प्र0सं0 के तहत सीज किये गये थे। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि विजिलेंस विभाग द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में भी जांच किये जाने के कारण प्रार्थी व उसके परिवार के सभी सदस्यों के बैंक एकाउन्ट को सीज किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रतनबाबू लाल बनाम स्टेट आफ कर्नाटका कि0 अपील नं0 949/2021 में यह अवधारित किया गया है। The only question which we are examining is whether the attachment of bank account of the appellant is sustainable in exercise of powers under Section 102 Cr.P.C.

The counter affidavit of the respondent seeks to suggest that they are in the process of filing an application under Section 18A of the Prevention of Corruption Act, 1988, since the earlier authorization issued by the Government under Section 3 of the Criminal Law Amendment of Ordinance, 1944 was not in the form of the Government Order.

Be that as it may, on that account, it is not possible to sustain the freezing of the bank account of the appellant taking recourse to Section 102 Cr.P.C. as the Prevention of Corruption Act is a Code by itself.

In view of the aforesaid position, the freezing of the account of the appellant cannot be sustained and is, accordingly, set aside. Consequently, the impugned order is also set aside leaving open to the respondent to take such recourse in law as may be permissible.

उक्त तथ्यों व परिस्थितियो के आधार पर प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के सीज बैंकों के खाते माननीय उच्चतम न्यायालय दी गई अद्यतन विधि व्यवस्था के प्रकाश में विधि सम्मत नहीं है।

चूंकि प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों को विजिलेंस विभाग द्वारा अपराध संख्या–8/21 में भी सीज किया गया है, विजिलेंस से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस सक्षम न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में इस सन्दर्भ में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहॉ यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मामले के अभियुक्त अयोध्या प्रसाद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में संलग्न सूची में सीज किये गये खातों में उनके पंजाब नेशनल बैंक महानगर शाखा के खाता संख्या–0758000100785311 को गर्वनमेंट पेशंन खाते के रूप में प्रदर्शित किया गया है,

इस सन्दर्भ मे पूर्व की तिथि पर उपस्थित विवेचक को अपना पक्ष रखे जाने हेतु विशिष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि किन परिस्थितियेां में अभियोजन द्वारा पेंशन खातों को भी सीज किया गया परन्तु इस बिन्दु पर विवेचक द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों में सम्बन्धित सभी प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ निस्तारित किये जाते है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रतनबाबू लाल बनाम स्टेट आफ कर्नाटका कि0 अपील नं0 949/2021 में दिये गये मार्ग दर्शक बिन्दुओं तथा इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त के कम में की गई टिप्पणियों के प्रकाश में विवेचक नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा विवेचक कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को दिनांक 20.9.2022 तक अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सभी प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किये जाते है। इस आदेश की एक एक प्रति सभी सम्बन्धित पत्रावलियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु रखी जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–499/2021

विपुल मिश्रा बनाम् सी0बी0आई0

<u>15.09.2021</u>

आवेदक विपुल मिश्रा की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके एकाउन्ट नं0 15104000130141 स्थित आई.डी.बी.आई. बैंक हजरतगंज ब्रांच,एकाउन्ट नं0–5013564363 सिटी बैंक, हजरतगंज ब्रांच एवं 567001000885 कारपोरेशन बैंक(पूर्व यूनियन बैंक आफ इंडिया) इंदिरा नगर लखनऊ में संचालित है। बचत खाता संख्या–15104000130141 स्थित आई.डी.बी.आई. बैंक हजरतगंज ब्रांच को ई.ओ.डब्लू. के पत्र दिनांकित 12.11.2019 द्वारा सीज्ड किया गया था तथा बचत खाता संख्या– 567001000885 कारपोरेशन बैंक(पूर्व यूनियन बैंक आफ इंडिया) इंदिरा नगर लखनऊ को पुलिस विभाग के पत्र द्वारा सीज्ड किया गया था और इसी प्रकार एकाउन्ट नं0–5013564363 सिटी बैंक, हजरतगंज ब्रांच को अभियोजन द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण सीज्ड किया गया था। उसका बैंक एकाउन्ट जल्दी में बिना किसी साक्ष्य सीज्ड किया गया है और अभियोजन पक्ष उसके बैंक एकाउन्ट को अपराध से क्या सम्बन्ध है, को साबित करने में असफल रहा है। धारा 102 द0प्र0सं0 का अनुपालन भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त बैंक एकाउन्ट का लाभार्थी है और उसे संचालित करने के लिए अधिकृत है। बैंक एकाउन्ट को संचालित न होने से उसे अपूर्णनीय क्षति हो रही है। बैंक एकाउन्ट को खोलने के लिए न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः उक्त सीज्ड बैंक एकाउन्ट को उसके पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

सी0बी0आई0 की ओर से जवाब बी–5 लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए संक्षेप में कहा गया है कि शुरूआत में यह प्रस्तुत मामला पुलिस थाना हजरतगंज में दिनांक 2.11.2019 को अपराध संख्या–540/19 के रूप में दर्ज हुआ था, बाद में ई.ओ. डब्लू. को प्रकरण स्थानान्तरित हुआ था। ई.ओ. डब्लू. ने यू0पी0 पुलिस से केस प्राप्त किया। प्रकरण में दो एफ0आई0आर0 प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता व सुधाशु द्विवेदी के विरूद्व दर्ज की गई थी। ई ओ डब्लू द्वारा विवेचना के दौरान कुल 17 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और आरोप पत्र दिनांक 01.2.2020 को दाखिल किया गया तथा पूरक आरोप पत्र दिनांक 11.02.2020 को अभिनव गुप्ता के विरूद्व दाखिल किया गया। द्वितीय पूरक आरोप पत्र दिनांक 02.03.2020 को अभियुक्त श्याम किशोर अग्रवाल के विरूद्व एवं सी0बी0आई0 द्वारा उक्त अपराध की विवेचना 05.03.2020 को लेकर केस पंजीकृत किया गया था तथा वर्तमान में सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अग्रिम विवेचना की जा रही है। उक्त बैंक एकाउन्टस की भूमिका को जानने के लिए ही विवेचना के दौरान सीज्ड किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्रिमिनल केस नंबर–502/16

26.8.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में पूर्व में ही उभय पक्ष द्वारा अपनी बहस समाप्त की जा चुकी है तथा विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की जा चुकी है। आज बचाव पक्ष के अधिवक्तव एवं सी0बी0आई0 के लोक अभियेाजक द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका संख्या 6257/19 पर सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा चुकी है तथा आदेश हेतु पत्रावली नियत कर दी गई है। चूंकि सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सुनवाई की जा चुकी है तथा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने के उपरांत ही अंतिम निर्णय दिया जाना विधितः उचित होगा।

अतः पत्रावली वास्ते इंतजार आदेश माननीय उच्च न्यायालय हेतु दिनां 28.8.2022 को पेश हो।

उभय पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि पत्रावली में अंतिम निर्णय सुनाया जा सके।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

दिनांक 23.08.22

प्रार्थी/अभियुक्त संतोष पाण्डेय की ओर से आर0सी0 नं0 0592022ए0009 धारा 120बी भा0द0सं0 एवं धारा 7/8 पी0सी0ऐक्ट, सी0बी0आई0/एस0टी0बी0 नई दिल्ली के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा यह कथन किया गया कि वह सी0बी0आई0/एस.टी.बी. नई दिल्ली से सम्बन्धित एक अन्य मामले एफ0आई0आर0 आर सी नं0–0592022ए00010 धारा 120बी भा0द0सं0 एवं धारा 7/8 पी0सी0ऐक्ट के प्रकरण में जेल में है। अतः उसे प्रस्तुत प्रकरण आर0सी0 नं0 0592022ए0009 धारा 120बी भा0द0सं0 एवं धारा 7/8 पी0सी0ऐक्ट, सी0बी0आई0/एस0टी0बी0 नई दिल्ली के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने का निवेदन किया गया है।

सी0बी0आई0 की आख्या अनुसार आवेदक अभियुक्त 0592022ए0009 धारा 120बी भा0द0सं0 एवं धारा 7/8 पी0सी0ऐक्ट, सी0बी0आई0/एस0टी0बी0

नई दिल्ली के प्रकरण में वांछित है।

अतः आवेदक अभियुक्त संतोष पाण्डेय जेल से दिनांक 24.08.2022 के लिए तलब हो।

पत्रावली नियत तिथि पर सुनवाई हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0–3/2007
दिनांक 20.08.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित एक्सन प्लान की पत्रावलियों में से एक है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में 54 साक्षी परीक्षित किये जा चुके है। उक्त स्तर पर सी0बी0आई0 द्वारा इस आशय का 311 द0प्र0सं0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि 16 ऐसे अन्य गवाह है, जिनके नाम आरोप पत्र के साथ दी गई साक्ष्यियों की सूची में उल्लिेखित नहीं है, उनके अतिरिक्त 5 अन्य साक्षी जो कि पूर्व में परीक्षित हो चुके है, परन्तु उनसे आवश्यक दस्तावेज साबित कराया जाना शेष रह गया है। उन्हें पुनः आहूत किये जाने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत और श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध कराये जाने की मंशा से सी0बी0आई0 द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया था कि वे प्रत्येक तिथि पर एक से अधिक साक्षी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समयबद्व निस्तारण किया जा सके परन्तु आज नियत तिथि पर कोई भी साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश तथा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का सर्वथा उल्लंघन की श्रेणी में भी आता है। यदि सी0बी0आई0 द्वारा न्यायालय के सशर्त पारित आदेश का अनुपालन भविष्य में नहीं किया जायेगा तो अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर पत्रावली का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा तथा जिसकी जिम्मेदारी सी0बी0आई0 की होगी।

आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एच0ओ0बी0 / ए0सी0बी0महोदय को प्रेषित की जाय।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 27.08.2022 को पेश हो। अभियोजन नियत तिथि पर साक्षी को उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0 पश्चिम,लखनऊ।
कि0 केस नं0—3 / 2014
सी0बी0आई0 बनाम के0पी0तिवारी एवं अन्य

<u>दिनांक 20.08.2022</u>

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सम्बन्धित प्रकरण में पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र बी—130 पर बल देते हुए यह कथन किया गया कि जो प्राइवेट व्यक्तियों रीतेश रस्तोगी, गुरदीप सिंह, अबनीश दुबे की तरफ से प्रस्तुत किया गया, मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि प्रकमरण एक मात्र लोक सेवक के0पी0 तिवारी थे, यह एक स्वीकृत तथ्य है तथा यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त के0पी0 तिवारी के विरूद्व शासन से नियमानुसार अभियोजन संस्तुति न प्राप्त होने के कारण उनके विरूद्व न तो न्यायालय ने संज्ञान लिया और न ही विचारण प्रारम्भ किया गया और अभियोजन संस्वीकृत, जो कि अस्वीकृत की गई थी, उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अभियोजन द्वारा कोई प्रयास भी नहीं किया गया। ऐसे में जबकि पत्रावली में प्राइवेट व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी लोक सेवक विचारण में सम्मिलित नही है तो इस विशेष न्यायालय को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं रह जाता है। ऐसे में शेष बचे अभियुक्तगण के विरूद्व कोई मुकदमा चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सम्बन्धित प्रकरण में 20.02.14 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था और अभियोजन स्वीकृत को अस्वीकृत करने की तिथि 05.05.2014 है। जिससे यह भी परिलक्षित होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने अभियोजन स्वीकृत किये जाते समय उसके पास आरोप पत्र के साथ उपलब्ध साक्ष्य व तथ्य भी मौजूद थे। ऐसे में शेष बचे अभियुक्तों के विरूद्व विचारण चलाने का कोई न्यायिक आधार नही रह जाता है। बचाव पक्ष का मुख्य रूप से यह भी तर्क है कि सम्बन्धित प्रकरण में यदि अभियोजन स्वीकृत आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही प्राप्त हो गयी होती तो सम्भवतः सी0बी0आई0 सम्बन्धित प्रकरण में

आरोप पत्र प्रस्तुत हीं न करता। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व प्रोसिडिंग ड्राप किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आपत्ति करते हुए सी0बी0आई0 की ओर मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाते समय स्पष्ट रूप से उल्लिेखित है कि न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्व दाखिल किये गये आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है। इस प्रकरण में अभियुक्तों के विरूद्व धारा–'8 व 12 पी0सी0ऐक्ट का भी सारभूत आरोप जो कि विशिष्ट प्राइवेट व्यक्तियेां के विरूद्व भी प्रथक रूप से बनता है, इस सन्दर्भ में भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में मात्र एक लोक सेवक के विरूद्व अपराध न होने के कारणवश शेष अभियुक्तगण को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त के0पी0 तिवारी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृत प्राप्त न होना एक तकनीकी विषय है, जिसका लाभ अभियुक्त के0पी0 तिवारी को प्रदत्त किया जा चुका है। जबकि अन्य अभियुक्तों पर विशिष्ट आरोप है तो अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप, जो कि प्राइवेट अभियुक्तो के विरूद्व भी आकृष्ट होते है। ऐसे में इस स्तर पर अभियुक्तगण द्व ारा दिया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है और निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर दिनांक 16.05.2014 को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए संज्ञान लिया जा चुका है। उक्त प्रसंज्ञान आदेश पर बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्को के सन्दर्भ में भी विचारण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक अभिमत दिया गया था । ऐसे में इस स्तर पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार है और पोषणीय नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रीतेश रस्तोगी, गुरदीप सिंह, अबनीश दुबे की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–130 निरस्त किया जाता है। पत्रावली में अभियुक्तगण की ओर से उन्मोचित किये जाने हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि सुनवाई हेतु दिनांक 07.09.2022 को पेश हो। प्रकरण में अभियुक्ता संगीता शर्मा की मृत्यु आख्या प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली पर रखी जाय। जिसे साबित कराने हेतु तामीलाकुनिन्दा भी नियत तिथि पर उपस्थित हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–3385 / 2019
सी0बी0आई0 बनाम मनोज कुमार सिंह

दिनांक 18.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा स्टेटस रिपोर्ट पत्रावली पर लिये जाने हेतु शपथपत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 07.04.2022 को अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जा चुका है तथा अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 12.09.2022 की तिथि नियत है। सी0बी0आई0 द्वारा भी बताया गया कि उक्त प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

पत्रावली दिनांक 25.09.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0—994 / 2020

सी0बी0आई0 बनाम मेसर्स के0सी0 इन्फ्रा बिल्ड प्रा0लि0

दिनांक 18.08.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में अभियुक्त रिषीराज श्रीवास्तव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त देवेश कंसल की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा की तरफ से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित आकर यह अवगत कराया कि उनका धारा 438 द0प्र0सं0 में जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लम्बित है। इसके अतिरिक्त न तो कोई अन्य अभियुक्त उपस्थित आया और न ही किसी की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र आया। मामले के एचआइओ ने उपस्थित होकर इस तथ्य से अवगत कराया कि इस मामले के अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लम्बित है तथा अभियुक्त रिषीराज श्रीवास्तव और देवेश कंसल की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। इसके अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहे है। ऐसे में शेष बचे अभियुक्तगण के विरूद्व आदेशिका जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

शेष बचे अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियमानुसार आदेशिका जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 14.09.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–9/10

सी0बी0आई0 बनाम पंकज कुमार खरे

18.08.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रस्तुत। पत्रावली इस न्यायालय की प्राचीनतम पत्रावलियों में से एक है, जिसमें पिछली कई तिथियों से साक्षी प्रस्तुत किये जाने का विशेष निर्देश सी0बी0आई0 को दिया जा रहा है। आज न्यायालय के समक्ष साक्षी मिर्जा इमरान उपस्थित आये परनतु सी0बी0आई0 के पी0पी0 द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित साक्षी से साबित कराने वाले दस्तावेज आज उपलब्ध नहीं है। पैरवी आफिसर भी आज न्यायालय में उपस्थित नहीं आये है। अत्यंत आपत्तिजनक है कि कई निर्देश दिये जाने के बावजूद भी प्राचीनतम पत्रावलियों में अपेक्षित पैरवी सी0बी0आई0 द्वारा नहीं की जा रही है। पुनः पैरवी आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली में सुनवाई की तिथि से पूर्व आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर साक्षी को तलब कर साक्ष्य अंकित कराना सुनिश्चित करें अन्यथा विवश होकर न्यायालय को विपरीत आदेश पारित करना होगा जिसके लिए सी0बी0आई0 स्वयं जिम्मेदार होगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 5.09.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–7/2014

17.08.22

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जगदीश कुमार सक्सेना उपस्थित है। अभियुक्त सुधीर कुमार मेहरा अनुपस्थित है। उसकी हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकृत।

पत्रावली आज सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बी–156 वास्ते दाखिल किये जाने 65 बी प्रमाण पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त सुधीर मेहरा के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क यह है कि सम्बन्धित प्रकरण में सी0बी0आई0 को आरोप पत्र के साथ ही प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अत्यंत विलम्ब 8 वर्ष बाद यह प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो वैधानिक प्राविधान के अनुरूप नहीं है। अतः उसे दाखिल करने की अनुमति न दी जाय।

अभियुक्त जगदीश कुमार सक्सेना की तरफ से बहस करते हुए उनके अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में जिन 3 व्यक्तियेां द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वे प्रमाण पत्र जारी करते समय व दाखिल करते समय सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 लखनऊ में कार्यरत नहीं थे। ऐसे में वे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं थे। यह भी तर्क दिया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में इस स्तर पर सी0बी0आई0 को प्रमाण पत्र दाखिल करने से पूर्व धारा 173(8) द0प्र0सं0 में अग्रिम विवेचना का आदेश प्राप्त कर उस आदेश से विचारण न्यायालय को तथा अभियुक्त को अवगत कराना चाहिए था परन्तु इस प्रकरण में सीबीआई द्वारा इसका भी अनुपालन नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि मामले के पैरवी आफिसर, जो कि एक उप निरीक्षक श्रेणी पंक्ति के अधिकारी है,जिन्हे धारा 17 में न्यायालय के अनुमति लेने के पश्चात ही

विवेचना करने का अधिकार प्राप्त होता है, उनके द्वारा कोई पूर्व अनुमति लिये बिना बतौर पैरवी आफिसर विवेचना सम्बन्धी दस्तावेज दाखिल करने का अधिकार नहीं था। उपरोक्त आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

सी0बी0आई0 के पी0पी0 द्वारा अपने दिये गये प्रार्थनापत्र के तर्को के समर्थन में उत्तर देते हुए यह कथन किया गया है कि जहॉ तक प्रश्न विलम्ब का है माननीय उच्चतम न्यायालय की इस सम्बन्ध में दी गई विधि व्यवस्था अर्जुन पंडित राव कोडकर के प्रकाश में मात्र विलम्ब धारा 65 बी प्रमाण पत्र को दाखिल किये जाने से वर्जित नहीं करता है। सम्बन्धित प्रकरण अभी अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर चल रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि जब विवेचना चल रही थी तब तीनों अधिकारी लखनऊ ए.सी.बी. से ही सम्बद्व थे और सक्षम अधिकारिकता वालें प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशनुसार विवेचना में सम्मिलित थे। मात्र प्रमाण पत्र जारी करने के स्तर पर उनका इस शाखा में न होना प्रमाण पत्र की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। सम्बन्धित प्रकरण में मात्र प्रमाणपत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कोई अग्रिम विवेचना नहीं की गई हैं। इसलिए अग्रिम विवेचना का आदेश प्राप्त करने की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही धारा 17 की पूर्व स्वीकृत लेने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा मौखिक बहस करते हुए तर्क दिया गया कि चूंकि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अद्वतन विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 के अनुपालन में दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is the filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial begins- However, depending on the facts of each case. the court exercising discretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce such certificate at a later point in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventing serious or irreversible prejudice to the accused, so long as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certificate can be directed to be produced by the judge at any stage, so that information contained in electronic record form can then be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

अतिरिक्त में सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–26 में उद्वधित किया गया है कि–

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and

electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned here in above. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and, therefore, it can be produced at a later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused is not prejudiced in any manner by taking on record the certificate under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion**.**

उपरोक्त तर्को एवं विधि व्यवस्था के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित साक्षियों को पुनः तलब किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों को सुना तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अद्वतन विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 के अनुक्रम में न्यायालय विचारण के किसी भी स्तर पर धारा 65बी प्रमाण पत्र को ग्राहय किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकती है। जहॉ तक प्रश्न इस तथ्य का है कि सम्बन्धित प्रकरण में कोई अग्रिम विवेचना का आदेश नहीं किया गया और न ही न्यायालय को अवगत कराया गया तो इस सन्दर्भ में सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में अग्रिम विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं थी तो ऐसे में कोई आदेश पारित किये जाने का प्रश्न ही नहीं था।

जहॉ तक प्रश्न प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का है तो जारी करने वाले अधिकारी का वर्तमान में सी0बी0आई0 लखनऊ से सम्बद्व न होने से उनके प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अधिकारिकता को प्रश्नगत नहीं करता है क्योंकि सी0बी0आई0 एक बडी संस्था है जिसमें सी0बी0आई0 अलग अलग अवसरों पर अलग अलग स्थानों पर कार्य करती है। सम्बन्धित अपराध की विवेचना किये जाते समय प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारीगण सक्षम अधिकारिकता के आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार मामले की विवेचना में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित किया गया है। उक्त सम्पादित की गई आवश्यक कार्यवाही के दौरान ही प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अद्वतन विधि व्यवस्थाओं के आधार पर एवं उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों में अभियुक्तगण की आपत्ति में कोई बल नहीं है और सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–156 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त सुधीर कुमार मेहरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–160 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 30.08.2.22 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–545 / 1716.16.08.22

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण उपस्थित है। साक्षी शैलेन्द्र बक्शी उपस्थित आये, जिनकी मौखिक परीक्षा अंकित की गई। परन्तु दोनों अभियुक्तगण द्वारा मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त विपिन सक्सेना की ओर से विशिष्ट रूप से यह अनुरोध किया गया कि उनके पुत्र की जे0ई0ई0 की परीक्षा दिनांक 28.08.2022 को है। अतः न्यायालय से अनुरोध किया गया कि दिनांक 28.08.2022 के बाद की कोई तिथि प्रकरण में जिरह हेतु नियत की जाय।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अति शीघ्रता से निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया है परन्तु बचाव पक्ष

द्वारा आज उपस्थित साक्षी से जिरह नहीं की गई। न्यायहित में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली में दिनांक 28.08.2022 की तिथि इस निर्देश के साथ नियत की जाती है कि उपस्थित साक्षी से अभियुक्तगण उक्त तिथि पर जिरह समाप्त करना सुनिश्चित करेगें तथा आगे विचारण में सहयोग करते रहेगे।

पत्रावली दिनांक 29.08.2022 को जिरह हेतु पेश हों।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

क्रि0 केस नं0–21ए/10

सी0बी0आई बनाम अर्चना मित्तल एवं अन्य

16.08.22

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अर्चना मित्तल एवं वेद प्रकाश गुप्ता की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

बचाव पक्ष अगली तिथि तक माननीय उच्च न्यायालय क्रि0रिवीजन संख्या–57/22 की अद्वतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को अग्रिम आदेश हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

क्रि0 मि0 केस नं0–136 / 2022
विकास अग्रवाल   बनाम सी0बी0आई0

16.08.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में बचाव पक्ष को 5 अवसर दिया जा चुका है प्रत्येक तिथि पर बचाव पक्ष द्वारा इस आधार पर अवसर की मांग की जाती है कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता बहस हेतु न्यायालय उपस्थित नहीं है।पूर्व तिथि पर भी न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया गया था परन्तु आज जूनियन अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बताया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता बुखार से पीडित है और न्यायालय आने में असमर्थ है। अधिवक्ता की व्यक्तिगत कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में इस शर्त के साथ अंतिम अवसर दिया जाता है कि यदि अगली तिथि पर उपस्थित आकर बहस नहीं करते है तो प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुण–दोष पर कर दिया जायेगा। सम्बन्धित प्रकरण में

सीबीआई ने अपनी आपत्ति में यह अवगत कराया गया था कि इस प्रकरण के अतिरिक्त अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल का आय से अधिक अर्जित आय के सम्बन्ध में भी मुकदमा पंजीकृत है जिसकी विवेचना प्रचलित है। इसके अतिरिक्त सह अभियुक्त अलका सिहं के विषय में भी न्यायालय के निर्देश पर अग्रिम विवेचना की जा रही है। अतः सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विवेचक को अद्यतन आख्या के साथ न्यायालय पर दिनांक 24.08.2022 को सुनवाई हेतु सुबह 10.30 बजे पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति सीबीआई को आवश्यक कार्यवाही प्रस्तुत हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

एस0टी0 नं0–977/17

सी0बी0आई0 बनाम अकील अंसारी

16.08.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। पुकार पर अभियुक्त फैसल उपस्थित है। अभियुक्तगण सत्यम पटेल, रोहित मिश्रा एवं अकील अंसारी जेरे हिरासत उपस्थित हैं। अभियुक्त अजय पटेल की हाजिरी माफी प्रस्तुत हुई। अन्य सभी अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

आज सी0बी0आई0 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सी0बी0आई0 के पैरोकार मनोज उपस्थित है। सी0बी0आई0 के पी0पी0 उपस्थित नहीं है। पैरोकार द्वारा बताया गया कि मामले मे साक्षी आलोक सिंह को जिरह हेतु आज आना था परन्तु बुखार से पीड़ित होने के कारण वह उपस्थित नहीं आये है। यह भी बताया गया कि उन्होने कोविड की जांच भी कराई है। इस कारण सी0बी0आई0 द्वारा लम्बी तिथि की मांग की है।

सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि अगली तिथि पर साक्षी को अवश्य उपस्थित कराना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 25.08.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–6621/22

10.08.22

जमानत पत्रावली पेश हुई। बचाव पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई। शामिल मिसिल हो। बचाव पक्ष लिखित बहस की प्रति सी0बी0आई0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक से न्यायालय द्वारा 2 प्रश्न किये गये, प्रथम– अभियुक्त का इस अपराध के अतिरिक्त क्या अन्य कोई आपराधिक इतिहास है तथा इसके अतिरिक्त सी0बी0आई0 यह भी स्पष्ट करें कि जैसा कि अतिरिक्त लिखित बहस के रूप में अभियुक्त ने पैरा–7–8 विशिष्ट रूप से दिया गया है कि फर्जी चेक के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, सी0बी0आई0 उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें तथा यह भी स्पष्ट करें कि जैसा कि अभियुक्त द्वारा कथित है कि उसके द्वारा ओटीएस कर मामले में सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, उक्त कथन सत्य व प्रमाणित है। उपरोक्त बिन्दुओं पर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए

सी0बी0आई0 द्वारा मामले में समय की मांग की गई।

जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 17.08.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

कि0 मि0 केस नं0– 481 / 2021

05.08.2022

पत्रावली पेश हुई। आर0सी0संख्या–0062020ए0005 के सम्बन्ध में प्रार्थी अयोध्या प्रसाद मिश्रा द्वारा सीज खाते को रिलीज कराने हेतु स्वयं का तथा अपने पुत्र विपुल मिश्रा, पुत्रवधु श्रीमती श्वेता मिश्रा एवं पत्नी श्रीमती रानी मिश्रा की ओर से प्रस्तुत किया गया था। उक्त सभी प्रार्थना पत्र आज सुनवाई हेतु नियत है। न्यायालय ने पूर्व की तिथि पर मामले के विवेचक से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर व्यक्तिगत रूपसे आज तलब किया गया था। मामले के विवेचक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उनके द्वारा अवगत कराया गया गया कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.22 को पुलिस अधीक्षक सी0आई0 सेक्टर उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को प्रेषित किया गया था तथा इस प्रकरण से सम्बन्धित मामलों में सीज खातों को सीज किये जाने के

विषय में अद्वतन स्थिति से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था। इस सन्दर्भ में पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होने यह अवगत कराया है कि श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा के विरूद्व एक खुली जांच संख्या 250/2019 लम्बित है जिसमें उनके तथा उनके परिजनो के विरूद्व प्रथम दृष्टया 163.32 प्रतिशत अधिक अनानुपातिक सम्पत्ति अर्जन पर व्यय किये जाने के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर मु0अ0सं0 08/2021 धारा–13(1)बी सपठित धारा 13(2)पी0सी0ऐक्ट(यथा संशोधित–2018) थाना लखनऊ उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की जा रही है। विवेचना व साक्ष्य संकलन के क्रम में इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा मुंशीपुलिया, इन्दिरानगर लखनऊ में आवेदकगण के खातों को फ्रीज रखे जाने हेतु मुख्य शाखा प्रबन्धक से पत्राचार किया गया है। सम्बन्धित पत्र की छाया प्रति भी संलग्नक की गई है। चूंकि इस प्रकरण में मु0अ0सं0 8/2021 का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। न्यायालय द्वारा जो पृच्छा की गई थी वह इस न्यायालय में लम्बित आर0सी0 संख्या– 0062020ए0005 के विषय में की गई थी। अतः विवेचक को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि पर रिलीज प्रार्थना पत्रों के सन्दर्भ में सी0बी0आई0 से सम्बन्धित आर0सी0 संख्या– 0062020ए0005 के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 का पक्ष रखना सुनिश्चित करें। स्पष्ट आख्या न दिये जाने पर यह माना जायेगा कि सी0बी0आई0 को इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है। सभी प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.2022 को पेश हो।

आदेश की एक–एक प्रति सभी लम्बित प्रार्थना पत्रों पर रखा जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

क्रि0 केस नं0–954/2017

01.8.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में पुकार कराई गई। सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त जिया मजीद के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.07.2022 की सत्याप्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जमानत धनराशि निश्चित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त

प्रार्थना पत्र पर आदेश अलग पन्ने पर अंकित है।

सम्बन्धित प्रकरण में पूर्व से जमानत पर रिहा अभियुक्त रामरतन वशिष्ठ, प्रेमानन्द मोइत्रा एवं ओम प्रकाश व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्तगण आर0 के0 भलोठिया, राधेश्याम, अमूलरंजन चक्रवर्ती, सुब्रत कुमार घोष व सुब्रत कुमार बासु एवं अभियुक्त शेख नाजिर एवं जहीर अनवर की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

अभियुक्त हरिश्चन्द्र उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त हरिश्चन्द्र का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यदि उनके द्वारा माननीयय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई याचिका अथवा जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसे तत्काल पत्रावली पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेत दिनांक 25.08.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

सी0बी0आई0 बनाम प्रकाश चन्द्र विद्यार्थी आदि

20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। लोक अभियेाजक द्वारा यह अवगत कराया गया कि मामले में विवेचनोपरांत 3 अन्य पूरक आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हे। जिस पर संज्ञान लिया जाना शेष है। परन्तु प्रस्तुत किये गये तीसरे पूरक आरोप पत्र में तत्कालीन शाखा प्रबन्धक/लोक सेवक अवधेश कुमार श्रीवास्तव के विरूद्व अभियोजन संस्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि तीसरे पूरक आरोप पत्र में लोक सेवक अभियुक्त अवधेश कुमार श्रीवास्तव के विरूद्व अभी अभियोजन संस्वीकृति प्राप्त नहीं है। ऐसे में सभी पूरक आरोप पत्र पर एक साथ संज्ञान लेकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विवेचक से पूर्व में यह अपेक्षा की गई थी कि वे न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करें कि किन अभियुक्तों के विरूद्व पूर्व में लिये गये संज्ञान के सम्बन्ध में किन किन अभियुक्तों पर आदेशिका तामील हो गयी है तथा किन पर तामीला शेष है। इसके अतिरिक्त जिन अभियुक्तों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 438 द0प्र0सं0 के तहत जमानत आवेदन किया गया है, वे कौन कौन है तथा उसका परिणाम क्या हुआ परन्तु उनके द्वारा यह आख्या अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभियुक्तगण रविराज सिंह, प्रियंका लोधी एवं चन्द्रशेखर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मो0 आमिर नकवी के कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित है। उन्होने ंबताया कि इन तीन अभियुक्तों के सम्बन्ध में धारा 438 द0प्र0सं0 में जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें से एक अभियुक्त रविराज सिंह को अन्तरिम जमानत अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 पर आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है जिसकी प्रमाणित प्रति वह न्यायालय के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करेगें। चूंकि सम्बन्धित पत्रावली में अभी तक अभियोजन स्वीकृत एवं वांछित आख्या आना भी शेष है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.08.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–03/2015

20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त निरंजन कुमार स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र बी–130 के समर्थन में स्वयं दो पूरक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति सी0बी0आई0 को प्राप्त कराई गई।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किसी भी अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा बार बार निर्देशित किये जाने के बाद भी मामले में पैरवी हेतु नहीं लाया जा रहा है। इस स्तर पर अभियुकत द्वारा प्रार्थना की जा रही है कि वह अपने इस मामले की प्रतिरक्षा स्वयं करना चाहते है। किसी अधिवक्ता को नहीं चाहते है। न्यायालय द्वारा पृच्छा किये जाने पर किसी सरकारी अधिवक्ता को नहीं रखना चाहते है। उनके द्वारा एक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस विचारण मामले को स्थानान्तरित किये जाने हेतु योजित किया गया था जिसके संदर्भ में भी उनसे कई अवसरों पर पृच्छा की जा रही है परन्तु उसकी अद्यतन स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे है। अभियुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र की अद्यतन स्थिति से अगली तिथि पर अवश्य अवगत कराना सुनिश्चित करे तथा अपनी प्रभावी पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त करना सुनिश्चित करें ताकि उनकी प्रतिरक्षा का अधिकार सुरक्षित किया जा सके।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.08.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–11/2011

18.07.2022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–11/2011

18.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित पत्रावली में सी0बी0आई0 द्वारा विगत तिथि पर साक्षी को तलब किये जाने हेतु सम्मन जारी किया गया, परन्तु आज कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं है। अभियोजन से अनुरोध है कि पत्रावली में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सम्मन तामीला कराने वाले कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दे कि वह व्यक्तिगत तामीला करा कर किसी भी स्थिति में साक्षी को अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि पत्रावली का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक .2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–13 / 2010

18.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, हंशराज एवं यू0के0 बाजपेयी उपस्थित है। शेष अभियुक्तगण की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित पत्रावली में न्यायालय द्वारा तथाकथित किशोर अपचारी वैभव गुप्ता के प्रार्थना पत्र बी–190 पर आदेश पारित करते हुए उनके किशोरता सम्बन्धी बिन्दु पर न्यायिक अभिमत बनाये जाने हेतु किशोर न्यायबोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थनापत्र के प्रतिउत्तर में अभी तक किशोर न्याय बोर्ड से कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सम्बन्धित पत्रावली यद्यपि साक्ष्य में नियत है परन्तु अभियुक्त वैभव गुप्ता की किशोरता निर्धारण करने के उपरांत ही विचारण प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा। ऐसे में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वैभव गुप्ता के प्रार्थना पत्र के निस्तारण किये जाने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.8.2022 को पेश हो। बचाव पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह वैभव गुप्ता के किशोरता निर्धारण के सम्बन्ध में पारित होने वाले आदेश से तत्काल इस न्यायालय को अवगत करायेगें।

पत्रावली नियत तिथि पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–03/2007

18.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त डा0 जयकरन स्वयं उपस्थित है। उल्लेखनीय है कि यह पत्रावली इस न्यायालय के एक्सन प्लान में चिन्हित पत्रावलियों में से एक है, जिसे इसी वर्ष निर्णीत किये जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। जिसका पर्यवेक्षण भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। यद्यपि कि सी0बी0आई0 द्वारा दो साक्षियेां को सम्मन पूर्व तिथि पर जारी किया गया है परन्तु एक भी साक्षी आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। डा0 ए0के0 मित्रा पर सम्मन कार्यालय द्वारा तामील कराया गया है जो कि आपत्तिजनक है। अभियोजन से अनुरोध है कि पत्रावली में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सम्मन तामीला कराने वाले कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दे कि वह व्यक्तिगत तामीला करा कर किसी भी स्थिति में साक्षी को अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि पत्रावली का माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुकम में निस्तारण किया जाना सम्भव हो सके।

अग्रिम तिथि के लिए लोक अभियोजन साक्षी के विरूद्व आदेशिका जारी कराना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 25.7.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0—994 / 2020

दिनांक 15.07.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में अभियुक्त रिषीराज श्रीवास्तव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त देवेश कंसल की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण माननीयय उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर चुके है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा के अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से यह सूचना प्रेषित किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लम्बित है। पूर्व में भी अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा से यह अपेक्षा की गई थी कि इस सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र मय आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगें परन्तु उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आज इस पत्रावली में पैरवी आफिसर राजेन्द्र सिंह उपस्थित आये है। उनके द्व ारा बताया गया कि वे इस पत्रावली में नये आये है और उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। इसके विषय में जानकारी कर अगली तिथि तक अवश्य अवगत करा देगें।

पत्रावली दिनांक 18.08.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–502/2016

दिनांक 15.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अरविन्द मिश्रा अपने अधिवक्ता श्री प्रांशु अग्रवाल के साथ उपस्थित आये। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एप्लीकेशन संख्या–2630/2022 में पारित आदेश दिनांकित 14.7.2022 की कम्प्यूटर जनित प्रति प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में लम्बित दो प्रार्थना पत्रों में से एक प्रार्थना पत्र का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया परन्तु उनके द्वारा धारा 33 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 6257/19 नम्बर की याचिका योजित की गई थी, उसकी सुनवाई अभी शेष है। उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 22.10.19 के आदेश को प्रभावी बनाया गया था। ऐसे में बचाव पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण के अन्तिम निस्तारण किये जाने के पूर्व सुनवाई न किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि यद्यपि कि माननीय उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2019 के आदेश को प्रभावी बनाया गया है,जिससे अभियुक्त के विरूद्व उत्पीड़नात्मक कार्यवाही रोका गया है परन्तु न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही किये जाने से रोका नही गया है। ऐसे में मामले की सुनवाई कर मामले का निस्तारण करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

उभय पक्ष को सुना गया।

यद्यपि कि मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रावली की सुनवाई स्थगित किये जाने का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः मामले की सुनवाई किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को एक अवसर प्रदान किया जाता है। अभियुक्त अपने मामले की शीघ्र सुनवाई किये जाने का यथासम्भव प्रयास करते हुए प्रार्थना पत्र को निस्तारित कराना सुनिश्चित करें ताकि पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 30.7.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–400/2016

दिनांक 12.07.2022

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली सम्बन्धित प्रार्थना पत्र संख्या बी–95 के सुनवाई व निस्तारण हेतु नियत है।

बी–95 प्रार्थना पत्र बचाव पक्ष द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–1, जो कि इस मामले के अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी है, उनके द्वारा जिरह के दौरान यह कथित किया गया है कि ''मेरे द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश में रेलवे को होने वाली इस प्रकरण में आर्थिक क्षति की बात सी0बी0आई0 द्वारा भेजे गये प्रपत्रों के आधार पर सम्भवतः दी गई। इस सम्बन्ध में मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरे पास जो सी0बी0आई0 की रिपोर्ट रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा भेजी गई थी। वह इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है। वह आफिस में उपलब्ध होगी।उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही मैं यह बता सकता हूँ कि किस दस्तावेज के आधार पर मैने रेलवे को क्षति की बात या आर्थिक क्षति होने की बात कही है''।

ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियोजन स्वीकृति देने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा जब स्वयं यह कथित किया जा रहा है कि जब उसने आर्थिक क्षति के सन्दर्भ में सम्भवतः सी0बी0आई0 रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन स्वीकृत आदेश में उल्लेख किया होगा तो ऐसी स्थिति में सी0बी0आई0 रिपोर्ट, जो कि अभियोजन स्वीकृत अधिकारी को भेजी गई थी, उसे न्यायालय के समक्ष मंगा ली जाय ताकि उक्त बिन्दु पर दस्तावेज देख कर साक्षी से जिरह किया जाना सम्भव हो सके।

उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा यह कथित किया गया है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश में आर्थिक क्षति होने का उल्लेख किया गया है तथा आरोप पत्र में भी आर्थिक हानि होने की बात अंकित की गई है। यद्यपि कि आरोप पत्र में विशिष्ट राशि का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि आरोप पत्र का ही भाग होता है, उसमें विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ऐसे में सम्बन्धित बिन्दु पर दस्तावेज मंगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन का यह भी तर्क है कि सी0बी0आई0 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु जो दस्तावेज रेलवे विजिलेंस विभाग से भेजे गये थे, वह विशेषाधिकार संसूचना की श्रेणी में आता है तथा धारा 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से

संरक्षित है। उक्त तथ्यों व परिस्थितियों में उसे इस स्तर पर बचाव पक्ष को नहीं दिखाया जा सकता है और न ही उसपर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में सी0बी0आई0 क्राइम मैनूअर 2020 के पैरा 18.1.7 का भी उल्लेख किया गया है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

सम्बन्धित प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट में आर्थिक क्षति की विशिष्ट राशि का उल्लेख किया गया है। उक्त विशिष्ट धनराशि का उल्लेख अभियोजन स्वीकृति दिये जाने वाले आदेश में भी किया गया है जबकि आरोप पत्र में विशिष्ट राशि का उल्लेख न किया जाना स्वयं अभियोजन द्वारा स्वीकार किया गया है। जिरह के दौरान पी0डब्लू0–1 ने यह कथित किया है कि इस प्रकरण में आर्थिक क्षति की बात सी0बी0आई0 द्वारा भेजे गये प्रपत्र के आधार पर सम्भवतः दिया गया होगा। सी0बी0आई0 द्वारा भेजे गये रिपोर्ट के आधार पर ही उसने यह अपना मत इस बिन्दु पर अभियोजन स्वीकृति आदेश में प्रकट किया था। चूंकि सम्बन्धित प्रकरण में बचाव पक्ष की जिरह जारी है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा पी0डब्लू0–1 द्वारा मुख्य परीक्षा के दौरान किये गये कथनों में यदि कोई विरोधाभाष है तो उस बिन्दु पर प्रश्न पूछ सकता है तथा यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का प्रयास कर सकता है कि किस आधार पर सम्बन्धित साक्षी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किये जाते समय विशिष्ट धनराशि का उल्लेख किया था। ऐसे में इस स्तर पर प्रस्तुत किया गया यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

बचाव पक्ष का यह विकल्प प्राप्त होगा कि यदि अग्रिम परीक्षा के दौरान सम्बन्धित साक्षी उपरोक्त बिन्दु पर स्पष्ट बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो बचाव पक्ष अपने इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य/जिरह पी0डब्लू0–1 हेतु दिनांक 30.07.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल मि0 केस नं0–392/2022
आरसी0062004ए0010

प्रभू नारायण झिगंरन बनाम् सी0बी0आई0

<u>दिनांक 12.07.2022</u>

आवेदक प्रभू नारायण झिगंरन की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा तैयार सर्च लिस्ट तैयार करते हुए उसका बैंक लॉकर नं0 एए10 पंजाब नेशनल बैंक, गन्ना संस्थान, डालीबाग लखनऊ को भी सीज किया गया था जिस कारण आवेदक वर्तमान में उक्त लॉकर को आपरेट नहीं कर पा रहा है। अतः उक्त लॉकर को रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा सीज लॉकर पूर्व में ओरियन्टल बैंक ऑ कामर्स में था, जो कि अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है, जिस कारण वर्तमान में उसका लॉकर पंजाब नेशनल बैंक गन्ना संस्थान, डालीबाग लखनऊ में लॉकर नं0 एए10 में हो गया है। अस्तु उसके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक गन्ना संस्थान, डालीबाग लखनऊ में स्थित लॉकर नं0 एए10 को रिलीज किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।अतः उक्त लॉकर को रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया है।

सी0बी0आई0 द्वारा उक्त लॉकर को रिलीज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं किया है और अपने जवाब में मुख्यता यह कथन किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और यह भी कथन किया गया है कि दौरान विवेचना सी0बी0आई0 द्वारा एक चॉभी, जो कि लॉकर नं0 10 स्थित ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स, गन्ना संस्थान, लखनऊ में है, को सीज किया गया था। जिस पर सी0बी0आई0 द्वारा relied upon नहीं किया गया। सी0बी0आई0 के विवेचक द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति अंकित किया कि पंजाब नेशनल बैंक में ही ओरियंटल बैंक आफ कामर्स मर्ज हो गया है। अतः उक्त लॉकर के रिलीज किये जाने के बिन्दु पर सी0बी0आई0 द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

चूंकि सी0बी0आई0 द्वारा सीज किये गये लॉकर को relied upon के साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा है और सम्बन्धित प्रकरण में भी विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है जिस पर भी संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे में सीज लॉकर को रिलीज किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है और न ही सी0बी0आई0 द्वारा तथ्यात्मक विरोध किया गया।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत चॉभी नं0–34, जो कि लॉकर बैंक लॉकर नं0 एए10 पंजाब नेशनल बैंक, गन्ना संस्थान, डालीबाग लखनऊ, पूर्व में ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, से सम्बन्धित है को नियमानुसार रिलीज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित लॉकर की चाभी को नियमानुसार प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

04.07.2022

अभियुक्तगण कपिल वधावन एवं धीरज वधावन की ओर से दिनांक 05.07.2002 को पी0एम0एल0ए0 कोर्ट मुम्बई में उपस्थित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना गया।

अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में दिनांक 02.07.2022 को भी इसी आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रकरण में कृत कार्यवाही से न्यायालय को दिनांक 05.07.2022 तक अवगत कराना सुनिश्चित करें। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2022 को सम्बन्धित पत्रावली के साथ पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–954/2017

10.6.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण ओम प्रकाश एवं प्रेमानन्द मोइत्रा उपस्थित है। अभियुक्त जिया माजिद का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्टे चल रहा है। शेष अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ, जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

अभियुक्त हरिश्चन्द्र की ओर से प्रार्थना पत्र बी–169 प्रस्तुत किया गया जो आज सुनवाई हेतु नियत है। अभियुक्त हरिश्चन्द्र के अधिवक्ता का यह कथन है कि सम्बन्धित प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व जिस अभियोजन स्वीकृत दिनांकित 04.08.2017 को आधार बनाते हुए प्रसंज्ञान लिया गया है, वह आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये हुए मनमानेपूर्ण तरीके से पारित किया गया हे। उनका यह भी कथन है कि सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त हरिश्चन्द्र द्वारा एक रिट याचिका संख्या–1085/22 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उक्त रिट याचिका को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करते हुए दिनांक 04.03.2022 को आदेश पारित किया गया था। सम्बन्धित पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतिम पैरा में यह कथन किया गया है कि सम्बन्धित मामले में याची सैक्शन आदेश की वैधता को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत कर सकता है। उक्त आदेश के अनुपालन में ही यह प्रार्थना पत्र बी–169 प्रस्तुत किया गया है तथा सैक्शन आदेश की वैधता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है।

बचाव पक्ष की ओर यह भी कथन किया गया कि उन्होने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में सी0बी0आई0 को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में सी0बी0आई0 इस पर आपत्ति नहीं कर सकती है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि मामले में अभियुक्त आज तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर न तो धारा 438 द0प्र0सं0 में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और न ही धारा 439 द0प्र0सं0 में ही जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अभियुक्त की ओर से दाखिल रिट को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.03.2022 को निरस्त करने के उपरांत पुनः अभियुक्त द्वारा रिट याचिका संख्या–2198/2022 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2022 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त को निर्देशित किया गया था कि वह आदेश की तिथि से 6 सप्ताह के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें जिसका निस्तारण विचारण न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था सत्येन्द्र कुमार अंटिल के प्रकाश में निस्तारण करेंगा। अभियुक्त द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करते हुए अभी तक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर अभियोजन स्वीकृत के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। जो कि इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। विचारण के दौरान जब अभियोजन स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकारी को परीक्षित कराया जायेगा उसके पश्चात ही अभियोजन स्वीकृति की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि मामले में संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे में विचारण की प्रतिभागिता करने के उपरांत ही सैक्शन आदेश की वैध्यता को चुनौती दी जा सकती है।

सी0बी0आई0 द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 इस मामले में वादी मुकदमा है और उनके द्वारा ही विवेचना में साक्ष्य संकलित करके लोक सेवक के विरूद्व नियमानुसार अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करने के उपरांत विवेचनोंपरात आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और अभियोजन स्वीकृति आदेश को दस्तावेजों के साथ पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारिकता रखने वाले न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है कि सी0बी0आई0 को न सुना जाय और अन्ततः सी0बी0आई0 द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा प्रथम बार धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत याचिका संख्या– 1668/18 माननीय उच्च न्यायालय में योजित की थी। उक्त याचिका में अभियुक्त को अन्तरिम आदेश प्राप्त था जिस सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा अद्यतन आदेश दाखिल किये जाने हेतु अभियुक्त से कई पेशियों पर पृच्छा की गई तथा अद्यतन आदेश दाखिल किये जाने हेतु अभियुक्त को प्रत्येक अवसर पर निर्देशित भी किया गया परन्तु अभियुक्त हरिश्चन्द्र द्वारा पूर्व पारित आदेश की अद्वतन स्थिति से न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया और कई पेशियों तक लगातार पृच्छा किये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा अद्यतन स्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 06.01.2022 को सी0बी0आई0 की ओर से रिट याचिका संख्या 1668/18 में दिनांक 09.11.2021 को पारित आदेश की प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इस तथ्य से अवगत कराया गया कि अभियुक्त हरिश्चन्द्र द्वारा दाखिल रिट याचिका दिनांक 09.11.2021 को ही निरस्त की जा चुकी है तब न्यायालय द्वारा विवश हाकर दिनांक 13.04.2022 को अभियुक्त के विरूद्व गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया गया। उक्त के उपरांत भी अभी तक अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आकर अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त हरिश्चन्द्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य याचिका संख्या–1085/22 प्रस्तुत की गई जो भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2022 को निरस्त कर दी गई। पुनः अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 2198/22 प्रस्तुत की गई जिसके अन्तर्गत इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.4.2022 को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.202 को जो आदेश पारित किया गया है। सम्बन्धित पारित आदेश

मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में अभियुक्त द्वारा योजित की गई सभी याचिकाओं का उल्लेख करते हए माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र इस आदेश से 6 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है तथा इस न्यायालय को भी उक्त की सुनवाई किये जाने का निर्देश दिया गया है परन्तु उक्त के विपरीत अभियुक्त द्व ारा जमानत प्रार्थना पत्र न प्रस्तुत करके अभियोजन स्वीकृति को निरस्त किये जाने का ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की मंशा के विपरीत है। ऐसा परिलक्षित होता है कि अभियुक्त येनकेन प्रकारण मामले के विचारण को लम्बित रखने एव बाधित करने के उद्वेश्य से भिन्न भिन्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–169 निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18.06.2022 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हों।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

के आदेश से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को

स्पष्ट रूप से आदेश पारित किये जाने की तिथि से 6 सप्ताह के अन्दर अपना जमानत आवेदन पत्र सम्बन्धित विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है और इस न्यायालय को प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण गुण–दोष पर करने का निर्देश दिया गया परन्तु अभियुक्त हरिश्चन्द्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया अपितु अभियोजन स्वीकृत की वैध्यता को चुनौती देने वाला प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रकरण में उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों में अभियुक्त हरिश्चन्द्र न ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.08.2022 के अनुपालन में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है और न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही आ रहा है। ऐसे वह उक्त विकल्प का अनुपालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा न्यायालय को विवश होकर अग्रिम कार्यवाही करनी पड़ेगी।

पत्रावली दिनांक 18.06.2022 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हों।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

क्रि0 केस संख्या– 310/2021
सी0बी0आई0 बनाम प्रकाश चन्द्र विद्यार्थी आदि

07.06.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक एवं विवेचक न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। सम्बन्धित प्रकरण के विवेचक द्वारा यह अवगत कराया गया कि मामले में विवेचनोपरांत 3 अन्य पूरक आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हे। जिस पर संज्ञान लिया जाना शेष है। परन्तु प्रस्तुत किये गये तीसरे पूरक आरोप पत्र में तत्कालीन शाखा प्रबन्धक/लोक सेवक अवधेश कुमार श्रीवास्तव के विरूद्व अभियोजन संस्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि तीसरे पूरक आरोप पत्र में लोक सेवक अभियुक्त अवधेश कुमार श्रीवास्तव के विरूद्व अभी अभियोजन संस्वीकृति प्राप्त नहीं है। ऐसे में सभी पूरक आरोप पत्र पर एक साथ संज्ञान लेकर अग्रिम कार्यवाही

किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विवेचक से यह अपेक्षा की गई थी कि वे न्यायालय को सूचित करें कि धारा 438 द0प्र0सं0 के अधीन जमानत प्रार्थना पत्र किन किन अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। विवेचक द्वारा इस सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में ग्रीष्मावकाश होने के कारण पूर्णतः वस्तु स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं ला पाये है। जिस सम्बन्ध में उन्हें निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त लोक सेवक अवधेश कुमार श्रीवास्तव के सम्बन्ध में अभियोजन संस्वीकृति आदेश तथा धारा 438 द0प्र0.सं0 के सम्बन्ध में अगली नियत तिथि तक वस्तुस्थिति से न्यायालय को स्पष्ट करें।

कार्यालय लिपिक इस तथ्य से अवगत कराये कि धारा 438 द0प्र0सं0 किन किन अभियुक्तों द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा कोर्ट नायब यह स्पष्ट करें कि प्रथम आरोप पत्र दाखिल होने पर किन किन अभियुक्तों पर आदेशिका की तामीला हो चुकी है।

पत्रावली दिनांक 20..7.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

07.06.2022

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक व विवेचक उपस्थित है। विवेचक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना उन्हें दिनांक 01.06.2022 को प्राप्त हुई हैं। उन्हें कुछ साक्ष्य एकत्र करना है। उन्हें 10 दिन का समय प्रदान किया जाय। इस पर बचाव पक्ष की ओर से कोई

आपत्ति नहीं की गई।

विवेचक के अनुरोध पर दिनांक 17.6.2022 की तिथि नियत की जाती है। विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि अगली नियत तिथि पर साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 17.6.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

02.6.2022

जमानत पत्रावली पेश हुई। सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कुछ अन्य बिन्दुओं पर स्पष्टता करने के लिए समय की मांग किया। उनकी याचना आज के लिए स्वीकार की जाती है।

सी0बी0आई0 को अंतिम अवसर इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि अगली नियत तिथि पर अपना स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत करें। अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र जमानत दिनांक 13.6.22 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,

लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–   /2022

आर.सी.नं0–   2212018ई0011

26.5.2022

आज सी0बी0आई0 के निरीक्षक डी.सी.यादव की ओर से ई.ओ.–3 नई दिल्ली द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्व ारा आर.सी. 2212018ई0011 में जांच करने के पश्चात विवेचनोंपरांत पूर्व में स्पेशल जज सी0बी0आई0/पी0सी0ऐक्ट–19, रोज ऐवेन्यू कोर्ट नई दिल्ली में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु उक्त न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार न होने के कारण उक्त मामले के आरोप पत्र को वापस करते हुए सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

सुना गया एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मामले में घ टनास्थल लखनऊ जनपद में कारित किया जाना परिलक्षित होता है। लखनऊ क्षेत्राधिकार होने के कारण प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त गण नायक ज्ञान बहादुर दहेल एवं हरिकेश सिंह गुज्जर रिटायर्ड लोक सेवक के विरूद्व सक्षम प्राधिकारी के विरूद्व अभियोजन संस्वीकृत भी प्राप्त कर दाखिल किया गया है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों के तहत प्रकरण को अपराधिक वाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण नायक ज्ञान बहादुर दहेल एवं हरिकेश सिंह गुज्जर रिटायर्ड लोक सेवक के विरूद्व सी0बी0आई0 द्वारा आर0सी0 नं0 2212018ई0011 धारा–120बी सपठित धारा 409, 420, 468, 471,477ए भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(सी)(डी) पी.सी.ऐक्ट 1988 में प्रेषित आरोप पत्र को आपराधिक वाद के रूप में दर्ज किया जाय।

पत्रावली प्रसंज्ञान पर सुनवाई हेतु दिनांक 01.07.2022 को पेश हो। विवेचक मय केस डायरी के उपस्थित हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

25.5.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित याचिका संख्या–6257/2019 तथा 2630/2019 के आदेशों की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त दोनों आदेशों से यह स्पष्ट है कि दोनों याचिकाए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित थी तथा सी0बी0आई0 द्वारा दोनों याचिकाओं में स्थगन का अनुरोध किया गया।

याचिका संख्या–'6257/2019 दिनांक 08.07.2022 को नियत है तथा याचिका संख्या 2630/2019 दिनांक 14.07.2022 को नियत है।याचिका संख्या–6257/2019 में अभियुक्त द्वारा न्यायालय पर अंकित जिस साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है, उसे प्रश्नगत करते हुए पुनः साक्ष्य अंकित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका संख्या–2630/2019 के माध्यम से अभियुक्त द्वारा धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुपालन में मूल रिकार्डेड कैसेट की प्रति की मांग की है।

पत्रावली यद्यपि कि अंतिम बहस में नियत थी परन्तु उक्त दोनों याचिकाओं मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा अभियुक्त को स्थगन दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियें में एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित पत्रावली की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित याचिकाओ के नियत तिथि के उपरांत ही सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को अग्रिम आदेश हेतु पेश हो। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगा।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

कि0 केस नं0—1765/18

13.5.2022

आवेदक प्रदीप कुमार पाण्डेय की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया कि उसके पिता स्व0 बृज भूषण पाण्डेय श्रीमती आभा पाण्डेय के जमानत ली थी, जिनकी मृत्यु दिनंक 04.12.2020 को हो चुकी है। अतः उन्हें जमानत से उन्मोचित किया जाय समर्थन में नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से प्रधान आरक्षी बी0एस0चौहान द्वारा आख्या दी गई कि उनके द्वारा रजिस्ट्रार,जन्म और मृत्यु, के कार्यालय से कम्प्यूटर पर चेक करवाया और सत्यापित करवाया तथा प्रदीप कुमार पाण्डेय द्वारा लगाये गये आधार का मिलान मृतक के घर जाकर मूल से करवाया गया।

चूंकि आभा पाण्डेय के जमानतदार बृजभूषण पाण्डेय का देहान्त दिनांक 04.12.2020 को हो चुकी है और समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका सत्यापन सी0बी0आई0 द्वारा सम्बन्धित विभाग से करवाया गया जो सही पाया गया है। अतः जमानतदार बृजभूषण पाण्डेय को जमानत से उन्मोचित किया जाता है।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

आर0सी0 नं0–0592022ए0008

13.5.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण प्रवीण आनन्द व गगन जायसवाल जेरे हिरासत उपस्थित है।

विवेचक संजीव कुमार सिंह द्वारा अभियुक्तगण प्रवीण आनन्द व गगन जायसवाल का 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रसारित भी किया गया है, परन्तु प्रार्थनापत्र के साथ केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा 14 दिन का अभिरक्षा रिमांड बढाये जाने हेतु निवेदन भी ई–मेल के द्वारा प्राप्त करा कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण प्रवीण आनन्द व गगन जायसवाल का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड 14 दिन के स्थान पर 5 दिन हेतु अर्थात दिनांक 18.5.2022 तक के लिए स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 18.5.2022 को विवेचक मय केस डायरी व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

पत्रावली नियत तिथि पर पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

11.5.2022

आज पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित पत्रावली में दिल्ली के कोर्ट नायब हेड कांस्टेबल उमेश कुमार उपस्थित है। पत्रावली पर कोर्ट नायब उमेश कुमार प्रभावी पैरवी हेतु प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते है। परन्तु बार बार निर्देश दिये जाने के बावजूद पैरवी आफिसर विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहे है। यह पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियो में से एक है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रता से निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

आज न्यायालय के समक्ष साक्षी धीरेन्द्र कुमार उपस्थित आये जिनकी मुख्य परीक्षा व जिरह अंकित कराई गई है।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि सम्बन्धित प्रकरण में एक पूरक आरोप पत्र दिनांक 16.7.2012 को सी0बी0आई0 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उक्त आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जाना प्रथम दृष्टया प्रदर्शित नहीं हो रहा है और न ही उक्त पूरक आरोप पत्र के आधार पर आरोप ही विरचित किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, जो अत्यंत खेद का विषय है।

दिनांक 16.7.2012 के आदेशपत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है जब न्यायालय रिक्त था तब एक पूरक आरोप पत्र न्यायालय पर प्राप्त कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दिनांकित 1.10.2012 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि तत्कालीन लोक अभियोजक द्वारा इस विचारण को प्रारम्भ किये जाने हेतु सी0बी0आई0 द्वारा लगाये गये पूर्व आरोप पर अपनी बहस की गई। उक्त के आधार पर पूर्व में दाखिल आरोप पत्र, जिसके विषय में न्यायालय को अवगत कराया गया। न्यायालय द्वारा 7 अभियुक्तों के विरूद्व पूर्व में दाखिल आरोप पत्र जिस पर कि संज्ञान लिया गया था, के आधार पर आरोप विरचित किया गया। पत्रावली के परिशीलन से यह भी परिलक्षित होता है कि पूरक आरोप पत्र रिक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, तथा आरोप विरचन के समय तत्कालीन लोक अभियोजक द्वारा तत्कालिक न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया जिस कारण पूरक आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान नहीं लिया गया और न ही आरोप विरचित किया जा सका।

सम्बन्धित पत्रावली में प्रभावी पैरवी न होने के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जो कि विधिक त्रुटि व अनियमितता की श्रेणी में आता है जिससे लगभग समाप्त हो रहा विचारण पुनः विचारण प्रारम्भ होने की स्थिति में पहुॅचने की सम्भावना है। ऐसे में हेड आफ ब्रांच ए.सी.–1 को इस सन्दर्भ में पत्र भेजा जाय ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो और सी0बी0आई0 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी किया जा सके और पत्रावली का समयानुसार निस्तारण किया जाना सम्भव हो सके।

सी0बी0आई0 सम्बन्धित बिन्दु पर अपना पक्ष तत्कालीन सम्बन्धित लोक अभियोजक से समन्वय स्थापित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित

करें।

पत्रावली दिनाक 28.5.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ

सेशन केस नं0–994/2000

10.5.2022

पुकार कराया गया। सम्बन्धित मामले में अभियुक्त ऋषिराज श्रीवास्तव व अभियुक्त देवेश कंसल की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। अभियुक्त देवेश कंसल के जमानत पत्र दाखिल किये जा चुके है, जिनका सत्यापन आख्या आनी शेष है। अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा के अधिवक्ता मो0 खालिद की ओर से यह सूचना प्रेषित की गई कि उनके द्वारा अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दी गयी है जिसकी सुनवाई सम्भवतः कल होनी है। अपने कथन के समर्थन पूर्व आदेश की प्रतियां दाखिल की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। सम्बन्धित प्रकरण में पूर्व में सम्मन जारी किया जा चुका है परन्तु आज इस पत्रावली में पैरवी किय जाने हेतु कोई भी पैरवी आफिसर दिल्ली से उपस्थित नहीं हैं। इस सन्दर्भ में सी0बी0आई0/ई0ओ0–1 के सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाय कि पत्रावली में पैरवी हेतु पैरवी आफिसर को उपस्थित कराना सुनिश्चित करे ताकि शेष अभियुक्तगण की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी कई बार निर्देश दिये जाने के बावजूद इस पत्रावली में पैरवी आफिसर न्यायालय में उपस्थित नही आते है। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 29.6.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

11.5.2022

जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता को

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्राप्त कराई गई। सी0बी0आई0 के पीपी द्वारा यह निवेदन किया गया कि सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर चूंकि आरोप पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के पूर्व अवर न्यायालय की पत्रावली मंगा लिया जाना जमानत सुनवाई हेतु आवश्यक है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की गई।

चूंकि इस सप्ताह 4 दिन लगातार अवकाश है। अतः पक्षकारों के अनुरोध पर जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनां 21.5.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

11.5.2022

जमानत प्रार्थना पत्र आज सुनवाई हेतु नियत है। आज अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा पूरक शपथपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर मौखिक रूप से यह बिन्दु न्यायालय के समक्ष लाया गया कि अभियुक्त गुलाब शर्मा एड्स

रोग से पीड़ित है तथा उनका लगातार इलाज चल रहा है तथा इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया कि सम्बन्धित मामले की पीड़िता द्वारा लगभग 2 वर्ष से अभियुक्त गुलाब शर्मा के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने का अभियोग लगाया गया है। ऐसे में यदि पीड़िता का लगभग 2 वर्ष से गुलाब शर्मा के साथ शारीरिक सम्बन्ध रहा है तो ऐसे में निश्चित ही वह भी इस रोग से पीड़ित हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पीड़िता का मेडिकल कराये जाने एवं उसकी रिपोर्ट जमानत हेतु मंगाया जाना आवश्यक है।

ए0डी0जी0सी0 क्रि0 द्वारा इस बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की गई और यह कथन किया गया कि उन्हें इस सन्दर्भ में विवेचक से निर्देश देना होगा तथा मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष मंगाना होगा।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 21.5.2022 को प्रातः 10.30 बजे सुनवाई हेतु पेश हो। विवेचक मामले की सी0डी0 व मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल मि0 केस नं0–1032/2021

रवि अग्रवाल बनाम् सी0बी0आई0

<u>दिनांक 10.05.2022</u>

आवेदक रवि अग्रवाल की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा सर्च लिस्ट दिनांक 02.09.2014 को तैयार किया गया था और उस लिस्ट में आर्टीकलस सीज्ड किये गये थे जिसमें लॉकर नं0 54 (की नं0 261) भी है। आवेदक वर्तमान में उक्त लॉकर को आपरेट नहीं कर पा रहा है। उक्त लॉकर में आवश्यक ज्वैलरी है। उक्त ज्वैलरी को पारिवारिक समारोह में प्रयोग में लाना है

सी0बी0आई0 द्वारा अपने जवाब में मुख्यता यह कथन किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर सीबीआई द्वारा प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित लॉकर को आवेदक के आवास से सीज किया गया था जिन पर relied upon नहीं किया गया। अतः उक्त लॉकर के रिलीज किये जाने के बिन्दु पर सी0बी0आई0 द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

चूंकि सी0बी0आई0 द्वारा सीज किये गये लॉकर को relied upon के साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा है और सम्बन्धित प्रकरण में भी विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है जिस पर भी संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे में सीज लॉकर को रिलीज किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है और न ही सी0बी0आई0 द्वारा तथ्यात्मक विरोध किया गया।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत लॉकर ं0 54 (की नं0 261) को नियमानुसार रिलीज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित लॉकर की चाभी को नियमानुसार प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–370/20

10.5.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सुधांशु त्रिवेदी जेरे हिरसात जिला कारागार से उपस्थित है। अभियुक्त ललित गोयल द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा उनका अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है और उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नोटिस हो गयी है। आज अधिवक्तागण की हड़ताल होने के कारण दाखिल नहीं हो पाई है। ऐसे में

उनके विरूद्व कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित न किया जाय। अन्य अभियुक्तगण संजय कुमार जाट, श्याम किशोर अग्रवाल, प्रवीण कुमार गुप्ता व अभिनव गुप्ता, आशीष चौधरी, विकास चावला, आलोक गर्ग, महेश कुमार गुप्ता, मनोज गोयल, मनोज अग्रवाल एवं आकाश जैन की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया। अभियुक्त अमित प्रकाश व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आये।

अगली तिथि पर सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो तथा अभियुक्त सुधांशु त्रिवेदी जेल से तलब हो। अभियुक्त ललित गोयल को निर्देशित किया जाता है कि अगली तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अद्वतन स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा उनके विरूद्व उत्पीडनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 24.5.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3133 / 22

10.5.2020

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह है कि उनके विरूद्ध धारा 17ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनुमति लिये बिना कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जो अवैध है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता के विरूद्व विभागीय जांच की कार्यवाही उनके द्वारा संस्तुति की गई थी जो प्रचलित है। सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त के मामले में सह अभियुक्त रीतेश रंजन से उनकी कभी कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही उनका उससे कोई वास्ता सरोकार है। इस बिन्दु पर अभियोजन द्वारा अपना पक्ष रखे जाने हेतु समय की याचना की गई है।

अतः पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 20.5.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल प्रकीर्ण केस नं0–325/2022

आर.सी.नं0– 0062010ए0027

सी0बी0आई0 बनाम ईश्वर चन्द्र अग्रवाल

<u>**दिनांक 09.05.2022**</u>

प्रार्थी/ईश्वर चन्द्र अग्रवाल की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.03.2022 के अनुपालन में इस आशय से दिया गया कि उसके विरूद्व लम्बित सभी मामलो को केस नं0–14/2012 के साथ समेकित कर दिया जाय और इस परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सी0बी0आई0 द्वारा केस क्राइम नं0 9/10 को आर0सी0 संख्या–27ए/10 के रूप में दर्ज कर जांच प्रारम्भ की गई थी। उक्त एफ0आई0आर0 मे कुल 16 अभियुक्तगण नामजद किये गये थे। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं था। सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना कर प्रथम आरोप पत्र केस संख्या–14/12 दाखिल किया गया था जिसमें भी प्रार्थी को अभियुक्त नहीं बनाया गया था। किन्तु उक्त आरोप पत्र में सी0बी0आई0 द्व ारा स्वयं ही यह उल्ललिखत किया गया था कि प्रकरण बृहद होने के कारण ब्लाक वाइज विवेचना की जा रही है। प्रार्थी को प्रथम बार दिनांक 7.02.14 को केस संख्या–14/12 में प्रस्तुत पूरक आरोप पत्र में अभियुक्त बनाया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा 20.02.14 को संज्ञान लेते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को तलब किया गया था। जिसके विरूद्व उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन, संख्या–151/2014 दाखिल किया गया था, जिसमें प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश दिनांक 18.04.2014 को किया गया था। बाद में सी0बी0आई0 द्वारा अन्य ब्लाकों की विवेचना पूर्ण कर प्रार्थी के विरूद्व अलग अलग ब्लाकों के अपराधों के सम्बन्ध में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सी0बी0आई0 द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हुए उसके विरूद्व एक ही मामले में अलग–अलग आरोप पत्र प्रेषित किये गये। सी0बी0आई0 का उक्त कार्य न सिर्फ दुर्भावना से प्रेरित है बल्कि अवैध भी है क्योंकि प्रार्थी के विरूद्व सभी आरोप पत्र एक ही एफ0आई0आर0 27(ए)2010 दिनांकित 14.12.2010 में प्रेषित किये गये है। उक्त सभी ब्लाकों का मामला वर्ष 2004–05 व वर्ष 2005–06 से ही सम्बन्धित है, अपराध करने की शैली समान है, सभी ब्लाको में यह आरोप है कि जिन ट्कों से अनाज ब्लाक गोदामों में जाना था, उनकी ट्क ड्राइवर स्लिप सम्बन्धित ब्लाक गोदामो में प्राप्त नहीं हुई, सभी टी.डी.स्लिप एक ही जगह तैयार की गई और अनाज की कालाबाजारी एक ही स्थान पर हुई है। सी0बी0आई0 द्वारा दाखिल किये गये आरोप पत्रों में एक मात्र अन्तर यह है कि ब्लाक गोदाम व सप्लाई विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अलग अलग है क्योंकि तत्कालीन समय में अलग अलग ब्लाक गोदामों में अलग अलग अधिकारी/कर्मचारी तैनात थे। इसके अलावा अन्य कोई अन्तर नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त आधारों पर यह कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए उस पर अलग अलग मुकदमों में विचारण नहीं किया जा सकता है। एक आरोप पत्र दाखिल करने के पश्चात सी0बी0आई0 को पूरक आरोप पत्र दाखिल करने चाहिए थें। प्रार्थी चूंकि केस क्राइम नं0 1/15 सरोजनीनगर ब्लाक में उन्मोचित हो चुका है, इस कारण इस केस को एग्जाई करने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा उक्त आधारों पर केस क्राइम नं0 6/14 राज्य बनाम कल्प नारायण शुक्ला, केस सख्या–672/16 राज्य बनाम सीताराम कश्यप व

केस संख्या–1433/18 राज्य बनाम मुरारी उपाध्याय को प्रथम केस संख्या–4/12 राज्य बनाम सुरेश धर दुबे के साथ एग्जाई कर एक ही विचारण करने की प्रार्थना की गई है। अपने कथन के समर्थन में विधि व्यवस्था अमितभाई अनिल चन्द्रा शाह बनाम सी0बी0आई0 (2013) 6 एस.सी.सी. 348 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से उक्त निर्णय के पैरा–58.6 एवं 59 पर बल दिया गया है।

उक्त निर्णय के पैरा–58.6 में कहा गया है कि In the case on hand, as explained in the earlier paragraphs, in our opinion, the secnd FIR was nothing but a consequence of the event which had taken place on 25-11-2005/26-11-2005. We have already concluded that this Court having reposed faith in CBI accepted their contention that Tulsiram Prajapati encounter is a part of the same chain of events in which Sohrabuddin and Kausarbi were killed and directed CBI to "take up" the investigation.

पैरा–59 में कहा गया है कि In the light of the specific stand taken by CBI before this Court in the earlier proceedings by way of assertion in the form of counter-affidavit, status reports,etc. we are of the view that filing of the second FIR and fresh charge-sheet is violative of fundamental rights under Articles 14, 20 and 21 of the Constitution since the same relate to alleged offence in respect of which an FIR had already been filed and the court has taken cognizance. This Court categorically accepted CBI's plea that killing of Tulsiram Prajapati is a part of the same series of cognizable of fence forming part of the firsr FIR and in spite of the fact that this Court directed CBI to "take over" the investigation and did not grant the relief as prayed namely, registration of fresh FIR.

सी0बी0आई0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 27ए/10 के रूप में दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। चूंकि जिला लखनउ में 9 ब्लाक थे और केस की वृहदता देखते हुए विवेचना ब्लाक वाइज करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त मूल एफ0आई0आर0 में नामित नहीं था किन्तु दौराने विवेचना उसकी भूमिका आने पर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग ब्लाकों के सम्बन्ध में उसके विरूद्व विवेचना के उपरांत ब्लाक वाइज आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है जिनमे कि अपराध करने का घटनास्थल भिन्न भिन्न है, प्रत्येक संव्यवहार प्रथक है, अलग अलग अभियुक्तगण है व अलग अलग व्यक्तियों के बीच अपराधिक षडयंत्र अलग अलग सम्व्यवहार में है और द0प्र0 संहिता की धारा 218 के अनुरूप होने के कारण सभी विचारण अलग अलग चलाने का पर्याप्त आधार है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक आरोप पत्र में साक्षियों की संख्या व दस्तावेज अलग अलग दाखिल किये गये है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम कई आरोप पत्र में अंकित है जिसके सम्बंध में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ब्लाक वाइज अलग अलग अभियुक्तगण से आपराधिक षडयंत्र किया गया है। अभियुक्त द्वारा 3 आरोप पत्र संख्या–14/12, 6/14 व 672/16 में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त उसके विरूद्व उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करने के आदेश के कारण वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और जिस कारण न्यायालय द्वारा उसकी पत्रावली प्रथक कर दी गई। उपरोक्त के अलावा केस

संख्या–14/12, 6/14 व 672/16 वर्तमान में अभियोजन साक्ष्य में नियत है तथा केस संख्या–1433/18 आरोप विरचन के स्तर पर लम्बित है। उक्त सभी चारों आरोप पत्र में औपचारिक साक्षियों के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षी भिन्न है तथा उससे सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य भी भिन्न है जिन्हें न्यायालय में उनके द्वारा साबित किया जाना है। **केस संख्या–14/12 में कुल 147 अभियोजन साक्षियों में 38 साक्षियों को, केस संख्या'6/14 में कुल 119 अभियोजन साक्षियों में से 24 साक्षियों को, केस संख्या–672/16 में कुल 151 अभियोजन साक्षियों में से 6 साक्षियों को परीक्षित कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त केस संख्या 1433/18 में कुल 146 अभियेाजन साक्षी है जिन्हें परीक्षित कराया जाना शेष है।** यदि इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो चारों उपरोक्त आरोप पत्र में कुल साक्षियों की संख्या 564 होती है। जिस कारण पत्रावली के निस्तारण करने में अत्याधिक समय लगने की पूरी सम्भावना है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त का किसी भी सम्बन्धित प्रकरण में विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके विपरीत अन्य अभियुक्तों का कई प्रकरण विचारण अग्रेतर स्थिति में है। ऐसे में सभी विचारणों को समेकित किये जाने पर उक्त अभियुक्तों का विचारण में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न होगा जो उनके भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उक्त आधारों पर आवेदक का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपने कथनों के समर्थन में सी0बी0आई0 द्वारा विधि व्यवस्था स्टेट आफ पंजाब बनाम राजेश सयाल 2002 सप्लीमेंन्टी (3) एस.सी.आर. 124, नरेन्द्रजीत सिंह सानी बनाम यूनियन आफ इंडिया 2001 प्रस्तुत किया गया है।

नरेन्द्रजीत सिंह सानी बनाम यूनियन आफ इंडिया में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि On a query being raised by this Court the learned counsel for the respondent sought to rely on Section 218 and 220 of Cr.p.c. in an effort to justify his plea for the consolidation of the cases. Mr. Bali submitted that because of the proviso to Section 218. even where there are distinct offences being tried the Magistrate can direct that the same be tried together. In our opinion, proviso to Section 218 would apply only in such a case where the distinct offences for which the accused is charged are being tried before the same Magistrate. In the instant case, offences were being tried before different Magistrate and proviso to Section 218 cannot give any single Magistrate the power to order transfer of cases to him from different Magistrates or Courts. Even Section 220 does not help the respondent as that applies where any one series of acts are so connected together as to from the same transaction and where more than one offecne is committed, there can be a joint trial. In the present case, different people have alleged to have been defrauded by the respondent and the Company and therefore each offence is a distinct one and cannot be regarded as constituting a single series of facts/transaction.

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

दोनों पक्ष द्वारा विधि व्यवस्थायें दाखिल की गई है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यद्यपि कि उक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य इस मामले के तथ्य से अक्षरशः समान नहीं है परन्तु उपरोक्त दोनेां विधि व्यस्थाओं में इस

बिन्दु पर एक निश्चित अभिमत दिया गया है कि एक ही घटना के कई संव्यवहार है तो ऐसी स्थिति में उनका विचारण संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं।

सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय को मुख्य रूप से इसी बिन्दु पर अपना अभिमत देना है। इस सन्दर्भ में यदि हम न्यायालय में लम्बित उक्त सभी अपराधिक वादों के सन्दर्भ में प्राप्त सी0बी0आई0 की आख्या एवं सी0 बी0 आई0 द्वारा की गई बहस पर दृष्टि डालते है तो यह स्पष्ट है कि यद्यपि कि सम्बन्धित मामले में अनाज घोटाले की घटना जनपद लखनऊ के विभिन्न ब्लाकों में कारित की गई है परन्तु घटना एवं संव्यवहार अलग अलग अभियुक्तों से षडयंत्र कारित करके भिन्न भिन्न संव्यवहारों के रूप में कारित की गई है। इस कारण सभी घटना के अभियुक्तों में कुछ को छोड़ कर, अन्य अभियुक्त भिन्न भिन्न है। इस प्रकार साक्षी भी, औपचारिक साक्षियों को छोड़कर, तथ्य के सभी साक्षी भिन्न है। यद्यपि कि अभियक्त ईश्वर चन्द्र अग्रवाल सभी प्रकरणों में आरोपित है तथा जैसा कि बचाव पक्ष का तर्क है कि उनकी समान भूमिका सभी प्रकरणों में एक जैसी ही है और सी0बी0आई0 द्वारा सुविधा कारणवश अनावश्यक रूप से अलग अलग आरोप पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु यदि हम अभियुक्त पर लगाये गये विभिन्न आरोपों को देखते है तो यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ षडयंत्र करते भिन्न अपराध कारित किया गया है। ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत नहीं होता है कि ये सभी घटनायें एक ही संव्यवहारों से सम्बन्धित है और अभियुक्त को एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हम सभी आपराधिक वादें को एक्जाई कर देते है, जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा आवेदित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में कुल 564 साक्षियों को एक साथ परीक्षित कराना होगा, यद्यपि कि इनमें से कुछ औपचारिक साक्षी समान ही है परन्तु फिर भी अन्य साक्षियों की संख्या सैकड़ो में होगी जो कि अभियुक्तों के जीवनकाल में विचारण में एक अत्यंत दुष्कर कार्य होगा।

इस मामले में अन्य अभियुक्तगण विभिन्न विचारणों में न्यायालय के समक्ष हाजिर आये तथा उनका विचारण प्रारम्भ किया जा चुका है तथा कुछ साक्षियों को परीक्षित भी कराया जा चुका है तथा पुनः विचारण का एक्जाई करने से सभी अभियुक्तगण का पुनः विचारण प्रारम्भ करना होगा जो कि उनके शीघ्र निस्तारण के अधिकार का हनन करने जैसा होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय की मंशा मामले के शीघ्र निस्तारण की है, जिसका भी उद्वेश्य पत्रावली को एग्जाई करने से विफल हो जायेगा।

ऐसे ही मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था कि0 मि0 केस नं0–4142/2012 अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 में फौजदार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 द्वारा सी0बी0आई0 में यह अभिमत पारित किया गया है कि *"FIR is foundation of investigation. Without registration of FIR, investigation cannot proceed. But when an FIR is registered and investigation discloses the commission of several separate, independent and distinct offences arising out of separate transactions and not connected with each other though similar in nature, for which separate trial is needed in accordance with the provisions of Cr.P.C., submissions of separate chargesheets for separate, independent and distinct offences on the basis of same FIR cannot be said to be against law. In such situation even if one charge-sheet is submitted by investigating agency, the magistrate or trial court may order separate trial for separate, independent and distinct offences arising out of*

separate transactions and not connected with each other, in accordance with provisions of Cr.P.C."

उपरोक्त समग्र विवेचना एवं माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त ईश्वर चन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–3 निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित सभी पत्रावलियों में रखी जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

लखनऊ।

किमिनल प्रकीर्ण केस नं0—481/2021

अयोध्या प्रसाद मिश्र बनाम सी0बी0आई0

04.05.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया ई कि इस पत्रावली विपुल मिश्रा, श्रीमती रानी मिश्रा एवं श्रीमती श्वेता मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र भी इस न्यायालय में लम्बित है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में कई तिथियेां पर प्रार्थना पत्र देकर अवसर लेते रहे है परन्तु अब वे इस प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस करना चाहते है। इस न्यायालय में तैनात नियमित लोक अभियोजक आज उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सम्बन्धित पत्रावली पर अक्टूबर 2021 को आपत्ति व तत्कालीक आख्या संलग्न है। जिसमें उक्त अभियुक्त के मामले में विवेचना प्रचलित होना अंकित है। उक्त के उपरांत कोई अद्यतन आख्या इस पत्रावली पर सीबीआई द्वारा प्राप्त नहीं कराई गई है। सीबीआई के कोर्ट नायब व मामले के विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि अपनी आपत्ति एवं आवश्यक आख्या न्यायालय के समक्ष अगली तिथि पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान की आख्या दिनांकित 5.10.2021 भी संलग्न है। ऐसे में पुनः पुलिस अधीक्षक सी.आई.एस. उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान से भी आख्या प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा उसे भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13.5.2022 को पेश हो। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे नियत तिथि पर समय 10.30 बजे अवश्य उपस्थित हो। उन्हें अन्य कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा।

इस आदेश की एक एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में रखी जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल प्रकीर्ण केस नं0–938 / 2020

दिनेश कुमार सिंह बनाम सी0बी0आई0

दिनांक 02.05.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया।आवेदक उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि विगत कई तिथियों से आवेदक उपस्थित नहीं आ रहा है। उभय पक्ष को निर्देशित किया गया था कि न्यायालय को अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें परन्तु उभय पक्ष की ओर से कोई आख्या नहीं आई है। आवेदक विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक इस प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है। अतः आवेदक की अनुपस्थित में प्रार्थना पत्र बी–7 दिनांकित 4.08.2021 निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–4/2015

आर.सी.नं0– 0062015ए0010

सी0बी0आई0 बनाम श्रवण कुमार आदि

<u>दिनांक–06.05.2022</u>

?

सी0बी0आई0 के लोक अभियेाजक द्वारा प्रार्थना पत्र बी–110 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामला बचाव पक्ष के साक्ष्य हेतु नियत था किन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले के टी0एल0ओ0 द्वारा टे्प के समय मूल डी0वी0आर0 से वार्तालाप के सम्बन्ध में क्यू–2 सी0डी0 बनाई गई थी व अभियुक्तगण का आवाज नमूना लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में धारा–65बी के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था और पत्रावली के गुण–दोष पर निस्तारण हेतु धारा 65बी के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दाखिल करना अत्यंत आवश्यक है। अतः न्यायहित में 65 बी प्रमाण पत्र को दाखिल करने की अनुमति के साथ ही प्रकरण के टी0एल0ओ0 राकाकांत तिवारी को उक्त प्रमाण पत्र को साबित कराये जाने हेतु तलब किया जाय।

सी0बी0आइ0 द्वारा पुनः पूरक प्रार्थना पत्र बी–112 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उक्त साक्षी टी0एल0ओ0. राकाकांत तिवारी द्वारा प्रस्तुत 65 बी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है जिसे पत्रावली पर लिया जाय।

बचाव पक्ष की ओर पूरक प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि उनकी पूर्व में दाखिल आपत्ति के अतिरिक्त अन्य आपत्ति यह है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके यह निवेदन किया गया था कि पत्रावली मे 65 बी का प्रमाण पत्र न होने के कारण इलेक्ट्ानिक अभिलेख को अग्राहाय घोषित किया जाय। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.4.2018 को निस्तारित करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था कि सम्बन्धित प्रश्न पर न्यायालय द्वारा पत्रावली के न्यायनिर्णय के स्तर पर अभिमत दिया जायेगा। पुनः बी–90 अभियोजन द्वारा 65 बी प्रमाण पत्र क्यू–1 के सापेक्ष प्रस्तुत करते हुए पत्रावली पर लिये जाने तथा साक्षी आशीष कुमार सिंह से प्रमाणित करने की अनुमति चाही गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2021 को आदेश पारित करते हुए अनुमति प्रदान की गई तथा उस अनुक्रम में अभियोजन द्वारा क्यू–1 पर प्रस्तुत साक्ष्य 65 बी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सम्बन्धित साक्षी के माध्यम से प्रमाणित कराया गया था। दिनांक 25.10.2021 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त करते हुए अभियुक्त गण का बयान धारा 313 द0प्र0सं0 विरचित कर दिया गया तथा सफाई साक्ष्य के स्तर पर अभियोजन द्वारा पुनः अपने अपनी कमियों को दूर करने के आशय से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर क्यू–2 व एस–'1 के सम्बन्ध में 65 बी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उसे स्वीकार करने व उसे प्रमाणित कराने हेतु साक्षी को तलब करने की याचना की गई। अभियोजन द्वारा दिया गया यह प्रार्थनापत्र अर्जुन पण्डित की विधि व्यवस्था के पैरा–53 व 54 तथा 55 के विपरीत है। अतः अभियोजन को इस स्तर पर Lacuna fullfill

(अपनी कमियों को दूर करना) करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। ऐसे में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा मौखिक बहस करते हुए तर्क दिया गया कि चूंकि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अद्वतन विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 के अनुपालन में दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is the filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial begins- However, depending on the facts of each case. the court exercising discretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce such certificate at a later point in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventing serious or irreversible prejudice to the accused, so long as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certificate can be directed to be produced by the judge at any stage, so that information contained in electronic record form can then be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

साथ ही पूरक प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया है कि चूंकि क्यू–1 सी0डी0 के सम्बन्ध में जब प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था उस समय टी0एल0ओ0 राकाकांत तिवारी का स्थानान्तरण नई दिल्ली हो चुका था और उस दौरान कोविड काल में क्यू–2 व एस–1 के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दाखिल करना सम्भव नहीं था। चूंकि अब कोविड संक्रमण समाप्त हो चुका है। ऐसे में न्यायहित में उपर्युक्त विधि व्यवस्था के अनुपालन में प्रमाण पत्र पत्रावली पर लेकर सम्बन्धित साक्षी को तलब करने का निवेदन किया गया है। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि साक्षी गण की प्रति परीक्षा का पूर्ण अवसर बचाव पक्ष को मिलेगा जहॉ पर वह प्रमाण पत्र की वैधानिकता व प्रमाणिकता को प्रश्नगत कर सकता है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में क्रि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–26 में उद्वधित किया गया है कि–

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned here in above. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and,

therefore, it can be produced at a later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused is not prejudiced in any manner by taking on record the certificate under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion**.**

उभय पक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

सम्बन्धित प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बी–110 मय पूरक प्रार्थना पत्र संख्या बी– पर अभियुक्तगण/प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से विरोध इस बात का किया गया कि सी0बी0आई0 को अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर ही न्यायालय द्वारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र क्यू–1 के सन्दर्भ में प्रदत्त की गई थी। उक्त समय अभियोजन द्वारा क्यू–2 का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में इस स्तर पर यदि अभियोजन को क्यू–2 के सन्दर्भ में 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदत्त करने की अनुमति दी जाती है तो यह Lacuna fullfill (अपनी कमियों को दूर करना) करने जैसा होगा। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव के विरूद्व होगा। इस सन्दर्भ में अभियोजन का तर्क यह है कि अर्जुन राव पण्डित विधि व्यवस्था आने के उपरांत ही उनके द्वारा क्यू–1 के सन्दर्भ में 65 बी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उसे नियमानुसार साबित कराया गया। कोविड के संकम्रण एवं सम्बन्धित विवेचक के गैर राज्य स्थानान्तिरित हो जाने के कारण इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है, जो

उपरोक्त आपत्ति को दृष्टिगत रखते न्यायालय को इस सन्दर्भ में अपना अभिमत देना है कि **क्या अभियोजन को 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यू–2 के सन्दर्भ में अनुमति यदि प्रदान की जाती तो इसका परिणाम इस विचारण पर क्या होगा?**

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्तमान में पत्रावली सफाई साक्ष्य के स्तर पर नियत है। इस स्तर पर अभियोजन द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र प्रमाण पत्र 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम दाखिल किये जाने तथा उक्त 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को साक्षी द्वारा प्रमाणित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस विचारण में न्यायालय द्वारा पूर्व में भी अभियोजन को क्यू–1 के सन्दर्भ में अनुमति प्रदान की गई थी परनतु यह प्रार्थना पत्र अभियेाजन द्वारा क्यू–'2 सी0डी0 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने पर सीबीआई के लोक अभियेाजक द्वारा अपना स्पष्टीकरण पूरक प्रार्थना पत्र में देते हुए यह कथन किया है कि कोविड संक्रमण फैल जाने तथा विवेचक का लखनऊ से दिल्ली स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त समय क्यू–2 के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र नहीं दे पाये थे। सम्बन्धित प्रकरण ट्रैप की कार्यवाही से सम्बन्धित है जिसमें ट्रैप के दौरान की गई वार्तालाप एक आवश्यक साक्ष्य है, जो कि न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है। माननीय अर्जुन राव पण्डित की विधि व्यवस्था में इस सन्दर्भ में अभिमत प्रदत्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि विचारण के किसी भी स्तर पर 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अभियोजन द्वारा दिया जा सकता है। यहॉ पर पूर्व में प्रस्तुत न किये जाने के कारण को सी0बी0आई0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट भी किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि **नैस्रगिक न्याय के अनुसरण में बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य का 6 तिथियों पर अवसर प्रदान किया गया था** परन्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि तक उनके द्वारा अभी तक कोई सफाई

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में यदि इस स्तर पर अभियोजन को 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने व उसे साबित करने वाले साक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है तो बचाव पक्ष के पास यह विकल्प खुला रहेंगा कि वह उससे जिरह कर उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्ष्य को खंडित करने का भी अवसर बचाव पक्ष के पास प्राप्त है क्येांकि बचाव पक्ष के पास प्रति रक्षा साक्ष्य का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। धारा 311 द0प्र0सं0 का प्राविधान न्यायालय को यह सशक्त करता है कि श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर अवश्य उपलब्ध करायें, जो कि न्यायनिर्णय के लिए आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रकरण इलेक्ट्ानिक दस्तावेजी साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है। ऐसे में उपरोक्त समग्र विवेचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था अर्जुन राव पण्डित में दिये गये अभिमत से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मात्र विलम्ब के आधार पर अभियोजन को प्रश्नगत साक्ष्य को प्रस्तुत किये जाने नीं रोका जा सकता है। जहॉ तक प्रश्न serious of irreversibly prejudice to the accused सम्बन्धित प्रकरण में होने का है, इस सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभियुक्त को प्रस्तुत साक्षी से जिरह करने का और खंडित करने का अवसर प्रदत्त किया जायेगा। ऐसे में इस प्रकरण में परिस्थितियों में serious of irreversibly prejudice to the accused होने की सम्भवना इस प्रकरण में नहीं रह जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत in appropriate cases allow the prosecution to produce such certificate at a later poing in time subject to the balancing of the rights of the parties एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये अभिमत under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion**.** के आधार पर एवं उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों में अभियुक्तगण की आपत्ति में कोई बल नहीं है और सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–110 तथा समर्थन में प्रस्तुत पूरक प्रार्थना पत्र बी–बी–112 स्वीकार किया जाता है।

सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र को साबित करने वाले साक्षी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से निश्चित कराई जाये ताकि प्रकरण के विचारण में कोई विलम्ब न हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

आर.सी.नं0–2182022ए0005

28.4.2022

सीबीआई / एसी–3 / नई दिल्ली के पुलिस अधीक्षक श्री संतोष हदीमनी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अन्तर्गत धारा 120बी सपठित धारा 420 भा0द0 एवं धारा–7 पी.सी.ऐक्ट आर.सी.नं0–2182022ए0005 में एस आई अनिल कुमार को मुख्य विवेचक सुधाकर सिंह के सहयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दिया जाय।

प्रार्थना पत्र पर सीबीआई के लोक अभियोजक श्री विनीत कुमार को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र के पैरा–3 व 4 में विशिष्ट रूप से कथन किया गया है कि वर्तमान में सी.बी.आई.–3 शाखा में कुल 37 केस की विवेचना की जानी है। सभी मामले अत्यंत गम्भीर और वृहद है। मामले के विवेचक के पास भी उक्त के अलावा 4 और केस है। सीबीआई0, भा0द0सं0 और द0प्र0सं0 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वृहद जानकारी उप निरीक्षक अनिल कुमार को है और उक्त उप निरीक्षक को 5 वर्ष का अनुभव भी है। समर्थन में पुलिस अधीक्षक सी0बी0आई0 द्वारा पारित आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक सुधाकर सिंह का सहयोग करने की अनुमति प्रदान की जाय।

मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उप निरीक्षक अनिल कुमार को अन्तर्गत धारा 120बी सपठित धारा 420 भा0द0 एवं धारा–7

पी.सी.ऐक्ट आर.सी.नं0–2182022ए0005 की विवेचना में सहयोग करने की नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उप निरीक्षक अनिल कुमार को आर.सी.नं0–2182022ए0005 धारा 120बी सपठित धारा 420 भा0द0 एवं धारा–7 पी.सी.ऐक्ट के विवेचक सुधाकर सिंह को विवेचना में सहयोग करने की अनुमति नियमानुसार अन्तर्गत धारा 17 भ्र0निवा0 अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–3/2014

आर.सी.नं0–26ए/13

सी0बी0आई0 बनाम के0पी0 तिवारी आदि

26.4.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण उपस्थित है। अभियुक्ता संगीता शर्मा की मृत्यु के सम्बन्ध में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है। सी0बी0आई0 अभियुक्ता श्रीमती संगीता शर्मा की मृत्यु के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करें।

बचाव पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र बी–'120 पर बल न देने के कारण निरस्त किया गया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि सम्बन्धित पत्रावली में अभियुक्त अवनीश दुबे, गुरदीप सिंह, रीतेश रस्तोगी तथा अनीत शुक्ता की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सुनवाई हेतु लम्बित है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि उक्त उन्मोचिन प्रार्थना पत्रों पर उनकी ओर से आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उनकी ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र ड्रापिंग आफ प्रोसिंड प्रस्तुत करना है। जिसके लिए उन्होने लंच बाद के समय की मांग की।

पत्रावली लंच बाद प्रस्तुत हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

लंच बाद

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बी–130 प्रस्तुत किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। सी0बी0आई0 उक्त प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति दिनांक 12.5.2022 तक प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 12.5.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–4 / 2015

आर.सी.नं0– 0062015ए

सी0बी0आई0 बनाम श्रवण कुमार आदि

25.4.2022

पत्रावली आज आदेश में नियत है। सी0बी0आई0 की ओर से पूरक

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए धारा 65 बी प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए उसे पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से प्रस्तुत पूरक प्रार्थना पत्र की प्रति बचाव पक्ष के अधिवक्ता को प्राप्त कराई जाय। उक्त प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष को यदि आपत्ति प्रस्तुत करनी है तो नियत तिथि तक प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 29.4.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

06.09.2021

पूर्व तिथि दिनांक 19.08.2021 को उभय पक्ष को मौखिक रूप से सुना जा चुका था। सी0बी0आई0 की ओर से विधि व्यवस्था भी दााखिल की जा चुकी है। ऐसे में आज पत्रावली आदेशार्थ/निस्तारण हेतु नियत है। आदेश पारित किया जा रहा है।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थना पत्र बी–90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 65 बी प्रमाण पत्र को पत्रावली पर साक्ष्य में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त कथन करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 14.5.2015 को सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 में शिकायतकर्ता सचिन वर्मा की लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्तगण एन. पी.पी. सिंह तत्कालीन पी.आर.आई. पोस्ट आफिस महानगर व श्रवण कुमार पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट आफिस महानगर के विरूद्व दर्ज किया गया था तत्पश्चात दिनांक 15.5.2015 को अभियुक्त श्रवण कुमार को नरेश पाल सिंह के कहने परं रू0 10,000/–रिश्वत मांगने व स्वीकार करने के अपराध में रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। सत्यापनकर्ता अधिकारी आशीष सिंह इंसपेक्टर द्वारा वर्तमान में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत क्यु–1 सी0डी0 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसे कि पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है।

आपत्ति बी–95 अभियुक्त नरेश पाल सिंह की तरफ से प्रस्तुत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के अभाव में इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए गुण–दोष पर जाये बिना ही सी0बी0आई0 के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाय क्योंकि अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। नियत दिनांक को अभियोजन द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र जो कि विधि के अन्तर्गत शून्य है, प्रस्तुत किया गया। यह भी कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियोजन द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय अथवा समस्त गवाहों के बयान दर्ज होने तक धारा 65 बी का उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत अभियोजन द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी कर पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी उप धारा–4 में यह स्पष्ट रूप से यह प्राविधान करती है कि इलेक्ट्ानिक रिकार्ड के सम्बन्ध में जब बयान दर्ज किया जाय तो प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से पत्रावली पर मौजूद होना चाहिए। अपने कथनों के समर्थन में 2014(10) एस सी सी 473 पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर को उद्वधत करते हुए कथन किया गया कि इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इलेक्ट्ानिक साक्ष्य को धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उक्त आधारों

पर अभियोजन का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–26 में उद्वधित किया गया है कि–

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned hereinabove. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and, therefore, it can be produced at a later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused isnot prejudiced in any manner by taking on r3ecord the certificate under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion**.**

उपरोक्त विधि व्यवस्था के समर्थन में अद्यतन विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is the filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial beging- However, depending on the facts of each case. the court exerising diseretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce suchcertificate at a later poing in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventingserious or irreversible prejudice to theaccused, so ong as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certicicate can be directed to be produced by the judge at any stage, s that informatin coniained in electronic record form can thaen be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

बचाव पक्ष की ओर से पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर 2014(10) एस सी सी 473 एवं अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 की विधि व्यवस्था का सहारा लिया गया है।

उभयय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थना पत्र बी–90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 65 बी प्रमाण पत्र को पत्रावली पर साक्ष्य में लिये जाने की याचना की गई है। बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियोजन द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय अथवा समस्त गवाहों के बयान दर्ज होने तक धारा 65 बी का उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत अभियोजन द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी कर पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी उप धारा–4 में यह स्पष्ट रूप से यह प्राविधान करती है कि इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के सम्बन्ध में जब बयान दर्ज किया जाय तो प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से पत्रावली पर मौजूद होना चाहिए।

3

अपने तर्को के समर्थ में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था क्रि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के समय अर्जुन पंडित की विधि व्यवस्था यद्य पि उपलब्ध नहीं थी परन्तु अग्रेतर इस बिन्दु पर अर्जुन पंडित से और भी स्पष्टता आ गयी है कि धारा 311 द0प्र0सं0 का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर लिये जाने की मंशा रखते हुए 65 बी प्रार्थना पत्र को किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है। जहॉ तक बचाव पक्ष के पूर्वधारणा कारित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि मात्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने से ही उसे साबित नहीं मान लिया जायेगा और अभियोजन को उक्त प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणित करनी होगी तथा बचाव पक्ष के पास भी उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने वाले साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। बचाव पक्ष प्रमाण पत्र की वैधानिकता एवं प्रमाणिकता को विधितः प्रश्नगत भी कर सकता है। ऐसे में अभियेाजन को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा उसका साबित करने हेतु साक्ष्यों को आहूत किये जाने क प्रमाण पत्र को स्वीकार किये जाने में बचाव पक्ष को पूर्णधारणा कारित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्थओं के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में सम्बन्धित प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–90 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्ष्य एवं उसे जारी करने वाले साक्षी को न्यायालय के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि शीघ्र विचारण सम्पादित किया जा सके।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 23.9.21 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0— 1433/18

सी0बी0आई0 बनाम मुरारी उपाध्याय

19.4.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। अभियुक्तगण गुलाम रसूल अशरफ, शमशेर सिंह तथा विमलेश कुमार यादव उपस्थित है। अभियुक्तगण सूर्य नारायण अवस्थी, मुरारी उपाध्याय तथा सैययद काजिम रजा व उमेश प्रसाद जायसवाल की हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

अभियुक्त संजय निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में क्रि0 रिवीजन संख्या—1703/2019 में पारित आदेश दिनांकित 08.02.22 को जो आदेश पारित किया गया, उसकी सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई। उक्त आदेश के अनुसार अन्तरिम आदेश List in the next cause list में बढ़ाया गया। ऐसे में 6 माह का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रस्तुत आदेश अभी वैध व प्रभावी है, जैसा कि अभियुक्त संजय निगम के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है।

अभियुक्त ईश्वर चन्द अग्रवाल उपस्थित नहीं है और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित है और न ही उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ईश्वर चन्द्र अग्रवाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के अद्वतन स्थिति की प्रति ही दाखिल की गई है। ऐसे में सी0बी0आई0 के कोर्ट नायब को आदेशित किया जाता है कि वह अपने विभाग से अभियुक्त ईश्वर चन्द्र अग्रवाल की अद्वतन स्थिति स्पष्ट करे और उसके अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अभियुक्त ईश्वर चन्द्र अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से अद्वतन स्थिति दाखिल करें अन्यथा अगली तिथि पर उनके विरूद्व गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जायेगा।

पत्रावली दिनांक 20.5.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–633/18

दिनांक–04.04.2022

पत्रावली पुकारी गई। अभियुक्त राकेश सिंह उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों द्वारा हाजिरी माफी प्रस्तुत की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा यह सूचित किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा खारिज किये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र के विरूद्व क्रिमीनल रिवीजन एवं धारा–482 द0प्र0सं0 के तहत माननीयय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका येाजित की गई है जो अभी सुनवाई हेतु लम्बित है।

बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर यह भी स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भ में अद्यतन स्थिति स्पष्ट करें।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अगली तिथि पर सभी अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से आरोप विरचन हेतु उपस्थित रहेगें अन्यथा विवश होकर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करनी होगी।

पत्रावली दिनांक 21.4.2022 को आरोप विरचन हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–208 / 2022

डा0 राकेश गुप्ता बनाम् सी0बी0आई0

<u>दिनांक 21.03.2022</u>

आवेदक डा0 राकेश गुप्ता की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा अपने पूर्व जवाब के पैरा–3 में यह उल्लखित किया गया था कि प्रार्थी द्वारा फ्रिज्ड एकाउन्ट 681710100007909 और एफ.डी.आर. का उल्लेख नहीं किया गया था जिस हेतु सी0बी0आई0 को निर्देश नहीं दिया गया जबकि प्रार्थी द्वारा फ्रिज्ड एकाउन्ट और एफ0डी0आर0 को रिलीज करने हेतु पूर्व में ही आवेदन कर चुका है। अतः फ्रिज्ड एकाउन्ट 681710100007909 और एफ.डी.आर. को रिलीज करने हेतु सी0बी0आई0 और तदनुसार बैंक मैनेजर को निर्देशित किये जाने की याचना की गई है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपना जवाब बी–4 प्रस्तुत करते हुए मुख्यता पूर्व प्रस्तुत कथनों का ही उल्लेख किया गया है तथा फ्रिज्ड एकाउन्ट 681710100007909 और एफ.डी.आर. पर Not relied upon किया है और न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

चूंकि प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सीज्ड सम्पत्तियों को वापस किये जाने का आदेश किया जा चुका है। पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में फ्रिज्ड एकाउन्ट 681710100007909 और एफ.डी.आर. का उल्लेख नहीं किया गया था जिस कारण सी0बी0आई0 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई आख्या नहीं दी गई और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सी0बी0आई0 द्वारा कोई तथ्यात्मक विरोध भी नहीं किया गया है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3

स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 दिनांकित 28.2.2022 स्वीकार किया जाता है। आर.सी. नं0–0062016ए0002 से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित फिक्स्ड एकाउन्ट 681710100007909 और एफ.डी.आर. को नियमानुसार वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी डा0 राकेश गुप्ता को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित फिक्स्ड एकाउन्ट 681710100007909 और एफ. डी.आर. को नियमानुसार प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रार्थी डा0 राकेश गुप्ता से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–4/07

04.03.2022

पत्रावली पेश हुई। सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा लिखित रूप से मौका प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि सम्बन्धित बिन्दु पर न्यायालय द्व ारा भेजे गये पत्र पर स्पष्टीकरण सी0बी0आई0 द्वारा तैयार किया जा रहा है जो वह न्यायालय में एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगें।

अतः पत्रावली वास्ते आख्या सी0बी0आई0 दिनांक 10.3.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नंबर—1886 / 2021
आर0सी0 नंबर—2ए / 2015
धारा—7 एवं धारा 13(2) सपठित
धारा—13(1) (डी) पी.सी.एक्ट
थाना—सी0बी0आई0 / ए0सी0बी0, लखनऊ

28.2.2022

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृषित कराया गया कि दिनांक 25.2.2022 को सी0बी0आई0 बनाम सुनील कुमार यादव की पत्रावली में निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में अभियुक्त / दोषसिद्व सुनील कुमार यादव के स्थान पर सुनील यादव टंकित हो गया है। अतः अभियुक्त / दोषसिद्व के नाम में संशोधन किया जाय।

उक्त पर सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा भी अपनी सहमति दिया।

उभय पक्ष को सुना गया तथा निर्णीत पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध अभियुक्त का नाम सुनील कुमार यादव अंकित है जबकि निर्णय में लिपिकीय त्रुटिवश सुनील यादव टंकित हो गया है। जिसे तत्काल सशोधित करते हुए निर्णय एवं दी गई प्रति एवं अपलोडेड आर्डर में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर संशोधित निर्णय की प्रति अभियुक्त अधिवक्ता

को तत्काल प्रदान की जाय।सजायाबी वारंट भी तदनुसार संशोधित हो।
कार्यालय आदेश का अनुपालन तत्काल करना सुनिश्चित करें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1322/22
योगेश कुमार बनाम सी0बी0आई0

दिनांक–28.2.22

जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक उपस्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमानत प्रार्थना पत्र की पोषणीयता पर मुन्सरिम द्वारा आपत्ति लगाई गई है, जिसके सन्दर्भ में सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थना पत्र जमानत अभियुक्त योगेश कुमार द्वारा अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के लागू संशोधन दिनांकित 6 जून 2019 के प्राविधान के अनुसार मृत्यु दण्ड से सम्बन्धित अपराधों में धारा 438 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 भा0द0सं0 की धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा 364ए भा0द0सं0 मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः यह प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाय।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक को सुना तथा उत्तर प्रदेश सरकार के लागू संशोधन दिनांकित 6 जून 2019 के प्राविधान का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश सरकार के लागू संशोधन दिनांकित 6 जून 2019 के प्राविधान की **धारा–6** के उपबन्ध

(ख) ऐसे अपराधों, जिसमें मृत्युदण्डादेश अधिनिर्णित किया जा सकता है, पर लागू नहीं होगें।

भा0द0सं0 की **धारा–364ए–**

''जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है अथवा ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति का विरोध करता है, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है, अथवा

अपने आचरण द्वारा ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है अथवा ऐसे व्यक्ति को उपहति या मृत्यु, सरकार को(या किसी विदेशी राज्य अथवा अन्तर्राष्टीय अन्तर्शासकीय संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति) को किसी कार्य को करने या कार्य को करने से विरत रहने अथवा मुक्ति धन अदा करने के लिए बाध्य करने के उद्देय से कारित करता है, मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा''।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर अपना पक्ष रखने हेतु 10 दिन का समय मांगा है। जिस पर सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 10.3.2022 को प्रातः 11 बजे पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

10.01.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। स्वीकृत।

सम्बन्धित प्रकरण में अभियोजन साक्षी आज उपस्थित नहीं है। इस विषय में पृच्छा किये जाने पर कोर्ट नायब द्वारा बताया गया कि कोविड के भय के कारण साक्षी न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहे है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2022 को जिला एवं सत्र न्यायालयों

को नये दिशा निर्देश जारी किये है। उक्त दिशा निर्देश में साक्ष्य अंकित किया जाना उल्लिखित नहीं है। मात्र अर्जेन्ट प्रकृति के ही प्रकीर्ण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जब तक संक्रमण अत्याधिक है, उक्त काल में साक्षी न बुलाये जाने का अनुरोध किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि यदि साक्षी उपस्थित आते है तो भी वे कोविड संक्रमण के कारण उससे प्रतिपरीक्षा के लिए सम्भवतः उपस्थित नहीं होगें।

यद्यपि कि पूर्व में कोविड संक्रमण काल में इस प्रकरण में माननीय जिला जज महोदय से अनुमति लेकर साक्ष्य अंकित किया जा रहा था तथा पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में अतिशीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु प्रत्येक सोमवार को नियत की जा रही थी परन्तु वर्तमान में कोविड के बढ़ते संक्रमण तथा बचाव पक्ष द्वारा जिरह हेतु उपस्थित न होने की सम्भावना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी नये दिशा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 17.01.2022 को पेश हो।

दिनांक 17.01.2022 को यदि परिस्थितियों में सुधार होता है और बचाव पक्ष जिरह में सहयोग हेतु तत्पर होते है तो पुनः साक्षी को आहूत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1113/18

सी0बी0आई0 बनाम अभिषेक श्रीवास्तव

07.01.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव उपस्थित हैं।

अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बी–40 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.11.

2021 के अनुपालन किया जाय। समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई है साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश दिनांकित 02.12.2021 की भी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित पत्रावली को क्षेत्राधिकार के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

सी0बी0आई0 के नायब कोर्ट श्री पंकज कुमार द्वारा दिनांक 02.12.2021 को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 लखनऊ के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा अग्रसारित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.11. 2021 एवं अद्यतन संशोधित आदेश दिनांकित 02.12.2021 के अनुपालन में प्रश्नगत पत्रावली को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0 लखनऊ, में नियमानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

पत्रावली मय समस्त अभिलेख तैयार कर प्रेषित की जाय।

सम्बन्धित कम्प्यूटर अनुभाग भी नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक 25.01.2022 को अग्रिम आदेश हेतु पेश हो।

अधीक्षक, जिला कारागार सूचित हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

05.01.2022

प्रार्थी संतोष कुमार राय द्वारा शपथ पत्र दिनांकित 05.01.2022 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह स्व0 उमेश राय का पुत्र है। उसके पिता श्री उमेश राय द्वारा अभियुक्त दिनेश उपाध्याय की जमानत ली थी और जमानत में बंध पत्र के रूप में वाहन संख्या–यू0पी0 61–एल–3200 कार से सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया था। उसके पिता स्व0

उमेश राय की मृत्यु दिनांक 01.01.2021 को हो चुकी है। शपथपत्र के साथ पंजीकृत वसीयतनामा 12–10–2020 दाखिल किया गया है तथा स्वयं का आधार कार्ड की छाया प्रति भी संलग्न किया गया है।

उक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी स्व0 उमेश राय के पास उनके मृतक पिता द्वारा वसीयत दिनांक 12.10.2020 को निष्पादित किया गया है। प्रार्थी द्वारा वसीयतनामे की मूल भी प्रस्तुत की गई है। इस प्रार्थना पत्र के पूर्व किसी अन्य के द्वारा कोई दूसरा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में प्रश्नगत दस्तावेज को रिलीज करने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अतः जमानतनामे में संलग्न बंधपत्र के रूप में वाहन संख्या–यू0पी0 61–एल–3200 कार से सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रार्थी संतोष कुमार राय पुत्र स्व0 उमेश राय के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,

लखनऊ।

किमिनल केस नं0–502/2016

सी0बी0आई0 बनाम अरविन्द मिश्रा

<u>04.01.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अरविन्द मिश्रा स्वयं उपस्थित है।

पत्रावली सफाई साक्ष्य हेतु नियत है। पत्रावली में दिनांक 04.12.2021 को बयान धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित कर सफाई साक्ष्य हेतु नियत की गई थी। लगभग 1 माह का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा विभिन्न तिथियों पर विभिन्न आधारों पर अवसर प्राप्त किया जाता रहे है तथा पूर्व एक माह का समय व्यतीत हो चुका है।

अभियुक्त को नैसग्रिक न्याय के सिद्धांत के दृष्टिगत कई अवसर पूर्व में प्रदत्त किये जाते रहे है।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी अभियुक्त धारा बयान धारा 313 द0प्र0सं0 के स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवसर प्राप्त किया जाता रहा है तथा येनकेन प्रकारण पत्रावली को लम्बित रखा जाता रहा है।

मामले के तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए इस स्तर पर अभियुक्त को अतिरिक्त सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 17.01.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल प्रकीर्ण केस नं0–844/2021

डा0 उत्कर्ष बंसल बनाम् सी0बी0आई0

03.01.2022

प्रार्थी डा0 उत्कर्ष बंसल की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 Not Relied दस्तावेज/सम्पत्ति को रिलीज किये जाने हेतु मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसके विरूद्व विवेचना पूर्ण होने के उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। लॉकर नं0 1500 मुख्य शाखा इलाहाबाद बैंक हजरतगंज में संयुक्त नाम से है। सी0बी0आई0 द्वारा उसके आवास से 7 आइटम, जिनका उल्लेख संलग्नक लिस्ट में उल्लिखित है एवं लॉकर नं0 1500 को सीज किया गया था। उक्त का प्रस्तुत प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त लॉकर व 7 आइटम को रिलीज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने जवाब में मुख्यता यह कथन किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर सीबीआई द्वारा प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों एवं लॉकर को आवेदक के आवास से सीज किया गया था जिन पर relied upon नहीं किया गया। अतः उक्त दस्तावेजों एवं लॉकर के रिलीज किये जाने के बिन्दु पर सी0बी0आई0 द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

चूंकि सी0बी0आई0 द्वारा सीज किये गये दस्तावेजो एवं लॉकर को relied upon के साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा है और सम्बन्धित प्रकरण में भी विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है जिस पर भी संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे में सीज वस्तुओं को रिलीज किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है और न ही सी0बी0आई0 द्वारा तथ्यात्मक विरोध किया गया।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आर.सी.नं0–0062016ए0002 से सम्बन्धित दस्तावेज एवं लॉकर नं0 1500 स्थित मुख्य शाखा इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है, को नियमानुसार रिलीज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित दस्तावेज एवं लॉकर की चाभी को नियमानुसार प्राप्त करायेगा

तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल प्रकीर्ण केस नं0–733/2020

कमला देवी गुप्ता बनाम् सी0बी0आई0

03.01.2022

आवेदिका कमला देवी गुप्ता की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 5 लाख रूपये को रिलीज किये जाने हेतु मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि वह स्व0 नरेश चन्द्र गुप्ता की पत्नी है, जो बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर यूनिवर्सिटी में में ड्राइवर थे और प्रोफेसर विपिन सक्सेना के खास मित्र थे। आवेदिका के पति की मृत्यु दिनांक 22 अप्रैल 2020 को हो चुकी है। मृत्यु से पूर्व आवेदिका के पति ने विपिन सक्सेना को 5 लाख रूपये सुरक्षा की दृष्टि से रखने के लिए दिये थे और उक्त रूपयों को आवेदिका के पति ने अपने वेतन से तथा कृषि से प्राप्त किया था। आवेदिका के पति ने उसे बताया था कि उक्त 5 लाख रूपये सी0बी0आई0 द्वारा प्रोफेसर विपिन सक्सेना के मकान की तलाशी के दौरान सीज किया गया था। आवेदिका द्वारा सी0बी0आई0 आफिस में कई प्रार्थना पत्र दिये थे परन्तु उक्त रूपयों को रिलीज नहीं किया गया। आवेदिका को दिनांक 3 जुलाई 2017 से उक्त रूपयों पर ब्याज का भी नुकसान हो रहा है। अतः उक्त 5 लाख रूपयों को रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से जवाब बी–5 लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये अभियोग को वर्णित करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि प्रोफेसर विपिन सक्सेना के आवास से सर्च के दौरान 14 लाख रूपये सीज किये गये थे, जो कि आर0सी0संख्या–20ए/2017 का माल मुकदमाती है और प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उक्त के पश्चात आवेदिका द्वारा रिज्वाइंडर बी–6 दाखिल किया गया और पुनः सीज 5 लाख रूपये को रिलीज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदिका कमला देवी गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए 5 लाख रूपये, जिसे उसके पति ने अभियुक्त प्रोफेसर विपिन सक्सेना को सुरक्षा की दृष्टि से रखने के लिए दिया था, जिसे सी0बी0आई0 द्वारा तलाशी के दौरान सीज कर लिया गया था, को रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि उसके पति ने अभियुक्त विपिन सक्सेना को 5 लाख रूपये सुरक्षा की दृष्टि से दिये थे। अभियुक्त विपिन सक्सेना के आवास की तलाशी के दौरान 14 लाख रूपये बरामद किये जाने का कथन अभियोजन द्वारा किया गया है, जिस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्व विवेचनोंपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। उक्त बरामद रूपये आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण में माल मुकदमाती है जिस पर न्यायअभिमत आना शेष है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थना पत्र बी–3 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

आदेश

आवेदिका कमला देवी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–3 निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

सत्र परीक्षण संख्या–977 / 17

01.01.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुकतगण अकील, अमन सिंह, सत्यम पटेल, रोहित मिश्रा, विवेक वर्मा जेल से उपस्थित आये है तथा अभियुक्तगण बाबू खान, अजय पटेल, एवं फैसल जमानत पर उपस्थित है। साक्षी उपस्थित नहीं है। सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक की ओर से साक्षी के उपस्थित न आने के सम्बंध में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमन सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए दिनांक 29.10.2021 को पत्रावली को एक वर्ष के अन्दर निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया था। सम्बन्धित आदेश पत्रावली पर दिनांक 08.12.2021 को प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश आने के पूर्व भी इस न्यायालय द्वारा सम्बन्धित पत्रावली का विचारण करते हुए शीघ्रता से निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। उपरोक्त आदेश प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र निस्तारण की मंशा रखते हुए इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उभय पक्ष को सूचित करते हुए छोटी तिथि निश्चित की जा रही है तथा विचारण को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि सी0बी0आई0 द्वारा नियत की गई तिथियों पर साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया जार हा है जिससे विचारण बाधित होता है। सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि विचारण की प्रत्येक तिथि पर साक्षियों को परीक्षित कराना सुनिश्चित करें तथा बचाव पक्ष को निर्देशित किया जाता हे कि सम्बन्धित साक्षी से प्रतिपरीक्षा यथाशीघ्र करने का प्रयास करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप पत्रावली का निस्तारण निर्धारित समयावधि में किया जा सके। बचाव पक्ष और अभियोजन जिसके द्वारा भी विलम्ब कारित किया जाता है माननीय न्यायालय की अवमानना हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा।

अभियुक्त अकील अंसारी की सुरक्षा के सम्बन्ध में जिला कारागार हरदोई से आख्या प्राप्त हुई, जिसे पत्रावली पर रखा जाय।

सम्बन्धित पत्रावली दिनांक 05.01.2022 को साक्ष्य हेतु पेश हो। साक्षीगण तलब हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

<u>आदेश</u>

सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त द्वारा इस आशय के जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है कि इस मामले में अभियुक्त की धारा 411 भा0द0सं0 को छोड कर अन्य मामलो में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 30.11.2021 को जमानत स्वीकार की गई थी जिसकी सत्यापित प्रति अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कर दी गई थी। अभियुक्त द्वारा छूटी गई धारा 411 भा0द0सं0 में नया जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त धारा में भी अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को प्रदत्त कर दी गई है परन्तु सरवन मे बाधा होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की सत्यापित प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को प्राप्त नहीं हो पायी है। ऐसे में अधिवक्ता द्वारा कम्प्यूटर प्रति प्रस्तुत किया गया है जिसे कम्पयूटर से मिलान कर न्यायालय के समक्ष प्रति प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थना की गई कि कम्प्यूटर से मिलान कर प्रस्तुत की गई प्रति का सन्दर्भ गहण करते हुए पूर्व के जमानत आदेश एवं अद्यतन जमानत आदेश, जो कि एक ही मुकदमा अपराध संख्या में है, दोनों के लिए एक ही जमानत–नामा स्वीकार करने कृपा करे।

कार्यालय लिपिक द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई कि इस मामले में अभियुक्त की धारा 411 भा0द0सं0 को छोड कर अन्य मामलो में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 30.11.2021 को जमानत स्वीकार की गई थी जिसकी सत्यापित प्रति अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कर दी गई थी। अभियुक्त द्वारा छूटी गई धारा 411 भा0द0सं0 में नया जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त धारा में भी अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को प्रदत्त कर दी गई है परन्तु सरवन मे बाधा होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की सत्यापित प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को प्राप्त नहीं हो पायी है। ऐसे में अधिवक्ता द्वारा कम्प्यूटर प्रति प्रस्तुत किया गया है जिसे कम्पयूटर से मिलान कर न्यायालय के समक्ष प्रति प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय आख्या अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र

समर्थित शपथपत्र मय जमानतनामें समय लगभग 4.55 बजे प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया कथित तथ्य दस्तावेजों से समर्थित है। चूंकि दोनों जमानत आदेश एक ही प्रकरण में पारित किये गये है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 10—10 हजार रूपये की दो जमानते प्रस्तुत प्रकरण में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है वे अति शीघ्र धारा 411 भा0द0सं0 में पारित जमानत आदेश की सत्यापित प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

चूंकि सम्बंधित प्रकरण में 10—10 हजार रूपये की जमानत धनराशि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्तर से तय करते हुए जमानत स्वीकार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, ऐसे में सम्बन्धित अभियुक्त की रिहाई सत्यापन के अधीन करते हुए बंधपत्र दाखिल होने के उपरांत नियमानुसार प्रेषित की जाय। सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरांत प्राप्त आख्या मय जमानतदार न्यायालय में उपस्थित रहेगे।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

अंतिम आख्या संख्या—99/2021

सी0बी0आई0 बनाम अनूप कुमार गुप्ता आदि

आर.सी. न0—7ए/2015

नाम— प्रदीप कुमार सिंह उम्र— 37 साल, पेशा—सरकारी नौकरी, पिता का नाम—स्व0 राणा प्रताप सिंह निवासी—फ्लैट नं0—301, ब्लाक—ए,रोलेक्स स्टेट, कमता, लखनऊ ने आज दिनांक 07.12.2021 को सशपथ बयान किया कि—

प्रस्तुत प्रकरण में श्री विश्म्भर दीक्षित तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सी0बी0आई0/एस0सी0बी0 लखनऊ की तहरीर पर आर0सी0नं0—7ए/2015 पंजीकृत हुआ था तथा प्रकरण की विवेचना पूर्व विवेचक श्री अनिल कुमार तत्कालीन निरीक्षक द्वारा की गई थी। विवेचना के उपरांत सम्बन्धित सभी लोक सेवकों के विरूद्व कोई आपराधिक साक्ष्य न मिलने के कारण उनके द्वारा न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार करते हुए अग्रिम विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण की अग्रिम विवेचना मुझे सौंपी गई थी। दौरान अग्रिम विवेचना मैने पाया कि प्रश्नगत सामान की मौके पर अनुपलब्धता

सम्बन्धित लोक सेवकों के द्वारा उक्त सामान की देखभाल किये जाने में की गई लापरवाही के कारण हुई थी। अप्रयुक्त समान खुले में छोड दिया गया था जिसको अज्ञात व्यक्तियेां द्वारा दुर्विनियोग/चुरा लिया गया। जिसके लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। दौरान अग्रिम विवेचना यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0डी0 द्वारा नियत शेडयूल्ड की दर के अनुसार भी टेंडर जारी किया गया था। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में कोई वित्तीय हानि कारित नहीं हुई क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी कार्य के लिए अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार टेंडर प्रक्रिया में कोई आपराधिक भूमिका प्रकाश में नहीं आई। दौरान अग्रिम विवेचना इस मामले से सम्बन्धित सभी लोक सेवकों के विरूद्व कोई ऐसा साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिससे कि यह साबित हो सके कि उनके द्वारा शासकीय अभिलेखों में कूटरचना करके प्रश्नगत राजकीय हानि मु0–3,22,152/रुपये का आपराधिक दुविनियोजन किया गया हो। दौरान अग्रिम विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त सभी लोक सेवको द्वारा मनरेगा स्कीम के तहत निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु अप्रयुक्त सामान की सुरक्षा करने में लापरवाही बरती गयी थी जिसके लिए सी0बी0आई0 द्वारा सम्बन्धित लोक सेवकों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति पूर्व में ही की जा चुकी थी और शासन के पक्ष में की गई राजकीय हानि की वसूली की जा चुकी है। मेरे द्वारा भी अग्रिम विवेचना के दौरान सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में दर्ज किया गया तथा पत्रांक 1743 एवं 64 को संकलित किया गया था। मेरे द्वारा की गई अग्रिम विवेचना में भी उपरोक्त लोक सेवकों की कोई आपराधिक भूमिका प्रकाश में नहीं आई जिसके कारण मेरे द्वारा न्यायालय में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है। जिसे स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की जाती है।

साक्षी ने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज संख्या–ए–3/1 ता ए–3/14 को देखकर बताया कि यह मेरे द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है,जिन्हें बिंदु ए से चिन्हित किया गया। इस आख्या पर श्री देवेन्द्र सिह पुलिस अधीक्षक/शाखा प्रमुख सीबीआई/एससीबी के भी हस्ताक्षर है, जिनकी मैं पहचान व पुष्ट करता हूॅ। जिन्हें बिंदु बी से चिन्हित किया गया तथा अंतिम आख्या पर प्रदर्श–ग–1 डाला गया।

सुनकर तस्दीक किया।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

अंतिम आख्या संख्या–99/2021

सी0बी0आई0 बनाम अनूप कुमार गुप्ता आदि

आर.सी. न0–7ए/2015

07.12.2021

अंतिम आख्या प्रस्तुत हुई। प्रकरण के विवेचक प्रदीप कुमार सिह उपस्थित है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट वी0 दीक्षित पुलिस उपाधीक्षक सी0बी0आई0 द्वारा अनूप कुमार गुप्ता, राधेश्याम सिंह एवं डी0एन0 पाण्डेय के विरूद्व दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त लोकसेवकों के द्वारा रू0 3,08,557/– रूपये की राजकीय क्षति पहुॅचाई थी। इस प्रकरण के पूर्व विवेचक श्री अनिल कुमार निरीक्षक सी0बी0आई0/एस0सी0बी0 द्वारा विवेचना पूर्ण करने के उपरांत इस न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रकरण में अग्रिम विवेचना किये जाने का आदेश दिनांक 13.03.2020 को पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में सी0बी0आई0 निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा अग्रिम विवेचना की गई। उनके द्वारा दौरान अग्रिम विवेचना में पाया गया कि उक्त लोक सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का शासकीय अभिलेखों में कूटरचना कर प्रश्नगत हानि का आपराधिक दुर्विनियोग किया जाना प्रकाश में नहीं आया। उपरोक्त सभी लोक सेवकों द्वारा मनरेगा योजना के तहत अप्रयुक्त सामानों की सुरक्षा करने में लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग को उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु सी0बी0आई0 द्वारा संस्तुति की गई थी और उनके द्व ारा की गई लापरवाही के कारण हुई हानि की धनराशि की वसूली की जा चुकी है जिस कारण इस प्रकरण में कोई शासकीय हानि न होने तथा उपरोक्त सभी लोक सेवकों के विरूद्व कोई आपराधिक भूमिका न पाये जाने के कारण अग्रिम विवेचनोंपरात भी आरोपित लोक सेवकों के विरूद्व अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई।

उक्त अंतिम आख्या सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा अग्रसारित करते हुए न्यायालय में दाखिल किया गया।

इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री विशम्भर दीक्षित पुलिस उपाधीक्षक सी0बी0आई0/एस0सी0बी0 को बतौर सी0डब्लू0–1, श्री अनिल कुमार निरीक्षक सी0बी0आई0/एस0सी0बी0 को बतौर सी0डब्लू0–2 तथा निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह निरीक्षक को बतौर सी0डब्लू0–3 न्यायालय में उपस्थित हुए।

साक्षी विशम्भर दीक्षित सी0डब्लू0–1 को पूर्व में दिनांक 06.02.2018 को

परीक्षित कराया गया था। दौरान बयान इस साक्षी ने बताया था कि प्रस्तुत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ,लखनऊ के आदेश दिनांक 30.1.14 के अनुपालन में मनरेगा स्कीम के तहत महराजगंज जिले में 2009–10 के दौरान किये गये कार्यो के सम्बन्ध में प्राथमिक जॉच उसके द्वारा की गयी थी इस प्रारम्भिक जॉच के दौरान महुआरी टोला से मधुवन के घर तक (पिपरा ब्राहमण) से कुशहर के घर तक नाली व अन्य कार्य रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज महाराजगंज के द्वारा करवाया गया था। प्रारम्भिक जॉच में यह आया था कि इस कार्य के लिए ब्रिक बैलास्ट उच्च दर पर खरीदी गयी थी तथा कुछ

सामान जो कि इस काम के लिए खरीदा गया था तथा इस्तेमाल नहीं हो पाया था वह भी मौके पर नहीं था इन कारणों से प्रारम्भिक जॉच में प्रथम दृष्टया यह लगा था कि उक्त कार्य में रू0 308557/–के राजस्व की हानि हुई थी। इस कारण मेरे द्वारा सी.बी.आई.,एस.सी.बी.,लखनऊ के शाखा प्रमुख को शिकायती पत्र दिनांक 29.12.15 को दिया गया था एवं जिसमें ए.के.गुप्ता, आर.एस. सिंह, डी.एन.सिंह व अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुशंसा की गयी थी। उक्त शिकायत के आधार पर सी.बी.आई./एस.सी.बी., लखनऊ में केस दर्ज हुआ था उक्त केस की जॉच के पश्चात् विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय में अनूप कुमार गुप्ता, राधेश्याम सिंह दिग्विजय नाथ पाण्डेय के खिलाफ कोई भी अपराध कारित किया जाना न पाते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया था।

विवेचक निरीक्षक अनिल कुमार सी0डब्लू0–2 को भी परीक्षित कराया गया है। इस गवाह द्वारा यह बताया गया है कि राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत मुनहारि टोला गॉव में मधुबन के घर से कुसहर के घर तक नाली निर्माण, पुलिया नाला निर्माण किया जाना था। इस मामले में गड़बड़ी की शिकायत की गयी थी। विवेचना में यह पाया गया था कि प्रश्नगत प्रकरण में कुल धनराशि 3,22,152/–रूपये की राजस्व हानि एन0आर0एच0एम0 स्कीम के अन्तर्गत पायी गयी। परन्तु किसी नामजद लोक सेवक के विरूद्ध आपराधिक मामला नहीं पाया गया। उनके द्वारा प्रश्नगत कार्य में उनकी लापरवाही परिलक्षित हुई, जिसके लिए राजस्व हानि की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश शासन को वसूली हेतु सी.बी.आई. रिपोर्ट प्रेषित की गई और क्लोजर रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अन्तिम रिपोर्ट के साथ सी0डी0 एवं दस्तावेज उपलब्ध है।

न्यायालय द्वारा प्रकरण में क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त होने पर उससे सन्तुष्ट न होने पर अन्तिम रिपोर्ट अस्वीकार करते हुए प्रकरण में अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया गया था।

उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण की अग्रिम विवेचना निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को सौंपी गई जिन्होने अग्रिम विवेचना के दौरान आरोपित लोक सेवकों के विरूद्व आपराधिक कृत्य की कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण न्यायालय में पुनः अंतिम आख्या प्रस्तुत करते हुए उसे स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

तदुपरांत वादी मुकदमा विशम्भर दीक्षित बतौर सी0डब्लू0–1 को पुनः परीक्षित कराया गया। जिन्होने अपने सशपथ बयान में अपने पूर्व बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि सीबीआई/एससीबी द्वारा की गई पूरक विवेचना से पूर्णतः सन्तुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट/अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने में अनापत्ति किया है।

निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को सी0डब्लू0–3 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपने सशपथ साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि श्री विश्म्भर दीक्षित तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सी0बी0आई0/एस0सी0बी0 लखनऊ की तहरीर पर आर0सी0नं0–7ए/2015 पंजीकृत हुआ था तथा प्रकरण की विवेचना पूर्व विवेचक श्री अनिल कुमार तत्कालीन निरीक्षक द्वारा की गई थी। विवेचना के उपरांत सम्बन्धित सभी लोक सेवकों के विरूद्व कोई आपराधिक साक्ष्य न मिलने के कारण उनके द्वारा न्यायालय में अंतिम

3
रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार करते हुए अग्रिम विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण की अग्रिम विवेचना मुझे सौंपी गई थी। साक्षी ने अपने सशपथ साक्ष्य में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दौरान अग्रिम विवेचना प्रश्नगत सामान की मौके पर अनुपलब्धता सम्बन्धित लोक सेवकों के द्वारा उक्त सामान की देखभाल किये जाने में की गई लापरवाही के कारण होना पाया गया था तथा यह भी कहा कि चूंकि अप्रयुक्त समान खुले में छोड दिया गया था जिसको अज्ञात व्यक्तियेां द्वारा दुर्विनियोग/चुरा लिया गया। जिसके लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। दौरान अग्रिम विवेचना यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0डी0 द्वारा नियत शेडयूल्ड की दर के अनुसार भी टेंडर जारी किया गया था। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में कोई वित्तीय हानि कारित नहीं हुई क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी कार्य के लिए अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार टेंडर प्रकिया में कोई आपराधिक भूमिका प्रकाश में नहीं आई। दौरान अग्रिम विवेचना इस मामले से सम्बन्धित सभी लोक सेवकों के विरूद्व कोई ऐसा साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिससे कि यह साबित हो सके कि उनके द्वारा शासकीय अभिलेखों में कूटरचना करके प्रश्नगत राजकीय हानि मु0–3,22,152/रुपये का आपराधिक दुविनियोजन किया गया हो। दौरान अग्रिम विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त सभी लोक सेवको द्वारा मनरेगा स्कीम के तहत निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु अप्रयुक्त सामान की सुरक्षा करने में लापरवाही बरती गयी थी जिसके लिए सी0बी0आई0 द्वारा सम्बन्धित लोक सेवकों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति पूर्व में ही की जा चुकी थी और शासन के पक्ष में की गई राजकीय हानि की वसूली की जा चुकी है। साक्षी द्वारा अपने बयान में भी अग्रिम विवेचना के दौरान सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में दर्ज किया जाना स्वीकार किया गया तथा पत्रांक 1743 एवं 64 को संकलित किये जाने का भी कथन किया है तथा यह भी स्वीकार किया कि अग्रिम विवेचना में भी उपरोक्त लोक सेवकों की कोई आपराधिक भूमिका प्रकाश में नहीं आई जिसके कारण न्यायालय में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है। जिसे स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की जाती है।

साक्षी ने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज संख्या–ए–3/1 ता ए–3/14 अंतिम आख्या पर अपने हस्ताक्षर एवं श्री देवेन्द्र सिह पुलिस अधीक्षक/शाखा प्रमुख सीबीआई/एससीबी के हस्ताक्षरों की पुष्टि करते हुए अंतिम आख्या को प्रदर्श–ग–1 के रूप में साबित किया गया है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

प्रकरण के पूर्व विवेचक/निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा आरोपित लोक सेवकों के विरूद्व विवेचना में आपराधिक मामला बनना नहीं पाया गया बल्कि यह पाया गया था कि प्रश्नगत प्रकरण में कुल धनराशि 3,22,152/–रूपये की राजस्व हानि एन0आर0एच0एम0 स्कीम के अन्तर्गत पायी गयी। न्यायालय द्वारा उक्त क्लोजर रिपोर्ट से सन्तुष्ट न होने पर अन्तिम रिपोर्ट अस्वीकार करते हुए प्रकरण में अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया गया था। प्रकरण की अग्रिम विवेचना

4
निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा की गई जिन्होने भी अपनी अग्रिम विवेचना में पाया कि प्रश्नगत सामान की मौके पर अनुपलब्धता सम्बन्धित लोक सेवकों के द्वारा उक्त सामान की देखभाल किये जाने में की गई लापरवाही के कारण होना पाया गया था तथा यह भी कहा कि चूंकि अप्रयुक्त समान खुले में छोड दिया गया था जिसको अज्ञात व्यक्तियेां द्वारा चुरा लिया गया था और जिसके लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। दौरान अग्रिम विवेचना यह तथ्य भी पाया कि प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0डी0 द्वारा नियत शेडयूल्ड की दर

के अनुसार भी टेंडर जारी किया गया था। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में कोई वित्तीय हानि कारित नहीं हुई क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी कार्य के लिए अनुमोदित किया गया था। अग्रिम विवेचना में भी उपरोक्त लोक सेवकों की कोई आपराधिक भूमिका प्रकाश में नहीं आई। जिसके कारण न्यायालय में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है।

लोक अभियोजक को सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन से पाया कि इस प्रकरण के पूर्व विवेचक निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा आरोपित लोक सेवकों के विरूद्व आपराधिक मामला बनना नहीं पाया गया और अंतिम आख्या प्रस्तुत करते हुए उसे स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया था। इसी प्रकार की आख्या अग्रिम विवेचना करने वाले निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा भी प्रस्तुत किया गया कि अग्रिम विवेचना में भी उपरोक्त लोक सेवकों की कोई आपराधिक भूमिका प्रकाश में नहीं आई। जिसके कारण न्यायालय में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के वादी मुकदमा ने भी अंतिम आख्या से संतुष्ट होने पर उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं किया। चूंकि प्रकरण के दोनों विवेचको द्वारा आरोपित अभियुक्तगण की कोई आपराधिक भूमिका नहीं पाई गई है और उनके द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत क्लोजर रिपोर्ट/अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अंतिम आख्या संख्या–99/2021 आर0सी0 नं0–7ए/2015 में सी0बी0आई0/एस0सी0बी0 द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

गवाहों के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि 3,22,152 ⁄ –रूपये की राजस्व हानि हुई है तकनीकी स्वीकृति जिस दिनांक को कार्य के संबंध में निर्गत हुई उससे पूर्व ही टेण्डर सामान को खरीदने हेतु जारी किये गये है। कुछ गवाह ने यह भी बताया है कि तकनीकी स्वीकृति से पूर्व टेण्डर नहीं दिया जाना चाहिये था। जो सामान प्रयोग में नहीं आया है वह न मौके पर मिला और न ही उसका अन्यत्र उपयोग किसी अभिलेख से स्पष्ट हो पाया और इसी आधार पर विवेचक सी0डब्लू0–2 अनिल कुमार ने विवेचना के बाद यह सही पाया कि 3,22,152 ⁄ –रूपये की राजस्व हानि हुई है और राजस्व हानि के बावजूद कोई आपराधिक कृत्य नामजद व्यक्तियों के विरूद्ध विवेचना में नहीं पाया। सी0डब्लू01 एवं सी0डब्लू02 के बयान एवं अन्तिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जिस निर्माण कार्य का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण में हो रहा है उसमें डी0एन0पाण्डेय,जूनियर अभियन्ता, राधेश्याम सिंह, सहायक अभियन्ता एवं अनूप कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता थे। समस्त अभिलेख इन्हीं लोक सेवक के माध्यम से तैयार किये गये हस्ताक्षरित किये गये है और भुगतान भी किया गया है। 3 लाख रूपये से अधिक की राजकीय हानि भी हुई है।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1765 ⁄ 2018

सी0बी0आई0 बनाम डा0 उत्कर्ष बंसल आदि

07.12.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त डा0 उत्कर्ष बंसल उपस्थित है।

सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त उत्कर्ष बंसल की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी। इसके अतिरिक्त जितेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा दिनांक 4.12.2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.12.2021 की मूल सत्यापित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी। सम्बन्धित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र कुमार दीक्षित के विरूद्व No Coercive measure to be taken against the accused. आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित प्रकरण में कुछ अन्य अभियुक्तों द्वारा भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 438 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो भी इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। उनके अधिवक्ताओ द्वारा मौखिक रूप से यह सूचित भी किया गया कि उनके विरूद्व भी धारा 438 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्बन्धित पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 13.1.2021 को पेश हो।

इस दौरान अन्य अभियुक्त, जिन पर सम्मन की तामीला नहीं है, उनके विरूद्व पुनः सम्मन जारी कर उन पर तामीला सुनिश्चित किया जाय।सीबीआई तदनुसार पैरवी करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियत तिथि पर पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1765/2018

सी0बी0आई0 बनाम संदीप दयाल आदि

06.12.2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज साक्ष्य/जिरह हेतु नियत है। साक्षी प्रदीप पाण्डेय प्रातः 10.30बजे से न्यायालय में उपस्थित है। सम्बन्धित मामलें के अभियुक्त कम्पनी अधिवक्ता द्वारा सम्बन्धित साक्षी से जिरह नहीं किया जाना है, का अंकन पत्रावली के पुष्ट पर किया गया है। ऐसे में अभियुक्त कम्पनी से वास्ते जिरह निल किया जाता है।

अन्य अभियुक्त संदीप दयाल के अधिवक्ता द्वारा प्रातः 11 बजे अपने खराब स्वास्थय को लेकर मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

सम्बन्धित मामले में अन्य अभियुक्त रोहित शुक्ला उपस्थित है, परन्तु उनकी तरफ से जिरह करने हेतु उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। प्रातः 10.30 बजे से लेकर 12.30 बजे तक कई अवसरों पर पुकार कराया गया परन्तु अभियुक्त रोहित शुक्ला के वरिष्ठ अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नहीं आये और न ही उनके द्वारा कोई मौका प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित मामले में अभियुक्त रोहित शुक्ला का साक्षी प्रदीप पाण्डेय से जिरह का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जिरह शेष अभियुक्त दिनांक 09.12.2021 को पेश हो।

अभियुक्त संदीप दयाल को निर्देशित किया जाता है कि अगली तिथि पर साक्षी प्रदीप पाण्डेय से जिरह हेतु अपने अधिवक्ता के साथ प्रातः10.30बजे उपस्थित रहेगें।

पत्रावली नियत तिथि पर पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,
एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल प्रकीर्ण केस नं0–717/2020

मेसर्स ओम साई उद्योग इंडिया प्रा0 लि0 बनाम् सी0बी0आई0

<u>दिनांक 04.12.2021</u>

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 अन्तर्गत धारा 165(5) द0प्र0सं0 प्रस्तुत करते सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना के दौरान सर्च लिस्ट दिनांकित 01.12.2017 के माध्यम से जब्त किये गये दस्तावेजों को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह निवेदन किया गया कि आवेदक कम्पनी एच.डी.जी.सी. कान्टेक्ट कॉपर वॉयर ड्रान हिन्डालको से क्रय करते हुए उसे विक्रीत करने का व्यापार करती है। प्रस्तुत मामले में सी0बी0आई0 द्वारा प्रारम्भिक जांच 2ए/2017 सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 में पंजीकृत कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा जो भी दस्तावेज उससे चाहे गये थे उसे उसने समय समय पर जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 30.11.201 को नियमित वाद 27ए/17 पंजीकृत कर उसके आवास पर दिनांक 01.12.2017 को तलाशी लेते हुए सर्च लिस्ट में उल्लिखित दस्तावेजों को जब्त किया गया था, जिनका उल्लेख प्रार्थना पत्र के पर 4ए लगायत 4ई में किया गया है, जिनमें से उसके द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा 4ए ता 4ई में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां चाही गई है। आवेदक कम्पनी के निदेशकों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा विवेचना मे जांच अधिकारी का सहयोग किया गया है। आवेदक द्वारा यह

भी निवेदन किया गया है कि यदि न्यायालय उचित समझे तो मूल दस्तावेज अथवा उनकी प्रतियां उसके पक्ष में रिलीज किये जाने का आदेश दिया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन विधि व्यवस्था चरन सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट क्रि0 अपील नं0 363/2021, रतन बाबू लाल लाथ बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका क्रि0 अपील नं0 949/2021 एवं नेवादा प्रापर्टीज प्रा0 लि0 बनाम स्टेट आफ महाराष्टा क्रि0 अपील नं0 1481/2019 प्रस्तुत किया गया है।

सी0बी0आई0 द्वारा प्रतिउत्तर देते हुए संक्षिप्त कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट आलोक कुमार शाही उप पुलिस उपाधीक्षक की लिखित शिकायत के आधार पर 30.11.2017 को दर्ज हुई थी जिसमें कि आवेदक कम्पनी भी नामजद थी। दौरान विवेचना दिनांक 01.12.2017 को आवेदक कम्पनी के पते पर तलाशी ली गई थी और तलाशी के दौरान दस्तावेजों को सीज किया गया था। प्राप्त दस्तावेजों का उल्लेख सीजर मेमों में किया गया था। प्रकरण में अभी विवेचनाय प्रचलित है। आवेदक द्वारा जिन दस्तावेजों की प्रतियां चाही गयी है, यदि उन दस्तावेजों को अवमुक्त किया जाता है तो उससे जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में याचित मूल दस्तावेजों को रिलीज किये जाने का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

आवेदक कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दौरान विवेचना उसके पते पर दौरान तलाशी, सर्चलिस्ट दिनांकित 01.12.2017 के माध्यम से सीज किये गये दस्तावेजों में से प्रार्थना पत्र के पैरा–4ए लगायत 4डी दस्तावेजों की प्रतिया प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। चूंकि प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है, ऐसे में उक्त मूल दस्तावेजों को रिलीज किये जाने से जांच प्रभावित हो सकती है और प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सर्च लिस्ट संलग्नक–आई के परिशीलन से विदित है कि आवेदक कम्पनी को संलग्नक–आई लिस्ट में उल्लिखित दस्तावेजों की कोई भी प्रति प्रदान नहीं कराई गई है। इस बिन्दु पर सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक से पृच्छा भी की गई। ऐसे में यह स्पष्ट है कि सर्च के समय अभियुक्त के कब्जे से मूल एवं छाया प्रति, जो भी दस्तावेज उस समय उपलब्ध थे, उक्त सभी दस्तावेजों को सी0बी0आई0 द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था तथा आवेदक के पास किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति भी नहीं है, जैसा कि उसने अपने प्रार्थना पत्र में कथित किया गया है। बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उसके विरूद्व ई0डी0 की भी

कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। ऐसे में उसे अपनी प्रतिरक्षा हेतु दस्तावेजों की आवश्यकता है। नैसग्रिक न्याय के सिद्वांत को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि सम्बन्धित प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। आवेदक को वांछित दस्तावेजो की प्रतियां उपलब्ध कराने से कोई विधिक बाधा नहीं दर्शित होती है क्योंकि छाया प्रदान किये जाने से मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ या हेरफेर की कोई सम्भावना नहीं है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 आंशिक रूप से, प्रार्थना पत्र के पैरा–4ए से 4डी में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां दिये जाने के सम्बन्ध में, स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आर.सी. नं0–27(ए)/2017 से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र बी–3 के प्रस्तर–4ए से 4डी में वर्णित किया गया है, को नियमानुसार प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक को प्रार्थना पत्र बी–3 के प्रस्तर–4ए से 4डी में वर्णित दस्तावेजों को नियमानुसार प्राप्त करायेगा। पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–795/2021

प्रेमा नन्द मोइत्रा बनाम् सी0बी0आई0

<u>दिनांक 30.11.2021</u>

आवेदक प्रेमा नन्द मोइत्रा की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते प्रार्थना पत्र के पैरा–4 में वर्णित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में यह कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उसे फर्जी तरीके से नामित किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा एक बंच एल.आई.सी. पालिसी की रसीद, एक सेल डीड मूल रूप से दिनांकित 5 मई 2004, एक लॉकर की नं0–25 सिडींकेट बैंक Barrackpore Bravch, मूल एल.आई.सी. बांड एल.आई.सी. पालिसी नं0–424740856, 428218275, 425728180, 425745269, 421812119, एक्सिस बैंक के एकाउन्ट नं0 005010100592963 से सम्बन्धित ब्लैंक चेक नं0–091875 से 097880, एक चेक बुक एक्सिस बैंक एकाउन्ट नं0–436010100266574 से सम्बन्धित अनसाइन ब्लैंक चेक बुक नं0 426052 से 426060, एक फोटो कापी सेल डीड तथा एक बंच डाक्यूमेंट, जो कि विभिन्न रसीद है, को रिलीज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने जवाब में मुख्यता यह कथन किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर सीबीआई द्वारा प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थना पत्र के पैरा–4 में वर्णित दस्तावेजों को आवेदक के फ्लैट से सीज किया गया था जिन पर relied upon नहीं किया गया तथा याचिक दस्तावेज सी0बी0आई0 के मालखाना में सुरक्षित है। उक्त दस्तावेजों के रिलीज किये जाने के बिन्दु पर सी0बी0आई0 द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

चूंकि सी0बी0आई0 द्वारा सीज किये गये दस्तावेजो को relied upon के साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा है और सम्बन्धित प्रकरण में भी विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है जिस पर भी संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे में सीज वस्तुओं को रिलीज किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है

और न ही सी0बी0आई0 द्वारा तथ्यात्मक विरोध किया गया।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आर.सी.नं0–24(ए)/2014 से सम्बन्धित दस्तावेज, जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र बी–3 के प्रस्तर–4 में वर्णित किया गया है, को नियमानुसार वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक प्रेमानन्द मोइत्रा को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित दस्तावेज को नियमानुसार प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–810001/2009

29.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मनोज कुमार अवस्थी उपस्थित है। अभियुक्त नीना अवस्थी की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार किया गया।

सी0बी0आई0 की ओर से न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 10.03.2021 एवं 02.09.2021 के अनुपालन में पुनरीक्षण की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। सी0बी0आई0 को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अग्रिम नियत तिथि दिनांक 17.12.2021 तक सी0बी0आई0 द्वारा दाखिल पुनरीक्षण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि अगली नियत तिथि तक कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अभियोजन का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली में बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सी0बी0आई0 पर ही होगी।

पत्रावली दिनांक 17.12.2021 को अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

सी0बी0आई0 बनाम धर्मशील अग्रवाल आदि

केस नं0—1963 / 2019

29.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल एवं सम्राट चन्द्रा अनुपस्थित है। उनकी हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता दाखिल किया गया। सुना गया। जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

पत्रावली आज उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु नियत है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज विधि व्यवस्था को दाखिल करने हेतु नियत है, परन्तु विधि व्यवस्था दाखिल नहीं किया गया। पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि

व्यवस्था दाखिल नहीं किया गया। आदेश पारित किया गया। आदेश अलग प्रपत्र पर उपलब्ध हैं

<u>आदेश</u>

अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल एवं सम्राट चन्द्रा द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमशः बी–36 एवं बी–37 निरस्त किया जाता है। अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल के विरूद्व धारा– 120–बी भा0 द0 सं0 सपठित धारा–7 एवं 7 (ए) पी0 सी0 ऐक्ट तथा धारा–7 एवं 7 (ए) पी0 सी0 ऐक्ट में एवं अभियुक्त सम्राट चन्द्रा के विरूद्व धारा– 120–बी भा0 द0 सं0 सपठित धारा–7 एवं 7 (ए) पी0 सी0 ऐक्ट में आरोप विरचन हेतु पत्रावली दिनांक–03–01–2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल मि0 केस नं0–497/2021

आर.सी.नं0–0062020ए0005

ए0जी0फूड मार्ट एलएलपी द्वारा पार्टनर अरूण गोयल

बनाम् सी0बी0आई0

<u>02.11.2021</u>

आवेदक एजी फूड मार्ट की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके करन्ट एकाउन्ट नं0 50200013364547 स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक को एस.पी. ई0ओ0 डब्लू0 द्वारा अपराध संख्या–540/19 थाना हजरतगंज के प्रकरण में सीज्ड कर दिया गया था। अभिनव गुप्ता उक्त कम्पनी के एक पार्टनर है, परन्तु उन्होने कम्पनी से दिनांक 10.02.2019 को इस्तीफा दे दिया था। एस.पी. ई.ओ. डब्लू. अन्तर्गत धारा 102(2) द0प्र0सं0 के तहत सम्बन्धित न्यायालय में सूचना देने में असफल रहे। माननीय उच्च न्यायाय द्वारा एस0पी0 ई.ओ.डब्लू. द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 8541/2020 में सी0बी0आई0 के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि प्रकरण सी0बी0आई0 में पंजीकृत हो चुका है। सी0बी0आई0 द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत करन्ट एकाउन्ट को सीज्ड किया जा चुका है और आवेदक को धारा 457 द0प्र0सं0 के तहत उपचार प्राप्त है।कोविड 19 के कारण कम्पनी को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड रहा है। अतः उक्त करन्ट एकाउन्ट नं0 50200013364547 स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक को डीफ्रिज्ड किये जाने का निवेदन किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से जवाब बी–5 लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए संक्षेप में कहा गया है कि शुरूआत में यह प्रस्तुत मामला पुलिस थाना हजरतगंज में दिनांक 2.11.2019 को अपराध संख्या–540/19 के रूप में दर्ज हुआ था, बाद में ई.ओ. डब्लू. को प्रकरण स्थानान्तरित हुआ था। ई.ओ. डब्लू. ने यू0पी0 पुलिस से केस प्राप्त किया। प्रकरण में दो एफ0आई0आर0 प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता व सुधाशु द्विवेदी के विरूद्व दर्ज की गई

थी। ई ओ डब्लू द्वारा विवेचना के दौरान कुल 17 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और आरोप पत्र दिनांक 01.2.2020 को दाखिल किया गया तथा पूरक आरोप पत्र दिनांक 11.02.2020 को अभिनव गुप्ता के विरूद्व दाखिल किया गया। सी0बी0आई0 द्वारा उक्त अपराध की विवेचना 05.03.2020 को लेकर केस पंजीकृत किया गया था तथा वर्तमान में सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अग्रिम विवेचना की जा रही है। प्रकरण धनराशि मु0–2267.9 करोड रूपये की हेराफेरी किये जाने से सम्बन्धित है। जिसमें आवेदक कम्पनी की मुख्य भूमिका पाई गई है। सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

सी0बी0आई0 द्वारा पूर्व में दिनांक 03.09.2021 को एक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसमें आवेदक द्वारा याचित बैंक एकाउन्ट को डीफ्रिज्ड किये जाने का विरोध किया गया था तथा आपत्ति दर्ज की गई थी। सी0बी0आई0 द्वारा आपत्ति का आधार यह लिया था कि सम्बन्धित प्रकरण में अन्वेषण जारी रखना बताया गया था। उक्त के उपरांत इस न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्वारा क्रिमीनल अपील संख्या–949/2021 दिनांकित 06–09–2021 का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह कथित किया गया है कि The counter affidavit of the respondent seeks to suggest that they are in the process of filing an application under section 18A of the prevention of corruption Act, 1988, since the earlier authorization issued by the Government under Section 3 of the Criminal Law Amendment of Ordiance, 1994 was not in the form of the Government order. Be that as it may, on that account, it is not possible to sustain the freezing of the bank account of the appellant taking recourse to Section 102 Cr.p.c as the Prevention of Corruption Act is a code by itself. In view of the aforesaid position, the freezing of the account of the appellant cannot be sustained and is, accordingly, set aside. Conssequently, the impugned order is also set aside leaving open to the respondent to take such recourse in law as may be permissible. The appeal is allowed. The parties to bear their own costs.

उक्त सम्मानित निर्णय के प्रकाश में पुनः आख्या आहूत की गई। सी0बी0आई0 द्वारा नई आख्या प्रस्तुत करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है और प्रार्थना पत्र में वर्णित बैंक एकाउन्ट को डीफ्रिज्ड किये किये जाने का विरोध नहीं किया गया।

सम्बन्धित प्रकरण वर्ष 2019 का है और प्रकरण मे विवेचना जारी है। पूर्व में इस मामले की विवेचना ई.ओ.डब्लू. द्वारा भी की जा चुकी है परन्तु सम्बन्धित फर्म को अभी तक अभियुक्त नहीं बनाया गया, चूंकि सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 13.10.2021 को प्रस्तुत आपत्ति में प्रार्थी एजी फूड मार्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–3 का विरोध नहीं किया गया। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अद्यतन विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आर.सी.नं0–0062020ए0005 से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित एच.डी.एफ.सी. बैंक से सम्बन्धित करेंट एकाउन्ट को नियमानुसार संचालित करने की अनुमति निम्न

शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–
1– यह कि आवेदक सी0बी0आई0 के विवेचक को विवेचना में सहयोग देंगा,
2– विवेचक द्वारा तलब करने पर बैंक एकाउन्ट से सम्बन्धित विवरण बिना देरी किये, उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–554/2021

डा0 राकेश गुप्ता बनाम् सी0बी0आई0

दिनांक 01.11.2021

आवेदक राकेश गुप्ता की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा उसके आवास एवं आफिस स्थित मार्डन कोच फैक्टरी, लालगंज, रायबरेली में दिनांक 12.7.2016 को सर्च किया था और सी0बी0आई0 टीम द्वारा सीज्ड वस्तुओं को क्रम संख्या–1 से क्रम संख्या–8 पर सीजर मेमों दिनांकित 12.7.2016 में वर्णित किया गया था, जिसमें आई.सी.आई.सी.आई., यू.टी.आई. गोल्डन फारेस्ट, जनप्रिय आई.डी.बी.आई. एवं इलाहाबाद बैंक व बैंक आफ इंडिया के एफ.डी.आर. जो कि उसकी पत्नी श्रीमती गीता रानी, उसके पुत्र अंकुर गुप्ता के समक्ष सीज्ड किये गये थे तथा दिनांक 14.7.2016 को समय 1.20 पी.एम. पर सीजर मेमों में क्रम संख्या–1 से

कम संख्या–52 में वर्णित आर्टीकल्स को बैंक आफ इंडिया सदर ब्रांच लखनऊ से बैंक मैनेजर की उपस्थिति में सीज्ड किया गया था जिन्हें बैंक के लॉकर में रखकर लॉकर की चाभी सी0बी0आई0 द्वारा अपने पास रख ली गई थी। लॉकर में रखे जेवर उसके, उसकी पत्नी, उसकी बहू एवं पुत्री के है। सभी बांडस और एफ0डी0आर0 प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के नाम से है। सभी जेवर, एफ0डी0आर0 एवं बांड माल मुकदमा नहीं है और अधिकतर बांड व एफ0डी0आर0 की अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसकी प्रार्थी को आवश्यकता है। अतः उक्त सीज्ड आर्टीकल्स को रिलीज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने जवाब में मुख्यता यह कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण दिनांक 31.1.2016 को प्रार्थी व अन्य के विरूद्व अन्तर्गत धारा 120बी, 409, 420, 468, 471 भा0द0सं0 व धारा 13 (2) सपठित धारा 13(1)(डी) पी0सी0ऐक्ट के अन्तर्गत विनोद कुमार डिप्टी सीवीओ उत्तर रेलवे की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। दौराने विवेचना प्रार्थी के आवास व आफिस की तलाशी दिनांक 12.7.2016 को सी0बी0आई0 द्वारा ली गई थी। अभियुक्त के घर से लाकर की चाभी भी मिली थी। दिनांक 14.7.2016 को स्वतंत्र गवाहों के समक्ष लॉकर को खुलवाया गया था जिसके सम्बन्ध में सीजर मेमो बना कर लॉकर की चाभी सीबीआई द्वारा अपने पास रख ली गई थी।

विवेचना पूर्ण कर सीबीआई द्वारा प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त डा0 राकेश गुप्ता की सह अभियुक्त डा0 सुनीता गुप्ता व उनके पति डा0 राजीव गुप्ता के विरूद्व सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 23.5.2019 को आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त सह अभियुक्त डा0 सुनीता गुप्ता का सहयोगी रहा है। किन्त उक्त दोनों सीजर मेमो सी0बी0आई0 द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में relied upon नहीं किया गया, जिस कारण सी0बी0आई0 द्वारा न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सी0बी0आई0 द्वारा दाखिल आपत्ति के अंतिम पैरा में यह कथित किया गया है कि Sl. N0 1 to 52 were found in the locker and the same wee placed back in the locker in front of all the signatories to the memo. The locker key was taken back in CBI possession. /during investigatin of the instant case, a separate Disproportionate Assets case against co-accused Dr. Sunita Gupta and her husband Dr. rajiv Gupta was registered in CBI on 23-05-2019 u/s 109 IPC and 13(2) r/w 13(1)(e) of PC Act, 1988 vide RC08(A)/2019. Applicant Dr. Rakesh Gupta remained associated in RC02(A)/2016 with DR. Sunita Gupta. However, the search memo dated 12-07-2016 **was not relied upon by the CBI** along with chargesheets either in the instant case or in case RC08(A)/2019 तथा सम्बन्धित प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य आपराधिक वाद, जो कि आय से अधिक सम्पत्ति से सम्बन्धित है, दर्ज किया गया है। उस मामले की सह अभियुक्ता डा0 सुनीता गुप्ता है। डा0 सुनीता गुप्ता के पति डा0 राकेश गुप्ता के विरूद्व एक अन्य वाद दर्ज किया गया था परन्तु सर्च मेमो दिनांकित 12.7.2016 एवं दिनांक 14.7.2016 को relied upon की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऐसे में यह सी0बी0आई0 का यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उपरोक्त दोनों प्रकरण में सर्च दिनांकित 12.7.2016 एवं दिनांक 14.7.2017 के दौरान सीज किये गये वस्तुओं को relied upon के साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा गया। यहॉ यह भी महत्वपूर्ण है कि सी0बी0आई0 से की गई पृच्छा अभियोजन अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि आय से

अधिक सम्पत्ति से सम्बंधित अभियोग, जो कि डा0 सुनीता गुप्ता व उनके पति डा0 राकेश गुप्ता के विरूद्व दर्ज किया गया है, जिसमे कि विवेचना समाप्त हो चुकी है तथा उस पर संज्ञान भी लिया जा चुका है ऐसे में जबकि दोनों आर0सी0 में सीज की गई वस्तुओं को relied upon के साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा है और आय से अधिक सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरण में भी विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है जिस पर भी संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे में सीज वस्तुओं को रिलीज किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है और न ही सी0बी0आई0 द्वारा तथ्यात्मक विरोध किया गया।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आर.सी.नं0–0062016ए0002 से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित आर्टिकल्स, जो कि सीजर मेमों दिनांकित 12.7.2016 के क्रम संख्या– 1 से क्रम संख्या–8 में एवं सीजर मेमों दिनांकित 14.7.2016 के क्रम संख्या–1 से क्रम संख्या–52 में उल्लिखित है, को नियमानुसार वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी डा0 राकेश गुप्ता को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित आर्टीकल्स को नियमानुसार प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रार्थी डा0 राकेश गुप्ता से प्राप्त कर उसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

यद्यपि कि सम्बन्धित प्रकरण में सीज्ड वस्तुओं को relied upon के साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है फिर भी यदि सी0बी0आई0 चाहे तो उक्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करा सकती है। सम्बन्धित आदेश का अनुपालन 20 दिन के अन्दर किया जायेगा और अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेगें।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

1.11.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अरविन्द मिश्रा उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र बी–75 के हॉशिए पर Not pressed at this stage अंकित किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र को नॉट प्रेस किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र बी–75 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान धारा–313 द0प्र0सं0 हेतु दिनांक 18.11.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,
एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम,
लखनऊ।

29.10.2021

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के हाशिए पर अंकित किया गया कि This bail application not pressed by the counsil of applicant today with liberty to file a fresh a bail application.

अतः इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश,

एन्टी–करप्शन,

सी0बी0आई0, पश्चिम,

लखनऊ।

24.08.2022

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पर बल देने से इंकार किया गया

अतः बल न दिये जाने के कारण यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

21.10.2021

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि धारा 438 द0प्र0सं0 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–5191/2021 के मामले में दिश निर्देश जारी किया गया था। उक्त जारी दिशा निर्देश संशोधित किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका योजित की गई है। चूंकि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र भी इसी प्रकारण के है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्वारा संशोधित आदेश आ जाने के पश्चात ही सुनवाई किया जाना न्यायोचित होगा। न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष से यह अपेक्षा की गई कि धारा 438 द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 30 दिन में किया जाना वैधानिक प्राविधान है तथा प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए कहा गया। उनके द्वारा पुनः यह कहा गया कि अद्यतन स्थिति प्राप्त होने के उपरांत ही वे प्रार्थना पत्र पर बल देना चाहते है।

अतः उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत प्रार्थना पत्र में

आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। यद्यपि कि बचाव पक्ष द्वारा 15 दिन का समय मांगा गया परन्तु उन्हें एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। जमानत प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 29.10.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

21.10.2021

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि धारा 438 द0प्र0सं0 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–5191/2021 के मामले में दिश निर्देश जारी किया गया था। उक्त जारी दिशा निर्देश संशोधित किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका योजित की गई है। चूंकि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र भी इसी प्रकारण के है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्व ारा संशोधित आदेश आ जाने के पश्चात ही सुनवाई किया जाना न्यायोचित होगा। न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष से यह अपेक्षा की गई कि धारा 438 द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 30 दिन में किया जाना वैधानिक प्राविधान है तथा प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए कहा गया। उनके द्वारा पुनः यह कहा गया कि अद्यतन स्थिति प्राप्त होने के उपरांत ही वे प्रार्थना पत्र पर बल देना चाहते है।

अतः उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत प्रार्थना पत्र में आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। यद्यपि कि बचाव पक्ष द्वारा 15 दिन का समय मांगा गया परन्तु उन्हें एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। जमानत प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 30.10.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

29.10.2021

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के हाशिए पर अंकित किया गया कि This bail application not pressed by the counsil of applicant today with liberty to file a fresh a bail application.

अतः इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश,
एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–310/2021

आर.सी.नं0– 0062020ए0002

सी0बी0आई0 बनाम प्रकाश चन्द्र विद्यार्थी आदि

20.10.2021

आज अभियुक्त मिहीलाल की तरफ से जरिये अधिवक्ता एक वकालतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय लिपिक से आख्या तलब की गई। कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया जो लम्बित है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त मिहीलाल का वकालतनामा शामिल पत्रावली हो।

पत्रावली दिनांक 02.11.2021 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

13.10.21

सी0बी0आई0 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति करवा कर अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 के तहत लम्बित सभी जमानत प्रार्थना पत्रों पर रखी जाय तथा इसकी एक प्रति बचाव पक्ष को इस आशय के साथ प्राप्त कराई जाय कि सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–6835 / 21
जितेन्द्र कुमार दीक्षित बनाम सी0बी0आई0

12.10.2021

सम्बन्धित मामले में आज अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु नियत था परन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से यह अनुरोध किया गया कि सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु आगे की तिथि बढ़ा दी जाय। न्यायालय द्वारा उनसे यह अपेक्षा की गई कि सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण इसे 30 दिन के अन्दर ही निस्तारित किया जाना अनिवार्य है परन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित प्रकृति के अपराधों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अद्यतन विधि व्यवस्था में सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है। ऐसे में उन्हें उक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में तैयारी हेतु समय चाहिए तथा उनके द्वारा इस बिन्दु पर लिखित प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया। चूंकि बचाव पक्ष स्व–जोखिम पर प्रार्थना पत्र में स्थगन चाहता है, ऐसे में मामले के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा बचाव पक्ष के अनुरोध के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.21 की तिथि नियत की जाती है।

प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमीनल केस नं0–21/2010

सी0बी0आई0 बनाम शीशपाल सिंह एवं अन्य

8.10.2021

सम्बन्धित मामले में अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह बागरी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उनकी पुत्री प्रशस्ति

बागरी का यूनिवर्सिटी आफ यॉक, यूनाइटेड किंगडम में एल.एल.एम.कोर्स में हो गया है। उनके द्वारा एडमीशन से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत करते हुए न्यायालय से यह प्रार्थना की गई है कि उन्हें एडमीशन कराये जाने हेतु अपनी पुत्री के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

सी0बी0आई0 के पी0पी0 द्वारा मुख्य रूप से दो आधारों पर आपत्ति की गई, प्रथम यह कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई पता या निवास स्थान को अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया, जहॉ पर लंदन में वे रूकेगें तथा दूसरा यह कि एडमीशन से सम्बन्धित प्रपत्र में यह कहीं प्रदर्शित नहीं है कि पिता का अपनी पुत्री के साथ एडमीशन हेतु जाना अनिवार्य है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री अनुराग त्रिपाठी द्वारा प्रतिउत्तर देते हुए यह कथन किया गया कि किस विश्वविद्यालय में एडमीशन कराना है, उसके समर्थन में प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु अभी यह निश्चित नहीं है कि वे लंदन में कहॉ रूकेंगे इसलिए वहां के पते का उल्लेख नहीं किया गया।

सम्बन्धित मामले में कार्यालय की आख्या आहूत की गई। कार्यालय आख्या अनुसार जमानत आदेश में यह उल्लिखित नहीं है कि अभियुक्त के विदेश जाने पर रोक लगी है। मेरे द्वारा भी जमानत आदेश को तलब कर उसका अवलोकन किया गया। जमानत आदेश में ऐसी किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त दौरान विचारण भारत से बाहर नहीं जायेगा और न ही उसका पासपोर्ट जमा किया गया है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष का यह तर्क है कि जब से अभियुक्त जमानत पर है, उसके द्वारा कभी भी जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया तथा वह नियमित रूप से न्यायालय उपस्थित होता रहा है और लगातार विचारण में सहयोग कर रहा है। यह भी कहा गया कि अभियुक्त प्रोफेसर है तथा उसकी सेवा में अभी 9 साल शेष है तथा प्रतिमाह मु0–2.70 लाख रूपये वेतन मिलता है, जिसके समर्थन में वेतनपर्ची संलग्न किया है। सी0बी0आई0 द्वारा इस तथ्य का खंडन नहीं किया। यद्यपि कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में पिता/अभियुक्त का पुत्री के साथ उसके एडमीशन के लिए जाना अनिवार्य होने का उल्लेख नहीं है परन्तु भारतीय परिवेश में पुत्री का प्रथम अवसर पर विदेश जाने पर अपनी पुत्री की सुरक्षा के दृष्टि से एक पिता का अपनी पुत्री के साथ जाना स्वाभाविक आचरण है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है–

1– अभियुक्त इस आशय का अन्डरटेंकिग प्रस्तुत करे कि वह किस तिथि

को भारत से लंदन जायेगा एवं लंदन से भारत किस तिथि का वापस आयेगा, इसकी सम्पूर्ण जानकारी से न्यायालय को अवगत करायेंगा।

2— अभियुक्त इस आशय की भी अन्डरटेंकिग प्रस्तुत करें कि उसकी अनुपस्थिति में विचारण बाधित नहीं होगा तथा उसके अधिवक्ता द्वारा विचारण में सहयोग किया जायेगा।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमीनल केस नं0—370/2020

07.10.2021

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मनोज अग्रवाल, जिसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसकी रिहाई आदेश कल दिनांक 06.10.2021 को आरोप पत्र में उल्लिेखित पते के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रेषित की गई थी, जिस पर जिला कारागार द्वारा इस आशय की आपत्ति लगा कर वापस कर दिया गया कि अभियुक्त के वारंट पर पिता का नाम व पता सही अंकित नहीं है अपितु दूसरा पता तथा पिता का नाम अंकित है। इस बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पिता का नाम व पता संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर सीबीइआई की आख्या तलब की गई, जिस पर सीबीआई के विवेचक गौरव प्रकाश द्वारा आख्या प्रेषित की गई कि यद्यपि कि अभियुक्त का ईओडब्लू द्वारा आरोप पत्र में अभियुक्त के पिता का नाम जवाहरलाल अग्रवाल एवं पता 32/115, सेक्टर—3, रोहणी, दिल्ली—110035 अंकित है परन्तु अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में पिता का नाम रामनाथ अग्रवाल तथा पता 1326 वैडवाडा मलीवाडा नई सडक दिल्ली जीपीओ उल्लिेखित किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित पिता का नाम व दिये गये पते को ही सत्यापन के दौरान सही पाया गया है तथा जमानतनाते पर सत्यापन आख्या भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त के आधार पर सीबीआई द्वारा रिहाई आदेश में सत्यापित पिता का नाम व पता 1326 वैडवाडा मलीवाडा नई सडक दिल्ली जीपीओ पर भेजे जाने का अनुरेाध किया गया है।

अतः अभियुक्त के रिहाई आदेश में अंकित पिता का नाम व पते को संशोधित किया जाता है और उसमें पूर्व में अंकित पता 32/115, सेक्टर—3, रोहणी, दिल्ली—110035 के स्थान पर अभियुक्त का पता 1326 वैडवाडा मलीवाडा नई सडक दिल्ली जीपीओ संशोधित किया जाता है तथा पूर्व में अंकित पिता का नाम जवाहरलाल अग्रवाल के स्थान के रामनाथ अग्रवाल संशोधित किया जाता है।

तदनुसार रिहाई परवाना संशोधित हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

कि0 अपील संख्या–47 / 2021

6.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। कोई उपस्थित नहीं है। उभय पक्ष को नोटिस जारी हो। सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–6339 / 2021

06.10.2021

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उनके द्वारा आज की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नई विधि व्यवस्था, नये तथ्य एवं नये आधार प्रस्तुत करने हेतु पूरक शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहते है, जिसके लिए समय की याचना की तथा मौखिक रूप से 10 दिन का समय चाहा।

सी0बी0आई0 की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना गया।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 के तहत बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 06.09.2021 को न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसे एक माह के अन्दर ही निस्तारित करना आवश्यक है। परन्तु आज बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 के समर्थन में नई विधि व्यवस्था एवं पूरक शपथपत्र दाखिल करने हेतु 10 दिन के समय की मांग की गई, चूंकि बचाव पक्ष स्वयं ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए समय की मांग की गई है। अतः न्यायहित में बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है और सुनवाई हेतु दिनांक 19.10.21 की तिथि नियत की जाती है।

जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 19.10.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0—25/03

06—10—2021

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री वीर श्रीवास्तव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उनके   द्वारा न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या—6480/19 में पारित आदेश दिनांकित दिनांक 18.06.2021 से अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 में प्राप्त आदेश से अग्रिम नियत तिथि तक विस्तारित कर दिया गया था। उक्त आदेश की सत्यापित प्रति न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। कोरोनाकाल में सभी अन्तरिम आदेश को 6 माह के लिए विस्तारित कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश की कम्प्यूटर से निकाली हुई स्व प्रमाणित प्रति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावी एवं वैध है।

बचाव पक्ष द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि अक्टूबर माह में 11.10.21 से दशहरा अवकाश है। अतः उपरोक्त के बाद की तिथि नियत किये जाने की याचना की गई।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पत्रावली में दिनांक 28.10.21 की तिथि नियत की जाती है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0—27/03

06—10—2021

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप त्रिपाठी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उनके द्वारा न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या—7709/19 में पारित आदेश दिनांकित दिनांक 04.02.2021 से अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 में प्राप्त आदेश से अग्रिम नियत तिथि तक विस्तारित कर दिया गया था। उक्त आदेश की सत्यापित प्रति न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। कोरोनाकाल में सभी अन्तरिम आदेश को 6 माह के लिए अगस्त माह तक के लिए विस्तारित कर दिया गया था। उक्त के उपरांत अभियुक्त को ब्रेन स्ट्रोक हो जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष औपचारिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसे भी अति शीघ्र ही प्रस्तुत कर उसके परिणाम से न्यायालय को अवगत करायेंगे।

उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को इस बिन्दु पर अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि सम्बन्धित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से यदि कोई अद्यतन प्रभावी आदेश है, तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत करें अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Asian resurfacing of road agency {vt Ltd Vs CVI में पारित आदेश के तहत पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी। बचाव पक्ष द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि अक्टूबर माह में 11.10.21 से दशहरा अवकाश है। अतः उपरोक्त के बाद की तिथि नियत किये जाने की याचना की गई।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पत्रावली में दिनांक 28.10.21 की तिथि नियत की जाती है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्राइम नं0–540/2019

आर.सी.नं0– 0062020ए0005

सी0बी0आई0 बनाम प्रवीण कुमार गुप्ता आदि

05.10.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विवेचक संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में अग्रिम विवेचना प्रचलित है तथा पूर्व में ई.ओ. डब्लू. द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय मूल दस्तावेज न्यायालय में जमा किये जा चुके थे, जिनमें से संजय अग्रवाल से सम्बन्धित दस्तावेज सीपीएफ ट्रस्ट से सम्बन्धित मिनटस आफ मीटिंग दिनांक 22/24.3.2017 व मूल स्वीकृत हस्तलेख, ए–1 से ए–15, सम्मिलित है, अग्रिम विवेचना के दौरान सन्देही संजय अग्रवाल द्वारा उक्त सीपीएफ ट्रस्ट से सम्बन्धित मिनटस आफ मीटिंग दिनांक 22/24.3.2017 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया गया है तथा संजय अग्रवाल के नमूना हस्ताक्षर भी लिये जा चुके है, जिन्हें कि प्रश्नात्मक दस्तावेज, सीपीएफ ट्रस्ट से सम्बन्धित मिनटस आफ मीटिंग दिनांक 22/24.3.2017 व स्वीकृत हस्तलेख के साथ परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस कारण उक्त दस्तावेज, जो पत्रावली पर दाखिल है, को वापस करने की अनुमति चाही गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यालय लिपिक से आख्या प्राप्त की गई।

कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित क्रम संख्या–7 में क्रमांक–1(क्यू–1) दिनांकित 24.3.2017 में 3 वर्क एवं बोर्ड मीटिंग रजिस्टर ए–1 से ए–15 इस न्यायालय में प्राप्त कराया जा चुका है, जो कि उपलब्ध है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

सी0बी0आई0 के विवेचक संदीप कुमार पाण्डेय स्वयं उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र के पैरा–7 में वर्णित दस्तावेजों को अग्रिम विवेचना हेतु चाहा गया है और कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार प्रार्थना पत्र के पैरा–7 में वर्णित दस्तावेजों को न्यायालय में प्राप्त कराया जा चुका है। ऐसे में जब कि विवेचक द्वारा उपरोक्त कथित दस्तावेज को अग्रिम विवेचना में साक्ष्य संकलन हेतु आवश्यक बताया गया है। सम्बन्धित दस्तावेज विवेचक को दिये जाने हेतु, इस स्तर पर, कोई विधिक बाधा नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि दिये जाने वाले दस्तावेजों की छाया प्रति करा कर उसे पत्रावली पर सुरक्षित रखे तथा विवेचक को नियमानुसार मूल दस्तावेज उपलब्ध

करा कर पावती प्राप्त कर उसे पत्रावली में सुरक्षित रखे।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

दिनांक 01–10–2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। अभियुक्त राहुल गुप्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है शेष अभियुक्तगण ऋषभ कन्नौजिया, संजीव कुमार सिंहा, अरूण कुमार श्रीवास्तव एवं नरेन्द्र पाण्डेय की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिए स्वीकृत है।

पत्रावली आज उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु नियत है। आदेश सुनाया गया। अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।सभी

अभियुक्तगण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश अलग–अलग प्रपत्र पर उपलब्ध है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक 01.11.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–994/2020

आर.सी.नं0– 219–2017ई0007

सी0बी0आई0 बनाम मेसर्स के.सी.इन्फ्राबेल्ड प्रा0 लि0 आदि

28.09.2021

पत्रावली पेश हुई।

आज अभियुक्त रिषीराज श्रीवास्तव की तरफ से एक प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय लिपिक से आख्या तलब की गई। कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया जो लम्बित है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त रिषीराज श्रीवास्तव का वकालतनामा शामिल पत्रावली हो।

पत्रावली नियत तिथि दिनांक 26.10.2021 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–29 / 2003

सी0बी0आई0 बनाम राजकुमार बंसवाल

28.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण राजकुमार बंसल एवं प्रेमचन्द बंसल की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिए स्वीकृति।

अभियुक्त राजकुमार बंसल के अधिवक्ता की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त राजकुमार बंसल की मृत्यु होने की जानकारी कोविड–19 होने के कारण नहीं हो सकी जिस कारण वे अभियुक्त की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते रहे। अभियुक्त राजकुमार बंसल की मृत्यु दिनांक 15.11.2019 को हो चकी है जिसकी जानकारी आज पैरोकार के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सी0बी0आई0 की ओर से बी–14 पत्र जारी करते हुए अभियुक्त आर.के. बंसल की मृत्यु से सम्बन्धित प्रपत्रों को सत्यापित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर बी–14/2 ए.एस.आई. मान सिंह की आख्या, बी–14/3 व 4 राजकुमार बंसल का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक 13.8.2021 को सत्यापनकर्ता मान सिंह ए.एस.आई. न्यायालय में उपस्थित आये और उन्होने सशपथ बयान किया कि वे राजकुमार बंसल की मृत्यु आख्या के सत्यापन हेतु पारस अस्पताल पंचकुला हरियाणा गया था वहॉ पर डा0 ए0 त्यागी द्वारा रिकार्ड चेक कर के बताया कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 20.11.2019 को इसी अस्पताल मे हो गयी थी। साक्षी एम.सी. आफिस भी अभियुक्त की मृत्यु का सत्यापन कराने गया था। साक्षी द्वारा अभियुक्त राजकुमार बंसल की मृत्यु से सम्बंधित अभिलेखों को सत्यापित करते हुए न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसे पत्रावली पर लिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्षी सी0डब्लू0–1 के बयान से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त राजकुमार बंसल की मृत्यु दिनां 20.11.2019 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त राजकुमार बंसल के विरूद्व कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है और अभियुक्त राजकुमार बंसल की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

शेष अभियुक्तगण के विरूद्व कार्यवाही लम्बित है।

पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 21.10.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–376/2021

आर.सी.नं0– 0062016ए0002

सी0बी0आई0 बनाम यू0 बंसल आदि

13.09.2021

पत्रावली पेश हुई।

आज अभियुक्त उत्कर्ष बंसल की तरफ से एक प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय लिपिक से आख्या तलब की गई। कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया जो लम्बित है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त उत्कर्ष बंसल का वकालतनामा शामिल पत्रावली हो।

पत्रावली दिनांक 18.09.2021 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–376 / 2021

आर.सी.नं0– 0062016ए0002

सी0बी0आई0 बनाम यू0 बंसल आदि

20.09.2021

पत्रावली पेश हुई।

आज अभियुक्त जितेन्द्र कुमार दीक्षित की तरफ से एक प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय लिपिक से आख्या तलब की गई। कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया जो लम्बित है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार दीक्षित का वकालतनामा शामिल पत्रावली हो।

पत्रावली दिनांक 13.10.2021 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

Criminal Appeal No. 949 of 2021(Arising ut of SLP(Cri) No 2987/2021) Ratan Babulal Lath vs The State of Karnataka

The only question which we are examining is whether the attachment of bank account of the appeant is sustainable in exercise of powrs under Section 102 Cr.P.C. The counter affidavit of the respondent seeks to suggest that they are in the proces of filing an application under Section 18A of the prevention of Corruptin Act, 1988, since the earlier authorization issued by the Government under Section 3 of the Criminal Law Amendment of Ordinance,1944 wa not in the form of the Government Order. Be that a it may, on that account, it is not possibe to sustain the freezing of the bank account of the appllant taking recourse to Section 102 Cr.P.C. as the preventin of Corruption Act is a Code by itself. I(n view of the aforeaid poition, the freeing of the account of the appellant cannot be sustained and is, accordingly, set aside. consequently, the impugned order is also set aside leaving open to the respondent to take such recourse in law a may be permissible.

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1113/2018

आर.सी.नं0– 4(एस)/2010

सी0बी0आई0 बनाम अभिषेक श्रीवास्तव

17.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव जेल से उपस्थित आया।

सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र बी–36 प्रस्तुत किया गया कि मूल पत्रावली कि0 केस नं0–5/11 से दिनांक 21.06.18 को अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव के फरार हो जाने के कारण पृथक हो गयी थी। कि0 केस नं0–5/11 की पत्रावली में पी0डब्लू0–1 से पी0डब्लू0–16 तक के गवाहों की साक्ष्य पूर्ण हुई थी। अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव गिरफ्तार होने के बाद कि0 केस नं0 1113/18 के प्रकरण में दिनांक 08.01.20 से न्यायिक अभिरक्षा जेल में है। तदुपरांत पी0डब्लू0–17 से पी0डब्लू0–19 के साक्षियों की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है। अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू0–16 से जिरह करने से इंकार करने के उपरांत दिनांक 15.2.20 को साक्षी से अभियुक्त को जिरह करने का मौका समाप्त किया गया। चूंकि प्रश्नगत पत्रावली कि0 केस नं0–1113/18 एंव कि0 केस नं0–5/11 आर0सी0 नं0–04(एस)/2010 ये ही सम्बन्धित है। अतः कि0 केस नं0 5/11 में अंकित साक्षी पी0डब्लू0–1 से पी0डब्लू0–16 को कि0 केस नं0 1113/2018 में अभियुक्त के बयान धारा 313 द0प्र0सं0 के लिए एवं न्यायनिर्णयन के लिए न्यायहित में रखा जाय। जिस पर बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना गया

कि0 केस नं0–1113/18 की पत्रावली मूल पत्रावली कि0 केस

नं0–5/11 से दिनांक 21.06.18 को अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव के फरार हो जाने के कारण पृथक की गई थी। कि0 केस नं0–5/11 की पत्रावली दिनांक 15.2.19 को निर्णीत हो चुकी है। कि0 केस नं0–5/11 की पत्रावली में साक्षी पी0डब्लू0–1 से पी0डब्लू0–16 की साक्ष्य पूर्ण हुई है। अतः कि0 केस नं0–5/11 में अंकित साक्षियों पी0डब्लू0–1 ता पी0डब्लू0–16 को कि0 केस नं0 1113/18 की पत्रावली के न्यायनिर्णयन हेतु कि0 केस नं0 1113/18 की पत्रावली में पढ़ा जाना आवश्यक है। तदनुसार प्रार्थना पत्र बी–36 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली एग्जाई होने के पश्चात लंच बाद अभियुक्त के बयान धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–599/2021

श्रीमती रानी मिश्रा बनाम् सी0बी0आई0

15.09.2021

आवेदक रानी मिश्रा की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके एकाउन्ट नं0 15104000454667 स्थित आई.डी. बी.आई. बैंक हजरतगंज ब्रांच,एकाउन्ट नं0–5013562638 सिटी बैंक, हजरतगंज ब्रांच एवं 1366769959 सेन्टल बैंक आफ इंडिया लखनऊ में संचालित है। बचत खाता संख्या– 15104000454667 स्थित आई.डी.बी.आई. बैंक हजरतगंज ब्रांच को ई.ओ.डब्लू. के पत्र दिनांकित 12.11.2019 द्वारा सीज्ड किया गया था तथा बचत खाता संख्या– 1366769959 सेन्टल बैंक आफ इंडिया लखनऊ

एकाउन्ट नं0–5013564363 सिटी बैंक, हजरतगंज ब्रांच को अभियेाजन द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण सीज्ड किया गया था। उसका बैंक एकाउन्ट जल्दी में बिना किसी साक्ष्य सीज्ड किया गया है और अभियोजन पक्ष उसके बैंक एकाउन्ट को अपराध से क्या सम्बन्ध है, को साबित करने में असफल रहा है। धारा 102 द0प्र0सं0 का अनुपालन भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त बैंक एकाउन्ट का लाभार्थी है और उसे संचालित करने के लिए अधिकृत है। बैंक एकाउन्ट को संचालित न होने से उसे अपूर्णनीय क्षति हो रही है। बैंक एकाउन्ट को खोलने के लिए न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः उक्त सीज्ड बैंक एकाउन्ट को उसके पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

सी0बी0आई0 की ओर से जवाब बी–5 लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए संक्षेप में कहा गया है कि शुरूआत में यह प्रस्तुत मामला पुलिस थाना हजरतगंज में दिनांक 2.11.2019 को अपराध संख्या–540/19 के रूप में दर्ज हुआ था, बाद में ई.ओ. डब्लू. को प्रकरण स्थानान्तरित हुआ था। ई.ओ. डब्लू. ने यू0पी0 पुलिस से केस प्राप्त किया। प्रकरण में दो एफ0आई0आर0 प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता व सुधाशु द्विवेदी के विरूद्व दर्ज की गई थी। ई ओ डब्लू द्वारा विवेचना के दौरान कुल 17 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और आरोप पत्र दिनांक 01.2.2020 को दाखिल किया गया तथा पूरक आरोप पत्र दिनांक 11.02.2020 को अभिनव गुप्ता के विरूद्व दाखिल किया गया। द्वितीय पूरक आरोप पत्र दिनांक 02.03.2020 को अभियुक्त श्याम किशोर अग्रवाल के विरूद्व एवं सी0बी0आई0 द्वारा उक्त अपराध की विवेचना 05.03. 2020 को लेकर केस पंजीकृत किया गया था तथा वर्तमान में सी0बी0आई0 द्व ारा अभियुक्त के विरूद्व अग्रिम विवेचना की जा रही है। उक्त बैंक एकाउन्टस की भूमिका को जानने के लिए ही विवेचना के दौरान सीज्ड किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–633 / 2018

सी0बी0आई0 बनाम संजीव कुमार

<u>15.09.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ विनोद कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता द्वारा बल न दिया जाना कथित किया गया। शेष सभी अभियुक्तगणों के अधिवक्ताओं को उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आज सुना गया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी कई अवसरों पर अभियुक्तों के अधिवक्ताओं को एवं सी0बी0आई0 को उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका था। ऐसे में किसी भी पक्ष को उन्मोचन पर अब सुना जाना शेष नहीं है। बचाव पक्ष का तर्क है कि मामले में प्रश्नगत पैन कार्ड रेंज व वार्ड से स्थानान्तरित किये गये थे उनका स्थानान्तरण सम्बन्धित मामले में बनाये गये अभियुक्त गणों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता था। ऐसे में उक्त पैनकार्ड किन अधिकारियों के द्वारा स्थानान्तरित किये जा सकते थे, इस बिन्दु पर विवेचक नियत तिथि पर या नियत तिथि के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29.9.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–8100011/2011

सी0बी0आई0 बनाम के0के0 सिंह एवं अन्य

14.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण ज्वाय चक्रवर्ती एवं ए.सी.अग्रवाल की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिए स्वीकृति।

विगत तिथि 09.08.21 को अभियुक्त क्रांतिकुमार सिंह की मृत्यु प्रमाणपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया था, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापनकर्ता कां0 मधुरपाल द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई कि अभियुक्त की मृत्यु सत्यापन हेतु जब अभियुक्त के घर गया तब वहॉ अभियुक्त के पुत्र मिलिन्द सिंह मिले उन्होने बताया कि उनके पिता क्रांति कुमार सिंह की मृत्यु दिनांक 24.4.2021 को हो गयी थी। तत्पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु नगर निगम गया तो वहॉ पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर से चेक करके मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रमाणित किया।

आज न्यायालय में सत्यापनकर्ता कां0 मधुर पाल उपस्थित आये और उन्होने सशपथ बयान अभियुक्त क्रांति कुमार सिंह की मृत्यु दिनांक 24.4.21 को होना बताया तथा उसके पुत्र द्वारा दी गई लिखित तहरीर ए–177/7 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र ए–177/5 को साबित करते हुए स्वयं द्वारा प्रस्तुत सत्यापन प्रपत्र ए–177/1 को साबित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्षी सी0डब्लू0–1 के बयान से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त क्रांति कुमार सिंह की मृत्यु दिनां 24.4.2021 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त क्रांति कुमार सिंह के विरूद्व कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है और अभियुक्त क्रांति कुमार सिंह की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

शेष अभियुक्तगण के विरूद्व कार्यवाही लम्बित है।

पत्रावली अग्रिम आदेा हेतु दिनांक 11.10.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–2497/2021

नितीष कुमार बनाम उ0प्र0राज्य

अपराध संख्या–102/21

थाना–मडियॉव,लखनऊ

<u>14.09.2021</u>

जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। सम्बन्धित पत्रावली में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था और उसकी आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई थी।उक्त समय सीमासमाप्त हो जाने के उपरांत अभियुक्त न तो स्वयं उपस्थित आ रहा है और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित आ रहे है और न ही अन्तरिम जमानत को बढ़ाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आख्या प्राप्त हुई। न्यायहित में एक अवसर देते हुए आज नियत की गई परन्तु उक्त के उपस्थित न आने पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता हे।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–2499 / 2021

जावेद अब्बास बनाम उ0प्र0राज्य

अपराध संख्या–49 / 21

थाना–हुसैनगंज,लखनऊ

<u>14.09.2021</u>

जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। सम्बन्धित पत्रावली में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था और उसकी आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई थी।उक्त समय सीमासमाप्त हो जाने के उपरांत अभियुक्त न तो स्वयं उपस्थित आ रहा है और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित आ रहे है और न ही अन्तरिम जमानत को बढ़ाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आख्या प्राप्त हुई। न्यायहित में एक अवसर देते हुए आज नियत की गई परन्तु उक्त के उपस्थित न आने पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता हे।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–2498 / 2021

शुभम बाजपेई बनाम उ0प्र0राज्य

अपराध संख्या–803 / 21

थाना–मडियॉव,लखनऊ

14.09.2021

जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। सम्बन्धित पत्रावली में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था और उसकी आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई थी।उक्त समय सीमासमाप्त हो जाने के उपरांत अभियुक्त न तो स्वयं उपस्थित आ रहा है और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित आ रहे है और न ही अन्तरिम जमानत को बढ़ाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आख्या प्राप्त हुई। न्यायहित में एक अवसर देते हुए आज नियत की गई परन्तु उक्त के उपस्थित न आने पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता हे।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–500/2021

आर.सी.नं0–0062020ए0002

ए0जी0फूड बनाम् सी0बी0आई0

<u>14.09.2021</u>

आवेदक एजी फूड मार्ट की ओर से प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके करन्ट एकाउन्ट नं0 50200013364547 स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक को एस.पी. ई0ओ0 डब्लू0 द्वारा अपराध संख्या–540/19 थाना हजरतगंज के प्रकरण में सीज्ड कर दिया गया था। अभिनव गुप्ता उक्त कम्पनी के एक पार्टनर है, परन्तु उन्होने कम्पनी से दिनांक 10.02.2019 को इस्तीफा दे दिया था। एस.पी. ई.ओ. डब्लू. अन्तर्गत धारा 102(2) द0प्र0सं0 के तहत सम्बन्धित न्यायालय में सूचना देने में असफल रहे। माननीय उच्च न्यायाय द्वारा एस0पी0 ई.ओ.डब्लू. द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 8541/2020 में सी0बी0आई0 के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि प्रकरण सी0बी0आई0 में पंजीकृत हो चुका है। सी0बी0आई0 द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत करन्ट एकाउन्ट को सीज्ड किया जा चुका है और आवेदक को धारा 457 द0प्र0सं0 के तहत उपचार प्राप्त है।कोविड 19 के कारण कम्पनी को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड रहा है। अतः उक्त करन्ट एकाउन्ट नं0 50200013364547 स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक को डीफ्रिज्ड किये जाने का निवेदन किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से जवाब बी–5 लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए संक्षेप में कहा गया है कि शुरूआत में यह प्रस्तुत मामला पुलिस थाना हजरतगंज में दिनांक 2.11.2019 को अपराध संख्या–540/19 के रूप में दर्ज हुआ था, बाद में ई.ओ. डब्लू. को प्रकरण स्थानान्तरित हुआ था। ई.ओ. डब्लू. ने यू0पी0 पुलिस से केस प्राप्त किया। प्रकरण में दो एफ0आई0आर0 प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता व सुधाशु द्विवेदी के विरूद्व दर्ज की गई थी। ई ओ डब्लू द्वारा विवेचना के दौरान कुल 17 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और आरोप पत्र दिनांक 01.2.2020 को दाखिल किया गया तथा पूरक आरोप

पत्र दिनांक 11.02.2020 को अभिनव गुप्ता के विरूद्व दाखिल किया गया। सी0बी0आई0 द्वारा उक्त अपराध की विवेचना 05.03.2020 को लेकर केस पंजीकृत किया गया था तथा वर्तमान में सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अग्रिम विवेचना की जा रही है। प्रकरण धनराशि मु0—2267.9 करोड रूपये की हेराफेरी किये जाने से सम्बन्धित है। जिसमें आवेदक कम्पनी की मुख्य भूमिका पाई गई है। सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव की ओर से रिज्वाइंडर बी—7 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियोजन का कथन गलत एवं मनगढंत है और विधि विरूद्व है। अभियुक्त कमल कुमार श्रीवास्तव का निधन आरोप पत्र दाखिल होने से पूर्व हो चुका है और आरोप पत्र में नामित नहीं है। अतः उनके विरूद्व किसी अग्रिम विवेचना की आवश्यकता भी नहीं है। अभियोजन द्वारा आंशिक रूप से सीजर मेमों के कम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिेखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कम संख्या 9 में उल्लिेखित दस्तावेज अभियुक्त के आवास संख्या बी 5/108 गंगोत्री इन्कलेव अवध बिहार योजना सुल्तानपुर रोड लखनऊ के मूल कागजात की फोटो कापी है। उक्त मूल पेपर बैंक में रखे हुए है और उक्त फोटो कापी को अभियोजन के पास रहने का कोई कारण नहीं है।अतः उक्त फोटो प्रपत्र दिला दिया जाय।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी के पति कमल कुमार श्रीवास्तव के विरूद्व सी0बी0आई0 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और दौरान विवेचना अभियुक्त के आवास से सर्च के दौरान दस्तावेजों को सीज्ड किया गया था। सीज्ड दस्तावेज को अवमुक्त किये जाने की याचना अभियुक्त की पत्नी द्वारा किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा भी अपनी लिखित अनापत्ति बी—5 दाखिल किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना अभियुक्त का निधन हो गया है और क्रिमीनल जिम्मेदारी से अभियुक्त एबेट हो गया है। अतः सीजर मेमों के कम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिेखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं किया गया जबकि कम संख्या 1,2,3,4,5,6,9 एवं 12 में उल्लिेखित दस्तावेज, जो कि मुकदमें से सम्बंधित है और उनकी आवश्यकता अग्रिम विवेचना में हो सकती है। इसलिए उन्हें अवमुक्त किये जाने पर अपनी आपत्ति किया है।

चूंकि प्रार्थिनी द्वारा याचित दस्तावेजों में से सीजर मेमों के कम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिेखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई बाध्यता नहीं है।जहॉ तक सीजर मेमों के कम संख्या—9 में उल्लिेखित प्रपत्र, जो अभियुक्त के आवास संख्या बी 5/108 गंगोत्री इन्कलेव अवध बिहार योजना सुल्तानपुर रोड लखनऊ के मूल कागजात की फोटो कापी है और प्रार्थिनी द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि कम संख्या—9 में उल्लिेखित दस्तावेज फोटो कापी है तथा मूल दस्तावेज बैंक में रखे है। अतः प्रार्थिनी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि कम संख्या—9 में उल्लिेखित

दस्तावेज, जिनकी मूल प्रति बैंक में रखे हुए है, उनकी फोटो प्रति बैंक से प्राप्त कर सकती है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आर.सी.नं0–0062020ए0002 से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित दस्तावेज, जो कि सीजर मेमों के क्रम संख्या– 7,8,10 एवं 11 में उल्लिखित है, को नियमानुसार वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित दस्तावेज, जो कि सीजर मेमों के क्रम संख्या– 7,8,10 एवं 11 में उल्लिखित है, को प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव से प्राप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल प्रकीर्ण केस नं0–

आर.सी.नं0– 0532015ए0008

सी0बी0आई0 बनाम मो0 रफीक

03.01.2022

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित पत्रावली में दिनांक 02.03.2021 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा दिनांक 04.08.2021 को सम्मन किया गया। जारी किये गये सम्मन सी0बी0आई0 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। सी0बी0आई0 के पैरोकार एवं कार्यालय लिपिक जारी किये गये सभी सम्मन की

तामीला आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें कि कितने सम्मन तामीला हो चुके है तथा कितने बिना तामीला वापस प्राप्त हुए।

आज अभियुक्त प्रकाश चन्द्र वि0द्यार्थी की तरफ से एक वकालतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय लिपिक से आख्या तलब की गई। कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया जो लम्बित है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त प्रकाश चन्द्र विद्यार्थी का वकालतनामा शामिल पत्रावली हो। चूंकि सम्बन्धित मामले में अभी जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में प्रस्तुत किये गये हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र औचित्यहीन है।

पत्रावली दिनांक 07.10.2021 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–310/2021

आर.सी.नं0– 0062020ए0002

सी0बी0आई0 बनाम प्रकाश चन्द्र विद्यार्थी आदि

07.09.2021

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित पत्रावली में दिनांक 02.03.2021 को

प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा दिनांक 04.08.2021 को सम्मन किया गया। जारी किये गये सम्मन सी0बी0आई0 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। सी0बी0आई0 के पैरोकार एवं कार्यालय लिपिक जारी किये गये सभी सम्मन की तामीला आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें कि कितने सम्मन तामीला हो चुके है तथा कितने बिना तामीला वापस प्राप्त हुए।

आज अभियुक्त प्रकाश चन्द्र वि0द्यार्थी की तरफ से एक वकालतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय लिपिक से आख्या तलब की गई। कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार सम्बन्धित अभियुक्त द्व ारा एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया जो लम्बित है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त प्रकाश चन्द्र विद्यार्थी का वकालतनामा शामिल पत्रावली हो। चूंकि सम्बन्धित मामले में अभी जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में प्रस्तुत किये गये हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र औचित्यहीन है। बंसल

पत्रावली दिनांक 07.10.2021 को अग्रिम आदेशार्थ पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

किमिनल केस नं0–4/2015

आर.सी.नं0— 0062015ए

सी0बी0आई0 बनाम श्रवण कुमार आदि

06.09.2021

पूर्व तिथि दिनांक 19.08.2021 को उभय पक्ष को मौखिक रूप से सुना जा चुका था। सी0बी0आई0 की ओर से विधि व्यवस्था भी दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में आज पत्रावली आदेशार्थ/निस्तारण हेतु नियत है। आदेश पारित किया जा रहा है।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थना पत्र बी—90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 65 बी प्रमाण पत्र को पत्रावली पर साक्ष्य में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त कथन करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 14.5.2015 को सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 में शिकायतकर्ता सचिन वर्मा की लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्तगण एन. पी.पी. सिंह तत्कालीन पी.आर.आई. पोस्ट आफिस महानगर व श्रवण कुमार पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट आफिस महानगर के विरूद्व दर्ज किया गया था तत्पश्चात दिनांक 15.5.2015 को अभियुक्त श्रवण कुमार को नरेश पाल सिंह के कहने परं रू0 10,000/—रिश्वत मांगने व स्वीकार करने के अपराध में रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। सत्यापनकर्ता अधिकारी आशीष सिंह इंसपेक्टर द्वारा वर्तमान में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत क्यु—1 सी0डी0 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसे कि पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है।

आपत्ति बी—95 अभियुक्त नरेश पाल सिंह की तरफ से प्रस्तुत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के अभाव में इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए गुण—दोष पर जाये बिना ही सी0बी0आई0 के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाय क्योंकि अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। नियत दिनांक को अभियोजन द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र जो कि विधि के अन्तर्गत शून्य है, प्रस्तुत किया गया। यह भी कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियोजन द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय अथवा समस्त गवाहों के बयान दर्ज होने तक धारा 65 बी का उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत अभियोजन द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी कर पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी उप धारा—4 में यह स्पष्ट रूप से यह प्राविधान करती है कि इलेक्ट्ानिक रिकार्ड के सम्बन्ध में जब बयान दर्ज किया जाय तो प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से पत्रावली पर मौजूद होना चाहिए। अपने कथनों के समर्थन में 2014(10) एस सी सी 473 पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर को उद्वधत करते हुए कथन किया गया कि इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इलेक्ट्ानिक साक्ष्य को धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उक्त आधारों पर अभियोजन का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा—26 में उद्वधित किया गया है कि—

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and

electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned hereinabove. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and, therefore, it can be produced at a later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused isnot prejudiced in any manner by taking on r3ecord the certificate under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion**.**

उपरोक्त विधि व्यवस्था के समर्थन में अद्यतन विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is the filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial beging- However, depending on the facts of each case. the court exerising diseretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce suchcertificate at a later poing in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventingserious or irreversible prejudice to theaccused, so ong as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certicicate can be directed to be produced by the judge at any stage, s that informatin coniained in electronic record form can thaen be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

बचाव पक्ष की ओर से पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर 2014(10) एस सी सी 473 एवं अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 की विधि व्यवस्था का सहारा लिया गया है।

उभयय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थना पत्र बी–90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 65 बी प्रमाण पत्र को पत्रावली पर साक्ष्य में लिये जाने की याचना की गई है। बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियोजन द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय अथवा समस्त गवाहों के बयान दर्ज होने तक धारा 65 बी का उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत अभियोजन द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी कर पत्रावली

पर लिये जाने की याचना की गई है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी उप धारा–4 में यह स्पष्ट रूप से यह प्राविधान करती है कि इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के सम्बन्ध में जब बयान दर्ज किया जाय तो प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से पत्रावली पर मौजूद होना चाहिए।

3

अपने तर्को के समर्थ में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था क्रि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के समय अर्जुन पंडित की विधि व्यवस्था यद्य पि उपलब्ध नहीं थी परन्तु अग्रेतर इस बिन्दु पर अर्जुन पंडित से और भी स्पष्टता आ गयी है कि धारा 311 द0प्र0सं0 का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर लिये जाने की मंशा रखते हुए 65 बी प्रार्थना पत्र को किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है। जहॉ तक बचाव पक्ष के पूर्वधारणा कारित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि मात्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने से ही उसे साबित नहीं मान लिया जायेगा और अभियोजन को उक्त प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणित करनी होगी तथा बचाव पक्ष के पास भी उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने वाले साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। बचाव पक्ष प्रमाण पत्र की वैधानिकता एवं प्रमाणिकता को विधितः प्रश्नगत भी कर सकता है। ऐसे में अभियेाजन को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा उसका साबित करने हेतु साक्ष्यों को आहूत किये जाने क प्रमाण पत्र को स्वीकार किये जाने में बचाव पक्ष को पूर्णधारणा कारित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्थओं के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में सम्बन्धित प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–90 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्ष्य एवं उसे जारी करने वाले साक्षी को न्यायालय के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि शीघ्र विचारण सम्पादित किया जा सके।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 23.9.21 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

किमिनल केस नं0–2 / 2015

आर.सी.नं0– 2(ए) / 2015

सी0बी0आई0 बनाम सुनील यादव

06.09.2021

पूर्व तिथि दिनांक 19.08.2021 को उभय पक्ष को मौखिक रूप से सुना जा चुका था। सी0बी0आई0 की ओर से विधि व्यवस्था भी दााखिल की जा चुकी है। ऐसे में आज पत्रावली आदेशार्थ / निस्तारण हेतु नियत है। आदेश पारित किया जा रहा है।

सीबीआई की ओर से प्रार्थनापत्र बी–110 इस आशय का दिया गया है कि वर्तमान में मामला अंतिम बहस पर नियत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 14.7.2020 अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल में पारित अभिमत के आलोक में अभियोजन धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र अपने वाद के समर्थन में दाखिल करना चाहता है। प्रार्थना पत्र के साथ सत्यापनकर्ता अधिकारी / इंसपेक्टर अनमोल सचान व टीएलओ इंसपेक्टर गणेश शंकर द्वारा जारी अन्तर्गत धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसे कि पत्रावली में शामिल किये जाने तथा उक्त सत्यापनकर्ता अधिकारी / इंसपेक्टर अनमोल सचान व टीएलओ इंसपेक्टर गणेश शंकर को बतौर साक्षी तलब किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी–112 दाखिल की गई जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र दिनांक 11.12.2020 को सम्पूर्ण साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अंतिम बहस के स्तर पर दाखिल किया गया हे साथ ही विवेचक द्वारा न तो अभियोजन साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया और न ही विवेचक ने अपने साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को तैयार होने की बात कही है। आरोप पत्र दिनांकित 20.5.2015 के बाद ही उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त प्रमाणपत्र सी0बी0आई0 अपनी कमियों को पूरा करने के लिए दाखिल करने की अनुमति चाही गई है साथ ही सीडी में भी छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कि0 रिवीजन संख्या1269 / 2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई / एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–26 में उद्वधित किया गया है कि–

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned hereinabove. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and, therefore, it can be produced at a later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused isnot prejudiced in any manner by taking on r3ecord the certificate under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion.

अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is gthe filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial beging- However, depending on the facts of each case. the court exerising diseretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce suchcertificate at a later poing in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventingserious or irreversible prejudice to theaccused, so ong as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certicicate can be directed to be produced by the judge at any stage, s that informatin coniained in electronic record form can thaen be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

बचाव पक्ष की ओर से पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर 2014(10) एस सी सी 473 एवं अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 की विधि व्यवस्था का सहारा लिया गया है।

उभयय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थनापत्र बी–110 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र को पत्रावली पर लेते हुए सत्यापनकर्ता अधिकारी/इंसपेक्टर अनमोल सचान व टीएलओ इंसपेक्टर गणेश शंकर को बतौर साक्षी तलब किये जाने का अनुरोध किया गया है। जबकि अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी–112 दाखिल करते हुए मुख्य रूप

से यह कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र दिनांक 11.12.2020 को सम्पूर्ण साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अंतिम बहस के स्तर पर दाखिल किया गया है तथा विवेचक द्वारा न तो अभियोजन साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया और न ही विवेचक ने अपने साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को तैयार होने की बात कही है। आरोप पत्र दिनांकित 20.5.2015 के बाद भी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। सी0बी0आई0 को मात्र अपनी कमियों को पूरा करने के लिए 65 बी के अन्तर्गत प्रमाण पत्र को दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपने तर्को के समर्थ में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था क्रि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के समय अर्जुन पंडित की विधि व्यवस्था यद्यपि उपलब्ध नहीं थी परन्तु अग्रेतर इस बिन्दु पर अर्जुन पंडित से और भी स्पष्टता आ गयी है कि धारा 311 द0प्र0सं0 का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर लिये जाने की मंशा रखते हुए 65 बी प्रार्थना पत्र को किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है। जहॉ तक बचाव पक्ष के पूर्वधारणा कारित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि मात्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने से ही उसे साबित नहीं मान लिया जायेगा और अभियोजन को उक्त प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणित करनी होगी तथा बचाव पक्ष के पास भी उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने वाले साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। बचाव पक्ष प्रमाण पत्र की वैधानिकता को एवं प्रमाणिकता को विधितः प्रश्नगत भी कर सकता है। ऐसे में अभियेाजन को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा उसका साबित करने हेतु साक्ष्यों को आहूत किये जाने क प्रमाण पत्र को स्वीकार किये जाने में बचाव पक्ष को पूर्णधारणा कारित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्थओं के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में सम्बन्धित प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–110 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्ष्य एवं उसे जारी करने वाले साक्षी को न्यायालय के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि शीघ्र विचारण सम्पादित किया जा सके।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 24.9.21 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–34/18

सी0बी0आई0 बनाम अमरजीत आदि

06.09.2021

प्रार्थिनीगण सुमित्रा पत्नी स्व0 शम्भू प्रसाद एवं नीति पुत्री स्व0 शम्भू प्रसाद की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपराध संख्या–आर सी 26(ए)/2014 में शम्भू प्रसाद अभियुक्त थे और न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत प्रदान की गई थी। प्रार्थिनीगण ने उक्त अभियुक्त शम्भू प्रसाद की जमानत ली थी तथा जमानत के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीद लगायी थी। श्री शम्भू प्रसाद की दिनांक 11.12.2017 को मृत्यु हो चुकी है। इस कारण उनके प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अभियुक्त शम्भू प्रसाद के प्रतिभूगण को उन्मोचित किये जाने का अनुरोध किया गया है। समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से अभियुक्त शम्भू प्रसाद की मृत्यु आख्या को सत्यापित कराये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थिनीगण की ओर से दाखिल मृत्यु आख्या को नगर निगम से सत्यापित कराया गया जिस पर आख्या प्राप्त हुई कि मृतक शम्भू प्रसाद पुत्र महानन्द की मृत्यु तिथि दिनांक 11.12.2017 उनके मृत्यु रिकार्ड में दर्ज है जिसका पंजीकरण संख्या–डी–2018:6–90213–000101 पर दर्ज है। जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र के पुस्त पर सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा यह आख्या अंकित की गई कि अभियुक्त शम्भू प्रसाद आरोप पत्र में आरोपित नहीं है और उसके जमानतदारों को उन्मोचित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थिनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा गया है कि अभियुक्त शम्भू प्रसाद की जमानत उनके द्वारा ली गई थी और जमानत पत्र के साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत सावधि जमा रसीद दाखिल किया गया था। चूंकि शम्भू प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है और सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत आख्या अनुसार शम्भू प्रसाद आरोपित भी नहीं किया गया है तथा अभियुक्त शम्भू प्रसाद के जमानतदारों को उन्मोचन करने में अपनी अनापत्ति भी दी है।

अतः तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त शम्भू प्रसाद के जमानतदारों सुमित्रा पत्नी स्व0 शम्भू प्रसाद एवं नीति पुत्री स्व0 शम्भू प्रसाद को उन्मोचित करते हुए उनके द्वारा दाखिल भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीद को अवमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शम्भू प्रसाद के जमानतदारों सुमित्रा पत्नी स्व0 शम्भू प्रसाद एवं नीति पुत्री स्व0 शम्भू प्रसाद को उन्मोचित करते हुए उनके द्वारा दाखिल भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीद को अवमुक्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–938 / 2020

दिनेश कुमार सिंह बनाम सी0बी0आई0

02.09.2021

पत्रावली पेश हुई।

सम्बन्धित प्रकरण में प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। सी0बी0आई0 की तरफ से गौतम जोशी उप निरीक्षक, सी0बी0आई0,AC-III नई दिल्ली न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु 10 दिन का समय चाहा गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ खाते डीफ्रिज होने के कारण सम्बन्धित बैंक को पत्र भी लिखा जा चुका है। सम्बन्धित उप निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि 10 दिन के पश्चात न्यायालय को अद्यतन स्थिति से न्यायालय के आदेश के अनुपालन के विषय से अवगत कराने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। जिसमें बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 15.9.21 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1113/2018

आर.सी.नं0– 4(एस)/2010

सी0बी0आई0 बनाम अभिषेक श्रीवास्तव

26.08.2021

अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव की ओर से प्रार्थना पत्र बी–33 पत्रावली को समुचित क्षेत्राधिकार के अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में कथन किया गया कि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। प्रकरण के एक मात्र लोक सेवक अभियुक्त सुशील कांत मिश्रा की मृत्यु संज्ञान लिये जाने के पूर्व हो चुकी हैं। सभी शेष अभियुक्तगण प्राइवेट व्यक्ति है। कोई भी लोक सेवक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आरोप नहीं लगाया गया है। न्यायालय को प्राइवेट व्यक्ति के विरूद्व सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और मनाननीय का गठन लोक सेवकें द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामले का निस्तारण करने हेतु किया गया है। इस न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार सिंह (2014) 11 एस सी सी 724 के अनुसार सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त सह अभियुक्त है और लोक सेवक की मृत्यु आरोप विरचित किये जाने के पूर्व हो चुकी है और उस पर आरोप विरचित नहीं किया गया है। विधि का सुस्थपित सिद्वांत है कि समुचित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को ही मामले का निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकरण को समुचित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में स्थानान्तरण नहीं किया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः इस प्रकरण को समुचित क्षेत्राधिकार के अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाय।

सी0बी0आई0 की ओर से लिखित आपत्ति बी–35 दाखिल किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत मामले में सी0बी0आई0 द्वारा विवेचनोंपरांत अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव एवं अन्य अभियुक्तगण, जिसमें लोक सेवक भी है, के विरूद्व अन्तर्गत धारा–120बी सपठित धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गई है, उसमें वर्णित तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है, अतएव उक्त विधि व्यवस्था में दिये गये प्राविधान प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होते है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो चुकी है। सी0बी0आई0 के लोक अभियेाजक द्वारा मौखिक रूप से यह तर्क किया गया कि प्रस्तुत मामले में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्व

अन्तर्गत धारा–धारा–120बी सपठित धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 एवं धारा 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट एवं substantive offences के अन्तर्गत संज्ञान दिनांक 10.5.11 को लिया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव के फरार होने के कारण उसकी पत्रावली मूल पत्रावली से प्रथक करते हुए अन्य सह अभियुक्त नईम खां के वाद का विचारण करते हुए अभियुक्त नईम खां की पत्रावली में दिनांक 15.5.19 को निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव शेष अन्य अभियुक्तगण, जिसमें लोक सेवक भी शामिल था, के साथ मिल कर अपराधिक अनुसरण में अपराध कारित करते हुए बैंक को आर्थिक हानि पहुॅचाई।

2

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त येनकेन प्रकारण मामले को विलम्बित कराना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

सम्बन्धित प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **CRIMINAL APPEAL NO. 943 OF 2008 State throgh CBI New Delhi Versus Jitendra Kumar Singh** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के पैरा–45 का उल्लेख किया जाना उचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था के पैरा–45 में यह अवधारित किया गया है कि

"We may now examine Criminal Appeal No. 161 of 2016, where the FIR was registerd on 02-07-1996 and the charge-sheet was filed before the Special Judge on 14-09-2001 for the offences under Sections 120B, 420 IPC read with Section 13 (2) and 13 (1) of the PC Act. Accused 9 and 10 died even before the charge-sheet was sent to the Special Judge. The charge against the sole public servant under the PC Act could also not be framed since he died on 18-02-2005. The Special Judge also could not frame any charge against non-PC offences only when "trying any case" relating to PC offences. In the instant case, no PC offence has been committed by any of the non-public servants so as to fall under Section 13 (1) of the PC Act. Consequently, there was no occasion for the special Judge to try any case relating to offences under the PC Act against the Appellant. The trying of any case under the PC Act against a public servant or a non-public servant, as already indicated, is a sine-qua-non for exercising powers under sub-section (3) of section 4 of PC Act. IN the instant case, since no PC offence has been committed by any of the non-public servants and no charges have been framed against the public servant while he was alive, the Special Judge had no occasion to try against any of them under the PC Act, Since no charge has been framed prior to the death of the public servant. The jurisdictionl fact, as already discussed above, does not exist so far as this appeal is concerned, so as to exercise jurisdiction by the Special Judge to deal with non-PC offences."

स्पष्टतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विधि व्यवस्था में स्पष्ट रूप

से यह अवधारित किया गया है कि *"The trying of any case under the PC Act against a public servant or a non-public servant, as already indicated, is a sine-qua-non for exercising powers under sub-section (3) of section 4 of PC Act. IN the instant case, since no PC offence has been committed by any of the non-public servants and no charges have been framed against the public servant while he was alive, the Special Judge had no occasion to try against any of them under the PC Act, Since no charge has been framed prior to the death of the public servant. The jurisdictionl fact, as already discussed above, does not exist so far as this appeal is concerned, so as to exercise jurisdiction by the Special Judge to deal with non-PC offences."*

वर्तमान प्रकरण में यद्यपि कि एक मात्र लोक सेवक के विरूद्व संज्ञान के पूर्व मृत्यु हो जाना एक स्वीकृत तथ्य है परन्तु उक्त सूचना न्यायालय को प्रसंज्ञान के स्तर पर प्राप्त न होने के कारण विशेष

3

न्यायालय द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में संज्ञान लिया गया तथा पत्रावली में यद्यपि कि लोक सेवक के विरूद्व आरोप विरचन नहीं किया गया परन्तु पत्रावली में सम्पूर्ण साक्ष्य अंकन इसी न्यायालय के समक्ष किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित विचारण के अन्य सह अभियुक्त का विचारण करते हुए इसी न्यायालय द्वारा निर्णय भी किया जा चुका है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में एक मात्र अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव विचारण हेतु शेष है, **क्योंकि अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव फरार हो गया था और जिस कारण अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव की पत्रावली मूल पत्रावली से प्रथक कर दी गई थी तथा अन्य सह अभियुक्त नईम खां की पत्रावली दिनांक 15.5.2019 को इसी न्यायालय द्वारा निर्णीत की जा चुकी है। इस पत्रावली में अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव के विरूद्व अभियोजन का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है तथा पत्रावली अभियुक्त के बयान धारा 313 द0प्र0सं0 में नियत है। इसके पूर्व कभी भी सम्बन्धित अभियुक्त ने इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार न तो प्रश्नगत किया** और न ही इस प्रकृति का पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध के मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र किये जाने का दिशा निर्देश समय समय पर दिया जाता है और उनका प्रर्यवेक्षण भी किया जाता है। पत्रावली न्यायनिर्णय के अंतिम स्तर पर लम्बित है। यद्यपि कि सम्बंधित प्रकरण सह अभियुक्त लोक सेवक की मृत्यु हो चुकी है परन्तु लोक सेवक की सम्बन्धित अपराध में संलिप्तता रही है। जबकि (2014) 11 एस सी सी 724 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा–38 में यह मत व्यक्त किया गया है कि A Speial Judge exercising powers under the PC Act is not expected to try non-PC offnces totally unconnected with any PC offences under Section 3(1) of the PC Act, the question of the Special Judge not trying any offence does not arise. परन्तु सम्बन्धित प्रकरण में विवेचनोंपरांत अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव पर मृतक लोक सेवक सुशील कुमार मिश्रा के साथ अपराधिक षडयंत्र में सम्मिलित होकर सम्बन्धित अपराध को कारित किये जाने का आरोप है। ऐसे में यह प्रकरण totally unconnected विचारण की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में उपरोक्त विधि व्यवस्था से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस

मामले में अनुकरणीय नहीं है क्योंकि पूर्व में अभियुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार को कभी भी किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई थी। वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत बयान धारा–313 द0प्र0सं0 के स्तर पर लम्बित होने पर अभियुक्त ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रश्नगत किया है, पूर्व में भी अभियुक्त विचारण के समय फरार हो गया था तथा लम्बे समय के उपरांत गिरफ्तार होकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में सी0बी0आई0 द्वारा दिये गये इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा विचारण को लम्बित करने के दुराशय से इस स्तर पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रश्नगत करते हुए स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रस्तुत मामले में अन्य सह अभियुक्त का विचारण इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मामलों के अपराधों का शीघ्र निस्तारण की विद्यायिका की मंशा तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में यह उचित प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा सम्बन्धित मामले का निस्तारण अति शीघ्रता से किया जाय।

4

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था, समग्र विवेचना तथा प्रकरण के विशेष तथ्य परिस्थितियों एवं शीघ्र निस्तारण के मंशा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–33 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान धारा 313 द0प्र0स0 हेतु दिनांक 10–09–2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–01/08

आर.सी.नं0–0062005ए0017

सी0बी0आई0 बनाम अश्वनी प्रकाश

24.8.21

प्रार्थी अश्वनी प्रकाश की ओर से प्रार्थना पत्र बी–171 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा–243(2) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतत्रता है। बचाव में दस्तावेजों को फेहलिस्ट के साथ एवं गवाहों की सूची वह प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को पी0डब्लू0–4 संजीव कुमार से अपने बचाव में जिरह करने का मौका नहीं मिला था। उक्त साक्षी ने विवेचना में सहयोग किया तथा विभिन्न दस्तावेजों को साबित किया और उक्त साक्षी से जिरह किया जाना अति आवश्यक है और यदि अभियुक्त को उक्त साक्षी से जिरह का मौका नहीं मिला तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त बचाव में प्रेम चन्द गुप्ता, अशोक कुमार अग्रवाल, विश्व प्रकाश शुक्ला, ध्रुव कुमार एवं संजय मेहरोत्रा को भी बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में तलब किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त साक्षियों को बचाव में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अभियोजन की ओर से आपत्ति बी–179 प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि बचाव पक्ष द्वारा जो तर्क दिये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध है और उस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है परन्तु बचाव पक्ष ने जिस साक्षी पी0डब्लू0–4 से जिरह करने का मौका मांगा है, उस पर आपत्ति जताई है क्योंकि उक्त साक्षी से जिरह का मौका दिनांक 6.12.2012 को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि साक्षी भुवनेश्वर से उपस्थित आया था और अभियुक्त नियत तिथि पर उपस्थित नहीं था।

अभियोजन द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि धारा–243(2) द0प्र0सं0 के परन्तुक में उल्लिेखित है कि जब अपनी प्रतिरक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का मौका मिल चुका है तब ऐसे साक्षी को हाजिर होने के लिए तब तक विवश नहीं किया जायेगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

प्रार्थीगण राजेन्द्र सिंह एवं पी0के0 खरे की ओर से प्रार्थना पत्र बी–175 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा–243(2) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतत्रता है। बचाव में दस्तावेजों को फेहलिस्ट के साथ एवं गवाहों की सूची वह प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को पी0डब्लू0–15 राजीव नारायण से अपने बचाव में जिरह करने का मौका नहीं मिला था। उक्त साक्षी ने विवेचना में सहयोग किया तथा विभिन्न दस्तावेजों को साबित किया और उक्त साक्षी से जिरह किया जाना अति आवश्यक है और यदि अभियुक्त को उक्त साक्षी से जिरह का मौका नहीं मिला तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त बचाव में मेरीजॉन, अखिलेश कुमार बाजपेयी, अजय कुमार श्रीवास्तव, संजय खुल्लर एवं मारूति माथुर को भी बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में तलब किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त साक्षियों को बचाव में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अभियोजन की ओर से आपत्ति बी–180 प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि बचाव पक्ष द्वारा जो तर्क दिये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध है और उस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है परन्तु बचाव पक्ष ने जिस साक्षी पी0डब्लू0–15 से जिरह करने का मौका मांगा है, उस पर आपत्ति इस आधार पर की है कि उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह दिनांक

04.04.18 को की गई। अतः उक्त साक्षी से जिरह करने अन्य समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है और बचाव पक्ष येनकेन प्रकारेण वाद को विलम्बित करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

अभियोजन द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि धारा–243(2) द0प्र0सं0 के परन्तुक में उल्लिेखित है कि जब अपनी प्रतिरक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का मौका मिल चुका है तब ऐसे साक्षी को हाजिर होने के लिए तब तक विवश नहीं किया जायेगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

बचाव पक्ष के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया।

सुविधा की दृष्टि से दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र बी–171</u>

जहॉ तक प्रार्थना पत्र बी–171 का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सी0बी0आई0 द्वारा मात्र साक्षी पी0डब्लू0–4 के रूप में परीक्षित साक्षी संजीव कुमार को प्रस्तुत न किये जाने के बिन्दु पर विरोध किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पी0डब्लू0–4 की मुख्य परीक्षा जिस तिथि को समाप्त हुई है, उक्त तिथि पर ही बचाव पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करते हुए उसी तिथि पर साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। नेसर्गिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि न्यायालय के समक्ष श्रेष्ठ साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होना चाहिए। जहॉ तक प्रश्न साक्षी की असुविधा का है, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं ही इस बिन्दु पर अपनी स्वीकृति दी है कि वह साक्षी के आने जाने की हवाई यात्रा तथा जो भी अन्य व्यय होगा, उसे वहन करेंगें।

अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–171 स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–171 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्षी पी0डब्लू0–4 संजीव कुमार को साक्ष्य हेतु तलब कर नियत तिथि पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा बचाव पक्ष को उक्त साक्षी से जिरह करने की अनुमति प्रदान की जाती है बचावपक्ष साक्षी के आने जाने का सम्पूर्ण यात्रा व्यय वहन करेंगे साक्षी की तलवी हेतु बचाव पक्ष पैरवी करे।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र बी–175</u>

जहॉ तक प्रार्थना पत्र बी–175 का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सी0बी0आई0 द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–15 राजीव नारायण को बतौर बचाव साक्षी दस्तावेज को साबित कराये जाने हेतु बुलाये जाने की प्रार्थना की गई है। अन्य किसी साक्षी को प्रस्तुत किये जाने पर सीबीआई द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि जो दस्तावेज उसके द्वारा सफाई साक्ष्य के स्तर पर प्रस्तुत किये गये है, वे साक्ष्य के पूर्व पृच्छा के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में उसे किसी दस्तावेज को साबित करने के पूर्व अवसर प्राप्त नहीं था। जबकि बचाव पक्ष द्व ारा सम्बन्धित साक्षी को मात्र दस्तावेज पर उपलब्ध हस्ताक्षर को साबित कराये जाने के आशय से आहूत किये जाने का तर्क मौखिक बहस के दौरान दिया गया है। ऐसे में सम्बन्धित साक्षी को बतौर साक्षी दस्तावेज को साबित कराये जाने के बिन्दु पर बुलाया जाना न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है।

अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–175 स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र बी–175 स्वीकार किया जाता है। परन्तु पी0डब्लू0–15 राजीव नारायण मात्र सफाई साक्षी से प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के प्रमाणीकरण के बिन्दु पर ही सक्षम साक्षी होगा। इसके अतिरिक्त बिंदु पर जिरह का अवसर बचावपक्ष को प्राप्त नहीं क्योंकि वह पूर्व में साक्षी से जिरह कर चुका है बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 10.09.2021 को पेश हो।

बचावपक्ष साक्षी तलवी हेतु आवश्यक पैरवी करे।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–4 / 2015

आर.सी.नं0– 0062015ए

सी0बी0आई0 बनाम श्रवण कुमार आदि

06.09.2021

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थना पत्र बी–90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 65 बी प्रमाण पत्र को पत्रावली पर साक्ष्य में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त कथन करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 14.5.2015 को सी0बी0आई0 / ए0सी0बी0 में शिकायतकर्ता सचिन वर्मा की लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्तगण एन. पी.पी. सिंह तत्कालीन पी.आर.आई. पोस्ट आफिस महानगर व श्रवण कुमार पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट आफिस महानगर के विरूद्व दर्ज किया गया था तत्पश्चात दिनांक 15.5.2015 को अभियुक्त श्रवण कुमार को नरेश पाल सिंह के कहने परं रू0 10,000 / –रिश्वत मांगने व स्वीकार करने के अपराध में रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। सत्यापनकर्ता अधिकारी आशीष सिंह इंसपेक्टर द्वारा वर्तमान में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत क्यु–1 सी0डी0 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसे कि पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है।

आपत्ति बी–95 अभियुक्त नरेश पाल सिंह की तरफ से प्रस्तुत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के अभाव में इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए गुण–दोष पर जाये बिना ही सी0बी0आई0 के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाय क्योंकि अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। नियत दिनांक को अभियोजन द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र जो कि विधि के अन्तर्गत शून्य है, प्रस्तुत किया गया। यह भी कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियोजन द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय अथवा समस्त गवाहों के बयान दर्ज होने तक धारा 65 बी का उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत अभियोजन द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी कर पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी उप धारा–4 में यह स्पष्ट रूप से यह प्राविधान करती है कि इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के सम्बन्ध में जब बयान दर्ज किया जाय तो प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से पत्रावली पर मौजूद होना चाहिए। अपने कथनों के समर्थन में 2014(10) एस सी सी 473 पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर को उद्वधत करते हुए कथन किया गया कि इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उक्त आधारों पर अभियोजन का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में क्रि0 रिवीजन संख्या1269 / 2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई / एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–26 में उद्वधित किया गया है कि–

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned hereinabove. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and, therefore, it can be produced at a

later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused isnot prejudiced in any manner by taking on r3ecord the certificate under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion.

उपरोक्त विधि व्यवस्था के समर्थन में अद्यतन विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is the filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial beging- However, depending on the facts of each case. the court exerising diseretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce suchcertificate at a later poing in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventingserious or irreversible prejudice to theaccused, so ong as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certicicate can be directed to be produced by the judge at any stage, s that informatin coniained in electronic record form can thaen be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

बचाव पक्ष की ओर से पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर 2014(10) एस सी सी 473 एवं अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 की विधि व्यवस्था का सहारा लिया गया है।

उभयय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थना पत्र बी–90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 65 बी प्रमाण पत्र को पत्रावली पर साक्ष्य में लिये जाने की याचना की गई है। बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियोजन द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय अथवा समस्त गवाहों के बयान दर्ज होने तक धारा 65 बी का उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत अभियोजन द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी कर पत्रावली पर लिये जाने की याचना की गई है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी उप धारा–4 में यह स्पष्ट रूप से यह प्राविधान करती है कि इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के सम्बन्ध में जब बयान दर्ज किया जाय तो प्रमाण पत्र आवश्यक रूप

से पत्रावली पर मौजूद होना चाहिए।

अपने तर्को के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था क्रि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ को दाखिल किया गया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के समय अर्जुन पंडित सुप्रा की विधि व्यवस्था यद्यपि उपलब्ध नहीं थी परन्तु सम्बन्धित प्रमाण पत्र 65 बी को किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बिन्दु पर अर्जुन पंडित सुप्रा से और भी स्पष्टता आ गयी है। ऐसे में उपरोक्त दोनो विधि व्यवस्था इस बिन्दु पर स्पष्ट है कि धारा 311 द0प्र0सं0 का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर लिये जाने की मंशा रखते हुए 65 बी प्रार्थना पत्र को किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है। जहाँ तक बचाव पक्ष के प्रीज्यूडस कारित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि जब प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा और और अभियोजन द्वारा उसे जारी किये जाने वाले सक्षम अधिकारी को न्यायालय के समक्ष बतौर साक्षी प्रस्तुत किया जायेगा तो बचाव पक्ष को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्ष कर प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र एवं साक्षी दोनों की विश्वसनीयता को अधिक्षेपित कर सके।

उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्थओं के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में सम्बन्धित प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–90 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्ष्य एवं उसे जारी करने वाले साक्षी को न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि शीघ्र विचारण सम्पादित किया जा सके।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाते समय सूची गवाहान व दस्तावेजों की सूची जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई थी उस सूची में धारा 65 बी के प्रमाण पत्र का उल्लेख नहीं था और यह भी सत्य है कि चूंकि प्रमाण पत्र आरोप पत्र दाखिल करते समय न्यायालय में उपलब्ध नहीं था इस कारण अन्तर्गत धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुपालन में भी इसकी प्रति अभियुक्त को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। प्रमाण पत्र को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है और इसकी प्रति अभियुक्त को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया जा चुका है कि अभियोजन द्वारा दाखिल की गई थी कि इलेक्ट्ानिक साक्ष्य को धारा 65 बी भ0 साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के अभाव में अग्राहय घोषित किया जाय। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रकरण के अंतिम निर्णय के साथ किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–2/2015

आर.सी.नं0– 4(ए)/2015

सी0बी0आई0 बनाम सुनील यादव

06.09.2021

सीबीआई की ओर से प्रार्थनापत्र बी–110 इस आशय का दिया गया है कि वर्तमान में मामला अंतिम बहस पर नियत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 14.7.2020 अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल में पारित अभिमत के आलोक में अभियोजन धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र अपने वाद के समर्थन में दाखिल करना चाहता है। प्रार्थना पत्र के साथ सत्यापनकर्ता अधिकारी/इंसपेक्टर अनमोल सचान व टीएलओ इंसपेक्टर गणेश शंकर द्वारा जारी अन्तर्गत धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसे कि पत्रावली में शामिल किये जाने तथा उक्त सत्यापनकर्ता अधिकारी/इंसपेक्टर अनमोल सचान व टीएलओ इंसपेक्टर गणेश शंकर को बतौर साक्षी तलब किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी–112 दाखिल की गई जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र दिनांक 11.12.2020 को सम्पूर्ण साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अंतिम बहस के स्तर पर दाखिल किया गया हे साथ ही विवेचक द्वारा न तो अभियोजन साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया और न ही विवेचक ने अपने साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को तैयार होने की बात कही है। आरोप पत्र दिनांकित 20.5.2015 के बाद ही उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त प्रमाणपत्र सी0बी0आई0 अपनी कमियों को पूरा करने के लिए दाखिल करने की अनुमति चाही गई है साथ ही सीडी में भी छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में क्रि0 रिवीजन संख्या1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–26 में उद्वधित किया गया है कि–

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned hereinabove. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and, therefore, it can be produced at a later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused isnot prejudiced in any manner by taking on r3ecord the certificate

under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion.

अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is gthe filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial beging- However, depending on the facts of each case. the court exerising diseretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce suchcertificate at a later poing in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventingserious or irreversible prejudice to theaccused, so ong as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certicicate can be directed to be produced by the judge at any stage, s that informatin coniained in electronic record form can thaen be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

बचाव पक्ष की ओर से पी0वी0 अनवर बनाम पी0के0 बशीर 2014(10) एस सी सी 473 एवं अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 की विधि व्यवस्था का सहारा लिया गया है।

उभयय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थनापत्र बी–110 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र को पत्रावली पर लेते हुए सत्यापनकर्ता अधिकारी/इंसपेक्टर अनमोल सचान व टीएलओ इंसपेक्टर गणेश शंकर को बतौर साक्षी तलब किये जाने का अनुरोध किया गया है। जबकि अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी–112 दाखिल करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र दिनांक 11.12.2020 को सम्पूर्ण साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अंतिम बहस के स्तर पर दाखिल किया गया है तथा विवेचक द्वारा न तो अभियोजन साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया और न ही विवेचक ने अपने साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को तैयार होने की बात कही है। आरोप पत्र दिनांकित 20.5.2015 के बाद भी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। सी0बी0आई0 को मात्र अपनी कमियों को पूरा करने के लिए 65 बी के अन्तर्गत प्रमाण पत्र को दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपने तर्को के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था क्रि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ के सम्मानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि यद्यपि कि उपरोक्त

विधि व्यवस्था के समय अर्जुन पंडित सुप्रा की विधि व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी परन्तु सम्बन्धित प्रमाण पत्र 65 बी को किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बिन्दु पर अर्जुन पंडित सुप्रा से और भी स्पष्टता आ गयी है। ऐसे में उपरोक्त दोनो विधि व्यवस्था इस बिन्दु पर स्पष्ट है कि धारा 311 द0प्र0सं0 का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर लिये जाने की मंशा रखते हुए 65 बी प्रार्थना पत्र को किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है। जहॉ तक बचाव पक्ष का प्रश्न प्रीज्यूडस कारित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि जब प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा और और अभियोजन द्वारा उसे जारी किये जाने वाले सक्षम अधिकारी को न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य उसे साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा तो बचाव पक्ष को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्ष कर प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य दोनों की विश्वसनीयता को अक्षेपित कर सके।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–110 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्ष्य एवं उसे जारी करने वाले साक्षी को न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि शीघ्र विचारण सम्पादित किया जा सके।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक   को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–01 / 08

आर.सी.नं0–0062005ए0017

सी0बी0आई0 बनाम अश्वनी प्रकाश

24.8.21

प्रार्थी अश्वनी प्रकाश की ओर से प्रार्थना पत्र बी–171 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त को धारा–243(2) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतत्रता है। बचाव में दस्तावेजों को फेहलिस्ट के साथ एवं गवाहों की सूची वह प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी / अभियुक्त को पी0डब्लू0–4 संजीव कुमार से अपने बचाव में जिरह करने का मौका नहीं मिला था। उक्त साक्षी ने विवेचना में सहयोग किया तथा विभिन्न दस्तावेजों को साबित किया और उक्त साक्षी से जिरह किया जाना अति आवश्यक है और यदि अभियुक्त को उक्त साक्षी से जिरह का मौका नहीं मिला तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त बचाव में प्रेम चन्द गुप्ता, अशोक कुमार अग्रवाल, विश्व प्रकाश शुक्ला, ध्रुव कुमार एवं संजय मेहरोत्रा को भी बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में तलब किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त साक्षियों को बचाव में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अभियोजन की ओर से आपत्ति बी–179 प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि बचाव पक्ष द्वारा जो तर्क दिये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध है और उस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है परन्तु बचाव पक्ष ने जिस साक्षी पी0डब्लू0–4 से जिरह करने का मौका मांगा है, उस पर आपत्ति जताई है क्योंकि उक्त साक्षी से जिरह का मौका दिनांक 6.12.2012 को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि साक्षी भुवनेश्वर से उपस्थित आया था और अभियुक्त नियत तिथि पर उपस्थित नहीं था।

अभियोजन द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि धारा–243(2) द0प्र0सं0 के परन्तुक में उल्लिेखित है कि जब अपनी प्रतिरक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का मौका मिल चुका है तब ऐसे साक्षी को हाजिर होने के लिए तब तक विवश नहीं किया जायेगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

प्रार्थीगण राजेन्द्र सिंह एवं पी0के0 खरे की ओर से प्रार्थना पत्र बी–175 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त को धारा–243(2) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतत्रता है। बचाव में दस्तावेजों को फेहलिस्ट के साथ एवं गवाहों की सूची वह प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी / अभियुक्त को पी0डब्लू0–15 राजीव नारायण से अपने बचाव में जिरह करने का मौका नहीं मिला था। उक्त साक्षी ने विवेचना में सहयोग किया तथा विभिन्न दस्तावेजों को साबित किया और उक्त साक्षी से जिरह किया जाना अति आवश्यक है और यदि अभियुक्त को उक्त साक्षी से जिरह का मौका नहीं मिला तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त बचाव में मेरीजॉन, अखिलेश कुमार बाजपेयी, अजय कुमार श्रीवास्तव, संजय खुल्लर एवं मारूति

माथुर को भी बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में तलब किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त साक्षियों को बचाव में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अभियोजन की ओर से आपत्ति बी–180 प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि बचाव पक्ष द्वारा जो तर्क दिये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध है और उस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है परन्तु बचाव पक्ष ने जिस साक्षी पी0डब्लू0–15 से जिरह करने का मौका मांगा है, उस पर आपत्ति इस आधार पर की है कि उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह दिनांक 04.04.18 को की गई। अतः उक्त साक्षी से जिरह करने अन्य समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है और बचाव पक्ष येनकेन प्रकारेण वाद को विलम्बित करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

अभियोजन द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि धारा–243(2) द0प्र0सं0 के परन्तुक में उल्लिखित है कि जब अपनी प्रतिरक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का मौका मिल चुका है तब ऐसे साक्षी को हाजिर होने के लिए तब तक विवश नहीं किया जायेगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

बचाव पक्ष के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया।

सुविधा की दृष्टि से दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र बी–171</u>

जहॉ तक प्रार्थना पत्र बी–171 का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सी0बी0आई0 द्वारा मात्र साक्षी पी0डब्लू0–4 के रूप में परीक्षित साक्षी संजीव कुमार को प्रस्तुत न किये जाने के बिन्दु पर विरोध किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पी0डब्लू0–4 की मुख्य परीक्षा जिस तिथि को समाप्त हुई है, उक्त तिथि पर ही बचाव पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करते हुए उसी तिथि पर साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। नैसग्रिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि न्यायालय के समक्ष श्रेष्ठ साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होना चाहिए। जहॉ तक प्रश्न साक्षी की असुविधा का है, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं ही इस बिन्दु पर अपनी स्वीकृति दी है कि वह साक्षी के आने जाने की हवाई यात्रा तथा जो भी अन्य व्यय होगा, उसे वहन करेंगें।

अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–171 स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–171 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्षी पी0डब्लू0–4 संजीव कुमार को साक्ष्य हेतु तलब कर नियत तिथि पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा बचाव पक्ष को उक्त साक्षी से जिरह करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र बी–175</u>

जहॉ तक प्रार्थना पत्र बी–175 का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सी0बी0आई0 द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–15 राजीव नारायण को बतौर बचाव साक्षी दस्तावेज को साबित कराये जाने हेतु बुलाये जाने की प्रार्थना की गई है। अन्य किसी साक्षी को प्रस्तुत किये जाने पर सीबीआई द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि जो दस्तावेज उसके द्वारा सफाई साक्ष्य के स्तर पर प्रस्तुत किये गये है, वे साक्ष्य के पूर्व पृच्छा के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में उसे किसी दस्तावेज को साबित करने के पूर्व अवसर प्राप्त नहीं था। जबकि बचाव पक्ष द्व ारा सम्बन्धित साक्षी को मात्र दस्तावेज पर उपलब्ध हस्ताक्षर को साबित कराये

जाने के आशय से आहूत किये जाने का तर्क मौखिक बहस के दौरान दिया गया है। ऐसे में सम्बन्धित साक्षी को बतौर साक्षी दस्तावेज को साबित कराये जाने के बिन्दु पर बुलाया जाना न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है।

अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–175 स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–175 स्वीकार किया जाता है। परन्तु पी0डब्लू0–15 राजीव नारायण मात्र सफाई साक्षी से प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के प्रमाणीकरण के बिन्दु पर ही सक्षम साक्षी होगा। इसके अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक   को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1113/2018

आर.सी.नं0– 4(एस)/2010

सी0बी0आई0   बनाम   अभिषेक श्रीवास्तव

<u>13.08.2021</u>

पुकार कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली में समय 10.30 बजे कई अवसरों पर पुकार कराया जा चुका है परन्तु लम्बित प्रार्थना पत्र बी–33 पर अपना पक्ष रखने के लिए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे है। कई अवसरों पर जूनियन अधिवक्ता द्वारा यह कहा जा रहा है कि सभी वरिष्ठ अधिवक्ता अलग अलग अदालतों में कार्यवाही में व्यस्त है। वी.सी.आर. से मामले के अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव की रिमांड पेश की गई। अभियुक्त द्वारा स्वयं प्रार्थना की गई कि उसका स्वास्थय ठीक नहीं चल रहा है तथा लम्बे समय से वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क भी नहीं कर सका है। अतः उसे व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया जाय। नैसग्रिक न्याय के सिद्वांत के तहत अभियुक्त अभिषेक

श्रीवास्तव को दिनांक 26.8.21 को न्यायालय की कार्यवाही हेतु तलब करने के लिए समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय। यदि बचाव पक्ष अगली नियत तिथि पर समय 10.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते है तो मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर निस्तारित कर दिया जायेगा।

पत्रावली दिनांक 26.8.21 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिमी, लखनऊ।

सी0बी0आई0 बनाम सैययद मेंहदी हसन रिजवी

कि0 केस नं0–3034/2019
आर0सी0 संख्या–0062019ए0007
सीबीआई/एसीबी,लखनऊ।

दिनांक–12.8.2021

अभियुक्त सैय्यद मेंहदी हसन रिजवी की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–9 अन्तर्गत धारा 239 द0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि यह उसका प्रथम उन्मोचन प्रार्थना पत्र है और अन्य कोई उन्मोचन प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। अभियुक्त पर यह आरोप कि दो वाहन ट्रक संख्या–यू0पी0–78 बी टी–9512 एवं यू0पी0 32 सी जेड 0249 को पी.सी.एफ. द्वारा खरीदे गये खाद्यान की ढुलाई चालान द्वारा कय केन्द्र प्रभारी मलौली गोसाईगंज से एफ.सी0आई0 तालकटोरा उतारना था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.5.19 को बी यूनिट एफ सी आई तालकटोरा लखनऊ में इंचार्ज के पद पर कार्यरत था और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.5.19 को उसके विरूद्व दर्ज कराई गई है कि उसके दो ट्रक माल उतरवाने हेतु बी यूनिट एफ सी आई तालकटोरा लखनऊ में खड़े है जिसके लिए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रू 0–7500/रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पूर्व शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.05.2019 में लगाये गये आरोपों की जांच की जानी चाहिए थी परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किये पक्षपातपूर्ण तरीके अभियोग दर्ज किया गया है। वेरीफिकेशन आफिसर द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता को जांचने हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया साथ ही यह भी सत्यापन नहीं किया गया कि क्या वास्तव में कोई ट्क अनलोड़िग के लिए खड़े थे या गलत तरीके से शिकायतकर्ता के द्वारा बाहर खड़ा होना दिखाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि सत्यापन मेमों के कथन, जो गलत है या मनगढंत है क्योंकि शिकायतकर्ता ने इसमें मुख्य तथ्यों को अभियोजन एजेंसी से जानबूझ कर छिपाया। शिकायतकर्ता ने कथित तौर से दो ट्क की अनलोडिंग के लिए रिश्वत की मांग करने की शिकायत की परन्तु ट्रांसक्रिप्ट क्यू–1 से यह ज्ञात हुआ कि 3 ट्क के सम्बन्ध में रिश्वत मांगी जा रही थी।प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी कथन है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी ट्क के अनलोड़िंग करने के लिए कोई भी धन की मांग नहीं की गई और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है। वर्ष 2019–20 के प्रेशन रजिस्टर , गेट इन्टरी रजिस्टर में वर्णित कथनों एवं पी0डब्लू0–4 के बयान से प्रार्थी/अभियुक्त के कथनों को बल मिलता है। इससे पूर्व भी ट्कों की अनलोडिंग में कुछ विलम्ब होता रहा है लेकिन कहीं भी साक्ष्य में नहीं आया है कि उक्त विलम्ब के लिए प्रार्थी/अभियुक्त जिम्मेदार है। शिकायती प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं हो रहा है। शिकायती प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त कथन फर्जी, झूंठे एवं मनगढंत है। जिसकी किसी भी साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है। विवेचक द्वारा भी सही तरीके से विवेचना नहीं की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उस पर कोई भी आरोप नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उसके द्व ारा रिश्वत की मांग की गई है। अभियोजन द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास शिकायतकर्ता का कोई भी कार्य लम्बित नहीं था और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पूर्व ही ट्कों को रिलीज कर दिया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की कोई भी मांग नहीं की गई थी और न ही कोई इस तरह का आशय ही था। जो भी स्वतंत्र गवाह है वे सभी के पॉकेट विटनेस है।

अभियोजन अभियुक्त के विरूद्व कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है साथ ही साथ उसके विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है। उसके द्वारा वर्ष 2001 में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में ए.जी.आई. थर्ड के पद पर, एफ.सी.आई. के डिपों पर कार्य करना शुरू किया था और उसके द्वारा अपने कार्य को पूरी इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा से किया तथा उसके कार्य को सराहना भी मिलती रही है। उस पर धारा 7 पी0सी0ऐक्ट का अपराध साबित नहीं होता है और इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था सी.एम.गिरीशबाबू बनाम सी0बी0आई0 कोचिन माननीय उच्च न्यायालय केरला दाखिल किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया कि अभियुक्त के पास से पैसे की बरामदगी होने मात्र से अपराध कारित नहीं होता है जबतक की मांग एवं प्राप्ति का मौलिक साक्ष्य न हो।

उसके द्वारा रिश्वत की न तो कोई मांग की गई और न ही उसने रिश्वत में धन ही प्राप्त किया और न ही उसके पास से कोई बरामदगी ही हुई है। वह किसी भी विभागीय कार्यवाही में दण्डित नहीं हुआ है। वह कभी भी असमाजिक तत्वों व अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। साथ ही विधि व्यवस्था सज्जन कुमार बनाम सी0बी0आई0(2010) 9 एस सी सी पेज 368 दाखिल किया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा आरोपित आरोप से उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से लिखित जवाब बी–10 दाखिल किया जिसमें सी0बी0आई0 का संक्षिप्त कथन है कि शिकायतकर्ता नरेन्द्र मिश्रा द्वारा लिखित शिकायत करते हुए कथन किया कि वह दो ट्क जिनका रजिस्ट्रेशन नं0यू0पी0 78 बीटी–9512 एवं यू0पी0 32 सी जेड–0249 का स्वामी है जिसके द्वारा खाद्य समाग्रियों को लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। इन दोनों ट्कों को पी.एस.एफ. द्वारा खरीद गये खाद्यान की ढुलाई चालान द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी मलौली गोसाईगंज के निर्देशानुसार लगा रखा है और उक्त दोनो ट्को में ख्ााद्यान्न उसके द्वारा एफ.सी. आई. तालकटोरा में उतरवाने हेतु दिनाक 09.06.19 से लगा और अभियुक्त द्वारा माल उतरवाने के लिए 7500/– रिश्वत की मांग की जा रही है। वादी मुकदमा द्वारा शिकायत करने पर सी0बी0आई0 द्वारा उसका सत्यापन किया गया और दिनांक 13.5.19 को समय 1.40 बजे एफ.सी. आई. तालकटोरा पर शैडो साक्षी दयाराम त्रिपाठी के साथ पहुॅच कर शिकायतकर्ता के टी शर्ट के पॉकेट में डी.वी.आर. लगा कर ऑन कर दिया तथा अभियुक्त द्वारा रू0 10,400/– रिश्वत की मांग करने तथा रिश्वत प्राप्त करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचनोपरांत आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। सी0बी0आइ0 द्वारा यह भी तर्क किया गया कि शिकायती प्रार्थना पत्र का सत्यापन इंसपेक्टर अंकुर त्रिपाठी द्वारा किया गया है। आवेदक अभियुक्त द्वारा स्वतंत्र साक्षी दयाराम त्रिपाठी के समक्ष शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई और उस मांग के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की धनराशि भी अभियुक्त को दी गई जिसे अभियुक्त द्वारा प्राप्त भी किया गया है तथा अभियुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व प्री–ट्रैप मेमो, पोस्ट–ट्रैप मेमो, रिकार्ड किये गये इलेक्टानिक्स रिकार्ड तथा स्वतंत्र साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 भी दाखिल किये गये है। आवेदक अभियुक्त बी–यूनिट तालकटोरा में इंचार्ज के पद पर कार्यरत था और उसके द्वारा लोक सेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में रिश्वत की मांग करने व रिश्वत की धनराशि रू0 10,400/ प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और रिश्वत की बातचीत का रिकार्ड भी है।

सी0बी0आई0 की ओर से उपस्थित लोक अभियेाजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

सम्बन्धित प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त दिनांक 13.5.19 को बी यूनिट एफसीआई तालकटोरा लखनऊ में इंचार्ज के पद पर कार्यरत था और शिकायतकर्ता ने अपने दो ट्रक नं0 यू0पी0 98 बी टी 9512 एवं यू0पी0 32 सी

जेड 0249 पी.सी.एफ. द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न की ढुलाई चालान द्वारा क्रय केन्द्र मलौली गोसाईगंज के निर्देशानुसार लगा रखा था और उक्त दोनों ट्रकों पर खाद्यान्न लदा था और उक्त खाद्यान्न को एफ.सी.आई. तालकटोरा में उतरवाने के लिए अभियुक्त द्वारा मु0—7500रूपये रिश्वत की मांग अभियुक्त द्वारा की गई, जिसका सत्यापन स्वतंत्र साक्षियो की उपस्थित में कराया गया तथा तथा प्री—ट्रैप मेमों व पोस्ट ट्रैप मेमों तैयार किया गया तदुपरांत दिनांक 14.5.19 को समय 1.40 बजे एफ सी आई तालकटोरा लखनऊ में शैडो साक्षी के साथ पहुॅचे और अभियुक्त को शिकायतकर्ता से मु0—10,400/— रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त के पास से वही नोट बरामद हुए जिन नोटों पर सी0बी0आई0 द्वारा फिनाफथलीन पाउडर लगा कर शिकायतकर्ता को अभियुक्त को बतौर रिश्वत देने के लिए दिया था। अभियुक्त लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग करने व रिश्वत की धनराशि रू0 10,400/ प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और रिश्वत मांगने का वॉइस रिकार्ड भी उपलब्ध है। सीबीआई द्वारा विवेचनोंपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा अभियोजन स्वीकृति भी प्राप्त कर दाखिल किया गया। प्रकरण में इस स्तर पर अभियोजन द्वारा जो दस्तावेजी एवं मौखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है उससे प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुए सदोष लाभ बेईमानीपूर्ण प्राप्त किया है। अतः बचाव पक्ष की ओर से दाखिल विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं है और अभियुक्त इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

माननीय सवोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि—व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

शिवराम सिंह अहलावत व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य (2013) 1 जे0आई0सी0 290 सुप्रीम कोर्ट में यह विधि—व्यवस्था प्रतिपादित की गयी कि आरोप बनये जाने के स्तर पर न्यायलय को केवल यह देखना है कि पत्रावली पर उपलब्ध मैटेरियल के आधार पर आगे की कार्यवाही चलाये जाने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं।

अभियोजन के द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और उपरोक्त विवेचना से आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में की गयी शिकायत को प्रथम दृष्ट्या बल प्राप्त होना प्रकट है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***पश्चिम् बंगाल राज्य बनाम् मो0 खालिद 1995 (1) एस0सी0सी0 684*** में यह विधि—व्यवस्था दी गयी है कि What the court has to see, while considering the question of framing the charge, is whether the material brought on record would reasonably connect the accused with the crime. No more required to be inquired into.

प्रस्तुत प्रकरण में सी0बी0आई0/अभियोजन द्वारा किये गये विवेचना के पश्चात अभियोजन द्वारा दाखिल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मेंहदी हसन रिजवी के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के अनुसार अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचन हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। जहॉ तक प्रश्न बचावपक्ष द्वारा दिये गये तर्को का है, वे मामले के गुण—दोष पर न्यायनिर्णयन के स्तर पर विचारणीय होगा।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात अभियुक्त मेंहदी हसन रिजवी के विरूद्व प्रथम दृष्टया

मामला पाये जाने के कारण अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सैययद मेंहदी हसन रिजवी द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–9 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक– 13–09–2021 को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–280/2021

आर.सी.नं0– 0062014ए0026

अमरजीत बनाम् सी0बी0आई0

11.08.2021

प्रार्थी अमरजीत की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके विरूद्व सी0बी0आई0 द्वारा विवेचनोंपरांत आरोप पत्र दिनांक 04.07.2017 को दाखिल किया जा चुका है। सी0बी0आई0 द्वारा उनके मकान 9–बी, विक्रमादित्य मार्ग, रेलवे कालोनी, लखनऊ में तलाशी ली गई थी। सर्च के दौरान सी0बी0आई0 द्वारा कुछ दस्तावेज, जिसमें एल.आई.सी. से सम्बन्धित पॉलिसी बांड, एस.बी.आई., एच.डी.एफ.सी. एवं एल एण्ड टी इन्फ्रा बांड, पी0एन0बी0 बैंक विकास नगर से सम्बन्धित लाकर तथा पुत्री का बैंक एकाउन्ट से सम्बन्धित दस्तावेज है, सीज्ड किये गये थे, जिनका प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिलीज किये जाने की याचना की गई है।

सी0बी0आई0 की ओर से प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और प्रार्थी द्वारा जिन दस्तावेजों को रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गई है, उनका प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनकी विचारण में आवश्यकता है। अतएव उक्त दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उसके आवास से सर्च के दौरान सीज्ड दस्तावेज, जिसमें एल.आई.सी. से सम्बन्धित पॉलिसी बांड, एस.बी.आई., एच.डी.एफ.सी.

एवं एल एण्ड टी इन्फ्रा बांड, पी0एन0बी0 बैंक विकास नगर से सम्बन्धित लाकर तथा पुत्री का बैंक एकाउन्ट से सम्बन्धित दस्तावेज है, को रिलीज किये जाने की याचना की गई है, जिस पर सी0बी0आई0 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है तथा यह कथन किया गया कि विचारण में उक्त दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि सी0बी0आई0 द्वारा याचित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर अपनी अनापत्ति की है। अतः उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई बाध्यता नहीं है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आर.सी.नं0–0062014ए0026 से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित दस्तावेज, जिनका उल्लेख प्रार्थना पत्र के पैरा–6 में (a) से (c) तक किया गया है, को नियमानुसार वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी अमरजीत को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित दस्तावेजों को प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रार्थी अमरजीत से प्राप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

स्टेट द्वारा– सी.बी.आई. बनाम अज्ञात अधिकारीगण,
यू0पी0 स्टेट सोशल वेल्फेयर बोर्ड
आर0सी0 सख्या–0062017ए0014(सचल पालना केस)
धारा–120–बी सपठित धारा–420, 409 भा0द0सं0 व धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट
सी0बी0आई0/ए.सी.बी., लखनऊ।

<u>06–08–2021</u>

सी0बी0आई0 की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.8.2021 प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत मामले में आशिंक अन्वेषण हेतु उप निरीक्षक अभिषेक कुमार गुप्त व संजय त्यागी को अधिकृत करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रस्तुत मामला माननीय उच्च में प्रस्तुत रिट पिटीशन नं0 11677(एम/बी)/2014 हरीश कुमार वर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.5.2017 के आधार पर आर0सी0

सख्या–0062017ए0014 अन्तर्गत धारा–120–बी सपठित धारा–420, 409 भा0द0सं0 व धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट के रूप में दिनांक 21.06.2017 को पंजीकृत किया गया था। प्रश्नगत मामला घोटाला से सम्बन्धित मामला है, जिसमें अन्वेषण यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रस्तुत मामले के मुख्य अन्वेषण अधिकारी की सहायता हेतु अन्य अन्वेषण अधिकारियों की भी आवश्यकता है। जिस हेतु सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व शाखा प्रमुख श्री एस0 के0 खरे द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.08.2021 के अनुसार 5 अन्वेषण अधिकारियों को उक्त केस में सम्मिलित करने का आदेश दिया गया है। जिसमें कि अभिषेक कुमार गुप्त व संजय त्यागी भी सम्मिलित है, जो कि सब इंसपेक्टर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शाखा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें उपाधीक्षक व निरीक्षक रैंक के अन्य अधिकारी सम्मिलित है व दूसरे बड़े स्कैम के केसों जैसे गोमती रिवर फ्रंट, शुगर मिल स्कैम, खाद्यान्न घोटाला, मनरेगा घोटाला इत्यादि में पहले से ही अन्वेषण कर रहे है, जिस कारण प्रस्तुत मामले में उन अधिकारियों को कार्य की अधिकता के कारण नहीं लगाया जा सकता। चूंकि अभिषेक कुमार गुप्त विगत 4 वर्षो से व संजय त्यागी विगत दो वर्षो से सी0बी0आई0 में बतौर उप निरीक्षक कार्य कर चुके है तथा उनको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाले मामलों में भी अन्वेषण करने का अनुभव प्राप्त है। अतः धारा–17 पी0सी0ऐक्ट के अन्तर्गत उप निरीक्षक अभिषेक कुमार गुप्त एवं संजय त्यागी को उक्त प्रकरण में आंशिक अन्वेषण करने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

सुना तथा संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–17–के अनुसार–

दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी –

क–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस अधीक्षक

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेंगा

सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उप निरीक्षक अभिषेक कुमार गुप्त एवं संजय त्यागी को प्रकरण में आंशिक विवेचना करने की अनुमति चाही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–17 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी, मेटोपालिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्टेट के आदेश के बिना कोई अन्वेषण नहीं करेंगा तथा अधिनियम की धारा–5 में विशेष न्यायाधीश विचारण हेतु मजिस्ट्रेट

द्वारा वारंट प्रकरण के विचारण के लिए विहित प्रक्रिया अपनायेगा, का उल्लेख है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थनाय पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.08.2021 स्वीकार किया जाता हैं। उप निरीक्षक अभिषेक कुमार गुप्त व संजय त्यागी को प्रश्नगत प्रकरण में आंशिक अन्वेषण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रि0 केस नं0–4/07

सी0बी0आई0 बनाम रविन्द्र कुमार शर्मा आदि

04.08.21

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 05.06.07 को न्यायालय द्वारा मायावती एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के विरूद्व अभियोजन अस्वीकृत होने के कारण प्रोसिडिंग ड्राप कर दिया गया था। दिनांक 09.03.09 को न्यायालय द्वारा अस्वीकृत होने के कारण आर0 के0 शर्मा एवं आर0 के0 प्रसाद के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही किये जाने का कोई न्यायिक आधार न पाते हुए उनके विरूद्व भी प्रोसिडिंग ड्राप कर दिया गया।

इस सन्दर्भ में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2020 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए सी0बी0आई0 से यह अपेक्षा की थी कि अभियुक्तगण मायावती एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रविन्द्र कुमार शर्मा एवं राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्व विभागीय सैक्शन की स्थिति क्या है, स्पष्ट करें। उक्त के प्रतिउत्तर में सी0बी0आई0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र बी–23 दिनांक 01.12.2020 को प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि इस प्रकरण में विशेष अनुमति याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, उसकी छाया प्रति अपर पुलिस अधीक्षक सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 द्वारा प्रस्तुत की गई तथा यह अवगत कराया गया कि उक्त याचिका में कोई भी स्थगन आदेश पारित नहीं है तथा अग्रिम तिथि जल्द ही नियत होने वाली है तथा जिससे न्यायालय को अवगत करा दिया जायेगा, परन्तु लगभग 4 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उपरोक्त कथित बिन्दु के सन्दर्भ में कोई अद्यतन स्थिति से अवगत नहीं कराया गया। ऐसे में एच0ओ0बी0, सी.बी.आई./ए.सी.बी. को पत्र जारी किया जाय।

पत्रावली दिनांक 06.09.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,

लखनऊ।

क्रि0 मि0 केस नं0—938 / 20

दिनेश कुमार सिंह बनाम सी0बी0आई0

04.08.21

प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा सीज्ड सामान को रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2021 को स्वीकार कर लिया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की प्रति को डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी सी0बी0आई0 को प्रेषित कर दिया गया था और उक्त आदेश के अनुपालन में विवेचक द्वारा केवल लॉकर की चाभी एवं इलाहाबाद बैंक से सम्बन्धित एक बुक ही प्राप्त कराया परन्तु सी0बी0आई0 द्वारा उक्त एकाउन्ट को संचालित करने की अनुमति बैंक मैनेजर को नहीं दी तथा विवेचक न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में गम्भीर नहीं है। अतः आदेश दिनांक 02.02.2021 का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश देने की याचना की गई है। समर्थन में न्यायालय आदेश की प्रति, तथा सी.बी.आई. को भेजे गये पत्र की प्रति संलग्न की गई है।

सी0बी0आई0 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2021 को उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विस्तृत आदेश पारित करते हुए आदेश का अनुपालन कर सन्तुष्टि प्रमाण पत्र मामले के प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह से प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था और आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सी0बी0आई0 को प्राप्त भी कराया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थी ने उक्त आदेश के अनुपालन हेतु रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रथक रूप से सूचना प्रेषित की, जिसकी छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। परन्तु सम्बन्धित प्रकरण में मामले के विवेचक द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अतः इस सम्बंध में एच.ओ.बी. सी0बी0आई0 को पत्र प्रेषित किया जाय कि उपरोक्त बिन्दु पर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 10.8.2021 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपरोक्त बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी—करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0–11/2000

आर0 सी0 नं0–11ए/99

सी0बी0आई0 बनाम राजेन्द्र प्रसाद

4.8.2021

जमानतदार नील रंजन चक्रवर्ती की ओर से प्रार्थना पत्र जमानत के कागज को बदलने हेतु प्रस्तुत किया गया है और इस आशय का कथन किया कि उसने अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद की जमानत अपील में एक लाख रूपये की जमानत दिनांक 21.3.2013 को ली थी और जमानत के दस्तावेजों में वाहन सख्या यू0पी0 32 सी ए–1632 से सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति को लगाया था। प्रार्थी के उक्त वाहन की वैध्यता समाप्त होने वाली है, जिस कारण वह जमानत प्रपत्र को परिवर्तित कराना चाहता हे। अतः जमानत में लगी कार के पंजीयन प्रपत्र के स्थान पर भारतीय स्टेट बैक की एफ.डी.आर. को लेने की अनुमति प्रदान की जाय। जिस पर कार्यालय की आख्या तलब की जाय।

कार्यालय आख्या अनुसार कि0 केस नं0 11/2000 आर सी नं0–11ए/99 सी0बी0आई0 बनाम राजेन्द्र प्रसाद निर्णीत दिनांक 12.3.2013 की सम्पूर्ण पत्रावली कि0 अपील नं0 407/2013 के अनुपालन में दिनांक 3.10.2013 को माननीय उच्च न्यायालय भेजी जा चुकी है। अपील में लगे जमानतनामे उक्त पत्रावली के साथ संलग्न है, जैसा कि प्रार्थना पत्र के साथ लगी माननीय उच्च न्यायालय की सत्यापित प्रति से भी विदित होता है।

सुना गया।

चूंकि कार्यालय की आख्या अनुसार सम्बन्धित मामले में मूल पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है और प्रश्नगत पत्रावली वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। मूल जमानतनामे भी मूल पत्रावली के साथ संलग्न है। ऐसे में मूल पत्रावली एवं मूल जमानतनामे उपलब्ध न होने की दशा में इस स्तर पर जमानतनामें पर संलग्न पूर्व दस्तावेज को परिवर्तित करते हुए नये दस्तावेज को आबद्व किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

एस0टी0 नं0–977/21

सी0बी0आई0 बनाम अकील अहमद

02.08.21

वाद पुकारा गया। अभियुक्त अजय पटेल की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रस्तुत की गई, जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

अभियुक्त अकील अंसारी जिला कारागार हरदोई में निरूद्व है। अभियुक्त अकील अंसारी जरिये वी0सी0आर0 न्यायालय उपस्थित नहीं आया।

उक्त प्रकरण में साक्षी सुधाकर त्रिपाठी की मुख्य पृच्छा हेतु पत्रावली नियत थी। पत्रावली में साक्षी सुधाकर त्रिपाठी उपस्थित भी आया, परन्तु अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस साक्षी से अभियुक्तगण की शिनाख्त कराया जाना आवश्यक है। ऐसे में अभियुक्तगण को तलब कर पत्रावली में अगली तिथि नियत की जाय। उक्त साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि वह बलिया से अपने साधन से लगभग रू0 5,000/– खर्च करके आया है। अतः शाखा प्रमुख को पत्र लिखा जाय कि इस सन्दर्भ में जब इस साक्षी की आवश्यकता नहीं थी तो उसे आज क्यों बुलाया गया साथ ही अभियोजन अधिकारीगण को निर्देशित करने का कष्ट करें कि साक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराने के पूर्व उसके साक्ष्य के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताए अभियोजन पूर्ण कर लें ताकि साक्षी बिना साक्ष्य अंकित कराये न्यायालय से वापस न जाय।

अभियुक्त अकील अंसारी जेल से व्यक्तिगत रूप से तलब हो। जेल अधीक्षक जिला कारागार हरदोई को अभियुक्त अकील अंसारी को उचित सुंरक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित कराये जाने हेतु पत्र लिखा जाय।

अन्य अभियुक्तगण वी0सी0आर0 के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित आये।

अभियुक्त अकील अंसारी व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि पर उचित सुरक्षा व्यवस्था में

तलब हो। अन्य सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें।
पत्रावली दिनांक 12.8.21 को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0–01/08

आर.सी.नं0–0062005ए0017

सी0बी0आई0 बनाम अश्वनी प्रकाश

28.7.21

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अश्वनी प्रकाश उपस्थित है। अभियुक्तगण श्रीमती सुशील सिंह, महेन्द्र प्रताप सिंह, पी0के0खरे एवं राजेन्द्र सिंह का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

अभियुक्तगण पी0के0 खरे एवं राजेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बताया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता अस्वस्थ होने के कारण आज उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः प्रार्थना पत्र बी–175 पर बहस हेतु अवसर प्रदान किया जाय।

अभियुक्त अश्वनी प्रकाश के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र बी–171 पर अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता को एवं सी0बी0आई0 को सुना गया।

पत्रावली वास्ते सुनवाई बी–175 एवं आदेश प्रार्थना पत्र बी–171 एवं बी–175 दिनांक 03.08.21 को पेश हो।

प्रार्थी/अभियुक्त अश्वनी प्रकाश की ओर से प्रतिभू को परिवर्तित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा मौखिक रूप से कथन किया कि उसके एक जामिनदार श्रीमती गीता गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है और उनके स्थान पर दूसरे जामिनदार को प्रस्तुत कर चाहता है। अतः एक जामिनदार को परिवर्तित करने का करने की अनुमति प्रदान की जाय।

सुना गया।

पत्रावली नियत तिथि पर आदेश हेतु पेश हो। लिपिक प्रस्तावित जामिनदार के सत्यापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–01/2004

आर.सी.नं0–14ए/2001

सी0बी0आई0 बनाम आशीष रस्तोगी एवं अन्य

20.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त आशीष कुमार रस्तोगी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण की मृत्यु दिनांक 23.4.21 को उनके निवास स्थान पर हो चुकी है जिसकी सूचना अभियुक्त पत्नी श्रीमती मंजू रस्तोगी द्वारा दी गई है साथ ही अभियुक्त आशीष कुमार रस्तोगी की मृत्यु आख्या बी–128/1 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर बी–128/3 के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अभियुक्त आशीष कुमार रस्तोगी की पत्नी श्रीमती मंजू रस्तोगी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र बी–128/5 दाखिल किया जिसमें उन्होने अंकित किया कि उनके पति की मृत्यु दिनांक 23.4.2021 को हो गयी है। इसी प्रकार राजबीर सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण की मृत्यु दिनांक 21.6.21 को उनके निवास स्थान पर हो चुकी है जिसकी सूचना अभियुक्त पत्नी श्रीमती उषा सिंह द्वारा दी गई है साथ ही अभियुक्त राजबीर सिंह की मृत्यु आख्या बी–129/1 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर बी–129/3 के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

तामीलकुनिन्दा सी0डब्लू0–1 मधुर पाल न्यायालय में उपस्थित है। उनके द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार रस्तोगी की मृत्यु आख्या को साबित करते हुए बयान दिया है कि दिनांक 07.07.21 को अभियुक्त आशीष कुमार रस्तोगी के घर गया था। घर में उनकी पत्नी मंजू रस्तोगी मिली और उन्होने बताया कि उनके पति का देहान्त दिनांक 23.04.2021 को हो गया था तथा उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराई, जो कि पत्रावली में बी–128/3 है।

तामीलकुनिन्दा सी0डब्लू0–2 देवशरण मिश्रा न्यायालय में उपस्थित है। उनके द्वारा अभियुक्त राजबीर सिंह की मृत्यु आख्या को साबित करते हुए बयान दिया है कि दिनांक 07.07.21 को अभियुक्त राजबीर सिंह के घर गया था। घर में उनकी पत्नी उषा सिंह मिली और उन्होने बताया कि उनके पति का देहान्त दिनांक 21.06.2021 को हो गया था तथा उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराई, जो कि पत्रावली में बी–128/3 है।

चूंकि अभियुक्तगण आशीष कुमार रस्तोगी एवं राजबीर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्तगण आशीष कुमार रस्तोगी एवं राजबीर सिंह के विरूद्व कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है और अभियुक्तगण की मृत्यु होने के कारण उनृके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–121/2021

आर.सी.नं0–0062020ए0002

नमिता श्रीवास्तव बनाम् सी0बी0आई0

15.07.2021

प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके पति कमल कुमार श्रीवास्तव प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त है और सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को उसके आवास संख्या–एफ–3376 में समय करीब 8.30 बजे प्रातः तलाशी ली थी और तलाशी के दौरान कुछ निजी सम्पत्ति और कुछ दस्तावेज सीज्ड किया था, जिनका सीज्ड मेमों भी तैयार किया गया था। उसके पति का दिनांक 26.11. 2020 को निधन हो गया। उसे दस्तावेजों की आवश्यकता है और पति की मृत्यु के पश्चात मूल सेडडील की आवश्यकता है और उसे विवेचना करने वाली एजेन्सी के पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी0बी0आई0 द्वारा जिन 12 सामानों को सीज्ड किया गया था, उन पर आरोप पत्र में रिलाइ(relied) नहीं किया गया। अतः सी0बी0आई0 द्वारा सीज्ड सामानों को प्रार्थिनी के हक में रिलीज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से बी–5 जवाब देते हुए कहा गया है कि अभियुक्त स्व0 कमल कुमार श्रीवास्तव के आवास की तलाशी दिनांक 10.1.2020 को ली गई थी और 12 सामानों को सीज्ड किया गया था। दौरान विवेचना अभियुक्त का निधन हो गया है और क्रिमीनल जिम्मेदारी से अभियुक्त एबेट हो गया है। अतः सीज्ड मेमों में क्रम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिेखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने हेतु उचित आदेश पारित किया जा सकता है तथा क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6,9 एवं 12 में उल्लिेखित दस्तावेज वाद से सम्बंधित है और उनकी आवश्यकता अग्रिम विवेचना में हो सकती है। अतः तथ्यों व परिस्थितियों में उचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव की ओर से रिज्वाइंडर बी–7 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियोजन का कथन गलत एवं मनगढंत है और विधि विरूद्व है। अभियुक्त कमल कुमार श्रीवास्तव का निधन आरोप पत्र दाखिल होने से पूर्व हो चुका है और आरोप पत्र में नामित नहीं है। अतः उनके विरूद्व किसी अग्रिम विवेचना की आवश्यकता भी नहीं है। अभियोजन द्वारा आंशिक रूप से सीजर मेमों के क्रम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिेखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु क्रम संख्या 9 में उल्लिेखित दस्तावेज अभियुक्त के आवास संख्या बी 5/108 गंगोत्री इन्कलेव अवध बिहार योजना सुल्तानपुर रोड लखनऊ के मूल कागजात की फोटो कापी है। उक्त मूल पेपर बैंक में रखे हुए है और उक्त फोटो कापी को अभियोजन के पास रहने का कोई कारण नहीं है।अतः उक्त फोटो प्रपत्र दिला दिया जाय।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी के पति कमल कुमार श्रीवास्तव के विरूद्व सी0बी0आई0 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और दौरान विवेचना अभियुक्त के आवास से सर्च के दौरान दस्तावेजों को सीज्ड किया गया था। सीज्ड दस्तावेज को अवमुक्त किये जाने की याचना अभियुक्त की पत्नी द्वारा किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा भी अपनी लिखित अनापत्ति बी–5 दाखिल किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दौरान

विवेचना अभियुक्त का निधन हो गया है और क्रिमीनल जिम्मेदारी से अभियुक्त एबेट हो गया है। अतः सीजर मेमों के क्रम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं किया गया जबकि क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6,9 एवं 12 में उल्लिखित दस्तावेज, जो कि मुकदमें से सम्बंधित है और उनकी आवश्यकता अग्रिम विवेचना में हो सकती है। इसलिए उन्हें अवमुक्त किये जाने पर अपनी आपत्ति किया है।

चूंकि प्रार्थिनी द्वारा याचित दस्तावेजों में से सीजर मेमों के क्रम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने पर कोई बाध्यता नहीं है।जहॉ तक सीजर मेमों के क्रम संख्या–9 में उल्लिखित प्रपत्र, जो अभियुक्त के आवास संख्या बी 5/108 गंगोत्री इन्कलेव अवध बिहार योजना सुल्तानपुर रोड लखनऊ के मूल कागजात की फोटो कापी है और प्रार्थिनी द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि क्रम संख्या–9 में उल्लिखित दस्तावेज फोटो कापी है तथा मूल दस्तावेज बैंक में रखे है। अतः प्रार्थिनी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि क्रम संख्या–9 में उल्लिखित दस्तावेज, जिनकी मूल प्रति बैंक में रखे हुए है, उनकी फोटो प्रति बैंक से प्राप्त कर सकती है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। आर.सी.नं0–0062020ए0002 से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित दस्तावेज, जो कि सीजर मेमों के क्रम संख्या– 7,8,10 एवं 11 में उल्लिखित है, को नियमानुसार वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित दस्तावेज, जो कि सीजर मेमों के क्रम संख्या– 7,8,10 एवं 11 में उल्लिखित है, को प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव से प्राप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

09.07.21

जेल अधीक्षक लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि जेल मैनुअल के अनुसार अभियुक्त सुधांशु द्विवेदी को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायें और जेल चिकित्सक के चिकित्सीय परामर्श के अनुसार यदि आवश्यक हो तो जेल मैनुअल के अनुसार वाहय चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा आख्या एक सप्ताह 16.7.21 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2499 / 2021

<u>14.06.2021</u>

जमानत प्रार्थना पत्र आज वर्चुअल न्यायालय के समक्ष पेश हुआ।

उक्त प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आख्या तलब की गई। जमानत प्रार्थना पत्र के पुष्ट पर उक्त न्यायालय के लिपिक द्वारा आख्या अंकित की गई कि ''अभियुक्त नितेश गुप्ता को दिनांक 13.5.2021 को अंतरिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।''

माननीय शीर्ष न्यायालयों के दिशा निर्देश के अनुसार चूँकि अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है अतः जमानत प्रार्थना पत्र गुण–दोष पर सुनवाई हेतु दिनांक 02.08.2021 को पेश हो।

अधिवक्ता अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होते ही अभियुक्त संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करेगा जिससे जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना संभव हो सके।

आदेश की एक प्रति सेशन क्लर्क के माध्यम से अधिकारिता रखने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रेषित की जाए।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–3/14

सी0बी0आई0 बनाम के0पी0 तिवारी एवं अन्य

<u>15.03.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण रीतेश रस्तोगी, अविनाशदुबे, संगीता, गुरदीप सिंह उपस्थित है। अभियुक्त अमित शुक्ला की हाजिरी आज के लिए जरिये अधिवक्ता स्वीकार की गई।

अभियुक्त संतशरण दास की मृत्यु आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है साथ ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर बी–119/5 के रूप में उपलब्ध है।

तामीलकुनिन्दा सी0डब्लू0–1 भरत जी सिंह न्यायालय में उपस्थित है। उनके द्वारा अभियुक्त संतशरण दास की मृत्यु आख्या को साबित करते हुए बयान दिया है कि दिनांक 20.2.21 को जब अभियुक्त के घर गया तो उनके बडे पुत्र मिले तो उन्होने बताया के उनके पिताजी का देहांत दिनांक 02.01. 2021 को हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई, जो कि पत्रावली में बी–119/1 ता 119/5 है।

चूंकि अभियुक्त संतशरण दास की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्त संतशरण दास की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्व वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.21 को पेश हो। शेष अभियुक्तगण उपस्थित हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

08.03.2021

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित आये।

अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के हाशिये पर अंकित किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कुछ तात्विक तथ्यों का उल्लेख किया जाना शेष रह गया है।अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए दुबारा नया जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय। सी0बी0आई0 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना गया।

चूंकि अभियुक्त अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पर बल देने से इंकार किया गया है। अतः बल न दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।,

सी0बी0आई0 बनाम संदीप दयाल
आर0सी0 संख्या–0062016ए0022
कि0 केस नं0–1765 / 18
सीबीआई / एसीबी,लखनऊ।

दिनांक–

अभियुक्त आर.आर. इंश्योरेंश की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–22 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रार्थी कम्पनी के विरूद्व मात्र धारा 420 भा0द0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। जबकि उसके विरूद्व धारा 420 भा0द0सं0 का कोई अपराध नहीं बनता है। आरोप पत्र में यह वर्णित किया गया है कि जो भी लेन देन होता था वह सहारा इंडिया ग्रुप की कम्पनी एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंश कं0 लि0 के मध्य होता था। कोई मध्यस्थ / ब्रोकर नहीं था और गलत तरीके से प्रार्थी कम्पनी को अभियुक्त बना दिया गया है। पी0डब्लू0–4 सुरेन्द्र कुमार ने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में कहा है कि बड़ी बीमा पालिसी जैसे कि आईसीसी क्रिकेट मैंच, हाकी लीग मैच, जिसमें जीवन बीमा एक साधारण बीमा के रूप मे होता है, में मेसर्स एलियांस ब्रोकर प्रा0 लि0, मेसर्स सरई बीमा कम्पनी एवं मेसर्स यूनिजन बीमा कम्पनियों की सर्विसों का उपयोग किया जाता था। अतः उपरोक्त के प्रकाश में यह नहीं कहा जा सकता कि सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कम्पनी एवं न्यू इंडिया कम्पनी लि0 के मध्य जो प्रत्यक्ष कारोबार चल रहा था, उसमें ब्रोकर नहीं था। यह भी कहा गया कि पी0डब्लू0–4 ने 3 पत्र विभिन्न तिथियों पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को जारी किये थे जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि ब्रोकरर्स के नाम उल्लेखित किया गया था, जो सहारा इंडिया कम्पनी व न्यू इंडिया ग्रुप इंश्योरेंस कम्पनी के मध्य कारोबार में शामिल थे।अभियोजन कहानी झूंठी व मनगढंत है। गलत तरीके से प्रार्थी कम्पनी को नामित कर दिया गया है जबकि 3 अन्य कम्पनियों के विरूद्व आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, जबकि उनकी भूमिका समान थी। प्रार्थी कम्पनी कमीशन पर कार्य करती है। रीता अग्रवाल जो लखनऊ में कारोबार देखती थी, उनकी मृत्यु हो गयी है। पी0डब्लू0–8 गौरव श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी ने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में कहा है कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा दो प्रति में इंश्योरेंस पालिसी जारी की जा सकती है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। पी0डब्लू0 8 द्व ारा यह भी कहा गया है कि सहारा इंडिया को जो प्रति प्राप्त हुई है वह फर्जी है क्योंकि उसमें ब्रोकर्स के नाम उल्लिेखित नहीं है। प्रार्थी कम्पनी की कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी कम्पनी के विरूद्व कोई केस नहीं बनता है। अतः उसे

आरोपित आरोप से उन्मोचित किया जाय।

कम्पनी की ओर से विधि व्यवस्था क्रिमीनल अपील नं0–167/2021 अर्चना रानी बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 01.03.2021 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि धारा 420 भा0द0सं0 के अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व होने चाहिए उनके न होने के आधार पर माननीय न्यायालय के अनुसार धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध आकृष्ट नहीं होता है तथा धारा 420 भा0द0सं0 के आवश्यक तत्वों के अभाव में धारा 482 द0प्र0सं0 की कार्यवाही रोके जाने का आदेश पारित किया गया है। (2020) 2 सुप्रीम कोर्ट केसस (क्रि0) 454 प्रो0 आर.के. विजयासारथी एवं अन्य बनाम सुधा सीताराम एवं अन्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मामला सिविल प्रकृति का होने के कारण धारा 420 भा0द0सं0 के आवश्यत तत्वों के अभाव में धारा 482 द0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

सी0बी0आई0 द्वारा जवाबदावा बी–25 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद दिनांक 13.07.2016 को दर्ज किया गया था। जिसमें यह कहा गया है कि संदीप दयाल तत्कालीन डिवीजनल मैनेजर दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा अन्य लोगों के साथ मिल करके सहारा इंडिया के प्रत्यक्ष कारोबार, जिसमें कि कोई कमीशन देय नहीं था, में रूपये 70.02 लाख का कमीशन धोखाधडी करते हुए कपट पूर्ण तरीके से एजेंट व ब्रोकर को जारी किया जिसको आपस में बांट लिया। इस प्रकार बीमा कम्पनी को मु0 70.02 लाख रूपये की गलत तरीके से क्षति कारित किया। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक कम्पनी के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य है। यह भी कहा गया कि जिन तीन कम्पनियों के बाबत जो यह कहा गया कि उन्हें आरोप पत्र में नामित नहीं किया गया है, उन कम्पनियों की पालिसी भिन्न थी जिसमें जीवन बीमा एवं जनरल बीमा शामिल था, जिन्हें सहारा इंडिया द्वारा उक्त कम्पनियों के माध्यम से न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से लिया गया था। जबकि आरोपित कम्पनी में केवल जनरल बीमा पालिसी थी। जिसे सहारा इंडिया द्वारा इंकार किया गया है कि आरोपित कम्पनी से जनरल पालिसी ली थी, परन्तु आरोपित कम्पनी ने कमीशन प्राप्त किया है। जिन पत्रों का उल्लेख बचाव पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया है उनके सम्बन्ध में सी0बी0आई0 द्वारा कथन किया गया कि वे सुरेन्द्र कुमार पी0डब्लू0–4 ने अपने बयान धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान में स्वीकारा है कि वे पत्र संदीप दयाल को विभागीय कार्यवाही से बचाने के लिए बाद में जेड0यू0 खान के कहने पर जारी किये गये थे। यह भी कहा गया कि सहारा इंडिया परिवार द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है कि उनके द्वारा आरोपित कम्पनी की कभी कोई सेवा ली थी और जो प्रति सहारा इंडिया को प्राप्त हुई थी उसमें आरोपित कम्पनी का कोई नाम उल्लिेखित नहीं था। आरोपित कम्पनी द्वारा कोई भी आवश्यक पत्र भी ब्रोकर के सम्बन्ध में दाखिल नहीं किया गया है। आरोपित कम्पनी द्वारा गलत तरीके से 197 पालिसियों पर रू0 17,10,486/कमीशन प्राप्त किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य है। अतः उसे आरोपित किया जाय।

आरोपित कम्पनी की ओर से प्रतिउत्तर बी–27 दाखिल करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का ही समर्थन किया है।

सी0बी0आई0 की ओर से उपस्थित लोक अभियेाजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

सम्बन्धित प्रकरण में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सहारा इंडिया एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के मध्य एक संविदा ग्रुप इंश्योरेंश किये जाने हेतु किया गया था। उक्त संविदा में यह स्पष्ट रूप से प्राविधित किया गया था कि उक्त संविदा हेतु कोई मध्यस्थ नहीं होगा। ऐसे में दोनों कम्पनियों के मध्य हुई संविदा में किसी एजेंट की कोई भूमिका नहीं थी। पत्रावली पर इस स्तर पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा ऐसी संविदा किये जाते समय कि एजेंट न होना कथित था तो अभियुक्त द्वारा बेईमानीपूर्ण आशय से

सदोष लाभ प्राप्त किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है तथा जहॉ तक माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था का प्रश्न है, उपरोक्त विधि व्यवस्था धारा 482 द0प्र0सं0 के प्रश्न पर है तथा दोनों विधि व्यवस्थाओं में धारा 420 भा0द0सं0 के अपराध के लिए आवश्यक तत्वों का अभाव है। इसके विपरीत सम्बन्धित प्रकरण में इस स्तर पर अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त कम्पनी द्वारा ऐसी संविदा में जिसमें कि एजेंट की कोई भूमिका नहीं थी, स्वयं से एजेंट बनाते हुए सदोष लाभ बेईमानीपूर्ण प्राप्त किया है। अतः बचाव पक्ष की ओर से दाखिल विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं है और अभियुक्त इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

माननीय सवोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

शिवराम सिंह अहलावत व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य (2013) 1 जे0आई0सी0 290 सुप्रीम कोर्ट में यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी कि आरोप बनाये जाने के स्तर पर न्यायलय को केवल यह देखना है कि पत्रावली पर उपलब्ध मैटेरियल के आधार पर आगे की कार्यवाही चलाये जाने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं।

अभियोजन के द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और उपरोक्त विवेचना से आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में की गयी शिकायत को प्रथम दृष्ट्या बल प्राप्त होना प्रकट है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पश्चिम् बंगाल राज्य बनाम् मो0 खालिद 1995 (1) एस0सी0सी0 684** में यह विधि–व्यवस्था दी गयी है कि What the court has to see, while considering the question of framing the charge, is whether the material brought on record would reasonably connect the accused with the crime. No more required to be inquired into.

प्रस्तुत प्रकरण में सी0बी0आई0/अभियोजन द्वारा किये गये विवेचना के पश्चात अभियोजन द्वारा दाखिल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कम्पनी आर. आर. इंश्योरेंश कम्पनी लि0 के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के अनुसार अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचन हेतु किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात अभियुक्त कम्पनी आर.आर. इंश्योरेंश कम्पनी लि0 के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने के कारण अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कम्पनी आर.आर. इंश्योरेंश कम्पनी लि0 द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक–   को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

माननीय सवोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ महाराष्टं बनाम् **सोम नाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 1⁄441⁄2 659 उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय** उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं। **शिवराम सिंह अहलावत व अन्य बनाम् स्टेट ऑ फ यू0 पी0 व अन्य 1⁄420131⁄2 1 जे0 आई 0 सी0 290 सुप्रीम कोर्ट** में यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी कि आरोप बनये जाने के स्तर पर न्यायलय को केवल यह देखना है कि पत्रावली पर उपलब्ध मैटेरियल के आधार पर आगे की कार्यवाही चलाये जाने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं।

अभियोजन के द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और उपरोक्त विवेचना से आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में की गयी शिकायत को प्रथम दृष्ट्या बल प्राप्त होना प्रकट है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम् बंगाल राज्य बनाम् मो0 खालिद 1995 1⁄411⁄2 एस0सी0सी0 684 में यह विधि–व्यवस्था दी गयी है कि What the court has to see, while considering the question of framing the charge, is whether the material brought on record would reasonably connect the accused with the crime. No more required to be inquired into.

प्रस्तुत प्रकरण में सी0बी0आई0/अभियोजन द्वारा किये गये विवेचना के पश्चात अभियोजन द्वारा दाखिल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कम्पनी आर.आर. इंश्योरेंश कम्पनी लि0 के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के अनुसार अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचन हेतु किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात अभियुक्त कम्पनी आर.आर. इंश्योरेंश कम्पनी लि0 के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने के कारण अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–121/2021

आर.सी.नं0–0062020ए0002

नमिता श्रीवास्तव बनाम् सी0बी0आई0

01.03.2021

प्रार्थिनी नमिता श्रीवास्तव की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके पति कमल कुमार श्रीवास्तव प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त है और सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को उसके आवास संख्या–एफ–3376 में समय करीब 8.30 बजे प्रातः तलाशी ली थी और तलाशी के दौरान कुछ निजी सम्पत्ति और कुछ दस्तावेज सीज्ड किया था, जिनका सीज्ड मेमों भी तैयार किया गया था। उसके पति का दिनांक 26.11.2020 को निधन हो गया। उसे दस्तावेजों की आवश्यकता है और पति की मृत्यु के पश्चात मूल सेडडील की आवश्यकता है और उसे विवेचना करने वाली एजेन्सी के पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी0बी0आई0 द्वारा जिन 12 सामानों को सीज्ड किया गया था, उन पर आरोप पत्र में रिलाइ(relied) नहीं किया गया। अतः सी0बी0आई0 द्वारा सीज्ड सामानों को प्रार्थिनी के हक में रिलीज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से बी–5 जवाब देते हुए कहा गया है कि अभियुक्त स्व0 कमल कुमार श्रीवास्तव के आवास की तलाशी दिनांक 10.1.2020 को ली गई थी और 12 सामानों को सीज्ड किया गया था। दौरान विवेचना अभियुक्त का निधन हो गया है और क्रिमीनल जिम्मेदारी से अभियुक्त एबेट हो गया है। अतः सीज्ड मेमों में क्रम संख्या 7,8,10 एवं 11 में उल्लिेखित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने हेतु उचित आदेश पारित किया जा सकता है तथा क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6,9 एवं 12 में उल्लिेखित दस्तावेज वाद से सम्बंधित है और उनकी आवश्यकता अग्रिम विवेचना में हो सकती है। अतः तथ्यों व परिस्थितियों में उचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक दिनेश कुमार सिंह के विरूद्व सी0बी0आई0 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और दैारान विवेचना आवेदक के आवास से सर्च के दौरान दस्तावेजों को सीज्ड किया गया था। सीज्ड दस्तावेज को अवमुक्त किये जाने की याचना आवेदक द्वारा किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा भी अपनी लिखित अनापत्ति बी–6 दाखिल किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2019 को स्वीकार भी किया जा चुका है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा याचित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने में सी0बी0आई0 को कोई आपत्ति नहीं है और सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट भी न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। RC08(A)/2013/AC-III से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित, दस्तावेजों को नियमानुसार वापस करते हुए सीज्ड बैंक एकाउन्ट एवं लाकर्स के संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित दस्तावेजों को प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह से प्राप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को प्राप्त कराई जाये।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।
वाद संख्या– 1112 / 18

19.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव जिलाकारागार से उपस्थित है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी उपस्थित है।

दिनांक 18.02.21 को बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत पत्रावली दिनांक 19.02.2021 को निर्णय हेतु नियत है। अभियुक्त दिनांक 01.01.2020 से न्यायिक अभिरक्षा के तहत जिला कारागार में निरूद्व है। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2012 को अन्तर्गत धारा 120बी सपठित धारा 419, 120बी सपठित धारा 420, 120बी सपठित धारा 468, एवं 120बी सपठित धारा 471 भा0द0सं0 में विरचित किया गया है। बहस के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त गलत धाराओं में निरूद्व है। उक्त त्रुटि को न्यायालय के समक्ष लाना अनिवार्य है। अतः इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः न्यायोचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सी0बी0आई0 की ओर से प्रार्थना पत्र पर अपना पक्ष रखते हुए कथन किया है कि अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव के विरूद्व आरोप पत्र अन्य सह अभियुक्तगण के साथ अन्तर्गत धारा–120बी सपठित धारा 419, 420,468,471 भा0द0सं0 सपठित धारा–13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) 1988 में प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव के विरूद्व 120बी,419 420,468,471 एवं धारा–13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) 1988 में दिनांक 26.11.10 को संज्ञान लिया गया था तत्पश्चात अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव के विरूद्व अन्य अभियुक्तगणों के साथ आपराधिक षडयंत्र करने के लिए उनके विरूद्व 120 सपठित 419, 120 सपठित 420, 120 सपठित 468, 120 सपठित 471 भा0द0सं0 में दिनांक 17.9.12 को आरोप विरचित किया गया तथा आरोप में अभिकथित अपराध करने के समय, स्थान और व्यक्तियेां के बारे में विशिष्टयों का उल्लेख करते हुए धारा 120बी भा0द0सं0 का अतिरिक्त आरोप विरचित किया गया है।अभियुक्त द्वारा कालान्तर में फरार होने के उपरांत अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उसकें वारंट पर लिपिकीय त्रुटि के कारण 309द0प्र0सं0 के बनाये गये वारंट में सहबन अतिरिक्त धाराओं का भी उल्लेख

हो गया। अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव का विचारण अन्तर्गत धारा 120बी, 120 सपठित 419, 120 सपठित 420, 120 सपठित 468, 120 सपठित 471 भा0द0सं0 में अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव का विचारण उपरोक्त निर्मित किये गये आरोप

में हो रहा है। अतः न्यायालय से उपरोक्त निर्मित किये गये आरोप के आलोक में वारंट अन्तर्गत धारा 309 द0प्र0सं0 को संशोधित करते हुए अन्य न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव कि0 केस संख्या–1112/18 में आरोप दिनांक 17.9.12 को विरचित किया गया था। उक्त आरोप के आधार पर ही अभियुक्त का विचारण भी सम्पादित किया जा रहा है और इस पक्ष पर उभय पक्ष की सहमति भी तथापत्रावली से उक्त तथ्य पुष्ट भी हो रहे है। ऐसे में लिपिकीय त्रुटि के कारण अंकित अतिरिक्त धारायें वारंट 309 से तत्काल संशोधित की जाय क्योंकि सम्बन्धित पत्रावली में निर्णय से पूर्व न्यायिक प्रक्रियायें पूर्ण हो चुकी है, ऐसे में पुनः पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24.2.21 को पेश हों। अभियुक्त धारा 436ए द0प्र0सं0 के अन्तर्गत 30–30 हजार रूपये की दो जमानत दिनांक 23.2.21 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24.2.21 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।
वाद संख्या– 1112/18

18.02.2021

यह पत्रावली कल दिनांक 19.02.2021 को निर्णय हेतु नियत है। बहस के दौरान जब बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के आरोप विरचित धाराओं एवं वर्तमान में धारा 309 द0प्र0सं0 के वारन्ट में उल्लिखित धाराओं के भिन्नता के बिन्दु पर प्रश्न किया गया तो उभय पक्ष द्वारा पत्रावली के परिशीलन हेतु समय मांगा गया था। आज दिनांक 18.02.21 को बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत पत्रावली दिनांक 19.02.2021 को निर्णय हेतु नियत है। अभियुक्त दिनांक 01.01.2020 से न्यायिक अभिरक्षा के तहत जिला कारागार में निरूद्व है। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2012 को अन्तर्गत धारा 120बी सपठित धारा 419, 120बी सपठित धारा 420, 120बी सपठित धारा 468, एवं 120बी सपठित धारा 471 भा0द0सं0 में विरचित किया गया है। बहस के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त गलत धाराओं में निरूद्व है। उक्त त्रुटि को न्यायालय के समक्ष लाना अनिवार्य है। अतः इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः न्यायोचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि आज सी0बी0आई0 के विशेष अभियोजन अधिकारी प्रार्थना पत्र पर अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं है। ऐसे में प्रार्थना पत्र संख्या–बी–31 वास्ते निस्तारण कल दिनांक 19.02.21 को पेश हो। अभियुक्त मय वारंट जिला कारागार से तलब हो। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उपरांत न्यायालय द्वारा

निर्णय हेतु पुनः नई तिथि से उभय पक्ष को सूचित कर दिया जायेगा।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।
वाद संख्या– 1112/18

15.02.21

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव जेल से उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि सम्बन्धित प्रकरण में चूंकि ई0डी0 द्वारा भी विवेचना चल रही है। ऐसे में यह मुकदमा धारा 43 पी0एम0एल0ए0 के प्रभाव के कारण यह न्यायालय विचारण को सुनने की क्षेत्राधिकारिकता नहीं रखता है। इस बिन्दु पर जवाब देते हुए सी0बी0आई0 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पीएमएलए से सम्बन्धित मुकदमे के लिए

अधिकृत न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था और उक्त प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गुण–दोष के आधार पर दिनांक 09.02.2021 को निरस्त कर दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य को स्वीकारा गया है। ऐसे में अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान में इस सक्षम न्यायालय को सम्बन्धित मामले में सुनवाई की अधिकारिकता प्राप्त है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा इस पर कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और बहस की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19.2.21 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

वाद संख्या– 360/20

धारा–7 पी0सी0ऐक्ट

थाना–सीबीआई/एसीबी

12.02.2021

पत्रावली प्रार्थना पत्र बी–5 एवं आपत्ति बी–6 पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

प्रार्थना पत्र बी–5 में मुख्य रूप से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अभियोजन द्वारा पेज नं0 32 व 80 की साफ प्रति प्राप्त नहीं कराई गई तथा आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों की जो सूची दाखिल की गई है उसमें आवाज नमूना परीक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आवाज रिकार्डिग और वार्तालाप जिसे क्यू–1, क्यू–2 व क्यू–3 में सुरक्षित रखा गया है, उसकी प्रति उन्हें प्राप्त नहीं कराई गई है। अतः अभियोजन प्रपत्र संख्या–32 व 80 की साफ प्रति, क्यू–1, क्यू–2 व क्यू–3 में सुरक्षित आवाज नमूना की प्रति, सीएफएसल रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाय।

सीबीआई द्वारा आपत्ति बी–6 दाखिल किया जिसके पैरा–8 मूल सीडी/एसडी कार्ड जिसमें विवेचना के समय बातचीत रिकार्ड होना अभिकथित है, जो कि वादी मुकदमा व अभियुक्त राजेश श्रीवास्तव के बीच है, इसके अतिरिक्त सीएफएसल परीक्षण रिपोर्ट अभी सीबीआई को प्राप्त नहीं हो पाई है और जब उक्त वस्तुए सीएफएसल द्वारा सीबीआई को प्राप्त होगी तो विशेषज्ञ राय के साथ न्यायालय के माध्यम से अभियुक्त को प्राप्त करा दी जायेगी।

सुना गया।

प्रार्थना पत्र पर दी गई आपत्ति बी–6 के पैरा–8 में सी0 बी0 आई0 द्वारा यह कथन किया गया है कि मूल सीडी/एसडी कार्ड जिसमें विवेचना के समय बातचीत रिकार्ड होना अभिकथित है, जो कि वादी मुकदमा व अभियुक्त राजेश श्रीवास्तव के बीच है, इसके अतिरिक्त सीएफएसल परीक्षण रिपोर्ट अभी सीबीआई को प्राप्त नहीं हो पाई है और जब उक्त वस्तुए सीएफएसल द्वारा सीबीआई को प्राप्त होगी तो विशेषज्ञ राय के साथ न्यायालय के माध्यम से अभियुक्त को प्राप्त करा दी जायेगी। पैरा–8 में किये गये इस कथन पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता का यह कथन है कि जब सीबीआई द्वारा यह स्वयं स्वीकारा जा रहा है कि बातचीत की रिकार्डिग व आवाज नमूना जांच पर विशेषज्ञ की राय तथा उसकी वैधानिकता व प्रमाणिकता पर सीएफएसएल की रिपोर्ट अभी आना शेष है तो सीबीआई द्वारा किन परिस्थितियों में उक्त साक्ष्य को relied upon साक्ष्य की श्रेणी में डालते हुए उक्त के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि सम्बन्धित परीक्षण नमूना रिपोर्ट सीएफएसएल रिपोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उक्त पर परीक्षण आख्या प्राप्त किये बिना विचारण को आगे बढ़ाये जाने पर प्रतिरक्षा प्रभावित हो सकती है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है।

अतः सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि अतिशीघ्र सम्बन्धित

पत्रावली में पैरवी कर परीक्षण आख्या प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि उक्त परीक्षण आख्या को अभियुक्त को प्रदत्त करा कर शीघ्र विचारण नियमानुसार विधिनुसार सुनिश्चित कराया जा सके।

चूंकि प्रायः सामान्य रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में सीबीआई से अपेक्षित है कि इसकी विधिक स्थिति से अगली नियत तिथि पर स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक 26.2.21 को पेश हो।

प्रार्थना पत्र बी–5 व आपत्ति बी–6 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

अ0सं0–540/19
वाद संख्या– 370/20
धारा–409,420,467,468,471,120बी भा0द0सं0
एवं धारा–13(2) पी0सी0ऐक्ट
थाना–सीबीआई/एसीबी

04.02.2021

प्रार्थी/अभियुक्त **विकास चावला** की ओर से जमानत धनराशि निर्धारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.02.2021 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मिलान कम्पयूटर सेक्शन से कार्यालय लिपिक द्वारा किया गया है। लिपिक आख्या अनुसार उक्त आदेश सही पाया गया।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रार्थी/अभियुक्त विकास चावला को **एक –एक लाख रूपये का व्यक्तिगत मुचलका एवं समान धनराशि के दो प्रति भू** निम्न शर्त के अधीन दाखिल करें–

1– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा आरोप विरचन, साक्ष्य तथा बयान धारा 313 द0प्र0सं0 के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा और अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत के बाहर नहीं जायेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन के किसी साक्षी पर दबाव नहीं देगा और न ही उसे धमकी देगा।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

क्रिमिनल मि0 केस नं0–
सी0बी0आई0 बनाम विपिन सक्सेना

03.02.2021

आज सी0बी0आई0 के विवेचक अतुल दीक्षित की ओर से अभियुक्त विपिन सक्सेना के विरूद्व आर0सी0 नं0 0062017ए0020 अन्तर्गत धारा–13(2) सपठित 13(1)(ई)पी0सी0ऐक्ट 1988 में आरोप पत्र मय सूची गवाहान, सूची अभिलेख दाखिल किया गया। आरोप पत्र के साथ अभियुक्त से सम्बन्धित अभियोजन स्वीकृति विवेचक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। विवेचक द्वारा इा आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रयास किये जा रहे है। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होते ही शीघ्र ही न्यायालय में दाखिल कर दिया जायेगा।

प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली दिनांक 10–3–2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–938/2020

दिनेश कुमार सिंह बनाम् सी0बी0आई0

<u>02.02.2021</u>

प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह की ओर सम्बन्धित व असम्बन्धित दस्तावेजों को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र बी–3 प्रस्तुत किया गया है तथा समर्थन में शपथपत्र बी–3/3 भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि सी0बी0आई0/ए.सी. थर्ड नई दिल्ली द्वारा सूत्रों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट तब दर्ज की गई है जब वह दिनांक 1–1–1995 से दिनांक 19–01–2012 तक जिला युवा को–आर्डीनेटर के पद पर कार्यरत था। सी0बी0आई0 द्वारा तलाशी के दौरान उसके आवास से कुछ पेपर, दस्तावेज, सेलडीड एवं पास बुक आदि भी जब्त किया गया था। आवेदक के विरूद्व वर्ष 2013 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान सभी सीज्ड व एकत्र किये गये दस्तावेज, सेलडीड, पास बुक, एल.आई.सी. बांड एवं पेपर जो मुकदमें से सम्बन्धित है अथवा जो दस्तावेज मुकदमें से सम्बन्धित नहीं है, को न्यायहित में प्रार्थी की सुपुर्दगी में अवमुक्त किये जाने तथा प्रार्थी को बैंक एकाउन्ट के संचालन करने तथा सीज्ड लाकर्स के आपरेशन हेतु भी यथोचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सी0बी0आई0 की ओर से विवेचक गौतम जोशी उपस्थित आये और उनके द्वारा अनापत्ति प्रार्थना पत्र बी–6 दाखिल करते हुए आरसी08(ए)/2013/एसी–थर्ड से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को वापस करने तथा विवेचना के दौरान सीज्ड बैंक एकाउन्ट एवं लाकर्स के संचालन करने में अपनी अनापत्ति दाखिल किया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक दिनेश कुमार सिंह के विरूद्व सी0बी0आई0 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और दैारान विवेचना आवेदक के आवास से सर्च के दौरान दस्तावेजों को सीज्ड किया गया था। सीज्ड दस्तावेज को अवमुक्त किये जाने की याचना आवेदक द्वारा किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा भी अपनी लिखित अनापत्ति बी–6 दाखिल किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2019 को स्वीकार भी किया जा चुका है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा याचित दस्तावेजों को रिलीज किये जाने में सी0बी0आई0 को कोई आपत्ति नहीं है और सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट भी न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बी–3 स्वीकार किया जाता है। RC08(A)/2013/AC-III से सम्बन्धित, प्रार्थना पत्र बी–3 के माध्यम से याचित, दस्तावेजों को नियमानुसार वापस करते हुए सीज्ड बैंक एकाउन्ट एवं लाकर्स के संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सीबीआई को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र बी–3 से याचित दस्तावेजों को प्राप्त करायेगा तथा स्वीकृत प्रार्थना पत्र बी–3 में पारित आदेश के अनुपालन में उसकी संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह से प्राप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध करायेगा।

आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को प्राप्त कराई जाये।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–34/2018

सी0बी0आई0 बनाम् अमर जीत एवं अन्य

31.01.2021

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित मामले में अभियुक्त राधाकृष्णनन की तरफ से श्री धनन्जय सिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया तथा सीज्ड सम्पत्ति को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

वकालतनामा पत्रावली पर रखा जाय तथा सीज्ड प्रार्थना पत्र दर्ज हो। उक्त की प्रति सीबीआई को आपत्ति हेतु प्राप्त करा दी गई है।

इस मामले में अभियुक्तगण राधाकृष्णनन तथा आर0एस0 प्रजापति को छोड़ कर अन्य अभियुक्तगण द्वारा, जिन्होने जमानत नहीं कराई है, उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि सम्बन्धित मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अभियुक्तगण की याचिकाओं पर दिनांक 29.1.91 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते उनके स्थगन आदेश को नियत तिथि 15.2.2021 तक अग्रसारित करते हुए सुनवाई हेतु पत्रावली नियत कर दी गई है। दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायायालय के आदेश की कम्प्यूटर प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 23.2.2021 को पेश हो। अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की सत्यापित प्रति उक्त तिथि से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1765/2018

सी0बी0आई0 बनाम् संदीप दयाल एवं अन्य

<u>21.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रोहित शुक्ला व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त संदीप दयाल एवं आर0 आर0 इंश्योरेंश कम्पनी की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

आर0 आर0 इंश्योरेंश कम्पनी एवं अभियुक्त रोहित शुक्ला के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस पूर्ण की गई।

यद्यपि के सी0बी0आई0 के पूर्व अभियोजन अधिकारी की बहस को पूर्व में सुना जा चुका था परन्तु उनका स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात नवनियुक्त अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति–उत्तर दाखिल करने हेतु समय की याचना की है।

न्यायहित में सी0बी0आई0 के नवनियुक्त अभियोजन अधिकारी की प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09.02.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,

सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

<u>रोहित शुक्ला</u>

सहारा के अधिकारी सुरेन्द्र कुमार द्वारा अधिकार पत्र सामान्य रूप से जारी किया गया और उसका नाम वर्ष 12—13, 13—14 में जारी किये गये अधिकार पत्र में अभियुक्त रोहित शुक्ला का नाम भी अंकित है। रोहित शुक्ला द्व ारा उक्त अधिकारपत्र के अनुक्रम में ही सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया था।

यद्यपि कि बाद में सुरेन्द्र कुमार सीबीआई के विवेचना करने के समय यह कह कर मुकर गया कि यह पत्र उन्होने संदीप दाल के कहने पर उनकी विभागीय जांच करने की सहायता करने हेतु जारी किया गया था परन्तु इस मौखिक बात से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य अधिकार पत्र पर विश्वास किया जाना चाहिए।

सम्बन्धित मामले में 7 लोगों के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज कराय गई परन्तु संदीप कुमार, माया पाण्डेय को सीबीआई द्वारा आरोपित नहीं किया गया जबकि उनका अभियुक्त रोहित शुक्ला के समकक्ष या पूर्णताः सामान्य भूमिका पाई गई। ऐसे में की गई विवेचना सद्भावनापूर्वक तथा स्वतंत्र निष्पक्ष श्रेणी में नहीं आती है।

रोहित शुक्ला के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पालिसी भरे जाते समय एजेन्ट कोड विशिष्ट रूप से उनके द्वारा डाला जाना अभिकथित नही है और न ही इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट साक्ष्य है। ऐसे में एजेन्ट कोड डाल कर सदोष लाभ प्राप्त किये जाने के बिन्दु पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना में आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया

तथा यह भी अभिकथन किया गया कि अभियुक्त कृष्ण गोपाल, जो कि ए0ओ0 न्यू इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी के रूप में कार्यरत थे, उनको सीबीआई द्वारा अभियुक्त न बनाते हुए एप्रूवर बना दिया गया ह जो कि निष्पक्ष विवेचना पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

एप्रूवर द्वारा दिये गये धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान में रोहित शुक्ला के विरूद्व विशिष्ट रूप से अपराध कारित किये जाने के सन्दर्भ में आरोप नहीं लगाया गया है।

धारा 120बी भा0द0सं0 के विशिष्ट अपराधों को साबित करने के लिए जिसमें अभियुक्त को मुख्य रूप से आरोपित किया गया है, किये गये विशिष्ट साक्ष्य आरोप पत्र में उल्लिखित नहीं किये गये।

उपरोक्त तर्को के आधार पर आरोप के स्तर पर इस प्रकृति के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने का कथन करते हुए अभियुक्त आरोप से मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

रूलिंग पेज 16–17 पर

1– आर.आर. इंश्योरेंश ब्रोकर्स कम्पनी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया है कि उसके विरूद्व धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध नहीं बनता है। मामले में जिस समय का सम्व्यवहार के सन्दर्भ में कम्पनी को आरोपित किया गया है उस समय कम्पनी की तरफ से आरोपित सम्व्यवहार के विषय में कम्पनी का काम काज रीता अग्रवाल देख रही थी, जो कि उस समय रीजिनल हेड के पद पर कार्यरत थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उनके द्वारा कम्पनी का कोई दायित्व न होने का कथन किया गया है।

2– यह भी तर्क किया गया कि आर.आर. इंश्योरेंश ब्रोकर्स कम्पनी को छोड कर अन्य किसी का कम्पनी से, जो कि एफ आई आर में नामित किये गये थे, सीबीआई द्वारा आरोपित नहीं किया गया है। चूंकि रीता अग्रवाल की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में कम्पनी का कोई प्रति निहित दायित्व नहीं बनता है। इस बिन्दु पर अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था सुनील भारती मित्तल बनाम सीबीआई 2015 वैल्यूम–4 एस सी सी पेज 609 एवं सतीश चन्द्र रतन लाल शाह बनाम स्टेट आफ गुजरात एवं अन्य (2019) 9 सुप्रीम कोर्ट केसस 148 प्रस्तुत किया गया है।

3– यह भी तर्क किया गया है कि ब्रोकरेज के रूप में जो राशि कम्पनी को प्राप्त होती थी उक्त राशि में से संदीप दयाल को दिये जाने का कोई साक्ष्य साक्ष्य सीबीआई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4– यह भी तर्क किया गया है कि कम्पनी आर.आर. इंश्योरेंश ब्रोकर्स द्वारा सहारा के अधिकारी सुरेन्द्र कुमार द्वारा जारी किया गया मैन्डेट लेकर से अधिकृत होकर आर.आर. इंश्योरेंश ब्रोकर्स कम्पनी से जो ब्रोकर्स की राशि प्रापत होती थी वह उक्त प्रतिफल के रूप में ही प्राप्त होती थी। इसलिए कोई सदोष लाभ प्राप्त नहीं किया गया। मैन्डेट लेकर जो कि सहारा अधिकारी द्वारा जारी किया गया वह वित्तीय वर्ष 2010–11, 11–12, 12–13 के लिए था। 13–14 के लिए कोई जारी नहीं किया गया और न ही कोई प्रतिफल राशि प्राप्त की गई।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–1112/2018

सी0बी0आई0 बनाम् अभिषेक श्रीवास्तव

आर0सी0 नं0–1(एस)/2010

20.01.2021

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थनापत्र बी–27 स्थगन हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद आज न्यायालय के समक्ष नियत है। उसके द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि इस वाद की सुनवाई परिवाद संख्या 54/19 के साथ की जाय। अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने तक के लिए इस वाद की सुनवाई स्थगित कर दी जाय।

सी0बी0आई0/अभियोजन की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रस्तुत मुकदमा सफाई साक्ष्य में नियत है परन्तु अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में पेश किये जाने वाले सफाई साक्षियों की लिस्ट नहीं दे रहा है और मात्र स्थगन प्रार्थना पत्र बिना उचित कारण के प्रस्तुत कर रहा है। सम्बन्धित मामले में पीएमएलए 2002 के तहत इस प्रकृति का प्रार्थना पत्र जैसा कि अभियुक्त द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय के यहां प्रस्तुत किया जाना कथित किया गया है, मात्र प्रवर्तन निदेशालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि अभियुक्त ने पूर्व में भी अन्य आधार पर अभियुक्त ने एक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र माननीय जिला जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे जनपद न्यायाधीश द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

सम्बन्धित पत्रावली में अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव विचारण के स्तर से दिनांक–09.04.2018 से गैर–हाज़िर हो गया था। उक्त के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध दिनांक–09.04.2018 को एन0बी0डब्ल्यू0 जारी किया गया। उक्त के समय पत्रावली पी0डब्ल्यू0–26 की जिरह हेतु नियत की जा रही थी। अभियुक्त लम्बे समय तक न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित आया और न ही उसने न्यायालय के विचारण में सहभागिता की। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा–82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही भी प्रचलित की गयी थी। लगभग डेढ़ वर्ष के अन्तराल के उपरान्त अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक–13.01.2020 को अभियुक्त ने अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त

के अनुक्रम में नव–नियुक्त अधिवक्ता द्वारा दिनांक–23.01.2020 को मौका प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया तथा पत्रावली साक्षी पी0डब्ल्यू0–26 मामले के विवेचक के साक्ष्य हेतु नियत की जाती रही। दिनांक– 14.02.2020 को साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया तथा न्यायालय ने प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक अलग–अलग अवसरों पर पुकार कराकर साक्षी की जिरह कराये जाने हेतु अभियुक्त को एवं उनके अधिवक्ता को निर्देश दिया, परन्तु दिनांक–14.02.2020 को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी। पुनः दिनांक–15.02.2020 को साक्षी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु समय 10.30 पर उपस्थित आ गया। न्यायालय ने उक्त तिथि पर भी विवश होकर समय 2.35 पर अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा साक्षी से जिरह किये जाने का अवसर समाप्त किया। उक्त के उपरान्त पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रचलित रही। न्यायालय द्वारा दिनांक–10.11.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अभियुक्त को बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 नियत किये जाने की सूचना दी गयी तथा न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अभियुक्त को दिनांक–21.12.2020 को तलब कर बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दर्ज करने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। उक्त तिथि पर अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता की अनुपस्थिति के आधार पर मौका प्रस्तुत किया गया, जिसे भी न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक–02.01.2021 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दर्ज करते हुए पत्रावली बचाव साक्ष्य में नियत की गयी। दिनांक– 06.01.2021 को बचाव साक्ष्य देने के स्थान पर अभियुक्त द्वारा धारा–311 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–26 विवेचनाधिकारी की प्रतिपरीक्षा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित साक्षी दिनांक–14.02.2020 तथा दिनांक–15.02.2020 को भुवनेश्वर अर्थात् दूसरे राज्य से बुलाया गया था। अभियुक्त को दोनों तिथियों पर जिरह किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदत्त किया गया था। उक्त के उपरान्त भी इस न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी कई अवसरों पर उसे धारा–313 दं0प्र0सं0 का बयान दर्ज किये जाने की सूचना प्रदत्त की गयी थी। उक्त उपरान्त न्यायालय द्वारा विशेष रूप से तलब किये जाने पर जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया था, तो भी उसे धारा–313 दं0प्र0सं0 हेतु उसके अनुरोध पर दिनांक–21.12.2020 को पुनः अवसर प्रदत्त किया गया था। ऐसे में उपरोक्त की गयी समग्र विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने न तो पूर्व में विचारण में सहयोग किया है, न ही वह वर्तमान स्तर पर विचारण में सहयोग कर रहा है। उसके पास पर्याप्त अवसर होने के उपरान्त भी धारा–313 दं0प्र0सं0 से पूर्व पी0डब्ल्यू0–26 के सन्दर्भ में धारा–311 दं0प्र0सं0 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और उसके उपरांत

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–311 द0प्र0सं0 मात्र विचारण लम्बित करने के दुराशय से प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.21 को निरस्त किया गया। आज पुनः पत्रावली सफाई साक्ष्य के स्तर पर नियत है, अभियुक्त ने एक नई प्रकृति का स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा सफाई साक्ष्य हेतु अभियुक्त को 11.1.21 को अवसर प्रदान किया गया था, पुनः दिनांक 18.1.21 को भी सफाई साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। उक्त दोनों तिथियों पर अभियुक्त ने अधिवक्ता की अनुपस्थिति तथा एक अवसर पर स्वयं की अनुपस्थित के आधार पर अवसर मांगा था। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा पत्रावली को विलम्बित करने के दुराशय से विभिन्न स्तरों पर अलग अलग भांति भांति प्रकृति के स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। पूर्व में भी अभियुक्त द्वारा विचारण में सहयोग नहीं किया जाता रहा है। सी0बी0आई0 द्वारा की गयी आपत्ति में विशिष्ट रूप से यह भी कथित है कि जिस प्रार्थना पत्र को अभियुक्त आज इस न्यायालय में स्थगन का आधार बनाना चाहता है, वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु वह विधि अनुसार सक्षम ही नहीं है। ऐसे में उपरोक्त समग्र विवेचना के प्रकाश में मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त को न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के अनुपालन में सफाई साक्ष्य का पर्याप्त अवसर पूर्व में प्रदत भी किया ज चुका है परन्तु उक्त के उपरान्त भी अभियुक्त द्वारा आज तक न तो कोई साक्ष्य सूची दाखिल की गयी है और न ही सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में अभियुक्त को सफाई साक्ष्य हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदत किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। जहां तक प्रश्न जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष लम्बित अर्न्तगत पीएलएमए प्रार्थनापत्र का है उक्त के विषय में आज के स्थगन प्रार्थनापत्र में यह विशिष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा कहीं भी उल्लिखित नहीं किया गया है कि उक्त प्रार्थनापत्र को जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है या इस न्यायालय को उक्त प्रार्थनात्र पर सुनवाई स्थगित किये जाने के सन्दर्भ में कोई निर्देश दिया गया हो। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

आ दे श

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र ए–27 निरस्त किया जाता है। अभियुक्त यदि चाहे तो आज लंच बाद सफाई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रावली लंच बाद सफाई साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

किमिनल केस नं0–1112/2018

सी0बी0आई0 बनाम् अभिषेक श्रीवास्तव

आर0सी0 नं0–1(एस)/2010

08.01.2021

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थनापत्र ए–25 अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद आज न्यायालय के समक्ष नियत है। उपरोक्त वाद में अभियोजन साक्षी संख्या–26 श्री जावेद अख्तर (विवेचनाधिकारी) की प्रतिपरीक्षा दिनांक–15.02.2020 को प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण समाप्त कर दी गयी थी। उक्त अभियोजन साक्षी की पुनः प्रतिपरीक्षा कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्त लगभग एक वर्ष से जिला कारागार में निरुद्ध है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–26 श्री जावेद अख्तर (विवेचनाधिकारी) को पुनः प्रतिपरीक्षा हेतु तलब करने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर सी0बी0आई0 के विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति करते हुए यह कहा गया कि सम्बन्धित प्रकरण को मात्र लम्बित करने के आशय से अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व से ही विचारण में अत्यन्त विलम्ब हो रहा है और उनके द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

सम्बन्धित पत्रावली में अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव विचारण के स्तर से दिनांक–09.04.2018 से गैर–हाज़िर हो गया था। उक्त के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध दिनांक–09.04.2018 को एन0बी0डब्ल्यू0 जारी किया गया। उक्त के समय पत्रावली पी0डब्ल्यू0–26 की जिरह हेतु नियत की जा रही थी। अभियुक्त लम्बे समय तक न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित आया और न ही उसने न्यायालय के विचारण में सहभागिता की। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा–82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही भी प्रचलित की गयी थी। लगभग डेढ़ वर्ष के अन्तराल के उपरान्त अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक–13.01.2020 को अभियुक्त ने अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त के अनुक्रम में नव–नियुक्त अधिवक्ता द्वारा दिनांक–23.01.2020 को मौका प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया तथा पत्रावली साक्षी पी0डब्ल्यू0–26 मामले के विवेचक के साक्ष्य हेतु नियत की जाती रही। दिनांक– 14.02.2020 को साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया तथा न्यायालय ने प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक अलग–अलग अवसरों पर पुकार कराकर साक्षी की जिरह कराये जाने हेतु अभियुक्त को एवं उनके अधिवक्ता को निर्देश दिया, परन्तु दिनांक–14.02.2020 को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी। पुनः दिनांक–15.02.2020 को साक्षी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु समय 10.30 पर उपस्थित आ गया। न्यायालय ने उक्त तिथि पर भी विवश होकर समय 2.35 पर अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा साक्षी से जिरह किये जाने का अवसर समाप्त किया। उक्त के उपरान्त पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रचलित रही। न्यायालय द्वारा दिनांक–10.11.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अभियुक्त को बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 नियत किये जाने की सूचना दी गयी तथा न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अभियुक्त को दिनांक–21.12.2020 को तलब कर बयान

अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दर्ज करने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। उक्त तिथि पर अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता की अनुपस्थिति के आधार पर मौका प्रस्तुत किया गया, जिसे भी न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक–02.01.2021 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दर्ज करते हुए पत्रावली बचाव साक्ष्य में नियत की गयी। दिनांक– 06.01.2021 को बचाव साक्ष्य देने के स्थान पर अभियुक्त द्वारा धारा–311 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–26 विवेचनाधिकारी की प्रतिपरीक्षा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित साक्षी दिनांक–14.02.2020 तथा दिनांक–15.02.2020 को भुवनेश्वर अर्थात् दूसरे राज्य से बुलाया गया था। अभियुक्त को दोनों तिथियों पर जिरह किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदत्त किया गया था। उक्त के उपरान्त भी इस न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी कई अवसरों पर उसे धारा–313 दं0प्र0सं0 का बयान दर्ज किये जाने की सूचना प्रदत्त की गयी थी। उक्त उपरान्त न्यायालय द्वारा विशेष रूप से तलब किये जाने पर जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया था, तो भी उसे धारा–313 दं0प्र0सं0 हेतु उसके अनुरोध पर दिनांक–21.12.2020 को पुनः अवसर प्रदत्त किया गया था। ऐसे में उपरोक्त की गयी समग्र विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने न तो पूर्व में विचारण में सहयोग किया है, न ही वह वर्तमान स्तर पर विचारण में सहयोग कर रहा है। उसके पास पर्याप्त अवसर होने के उपरान्त भी धारा–313 दं0प्र0सं0 से पूर्व पी0डब्ल्यू0–26 के सन्दर्भ में धारा–311 दं0प्र0सं0 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु इस स्तर पर प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र मात्र विचारण लम्बित करने के दुराशय से प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मामले के तथ्य, परिस्थिति, अभियुक्त के पूर्व आचरण तथा न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालन में अभियुक्त को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये जाने के उपरान्त भी समय से प्रार्थनापत्र न प्रस्तुत करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं।

आ दे श

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ए–25 अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 वास्ते पुनः प्रतिपरीक्षा पी0डब्ल्यू0–26 श्री जावेद अख्तर (विवेचनाधिकारी) निरस्त किया जाता है।

पत्रावली दिनांक–11.01.2021 को सफाई साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिमी,
लखनऊ।

राज्य बनाम एन.बी. सिंह

क्रि0 मिसलेनियस केस नं0–701/17

आर0सी0 नं0–17(ए)/15

दिनांक 11.01.21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त एन.बी. सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र बी–87 समर्थित शपथपत्र बी–87/6 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वह वाद के निस्तारण में विलम्ब नहीं करना चाहता है बल्कि शीघ्र निस्तारण चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में यह कथन किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया और उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत किया गया है। उक्त याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए न्यायालय में प्रार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए वाद के शीघ्र निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुरूप अभियोजन अभिलेखों की प्रतियां एवं अभियोजन द्वारा दाखिल किये गये सी0डी0, डी0वी0डी0 की मेमोरी कार्ड एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की प्रतिया प्रदान करने का आदेश अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.8.19 को पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 22.8.2019 से क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा पुनः धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत याचिका संख्या 6237/2019 माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करते हुए उक्त आदेश को अपास्त करने एवं अभियोजन अभिलेखों/फारेंसिंक रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने की याचना किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.9.19 को अभियोजन को प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.4.19 के पैरा 8 से 11 में वर्णित अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराने एवं अभियोजन को अन्डरटेकिंग भी दाखिल करने का आदेश पारित किया और तब तक विचारण न्यायालय को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ न करने का निर्देश दिया गया है। विवेचक द्वारा आदेश दिनांकित 21.9.19 के अनुपालन में प्रार्थी/अभियुक्त को सी0डी0 की केवल 3 प्रतियां ही उपलब्ध कराई गई और प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभियोजन दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों रिज्वाइन्डर शपथपत्र में वर्णित करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा याचिका संख्या 6237/2019 में दाखिल कर दिया गया है।प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान है। प्रार्थी अभियुक्त का वाद के विचारण में विलम्ब करने का कोई इरादा नहीं है बल्कि वाद का शीघ्र निस्तारण चाहता है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर सी0बी0आई0/अभियोजन द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जिस आधार पर इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल की गई है कि उसे अभियोजन अभिलेखों, सी0डी0, डी0वी0डी0 एवं फारेंसिंक रिपोर्ट की प्रतिया उपलब्ध करा दी जाय। याचिका अभी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6237/2019 में जो आदेश पारित किया जायेगा। विचारण न्यायालय उक्त आदेश के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही करेगी क्योंकि अभियुक्त द्वारा स्वयं ही विचारण प्रारम्भ किये जाने का अनुरोध इस न्यायालय से किया गया है तथा सी0बी0आई0 ने भी इस बिन्दु पर सहमति व्यक्त की है। ऐसे में पत्रावली में साक्ष्य प्रारम्भ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश को इस न्यायालय के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करेंगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 30.1.21 को पेश हो। साक्षीगण तलब हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिमी, लखनऊ।

राज्य बनाम मो0 फारूख खान

क्रि0 मिसलेनियस केस नं0–14 / 03
आर0सी0 नं0–12(ए) / 2000

दिनांक 03.05.19

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मो0 फारूख के गैर हाजिर होने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.19 को उसके विरूद्व गैर जमानती वारंट जारी किया गया। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती अधिपत्र पर सी0बी0आई0 की ओर से तामील कुनिन्दा सन्दीप बोहरा द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई कि न्यायालय आदेश के अनुपालन में मो0 फारूख पुत्र मो0 हबीब खान निवासी 625 हयात मंजिल निशातगंज प्रथम लेन लखनऊ की अभियुक्त पर वारंट की तामीला करने हेतु गया तो दिये गये पते पर अभियुक्त का पुत्र अजहर खान मिले और उन्होने बताया कि उनके पिता की मृत्यु दिनांक 07.04.19 को हो चुकी है। अभियुक्त के पुत्र द्वारा लिखित तहरीर एवं नगर निगम द्वारा निर्गम मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई गई। जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जाकर सत्यापित कराया गया, जो सत्य है। अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण गिरफ्तारी अधिपत्र अदम तामीला वापस किया गया।

तामील कुनिन्दा आरक्षी सन्दीप बोहरा आज न्यायालय हाजिर आया और उसका बयान अंकित किया गया। आरक्षी सन्दीप बोहरा ने अपने सशपथ बयान में बताया है कि उसे आर0सी0 नं0 12ए / 2000 में मो0 फारूख का गैर जमानती वारंट तामील कराने हेतु आदेशित किया गया था। आदेश के पालन में वह अभियुक्त मो0 फारूख के घर 625 हयात मंजिल निशातगंज प्रथम लेन लखनऊ गया। वहॉ पर उसके पुत्र अजहर खान मिले और जिन्होने बताया कि मो0फारूख की मृत्यु दिनांक 07.04.19 को हो चुकी है और इस सम्बन्ध में उन्होने लिखित सूचना ए–86 / 3 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ए–86 / 4 दिया जिसका सत्यापन नगर निगम लखनऊ से कराया। जिसे साक्षी ने अपने हस्ताक्षर करके साबित किया है। साक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि मो0 फारूख खान की मृत्यु के सम्बन्ध में पास में ही पान की दुकान से भी सत्यापन किया था। समर्थन में अभियुक्त के पुत्र मो0 अजहर खान द्वारा दी गई लिखित तहरीर एवं नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र में इस तथ्य का उल्लेख है कि अभियुक्त मो0 फारूख नि0 625 हयात मंजिल निशातगंज प्रथम लेन लखनऊ की मृत्यु दिनांक 07.04.19 को हो चुकी है और इसी आशय की आख्या मो0 अजहर खान द्वारा भी दी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र केवल अभियुक्त मो0 फारूख के विरूद्व ही प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अभियुक्त मो0 फारूख की मृत्यु हो चुकी है। अतः मो0 फारूख के विरूद्व वाद की कार्यवाही समाप्त करते हुए वाद उपशमित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(डा0 विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Statement Showing of Year -wise Breakup Institution Disposal and Pending of Criminal Cases
In the Court of Additional District & Sessions Court No. 7 Faizabad.

Sessions Trial Cases

Sl.No.	Year Wise	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
01.	Pending on 01-04-2020			-	1		1		3				1	
02.	Ins./ RBT													
03.	Disposal Cont.													
04.	Disposal otherwise													
05.	Disposal /TR													
06.	Pending on 24-07-2020			-	1		1		3				1	

Creminal. Appeal

Sl.No.	Year Wise	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
01.	Pending on 01-04-2020													
02.	Ins./ RBT													
03.	Disposal Cont.													
04.	Disposal otherwise													
05.	Disposal /TR													
06.	Pending on 24-07-2020													

PREPARED BY:
CHECKED BY:

Special Judge, Anti-Corruption

C.B.I. (West) , Lucknow

Statement Showing of Year -wise Breakup Institution Disposal and Pending of Criminal Cases
In the <u>Court of Additional District & Sessions Court No. 7Faizabad.</u>

<u>Cri. Revision</u>

Sl.No.	Year Wise	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
01.	Pending on 01-04-2020												
02.	Ins./ RBT												
03.	Disposal Cont.												
04.	Disposal otherwise												
05.	Disposal /TR												
06.	Pending on 24-07-2020												

<u>Misc. case</u>

Sl.No.	Year Wise	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
01.	Pending 01-04-2020			2	2					1	1			
02.	Ins./ RBT													
03.	Disposal Cont.													
04.	Disposal otherwise													
05.	Disposal /TR													
06.	Pending 24-07-2020			2	2					1	1			

PREPARED BY:
CHECKED BY:

Special Judge, Anti-Corruption

C.B.I. (West) , Lucknow

Statement Showing of Year -wise Breakup Institution Disposal and Pending of Criminal Cases
In the <u>Court of Additional District & Sessions Court No. 7Faizabad.</u>

<u>Crl.Misc. cases</u>

Sl. No.	Year Wise	88	89	90	91	00	01	02	03	04	05	06	07	08	0
01.	Pending on 01-04-2020		1	5	5		3					3		4	
02.	Ins./ RBT														
03.	Disposal Cont.														
04.	Disposal otherwise														
05.	Disposal /TR														
06.	Pending on 24-07-2020		1	5	5		3					3		4	

PREPARED BY:
CHECKED BY:

Special Judge, Anti-Corruption

C.B.I. (West) , Lucknow

<u>आदेश</u>

श्री अजय पाठक को प्रशासनिक आदेश संख्या–   के द्वारा इसी न्यायालय में पेशकार के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री अजय पाठक पेशकार के कार्य के साथ साथ पूर्व की भांति कार्यालय लिपिक के रूप में थाना गुडम्बा से सम्बन्धित पत्रावलियों का भी रख रखाव करते हुए कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

(प्रियंका गांधी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय,
लखनऊ

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

सी0बी0आई0 बनाम अनूप कुमार गुप्ता आदि

<u>नोटिस</u>

श्री वी0 दीक्षित,(वादी मुकदमा)
उप पुलिस अधीक्षक,
सीबीआई / एससीबी
लखनऊ।

आर0सी0 नं0–7ए / 2015 सी0बी0आई0 बनाम अनूप कुमार गुप्ता (मृतक) तथा राधेश्याम सिंह व अन्य के प्रकरण में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत किया।

अतः प्रकरण में यदि आपको अंतिम आख्या पर आपत्ति / अनापत्ति प्रस्तुत करनी है, तो, दिनांक 15.10.21 को समय 10.30 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति / अनापत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

सी0बी0आई0 बनाम अनूप कुमार गुप्ता आदि

<u>नोटिस</u>

श्री वी0 दीक्षित,(वादी मुकदमा)
उप पुलिस अधीक्षक,
सीबीआई / एससीबी
लखनऊ।

आर0सी0 नं0–7ए / 2015 सी0बी0आई0 बनाम अनूप कुमार गुप्ता (मृतक) तथा राधेश्याम सिंह व अन्य के प्रकरण में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत किया।

अतः प्रकरण में यदि आपको अंतिम आख्या पर आपत्ति / अनापत्ति प्रस्तुत करनी है, तो, दिनांक 15.10.21 को समय 10.30 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति / अनापत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी,
लाइब्रेरी, जनपद न्यायालय,
लखनऊ।

द्वारा,

श्रीमान विशेष न्यायाधीश,
सी0बी0आई0 पश्चिम,लखनऊ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि न्यायालय के कार्य के सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न लेखन समाग्री की आपूर्ति किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें–

1– जजमेंट पेपर एक रिम
2– कम्प्यूटर पेपर,लीगल, एक रिम
3– कम्पयूटर पेपर, ए–4 एक रिम
4– नोट बुक
5– पेन

सादर

प्रार्थी

संजय कुमार श्रीवास्तव
स्टेनो
सी0बी0आई0 पश्चिम,लखनऊ।

अग्रसारित

विशेष न्यायाधीश,
सी0बी0आई0 पश्चिम,लखनऊ।

दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या–   /2022
सी0बी0आई0 बनाम मो0 शफीक

03.01.2022

आज सी0बी0आई0 की ओर से विवेचक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा आर0सी0नं0–0532015ए0008 थाना सी0बी0आई0/एस0सी0बी0 लखनऊ अन्तर्गत धारा– 120बी सपठित धारा– 420, 409, 477ए, भा0द0सं0 एवं धारा 13(2)सपठित धारा–13(1)(सी) व (डी) पी0सी0ऐक्ट 1988 के तहत अभियुक्त मो0 शफीक के विरूद्व आरोप पत्र मय अभिलेख सूची व गवाहान सूची एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत किये गये है।

विवेचक की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होते ही शीघ्र पत्रावली पर दाखिल कर दिया जायेगा।

आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण को दाण्डिक प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया जाय।

विवेचक को आदेशित किया जाता है कि अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करते हुए शीध्र न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें जिससे कि पत्रावली दाण्डिक वाद के रूप में दर्ज करते हुए उस पर प्रसंज्ञान लिया जा सकें।

पत्रावली दिनांक 24.01.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

03.01.2022

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। उभय पक्ष की आंशिक बहस को सुना गया। बहस के दौरान यह पाया गया कि प्रकरण के पैरवी आफिसर को कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। अतः पैरवी आफिसर को तलब किया जाय। जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 04.01.2022 को पेश हों।

विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

नाम– अरूण कुमार श्रीवास्तव केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय लखनऊ द्वारा आज दिनांक 25.2.20022 को सशपथ बयान दिया गया कि

श्री अनिल कुमार यादव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनकी डयूटी उत्तरी खण्ड परिसर में चौकीदारी के पद पर थी, जो दिनांक 01.07.2021 से 15.07. 2021 तक अवकाश पर थे, इनके द्वारा दिनांक 02.08.2021 को उपस्थित पंजिका पर अपने हस्ताक्षर करना प्रारम्भ किया था, इनके द्वारा अर्जित अवकाश को बढाने व कार्य भार ग्रहण करने का किसी प्रकार की सूचना केन्द्रीय नजारत अनुभाग में प्रस्तुत नही की गई थी। जिसकी सूचना श्री सतीश निगम द्वारा श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत को की गई थी जिस पर श्रीमानजी द्वारा मुझ केन्द्रीय नाजिर से स्पष्ट आख्या मांगी गई थी। जिस पर मुझ केन्द्रीय नाजिर द्व ारा आख्या दी गई कि ''श्री अनिल कुमार यादव द्वारा कोई स्पष्टीकरण/कार्यभार ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र/अर्जित अवकाश बढाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया''। तदुपरांत श्री अनिल कुमार यादव पुनः अवकाश पर चले गये और बाद में दिनांक 15.10.2021 तक का अर्जित अवकाश बढाने का प्रार्थना पत्र दिा गया।

सहायक नाजिर अधिष्ठान की आख्या अनुसार श्री अनिल कुमार यादव का दिनांक 01.07.2021 से दिनांक 15.10.2021 तक का अर्जित अवकाश सक्षम प्राधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत कर उक्त अवधि का वेतन निर्गत कर दिया गया है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्रावली में संलग्न है।

सुनकर तस्दीक किया।

जांच अधिकारी/ विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

लखनऊ।

क्रिमिनल केस नं0–8/2012

आर.सी.नं0– 16(ए)/2012

सी0बी0आई0 बनाम दिनेश उपाध्या

03.03.2021

पूर्व तिथि दिनांक 26.02.2022 को उभय पक्ष को मौखिक रूप से सुना जा चुका था। सी0बी0आई0 की ओर से विधि व्यवस्था भी दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में आज पत्रावली आदेशार्थ/निस्तारण हेतु नियत है। आदेश पारित किया जा रहा है।

सीबीआई की ओर से प्रार्थनापत्र बी–84 इस आशय का दिया गया है कि वर्तमान में मामला अंतिम बहस पर नियत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 14.7.2020 अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल में पारित अभिमत के आलोक में अभियोजन धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र अपने वाद के समर्थन में दाखिल करना चाहता है। प्रार्थना पत्र के साथ सत्यापनकर्ता अधिकारी/इंसपेक्टर रोहित कुमार कथिहाल द्वारा जारी अन्तर्गत धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसे कि पत्रावली में शामिल किये जाने तथा उक्त सत्यापनकर्ता अधिकारी/इंसपेक्टर अनमोल सचान को बतौर साक्षी तलब किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी–85 दाखिल की गई जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र सम्पूर्ण साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अंतिम बहस के स्तर पर दाखिल किया गया है साथ ही विवेचक द्वारा न तो अभियोजन साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया और न ही विवेचक ने अपने साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को तैयार होने की बात कही है। आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद ही उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त प्रमाणपत्र सी0बी0आई0 अपनी कमियों को पूरा करने के लिए दाखिल करने की अनुमति चाही गई है साथ ही सीडी में भी छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

सी0बी0आई0 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में क्रि0 रिवीजन संख्या1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–26 में उद्वधित किया गया है कि–

Thus, there is no bar for accepting the certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at later stage if it was not filed along with the charge sheet. /the trial is yet to conclude and the accused may avail liberty of examining or re-examining any witnesses in respect of the certificate and electronic record of call detail of two mobile numbers mentioned hereinabove. The certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act is procedural requiremint for admissibility of secondary evidence of electronic record and, therefore, it can be produced at a later stage during the trial, if it was not part of the charge sheet. The accused isnot prejudiced in any manner by taking on r3ecord the certificate under Section 65-B of the evidence Act at the later stage when trial is still on. further, it is the duty of the court under Section 311 Cr.P.C. to see that the best available evidence is brought before it to prevent failure of justice and for the just

decision of the case. /for the said purpose the court is bestowed with wide discretion.

अर्जुन पण्डित राव कोडकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरतंयाल (2020) 7 एस सी सी 1 दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि–

Held, the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is gthe filing of the charte-sheet and the electronic evidence i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial beging- However, depending on the facts of each case. the court exerising diseretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial may in appropriate cases allow the prosecution to produce suchcertificate at a later poing in time subject to the balancing of the rights of the parties and preventingserious or irreversible prejudice to theaccused, so ong as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certicicate can be directed to be produced by the judge at any stage, s that informatin coniained in electronic record form can thaen be admitted and relied upon to evidence- However the exercise of power by the courts in criminal trails in permitting evidence to be filed at a later stage must not result in serious of irreversible prejudice to the accused.

बचाव पक्ष की ओर से विधि व्यवस्था प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभयय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

सी0बी0आई0 की ओर प्रार्थनापत्र बी–84 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र को पत्रावली पर लेते हुए सत्यापनकर्ता अधिकारी/इंसपेक्टर अनमोल सचान को बतौर साक्षी तलब किये जाने का अनुरोध किया गया है। जबकि अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी–85 दाखिल करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को सम्पूर्ण साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अंतिम बहस के स्तर पर दाखिल किया गया है तथा विवेचक द्वारा न तो अभियोजन साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया और न ही विवेचक ने अपने साक्ष्य के दौरान उक्त प्रमाण पत्र को तैयार होने की बात कही है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। सी0बी0आई0 को मात्र अपनी कमियों को पूरा करने के लिए 65 बी के अन्तर्गत प्रमाण पत्र को दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपने तर्को के समर्थ में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था क्रि0 रिवीजन संख्या 1269/2019 राहुल वर्मा बनाम राज्य द्वारा सीबीआई/एसीबी लखनऊ दाखिल किया गया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के समय अर्जुन पंडित की विधि व्यवस्था यद्य पि उपलब्ध नहीं थी परन्तु अग्रेतर इस बिन्दु पर अर्जुन पंडित से और भी स्पष्टता आ गयी है कि धारा 311 द0प्र0सं0 का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ साक्ष्य पत्रावली पर लिये जाने की मंशा रखते हुए 65 बी प्रार्थना पत्र को किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है। जहॉ तक बचाव पक्ष के पूर्वधारणा कारित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि मात्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने से ही उसे साबित नहीं मान लिया जायेगा और अभियोजन को उक्त प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणित करनी होगी तथा

बचाव पक्ष के पास भी उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने वाले साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। बचाव पक्ष प्रमाण पत्र की वैधानिकता को एवं प्रमाणिकता को विधितः प्रश्नगत भी कर सकता है। ऐसे में अभियोजन को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा उसका साबित करने हेतु साक्ष्यों को आहूत किये जाने क प्रमाण पत्र को स्वीकार किये जाने में बचाव पक्ष को पूर्णधारणा कारित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्थओं के प्रकाश में सी0बी0आई0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में सम्बन्धित प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–84 स्वीकार किया जाता है। सी0बी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित साक्ष्य एवं उसे जारी करने वाले साक्षी को न्यायालय के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि शीघ्र विचारण सम्पादित किया जा सके।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक   को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,–4, लखनऊ।

22.3.2022

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र को वापस लिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और कथन किया गया कि वह इस जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाता है। अतः न्यायोचित आदेश पारित किया जाय।

सुना गया।

चूंकि प्रार्थी इस जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नही ंदेना चाहता है। अतः बल न दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,–4, लखनऊ।

धारा–389 द0प्रस0ंस के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष इस आशय का अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त प्रकरण में दोषसिद्व है तथा निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता हे। अतः जमानत पर रिहा किया जाय

सुना गया आज.....मुकदमाउपरोक्त में दोषी को धारा– में दोषसिद्ध किया गया है। दोषी द्वारा अन्तरिम जमानत की मांग की गई हे। अतः यह न्यायोचित होगा कि उक्त निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि तक अथवा अपीलीय अवधि लागू होने तक, जो भी प्रथम हो, दण्ड एवं अर्थदण्ड को स्थगित रखते हुए दोषी को रूपये के दो अन्तरिम जमानते व सम राशि का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर मात्र अपीलीय अवधि अथवा अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि तक जमानत पर रिहा किया जाता है।

12.4.2022

जमानत पत्रावली सत्र न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। अभियुक्त अधिवक्ता उपस्थित आये। उनकी ओर से कहा गया कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 13.4.22 की तिथि नियत है और प्रकरण में आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। अतः आरोपपत्र तलब कर लिया जाय।

सुना गया।

अवर न्यायालय की पत्रावली तलब हो। पत्रावली नियत तिथि पर सुनवाई हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,
सी0बी0आई0,–पश्चिम, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0 सी0बी0आई0()पश्चिम, लखनऊ

न्यायालय में बंद व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए न्यायालय में पेश करने की अपेक्षा करने वाला आदेशः–

<u>धारा–267 वारंट बी</u>

प्रेषिती–जेल अधीक्षक,
तलोजा, केन्दीय कारागार, खारघर(पश्चिम)
नवी मुम्बई, महाराष्ट्र।

उक्त कारागार में इस समय परिरूद्व/निरूद्व–– (बंदी का नाम) की इस न्यायालय में हाजिरी हेतु अन्तर्गत धारा––– के आरोप का उत्तर देने के लिए या–––––––––––––––––––––––– (कार्यवाही का संक्षिप्त विशिष्टयां दीजिए) कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है।

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त–––––––––––––––––को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए या उक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ तारीख––––––––––––को दिन में –––––––बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश

करें और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिये जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं।

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त————————————को इस आदेश की अन्तर्वस्तु की इत्तिला दें और संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें।

तारीख–
न्यायालय की मुहर

हस्ताक्षर

13.5.2022

पत्रावली पेश हुई। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 के तहत अग्रिम जमानत के रूप में दाखिल किया गया था परन्तु जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व ही पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अतः अब यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है और इस कारण इस जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नही देना चाहता है।

चूंकि आवेदक प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, पी0सी0ऐक्ट–6
लखनऊ

13.5.2022

जमानत पत्रावली प्रस्तुत हुई। विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा समय की याचना की गई कि प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त नहीं है। याचना स्वीकार की जाती है। जमानत प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 19.5.22 को पेश हो। प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्र तलब हो।

विशेष न्यायाधीश, पी0सी0ऐक्ट–6
लखनऊ

सिविल रिवीजन संख्या—34 / 19

13.5.2022

पत्रावली पेश हुई। रिवीजनिष्ट नं0—2 रामदिनेश द्विवेदी की ओर से प्रार्थना पत्र ए—13 समर्थित शपथपत्र सी—14 अन्तर्गत धारा—22 नियम—4 सी.पी. सी. एवं आदेश—6 नियम—17 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या—2 त्रिभुवन शंकर द्विवेदी का देहान्त दिनांक 06.01.2021 को हो गया है और अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती प्रेमावती, 3 पुत्र कौशल किशोर द्विवेदी, विमल किशोर द्विवेदी एवं जुगल किशोर द्विवेदी उर्फ जुगल किशोर द्विवेदी एवं 2 पुत्रियां श्रीमती सीमा एवं श्रीमती प्रीति मिश्रा को छोड़ गये है। सभी 3 प ुत्र कौशल किशोर द्विवेदी, विमल किशोर द्विवेदी एवं जुगल किशोर द्विवेदी उर्फ जुगल किशोर द्विवेदी पत्रावली पर विपक्षी संख्या—2 ता 4 के रूप में उपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र के पैरा—3 में वर्णित याचित संशोधन की अनुमति चाही है।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र ए—13 स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या—1 त्रिभुवन शंकर द्विवेदी के आगे मृत्यु दिनांक 06—01—2021 लिखने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपने पीछे छोड़ गये शेष उत्तराधिकारीगण के रूप में 1/(i) श्रीमती प्रेमावती 1/(ii) श्रीमती सीमा एवं 1/(iii) श्रीमती प्रीति को बतौर विपक्षी तथा पैरा 3 1(b) में याचित संशोधित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

याचित संशोधन 2 दिवस के अन्दर हो। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक'   को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, पी0सी0ऐक्ट—6

लखनऊ

02.06.2022

बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये तर्को पर वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा उत्तर दिये जाने हेतु समय की मांग किया। इस सन्दर्भ में स्पष्ट स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एच.ओ.बी. को पत्र प्रेषित किया जाय।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–4180 / 22

10.06.22

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आज सुनवाई हेतु नियत था। इस स्तर पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूरक शपथपत्र मय मामले के वादी के शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया तथा यह निवेदन किया गया कि इस सन्दर्भ में थाने से पुनः आख्या आहूत कर ली जाय ताकि नये तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुण–दोष पर सुनवाई करते हुए किया जा सके। बचाव पक्ष के इस निवेदन का सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया और उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उन्हें नये तथ्यों पर आख्या मंगवाने हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाय।

अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियेां के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 15.06.2022 को पेश हो। सम्बन्धित थाने से आख्या तलब हो ।

10.6.22

जमानत पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देने से इंकार किया और प्रार्थना पत्र के हाशिये पर 'नॉट प्रेस' अंकित किया गया है।

अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0

पश्चिम, लखनऊ

04.07.2022

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। ए0डी0जी0सी0 द्वारा केस डायरी तलब किये जाने हेतु समय की मांग किया।

सुना गया। जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.7.22 को पेश हों। विवेचक व्यक्तिगत रूप से मय समस्त प्रपत्रों व केस डायरी के साथ उपस्थित हो।

विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ

05.07.2022

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

सम्बन्धित प्रकरण में प्रार्थिनी द्वारा अपनी तहरीर में विशिष्ट रूप से गर्भपात कराये जाने का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त आर.टी.जी.एस. के द्वारा 4 लाख रूपये दिये जाने का भी आरोप लगाया गया है। विवेचक द्वारा जो प्रस्तरवार टिप्पणी प्रस्तुत की गई है उसमें उक्त विशिष्ट बिन्दुओं पर कोई

स्पष्टतः नहीं की गई है। विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि वह अब तक संकलित किये गये साक्ष्य तथा आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्व संकलित किये गये साक्ष्य के साथ दिनांक 12.07.2022 को मय केस डायरी के उपस्थित हो। जमानत प्रार्थना पत्र नियत तिथि पर समय 11.00 बजे पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–5648/22

19.07.2022

जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।ए0डी0जी0सी0क्रि0 द्वारा मौखिक रूप से समय की मांग करते हुए कथन किया कि विवेचक उपस्थित नहीं है और न ही उनके द्वारा न्यायालय द्वारा की गई पृच्छा के सम्बन्ध में कोई आख्या ही प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2022 को विवेचक से पीड़िता के गर्भपात से सम्बन्धित चिकित्सीय आख्या तलब की गई थी और यह भी स्पष्टीकरण चाहा गया था कि पीड़िता के गर्भपात में आवेदक/अभियुक्तगण की क्या भूमिका है। परन्तु विवेचक द्वारा न तो पूर्व तिथि 12.07.2022 को और न ही आज ही उक्त के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत की गई। आज विवेचक उपस्थित भी नहीं आये है। अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पत्र इस आशय का प्रेषित किया जाय कि वे अपने स्तर से विवेचक को स्पष्ट निर्देश देवे कि अगली तिथि दिनांक 25.07.2022 तक न्यायालय द्वारा की गई पृच्छा के बाबत स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त तिथि पर जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधि अनुसार कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होगी तथा सम्बन्धित विवेचक से विलम्ब के बिन्दु पर स्पष्टीकरण लेते हुए आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ

19.07.2022

जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।ए0डी0जी0सी0कि0 द्वारा मौखिक रूप से समय की मांग करते हुए कथन किया कि विवेचक उपस्थित नहीं है और न ही उनके द्वारा न्यायालय द्वारा की गई पृच्छा के सम्बन्ध में कोई आख्या ही प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को विवेचक से इस आशय की आख्या तलब की गई थी कि बचाव पक्ष द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि तथाकथित कूट रचित बैनामा के विक्रेता के पास पूर्व विक्रय की गई जमीन के उपरांत भी शेष जमीन थी। ऐसे में इस बिन्दु पर विवेचक से न्यायालय द्वारा स्पष्टतः चाही गई थी कि वह सम्बन्धित बिन्दु पर उनके द्वारा दौरान विवेचना यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया गया था तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और इस हेतु दो तिथियां विवेचक द्वारा ली जा चुकी है। परन्तु विवेचक द्वारा न तो पूर्व तिथि 11.07.2022 को और न ही आज ही उक्त के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत की गई। आज विवेचक उपस्थित भी नहीं आये है। अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पत्र इस आशय का प्रेषित किया जाय कि वे अपने स्तर से विवेचक को स्पष्ट निर्देश देवे कि अगली तिथि दिनांक 25.07.2022 तक न्यायालय द्वारा की गई पृच्छा के बाबत स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त तिथि पर जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधि अनुसार कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होगी तथा सम्बन्धित विवेचक से विलम्ब के बिन्दु पर स्पष्टीकरण लेते हुए आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ

28.07.2022

सम्बन्धित प्रकरण में आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, पत्रांक संख्या 11751 दिनांकित 21.07.2022, पर आख्या आहूत की गई। आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु तत्काल पत्रावली तलब की गई। पत्रावली के परिशीलन यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित प्रकरण में दिनांक 02.07.2022 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि ''आज दिनांक 02.07.2022 को थाना गुडम्बा पुलिसद्वारा मु0अ0सं0 472/21 धारा 376डी, 406, 420, 34, 323,506,, 328 भा0द0स0 में अभियुक्त राकेश कुमार सिंह राठौर के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के पर्याप्त आधार है। समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्व है। नकले संलग्न है। तदनुसार अभियुक्त मनानी सिंह अन्तरिम जमानत पर है। आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज रजिस्टर किया गया और पत्रावली में दिनांक 16.07.2022 की तिथि नियत की गई। उक्त आदेश पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। इसके उपरांत दिनांक 16.07.2022 के आदेश पत्र पर यह अंकन किया गया है कि अभियुक्त राकेश सिंह राठौर जेल से नहीं आया और पत्रावली में दिनांक 29.07.2022 की तिथि नियत की गई।

उपरोक्त दोनों आदेश पत्रों के परिशीलन से वस्तु स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सहायक अभियोजन अधिकारी एवं सम्बन्धित कोर्ट मोहर्रिर की आख्या आहूत की गई।

सम्बन्धित सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कथन किया गया कि प्रकरण में अभियुक्त राकेश सिंह राठौर दिनांक 04.04.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था और जरिये वीसीआर उसकी तलबी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। तदनुक्रम में अभियुक्त दिनांक 16.04.2022, 30.04.2022, 13.05.2022, 25. 05.2022, 02.06.2022, 15.06.2022 व 28.06.2022 को जरिये वीसीआर पेश होता रहा। अग्रिम तिथि दिनांक 02.07.2022 को नियत की गई और उस दिन अभियुक्त को जरिये वीसीआर तलब किया गया। दिनांक 02.07.2022 को उक्त प्रकरण में धारा 376डी, 406, 420, 34, 323,506,, 328 भा0द0स0 में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया व वाद दर्ज रजिस्टर कराया गया परन्तु आदेश पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि न्यायालय के समक्ष जरिये वीसीआर प्रस्तुत हुआ था। न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के बाद अभियुक्त मनाली सिंह को जरिये सम्मन तलब करने का आदेश पारित किया गया परन्तु अभियुक्त राकेश कुमार सिंह को तलब किये जाने या उसका पूर्व निर्गत वारंट अन्तर्गत धारा 167 द0प्र0सं0 को परिवर्तित कर प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के नाते धारा 209(a) द0प्र0सं0 में रिमांड बनाने का कोई तथ्य आदेश पत्र के परिशीलन से नहीं होता है और न ही धारा 167 द0प्र0सं0 के वारंट को परिवर्तित कर धारा 309 द0प्र0सं0 का वारंट बनाने का तथ्य भी पत्रावली से परिलक्षित नहीं होता है। अगली नियत तिथि दिनांक 16.07.22 के आदेश पत्र में यह अभिलिखित है कि ''पुकारा गया। अभियुक्त राकेश कुमार सिंह राठौर जेल से नहीं आया। दिनांक 29.7.22 को पेश हो। अभियुक्त मनाली सिंह जरिये सम्मन तलब हो। उक्त कार्यवाही पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित हो रही है।

सम्बन्धित कोर्ट मोहर्रिर द्वारा यह आख्या दी गई कि अभियुक्त राकेश सिंह राठौर दिनांक 04.04.22 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया

था। उसके बाद से अभियुक्त विभिनन हर तिथियों पर जरिये वीसीआर पेश होता रहा। दिनांक 02.07.2022 को प्रकरण में आरोप पत्र प्राप्त हुआ। न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। उस दिन अभियुक्त वीसीआर से पेश नहीं हुआ। जबकि पिछली तिथि 28.06.2022 को वीसीआर से पेश हुआ और उसे 2.07. 2022 को न्यायालय द्वारा वीसीआर से पेश होने का आदेश भी दिया गया था। यह भी अंकित किया गया कि प्रार्थिनी विधि स्नातक नहीं है। कोर्ट मोहर्रिर द्वारा यह भी आख्या दी गई कि सम्बन्धित अभियुक्त को जेल से उपस्थित न आने एवं जेल से वारंट न्यायालय न भेजे जाने के कारण उसके द्वारा अपेक्षित वारंट संशोधित की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

ऐसे में जबकि इस प्रकरण में दिनांक 02.07.202 को यह आरोप पत्र पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उनके द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है परन्तु वारंट धारा 167 द0प्र0सं0 को निरस्त करते हुए अपेक्षित वारंट बनाया गया अथवा नहीं, यह वस्तुस्थिति आदेश पत्र से स्पष्ट नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी व कोर्ट मोहर्रिर को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल सम्बन्धित अभियुक्त को मय वारंट जिला कारागार से कल दिनांक 29.07.2022 को सुबह 10.30 बजे तलब कर नियमानुसार वारंट संशोधित करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में ऐसी कोई अनियमितता न हो। कोर्ट मोहर्रिर यह भी स्पष्ट करें कि उनके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा दिनांक 16.07.2022 को पत्रावली मेरे समक्ष किन परिस्थितियों में प्रस्तुत नहीं की गई तथा जिला कारागार लखनऊ से वारंट नियत तिथि पर क्यों नहीं भेजा गया, इस सन्दर्भ में आख्या आहूत की जाय।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय,
लखनऊ।

प्रेषिका,
अंकिता सिंह,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय,
लखनऊ।

सेवा में,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
लखनऊ बेंच लखनऊ।

द्वारा,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय–Habeas Corpus Writ Petition No. 237 of 2022(rakesh Kumar Singh Rathore Vs. State of U.P. And Anr. के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

———————————————

महोदय,

सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, लखनऊ का कार्यभार, माननीय उच्च न्यायालय के निर्दे के अनुक्रम में, दिनांक 05.07.2022 को ग्रहण किया गया है। उक्त से पूर्व मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम लखनऊ के न्यायालय में कार्यरत थी और उक्त न्यायालय का कार्यभार देख रही थी। माननीय उच्च न्यायालय का पत्र, पत्रांक संख्या 11751 दिनांकित 27.07.2022 आज दिनांक 28.07.2022 को प्रथम अवसर पर प्राप्त हुआ जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया और उक्त पत्र के अनुक्रम में तत्काल सम्बन्धित पत्रावली को तलब किया गया तथा सहायक अभियोजन अधिकारी व सम्बन्धित कोर्ट मोहर्रिर की आख्या तलब की गई।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह आख्या दी गई प्रकरण में अभियुक्त राकेश सिंह राठौर दिनांक 04.04.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था और जरिये वीसीआर उसकी तलबी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। तदनुक्रम में अभियुक्त दिनांक 16.04.2022, 30.04.2022, 13.05.2022, 25.05.2022, 02.06. 2022, 15.06.2022 व 28.06.2022 को जरिये वीसीआर पेश होता रहा। अग्रिम तिथि दिनांक 02.07.2022 को नियत की गई और उस दिन अभियुक्त को जरिये वीसीआर तलब किया गया। दिनांक 02.07.2022 को उक्त प्रकरण में धारा 376डी, 406, 420, 34, 323,506,, 328 भा0द0स0 में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया व वाद

दर्ज रजिस्टर कराया गया परन्तु आदेश पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि न्यायालय के समक्ष जरिये वीसीआर प्रस्तुत हुआ था। न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के बाद अभियुक्त मनाली सिंह को जरिये सम्मन तलब करने का आदेश पारित किया गया परन्तु अभियुक्त राकेश कुमार सिंह को तलब किये जाने या उसका पूर्व निर्गत वारंट अन्तर्गत धारा 167 द0प्र0सं0 को परिवर्तित कर प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के नाते धारा 209(a) द0प्र0सं0 में रिमांड बनाने का कोई तथ्य आदेश पत्र के परिशीलन से नहीं होता है और न ही धारा 167 द0प्र0सं0 के वारंट को परिवर्तित कर धारा 309 द0प्र0सं0 का वारंट बनाने का तथ्य भी पत्रावली से परिलक्षित नहीं होता है। अगली नियत तिथि दिनांक 16.07.22 के आदेश पत्र में यह अभिलिखित है कि ''पुकारा गया। अभियुक्त राकेश कुमार सिंह राठौर जेल से नहीं आया। दिनांक 29.7.22 को पेश हो। अभियुक्त मनाली सिंह जरिये सम्मन तलब हो। उक्त कार्यवाही पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित हो रही है।

सम्बन्धित कोर्ट मोहर्रिर द्वारा यह आख्या दी गई कि अभियुक्त राकेश सिंह राठौर दिनांक 04.04.22 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था। उसके बाद से अभियुक्त विभिन्न हर तिथियों पर जरिये वीसीआर पेश होता रहा। दिनांक 02.07.2022 को प्रकरण में आरोप पत्र प्राप्त हुआ। न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। उस दिन अभियुक्त वीसीआर से पेश नहीं हुआ। जबकि पिछली तिथि 28.06.2022 को वीसीआर से पेश हुआ और उसे 2.07.2022 को न्यायालय द्वारा वीसीआर से पेश होने का आदेश भी दिया गया था। कोर्ट मोहर्रिर द्वारा यह भी आख्या में अंकित किया गया कि अभियुक्त मय वारंट प्रस्तुत न होने के कारण अभियुक्त का वारंट परिवर्तित नहीं हो पाया।

उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों में मेरे द्वारा तत्काल नियमानुसार वारंट संशोधित न किये जाने की अनियमितता को ठीक करने हेतु सम्बन्धित अभियुक्त को दिनांक 29.07.2022 को जिला कारागार से मय वारंट तलब किये जाने हेतु आदेश भी पत्रावली पर पारित किया गया तथा सम्बन्धित सहायक अभियोजन अधिकारी व कोर्ट मोहर्रिर को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट मोहर्रिर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी कथन किया गया है कि सम्बन्धित अभियुक्त को जेल से उपस्थित न आने एवं जेल से वारंट न्यायालय न भेजे जाने के कारण उसके द्वारा अपेक्षित वारंट संशोधित की कार्यवाही नहीं की जा सकी। ऐसे में इस सन्दर्भ में मेरे द्वारा जिला कारागार प्रशासन लखनऊ से पूर्व में वारंट न भेजे जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण भी आहूत किया गया। अद्योहस्ताक्षरी सादर अत्यंत सम्मानपूर्वक यह भी निवेदन करती है कि कल दिनांक 29.07.2022 को सम्बन्धित पत्रावली में अपेक्षित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जायेगी।

आख्या सादर प्रेषित।

भवदीया,

(अंकिता सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,द्वितीय,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

कि0 केस नं0–09/2010
आर0सी0 नं0–BD12008E0002
सी0बी0आई0 बनाम पंकज खरे एवं अन्य

श्री अंकुर त्रिपाठी,
पैरवी आफिसर,
सी0बी0आई0,लखनऊ।

उपरोक्त वर्णित पत्रावली आज साक्ष्य हेतु नियत है। पत्रावली में साक्षी मिर्जा इमरान आज साक्ष्य हेतु उपस्थित है परन्तु उक्त साक्षी से साबित कराने जाने वाला दस्तावेज आज न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि विगत तिथि 07.04.2022 को साक्षी पी0डब्लू0–27 सुरजीत सिंह का बयान अंकित हुआ था, उसके बाद से दिनांक 22.04.22, 18.05.2022, 07.06.2022, 27.06.2022, 14.07.2022, 01.08.2022 की तिथि साक्ष्य हेतु नियत की गई परन्तु कोई भी साक्षी विशेष निर्देश दिये जाने के बावजूद साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ। आज दिनांक 18.08.2022 को साक्षी मिर्जा इमरान उपस्थित है परन्तु उक्त साक्षी से साबित कराये जाने वाले दस्तावेज न्यायालय में उपलब्ध न होने के कारण उक्त साक्षी की साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकीं। यह अत्यंत आपत्तिजनक है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि से पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि पत्रावली में विशेष निर्देश दिये जाने के बावजूद पत्रावली में आप द्वारा आवश्यक पैरवी क्यों नहीं की जा रही है।

पत्रावली में साक्ष्य हेतु दिनांक 05.09.2022 की तिथि नियत है।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

27.8.2022

जमानत पत्रावली पेश हुई। बचाव पक्ष द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में तैयारी हेतु समय की याचना की गई। सी0बी0आई0 के पी0पी0 द्वारा भी समय मांगा गया। आज विवेचक भी उपस्थित नहीं हे। अतः दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2022 को पेश हों।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

22.09.2022

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण हेतु अभियोजन की ओर से समय चाहा गया जिस पर बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। उभय पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.10.2022 की तिथि नियत की जाती है। प्रार्थना पत्र नियत तिथि पर समय 10.30 बजे निस्तारण हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—7590 / 22

10.10.2022

आवेदक वीराजे तुलाराम (Viraje Tularam) के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र, मेमों एवं जमानत आदेश में Viraje Tularam के स्थान पर Virge Tularam संशोधित करने की याचना की गई है।

सुना गया।

चूंकि आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र एवं मेमो में त्रुटिवश Virge Tularam के स्थान पर Viraje Tularam अंकित हो गया था। अतः Viraje Tularam के स्थान पर Virge Tularam संशोधित करने की अनुमति चाही है और तदनुसार जमानत आदेश में भी आवेदक अभियुक्त के नाम को संशोधित करने का निवेदन किया गया है।

न्यायहित में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
लखनऊ।

द्वारा,

श्रीमान पीठासीन अधिकारी,
विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी आवश्यक निजी कार्य से वाराणसी जाना चाहता है।

अतः अनुरोध है कि प्रार्थी को कल दिनांक 05.11.22 को एक दिन का आकस्मिक अवकाश एवं आज न्यायालय समय के पश्चात मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर

प्रार्थी

दिनांक 04.11.22

{संजय कुमार श्रीवास्तव}
आशुलिपिक
विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0
पश्चिम, लखनऊ।

22.11.2022

जमानत पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त हिमांशु गुप्ता की ओर से माननीय सत्र न्यायाधीश लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो स्थानान्तरण के उपरांत आज इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के हाशिऐ पर Not Pressed किया गया। अतः अभियुक्त का अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र Not Pressed किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 द0